सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2020-2021

इस्पाती इरादाः आत्मनिर्भर भारत

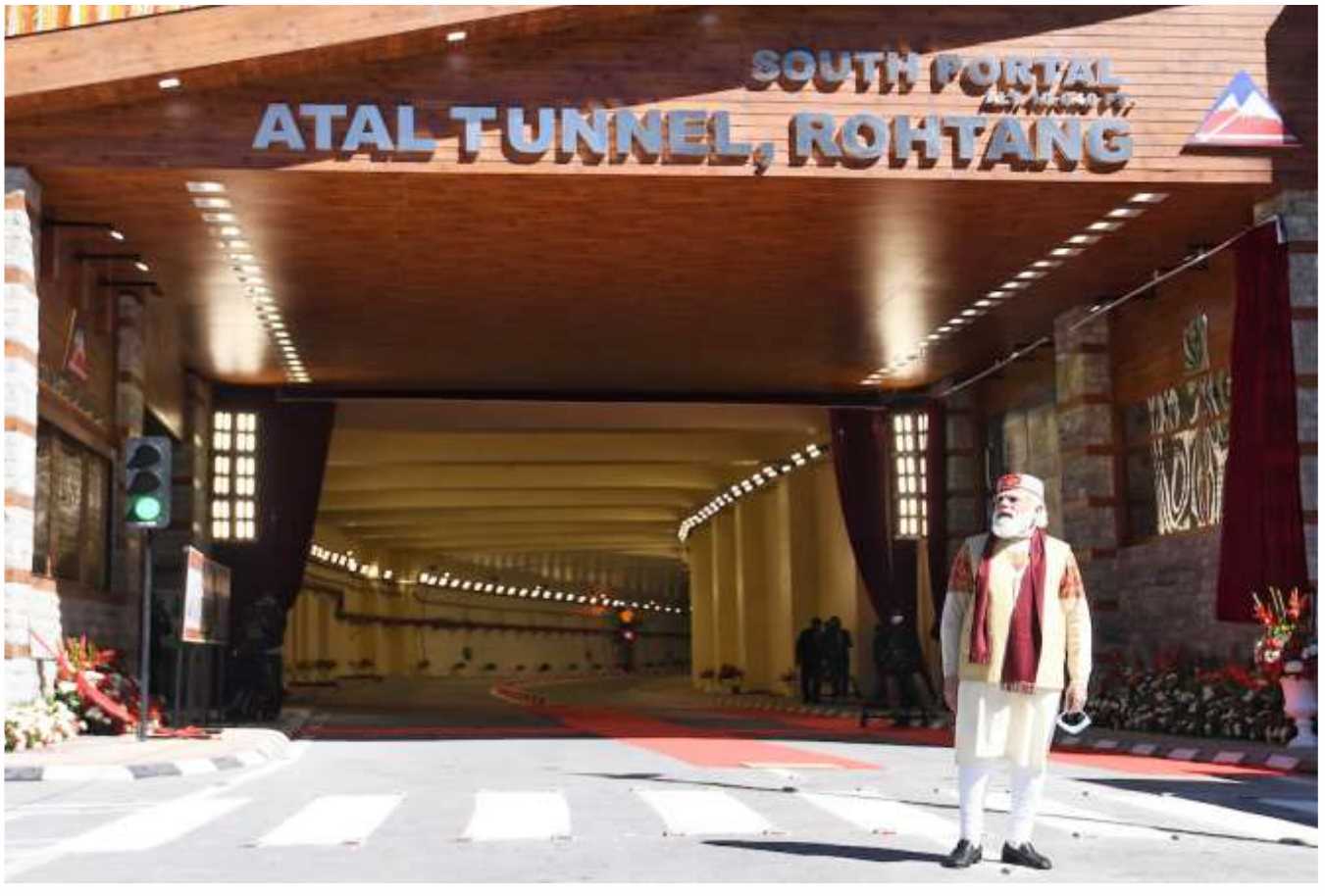

"अटल सुरंग एक असाधारण बुनियादी ढांचा परियोजना है जो युवा राष्ट्र के इरादे और दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग एक इंजीनियरिंग चमत्कार है जो अटल जी के सपनों को पूरा करती है।"

नरेन्द्र मोदी

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	मुख्य उपलब्धियाँ	4
2	इस्पात मंत्रालय का संरचनात्मक संगठन और कार्य	7
3	भारतीय इस्पात क्षेत्रः प्रगति और अवसर	10
4	इस्पात नीतियाँ, नई पहल और कोविड–19 महामारी का प्रभाव	19
5	सार्वजनिक क्षेत्र	25
6	निजी क्षेत्र	37
7	क्षमता निर्माण, तकनीकी निर्देश और कौशल विकास	40
8	अनुसंधान एवं विकास	43
9	इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहन	46
10	ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन	51
11	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र का विकास	53
12	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	54
13	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	55
14	सुरक्षा	62
15	समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण	65
16	सतर्कता	69
17	शिकायत निवारण तंत्र	79
18	दिव्यांग एवं इस्पात	83
19	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	85
20	महिला सशक्तिकरण	90
21	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व	93
22	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	101
अनुलग्नक		104

अध्याय–1

मुख्य उपलब्धियाँ

1.1 इस्पात क्षेत्र में रूझान और विकास

- जनवरी से दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान, भारत विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना रहा [अनंतिम, स्रोतः विश्व इस्पात संघ (डब्ल्यूएसए)]
- कच्चे इस्पात का उत्पादन 2016 में 95.477 मिलियन टन (एमटी) से बढ़कर 2020 में 99.57 मिलियन टन (अनंतिम) हो गया। तथापि, कच्चे इस्पात के उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि (सीपीएलवाई) की तुलना में 10.6% की गिरावट देखी गई।
- 2016 में घरेलू कच्चे इस्पात की क्षमता 128.277 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़कर 2020 में 142.724 एमटीपीए हो गई।
- जनवरी–दिसंबर 2020 के दौरान, उद्योग परिदृश्य निम्नलिखित था (अनंतिम, स्रोतः जेपीसी)।
  - क) कच्चे इस्पात का उत्पादन 99.570 मिलियन टन था। सेल, आरआईएनएल, टीएसएल ग्रुप, एएम/एनएस (पूर्ववर्ती एस्सार स्टील), जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और जेएसपीएल ने मिलकर कुल उत्पादन में 64% की हिस्सेदारी के साथ 64.068 मिलियन टन का उत्पादन किया, जो विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 6.7% कम था। बाकी 35.502 मिलियन टन अन्य उत्पादकों से आया। कुल कच्चे इस्पात उत्पादन में 81% की हिस्सेदारी के साथ, निजी क्षेत्र ने 80.622 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया, जो कि विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 10.8% कम था।
  - ख) पिग आयरन का उत्पादन 4.502 मिलियन टन था, जो विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 24.7% कम था। कुल पिग लौह उत्पादन में 28% की हिस्सेदारी के साथ सेल, आरआईएनएल, टीएसएल ग्रुप, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल और जेएसपीएल ने मिलकर 1.249 मिलियन टन का उत्पादन किया जो कि विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 13% कम था। बाकी अन्य उत्पादकों से विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 28.5% की गिरावट के साथ आया। निजी क्षेत्र ने 3.929 मिलियन टन का उत्पादन किया जो कि विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 26.3% कम था।
  - ग) कुल तैयार इस्पात के लिए तथ्य (गैर–मिश्र धातु + मिश्र धातु/स्टेनलेस):
    - कुल तैयार इस्पात का उत्पादन 91.435 मिलियन टन रहा जो वर्ष में 12.1% की गिरावट दर्शाता है।
    - कुल तैयार इस्पात का निर्यात 10.15 मिलियन टन रहा जो 23.7% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।
    - कुल तैयार इस्पात का आयात 4.463 मिलियन टन था, जो विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 40.0% कम था।
    - भारत कुल तैयार इस्पात (मात्रा में) का शुद्ध निर्यातक था (परिमाण में)।
    - कुल तैयार इस्पात की खपत 88.535 मिलियन टन थी जिसमें विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 13.7% की गिरावट देखी गई।

कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु + गैर–मिश्र धातु) के उत्पादन, खपत, आयात और निर्यात पर विस्तृत जानकारी और पिछले पांच वर्षों (2016–2020) के लिए कच्चे इस्पात का उत्पादन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

(मिलियन टन में)

मद	2016	2017	2018	2019	2020*
कच्चा इस्पात					
उत्पादन	95.477	101.455	109.250	111.344	99.570
तैयार इस्पात					
खपत	83.642	88.679	96.737	102.622	88.535
आयात	8.430	7.828	7.295	7.440	4.463
निर्यात	5.902	10.871	6.692	8.205	10.150

स्रोतः जेपीसी; * अनंतिम

नोटः यह नोट किया जा सकता है कि जेपीसी ने मार्च 2018 के बाद तैयार इस्पात रिपोर्टिंग प्रणाली को संशोधित किया। मार्च 2018 से पहले जेपीसी तैयार इस्पात के सकल उत्पादन की रिपोर्ट करता था। अप्रैल 2018 से, जेपीसी तैयार इस्पात के क्रूड स्टील इक्विलेंट प्रोडक्शन की रिपोर्ट कर रहा है।

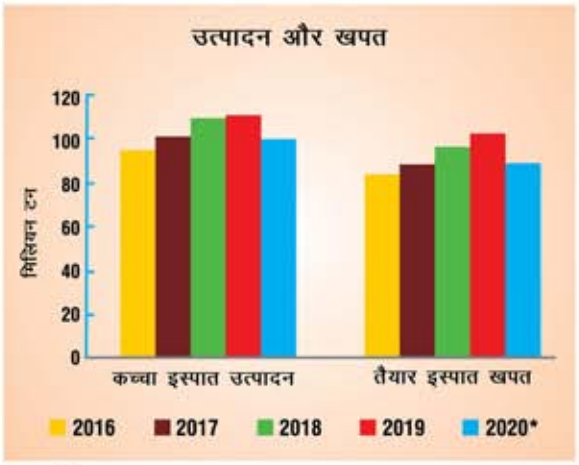

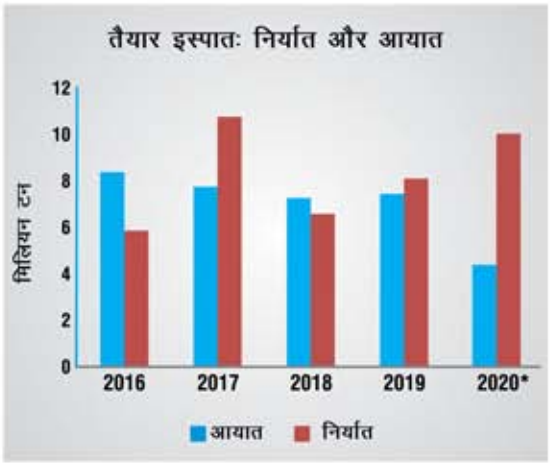

* - अनंतिम

1.2 इस्पात कंपनियों द्वारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) की आपूर्ति

- लगभग सभी राज्यों/क्षेत्रों में भारी माँग को पूरा करने के लिए 11.09.2020 से इस्पात पीएसयू तथा निजी कंपनियों द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन को औद्योगिक इस्तेमाल से चिकित्सीय इस्तेमाल के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है।
- 16.02.2021 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों को 100105 एमटी एलएमओ की आपूर्ति की गई है, जिनमें से 72202 एमटी की आपूर्ति निजी क्षेत्र तथा 27903 एमटी की आपूर्ति इस्पात पीएसयू द्वारा की गई है।

1.3 वर्ष 2020–21 के दौरान सीपीएसई से संबंधित प्रमुख तथ्य

1.3.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- कच्चे इस्पात का उत्पादन 10.659 मिलियन टन और तैयार इस्पात का उत्पादन 7.513 मिलियन टन (दिसंबर, 2020 तक)।
- 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बिक्री कारोबार 61,025 करोड़ रुपए था, 31.12.2020 को समाप्त नौ महीनों के लिए 45,286 करोड़ रुपए और 31.12.2019 को समाप्त नौ महीनों के लिए 45,001 करोड़ रुपए था।
- कंपनी का निवल मूल्य 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार 37,182 करोड़ रुपए, 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 39,777 करोड़ रुपए और 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार 40,196 करोड़ रुपए था।
- वित्त वर्ष 2020–21 के लिए घोषित 10/– रुपए की प्रत्येक शेयर पर 1 रुपये का अंतरिम लाभांश।

1.3.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- दिसंबर 2020 तक कच्चे इस्पात का उत्पादन 2.728 मिलियन टन और बिक्री योग्य इस्पात की बिक्री 3.10 मिलियन टन है।
- दिसंबर 2020 तक 11,447 करोड़ रुपये का संचयी बिक्री टर्नओवर अर्जित किया। (अनंतिम)
- 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य 3272 करोड़ रुपए और 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार 1142 करोड़ रुपए है।
- दिसंबर 2020 तक बिक्री योग्य इस्पात के 1.07 मिलियन टन की कुल निर्यात बिक्री के साथ पहली बार 1 मिलियन टन से अधिक के निर्यात को अर्जित किया गया था।

1.3.3 एनएमडीसी लिमिटेड

- लौह अयस्क का उत्पादन दिसंबर, 2020 तक 21.84 मिलियन टन था।
- लौह अयस्क की घरेलू बिक्री दिसंबर, 2020 तक 20.68 मिलियन टन थी।
- लौह अयस्क की निर्यात बिक्री दिसंबर, 2020 तक 1.47 मिलियन टन थी।
- लौह अयस्क की कुल बिक्री दिसंबर, 2020 तक 22.16 मिलियन टन थी।
- एनएमडीसी ने दिसंबर, 2020 तक 4635 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) अर्जित किया है।

1.3.4 मॉयल लिमिटेड

- मॉयल लि. ने दिसंबर, 2020 (अनंतिम) तक 7.41 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया।
- दिसंबर, 2020 तक कंपनी की कुल आय 796.05 करोड़ रुपए थी (अनंतिम)।
- दिसंबर, 2020 तक कंपनी का कर पूर्व लाभ 82.24 करोड़ रुपये था (अनंतिम)।
- दिसंबर, 2020 तक कर के बाद लाभ (पीएटी) 63.68 करोड़ रुपये था (अनंतिम)।
- 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य 2763.38 करोड़ रुपये था और 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार 2762.14 करोड़ रुपये था।
- मॉयल ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 71.20 करोड़ के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है और केंद्र सरकार को 38.34 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

1.3.5 मेकॉन लिमिटेड

- दिसंबर, 2020 तक 325.29 करोड़ रुपये का टर्नओवर प्राप्त किया (अनंतिम)।
- दिसंबर, 2020 तक कंपनी का निवल मूल्य 291.64 करोड़ रुपए था (अनंतिम)।
- दिसंबर, 2020 तक पीबीटी/पीएटी (–)141.85 करोड़ रुपए था (अनंतिम)।

1.3.6 एमएसटीसी लिमिटेड

- दिसंबर, 2020 रुपये तक 237.70 करोड़ रुपये का टर्नओवर प्राप्त किया गया है (अनंतिम)।
- दिसंबर, 2020 तक 60.82 करोड़ रुपये का पीबीटी प्राप्त किया गया है (अनंतिम)।
- दिसंबर, 2020 तक 39.56 करोड़ रुपये का पीएटी प्राप्त किया गया है (अनंतिम)।

1.3.7 केआईओसीएल लिमिटेड

- दिसंबर, 2020 तक 2.166 मिलियन टन के लौह अयस्क पेलेट का उत्पादन प्राप्त किया गया था (अनंतिम)।
- दिसंबर, 2020 तक 2.240 मिलियन टन लौह अयस्क पेलेट की बिक्री प्राप्त की गई है (अनंतिम)।
- दिसंबर, 2020 तक 1942.60 करोड़ रुपये के प्रचालन से राजस्व प्राप्त किया गया है (अनंतिम)।
- दिसंबर, 2020 तक 121.01 करोड़ रुपये का पीबीटी प्राप्त किया गया है (अनंतिम)।
- दिसंबर, 2020 तक 90.56 करोड़ रुपये का पैट प्राप्त किया गया है (अनंतिम)।

अध्याय–2

इस्पात मंत्रालय का संरचनात्मक संगठन और कार्य

2.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय इस्पात मंत्री के प्रभार में है और इसे इस्पात राज्य मंत्री सहयोग प्रदान करते हैं। मंत्रालय लौह और इस्पात उद्योग की योजना और विकास, लौह–अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो–मिश्र धातु, स्पंज आयरन आदि और अन्य संबंधित कार्यों के विकास के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय को आबंटित विषय का विवरण अनुबंध–I में देखा जा सकता है। उप–सचिव के स्तर तक के प्रभारी मंत्री और अधिकारियों का विवरण अनुबंध–II में दिया गया है। इस्पात मंत्रालय के पास 246 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है, जिसमें से 31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार 181 कर्मचारी कार्यरत हैं।

2.1.1 इस्पात मंत्रालय के प्रमुख कार्य

- राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपेक्षित अवसंरचना के विकास का संवर्धन करना।
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता को सुकर बनाना।
- इस्पात उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक व्यापक डेटा बेस बनाना और अपडेट करना।
- सीपीएसई के भौतिक व वित्तीय निष्पादन और परियोजना पर पूंजीगत व्यय की निगरानी करना।
- समझौता ज्ञापन और सीपीएसई के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम में की गई प्रतिबद्धताओं के प्रदर्शन की निगरानी।
- अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, गुणवत्ता नियंत्रण और तकनीकी–आर्थिक मापदंडों में सुधार के माध्यम से लौह और इस्पात उद्योग के प्रदर्शन में सुधार की सुविधा।
- प्रचार प्रयासों के माध्यम से स्टील की घरेलू मांग को बढ़ावा देना।

2.1.2 प्रमुख प्रभाग

मंत्रालय के विभिन्न विषयों में कार्य करने के लिए 25 प्रभाग हैं। प्रमुख प्रभागों में स्थापना, सामान्य प्रशासन, समन्वय, बजट और वित्त, परियोजनाएं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इस्पात विकास (संस्थान), तकनीकी प्रभाग, सेल, एमएफ, एनएमडीसी, कच्चे माल, व्यापार और कराधान, मेक इन इंडिया (औद्योगिक विकास), मेकॉन, आरआईएनएल, बोर्ड स्तर पर नियुक्ति, केआईओसीएल, एमओआईएल, आर्थिक प्रभाग और सांख्यिकी प्रभाग शामिल हैं।

2.2 इस्पात मंत्रालय के अन्य संबंधित संगठन

2.2.1 संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणन के साथ मान्यता प्राप्त, संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तत्वावधान में देश की एकमात्र संस्था है, जिसने भारतीय लौह और इस्पात उद्योग पर डेटा एकत्र किया है, जिसके परिणामस्वरूप इस उद्योग पर पूर्ण और गैर–पक्षपातपूर्ण डेटाबैंक निर्माण और रखरखाव होता है। जेपीसी का मुख्यालय कोलकाता में क्षेत्रीय और विस्तार कार्यालयों के माध्यम से पैन–इंडिया उपस्थिति के साथ डेटा संग्रह में लगा है।

जेपीसी वर्तमान में भारत सरकार के अपर सचिव, इस्पात मंत्रालय की अध्यक्षता में कार्य करता है और इसके सम्मानित सदस्यों के रूप में भारत सरकार, इस्पात उत्पादकों, इस्पात संघों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि हैं। जेपीसी निम्नलिखित कार्य करता है:

- उत्पादकों से उत्पादन, स्टॉक और कच्चे माल के डेटा का संग्रह।
- चार महानगरों से घरेलू खुदरा बाजार की कीमतों का संग्रह।

- उभरते डेटा आइटम जैसे स्टील क्लस्टर से खुदरा मूल्य, रोजगार डेटा, इत्यादि का संग्रह।
- उद्योग के साथ नियमित अनुवर्ती, निगरानी और संबंधित संपर्क गतिविधियाँ।
- ऑन–स्पॉट डेटा संग्रह के लिए दोषी स्टील उत्पादक इकाइयों का दौरा।
- खंड सर्वेक्षण के दौरान क्षेत्र स्तर संग्रह में सक्रिय भूमिका।
- सेमिनार/प्रदर्शनियों के लिए संगठनात्मक सहायता जिसमें इस्पात मंत्रालय की गतिविधियां जैसे इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठकें, द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के पुरस्कार शामिल हैं।

मासिक और वार्षिक आधार पर कई प्रकाशन और डेटा रिपोर्ट, उद्योग के सभी हितधारकों के लिए सूचना और डेटा के प्रसार को सुनिश्चित करते हैं। ऑनलाइन क्वेरी मॉड्यूल और एक मोबाइल ऐप के साथ एक गतिशील वेबसाइट सभी हितधारकों के लिए वास्तविक समय में डेटा तक पहुंच सुनिश्चित करती है।

जेपीसी की नई दिल्ली स्थित आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू) द्वारा अनुसंधान सहायता, पूर्वानुमान संबंधी अभ्यास और नीतिगत मामलों/तकनीकी–आर्थिक अध्ययनों की जांच प्रदान की जाती है।

2.3 इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की सूची:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	मुख्यालय	प्रमुख सहायक कंपनियां
1.	सेल	इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड पोस्ट बैग नंबर 565, सलेम–636005 (तमिलनाडु)
2.	आरआईएनएल	प्रशासनिक भवन, विशाखापटनम–530031 (आंध्र प्रदेश)	ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी सीओ/सेल कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 271, विद्युत मार्ग, शास्त्री नगर, यूनिट–IV भुवनेश्वर, ओडिशा–751001
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	खनिज भवन, 10–3–311/ए कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद–500028 (आंध्र प्रदेश)	
4.	मॉयल लिमिटेड	मॉयल भवन, 1–ए, काटोल रोड, नागपुर–440013 (महाराष्ट्र)	
5.	एमएसटीसी लिमिटेड	225–सी, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता–700020 (पश्चिम बंगाल)	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) एफएसएनएल भवन इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यु, भिलाई–490001 (छत्तीसगढ़)
6.	मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन बिल्डिंग, रांची–834002 (झारखंड)	
7.	केआईओसीएल लिमिटेड	II ब्लॉक, कोरमंगला बेंगलुरु–560034 (कर्नाटक)	

31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय में संगठन चार्ट

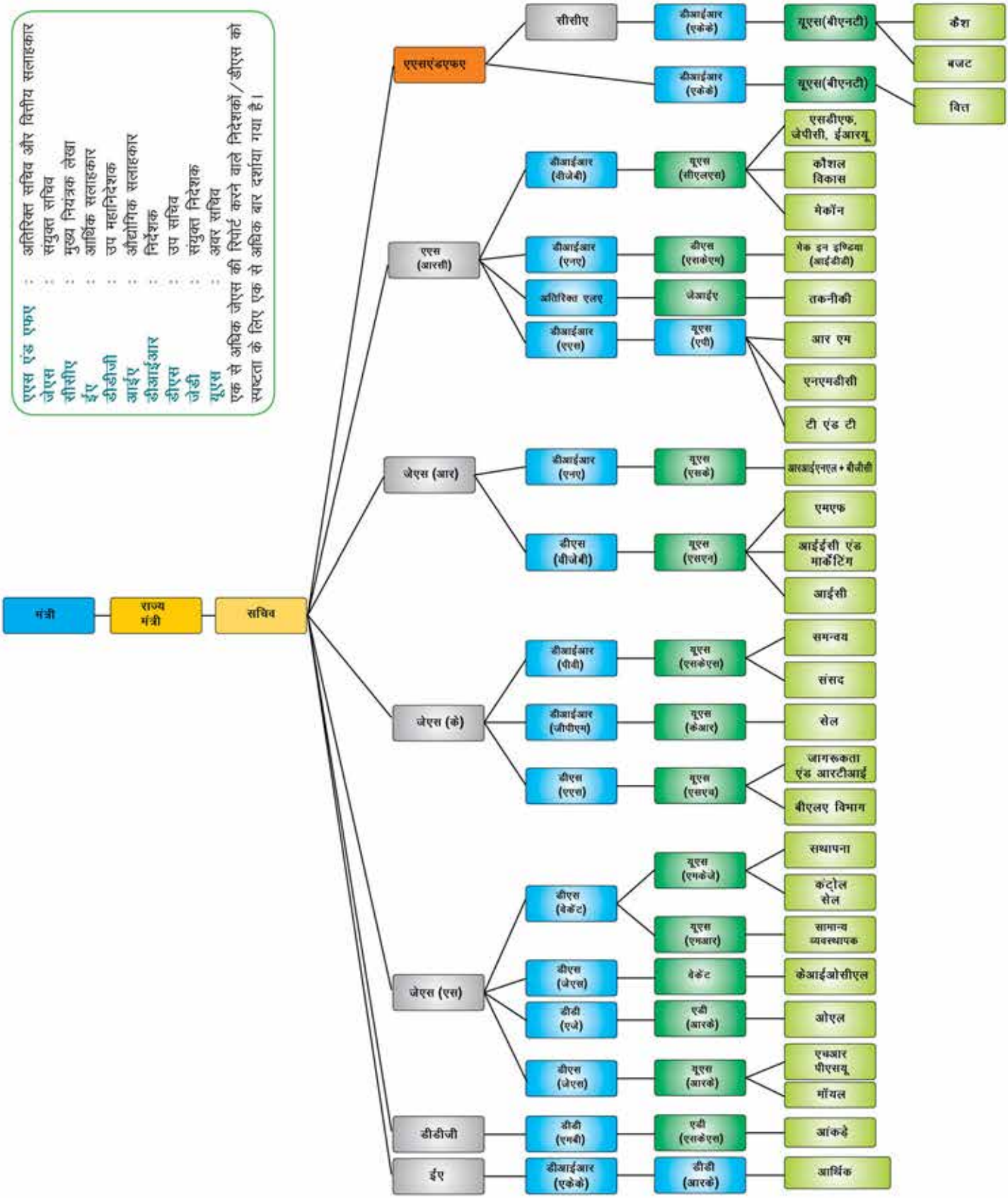

अध्याय–3

भारतीय इस्पात क्षेत्रः प्रगति और अवसर

3.1 परिचय

1947 में आजादी के समय भारत में केवल तीन इस्पात संयंत्र थे–टाटा आयरन एंड इस्पात कंपनी, इंडियन आयरन एंड इस्पात कंपनी और विश्वेश्वरैया आयरन एंड इस्पात लिमिटेड और कुछ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस–आधारित प्लांट थे। 1947 तक की अवधि में देश में एक छोटा लेकिन व्यवहार्य इस्पात उद्योग देखा गया, जो लगभग 1 एमटी की क्षमता के साथ संचालित था और पूरी तरह से निजी क्षेत्र में था। अलग–अलग समय में लागू की गई आर्थिक नीति के प्रावधानों ने भारतीय इस्पात उद्योग में उल्लेखनीय बदलावों को रेखांकित किया। स्वतंत्रता के समय एक एमटी क्षमता की स्थिति से निकल कर भारत अब दुनिया में कच्चे इस्पात और स्पंज आयरन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। एक नगण्य वैश्विक उपस्थिति से भारतीय इस्पात उद्योग अब विश्व स्तर पर अपने उत्पाद की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। जैसा कि इसने स्वतंत्रता के बाद से अपने लंबे इतिहास को पार किया है, भारतीय इस्पात उद्योग ने व्यवसाय चक्रों के उतार और चढ़ाव की चुनौतियों का उत्तर दिया है। पहला बड़ा बदलाव पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आया था जब उस समय की अर्थव्यवस्था के अनुसार, राज्य नियंत्रण के लिए लौह और इस्पात उद्योग की पहचान की गई थी। 1950 के दशक के मध्य से लेकर 1970 के दशक तक, भारत सरकार ने भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो में सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए। इन वर्षों के दौरान उद्योग को अभिशासित करने वाली नीति शासन में शामिल हैः

- क्षमता नियंत्रण के उपायः क्षमता का लाइसेंस, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण का आरक्षण।
- एक दोहरी–मूल्य निर्धारण प्रणालीः निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में एकीकृत, बड़े पैमाने पर उत्पादकों के लिए मूल्य और वितरण नियंत्रण, जबकि बाकी उद्योग एक मुक्त बाजार में संचालित होते हैं।
- मात्रात्मक प्रतिबंध और उच्च शुल्क बाधाएं।
- रेलवे फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसीः संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।
- प्रौद्योगिकी, पूंजीगत सामान और वित्त और निर्यात पर प्रतिबंध सहित इनपुट के आयात पर नियंत्रण।

3.1.1 इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण ने भारत को दुनिया का दसवां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बनाने में योगदान दिया क्योंकि कच्चे इस्पात का उत्पादन 1947 में 1 एमटी की तुलना में एक दशक के अंतराल में लगभग 15 एमटी तक बढ़ गया। लेकिन 1970 के दशक के अंत से इस रुझान को बरकरार नहीं रखा जा सका, क्योंकि आर्थिक मंदी ने भारतीय इस्पात उद्योग के विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हालांकि, 1991–92 में इस चरण को उलट दिया गया था, जब देश ने नियंत्रण शासन को उदारीकरण और नियंत्रण से बदल दिया था। 1990 के आरंभ में नई आर्थिक नीति के प्रावधानों ने भारतीय इस्पात उद्योग को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित कियाः

- सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से बड़े पैमाने पर क्षमताओं को हटा दिया गया था। अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को भी स्थानीय प्रतिबंधों की शर्त के अध्यधीन हटा दिया गया था।
- निजी क्षेत्र ने समग्र सेट अप में एक प्रमुख भूमिका निभाई।
- मूल्य निर्धारण और वितरण नियंत्रण तंत्र बंद कर दिया गया।
- लौह और इस्पात उद्योग को विदेशी मुद्रा और सामान्य रूप से इस तरह के निवेश को संचालित करने वाली अन्य शर्तों के अधीन 50% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए स्वतः स्वीकृति को निहित करके विदेशी निवेश के लिए उच्च प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया था।
- फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम को माल ढुलाई की अधिकतम सीमा की प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
- मात्रात्मक आयात प्रतिबंधों को काफी हद तक हटा दिया गया था। निर्यात प्रतिबंध वापस ले लिया गया।

3.1.2 इस्पात निर्माताओं के लिए, अर्थव्यवस्था को खोले जाने ने विदेशी बाजारों से प्रतिस्पर्धी दरों पर अपने इनपुट की खरीद के नए चैनल खोले और अपने उत्पादों के लिए नए बाजार भी बनाए। इसने विनिर्माण में वैश्विक संचालन/तकनीकों की जानकारी के लिए अधिक पहुंच प्रदान की। यह, एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार के दबावों के साथ, दक्षता स्तर बढ़ाने की आवश्यकता को बढ़ाता है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें। दूसरी ओर, इस्पात उपभोक्ता अब वस्तुओं की एक सारणी से वस्तुओं का चयन करने में सक्षम था, चाहे वह स्वदेशी रूप से निर्मित हो या आयातित हो। 1992 में अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ, देश ने इस्पात बनाने की क्षमता में तेजी से वृद्धि का अनुभव किया। एस्सार इस्पात, इस्पात इंडस्ट्रीज, जिंदल ग्रुप आदि द्वारा निजी क्षेत्र में बड़े एकीकृत इस्पात प्लांट स्थापित किए गए, टाटा इस्पात ने भी अपनी क्षमता का विस्तार किया। इस अवधि में कुछ उल्लेखनीय पहल में शामिल थे:

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर लगभग 9 एमटी इस्पात क्षमता के निर्माण के साथ निजी क्षेत्र का उद्भव।
- टैरिफ बाधाओं को कम करना/समाप्त करना, व्यापार खाते पर रुपये का आंशिक फ्लोट, वैश्विक प्रौद्योगिकियों के सर्वोत्तम पद्धतियों तक पहुंच और लागत में कमी–इन सभी ने विश्व निर्यात बाजार में भारतीय इस्पात की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया।

3.1.3 1996–97 के बाद, घरेलू अर्थव्यवस्था की विकास दर में लगातार गिरावट के साथ, भारतीय इस्पात उद्योग की वृद्धि की गति धीमी हो गई और सभी प्रदर्शन संकेतकों के संदर्भ में–क्षमता निर्माण, उत्पादन, खपत, निर्यात और मूल्य/लाभप्रदता–का प्रदर्शन उद्योग औसत से नीचे गिर गया। विदेशी व्यापार में, भारतीय इस्पात को पाटनरोधी/रक्षोपाय शुल्कों के अधीन किया गया क्योंकि अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने गैर–टैरिफ बाधाओं को लागू किया। एशियाई वित्तीय संकट के कारण आर्थिक विनाश, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती और नए इस्पात–सक्रिय देशों (अतिरिक्त यूएसएसआर की इस्पात–अधिशेष अर्थव्यवस्थाओं) से अतिरिक्त आपूर्ति द्वारा बनाए गई आधिक्य का प्रभाव ऐसे कारक थे जिन्होंने वृद्धि स्तर को कम कर दिया। तथापि, वर्ष 2002 से, वैश्विक उद्योग ने मोड़ लिया, चीन ने काफी हद तक सहायता की, जिसके उत्कृष्ट आर्थिक विकास और तेज़ी से बढ़ते अवसंरचना के कारण इस्पात की मांग बढ़ गई, जिससे इसकी घरेलू आपूर्ति पूरी नहीं हो सकी। इसी समय, प्रमुख बाजारों में रिकवरी हुई, उत्पादन में वृद्धि, कीमतों में सुधार, लाभप्रदता की वापसी, नए बाजारों के उद्भव, व्यापार बाधाओं को उठाने और अंत में, विश्व स्तर पर इस्पात की मांग में वृद्धि हुई। भारतीय इस्पात उद्योग के लिए स्थिति अलग नहीं थी, जिसने अब तक परिपक्वता का स्तर प्राप्त कर लिया था, जिसमें गहन अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर जोर दिया गया था, प्रति व्यक्ति घरेलू इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए उपायों को अपनाना और अन्य बाजार विकास परियोजनाओं, आयात प्रतिस्थापन उपायों, इनपुट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक रास्ते तलाशने पर जोर दिया गया।

3.1.4 इस उद्योग के विकास की तीव्र गति और बाजार के देखे गए रुझान कुछ निश्चित दिशा–निर्देशों और रूपरेखा की मांग करते हैं। इस प्रकार भारतीय इस्पात उद्योग के लिए वृद्धि और विकास का रोडमैप प्रदान करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय इस्पात नीति की अवधारणा का जन्म हुआ। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2005 की घोषणा नवंबर 2005 में एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक बुनियादी खाका तैयार करने के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 का दीर्घकालिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत में विविध मानकों की पूर्ति के लिए विश्व मानकों का एक आधुनिक और कुशल इस्पात उद्योग बने। नीति का फोकस दक्षता और उत्पादकता के वैश्विक मानकों के संदर्भ में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर को प्राप्त करना था। इसके बाद 2017 में एक विस्तृत समीक्षा के बाद, सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 जारी की, जिसने 2030–31 तक मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के साथ भारतीय इस्पात उद्योग के लिए दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया है। आर्थिक रूप से विकास को बढ़ावा देने वाले तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग बनाने के लिए एक विज़न की परिकल्पना की गई है। साथ ही वर्तमान में गैर–विनियमित, उदारीकृत आर्थिक/बाजार परिदृश्य में एक सुविधाप्रदायक के रूप में सरकार ने सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए एक नीति की भी घोषणा की है। यह नीति राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के 'मेक इन इण्डिया' की परिकल्पना को पूरा करने का उद्देश्य रखती है और यह सभी सरकारी निविदाओं पर लागू होता है जहाँ कीमत बोली को खोला जाना बाकी है।

3.2 इस्पात का उत्पादन, खपत और वृद्धि

3.2.1 नीचे दी गई तालिका में देश में पिछले पांच वर्षों के लिए कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु + गैर–मिश्र धातु) के उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत का रुझान दिखाया गया है:

कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु + गैर–मिश्र धातु)

(मिलियन टन)

वर्ष	उत्पादन	आयात	निर्यात	खपत
2016	116.952	8.430	5.902	83.642
2017	124.690	7.828	10.871	88.679
2018	108.646	7.295	6.692	96.737
2019	104.062	7.440	8.205	102.622
2020*	91.435	4.463	10.150	88.535

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम आंकड़ा।

नोटः यह ध्यान दिया जा सकता है कि जेपीसी ने मार्च 2018 के बाद तैयार इस्पात रिपोर्टिंग प्रणाली को संशोधित किया। मार्च 2018 से पहले, जेपीसी तैयार इस्पात के सकल उत्पादन की रिपोर्ट करता था। अप्रैल 2018 से, जेपीसी तैयार इस्पात के क्रूड इस्पात इक्विलेंट प्रोडक्शन की रिपोर्ट कर रहा है।

3.2.2 पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे इस्पात उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग के आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं।

कच्चा इस्पात

वर्ष	क्षमता (एमटी)	उत्पादन (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)
2016	128.277	95.477	74
2017	137.975	101.455	74
2018	142.236	109.250	77
2019	142.299	111.344	78
2020*	142.724	99.570	70

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम

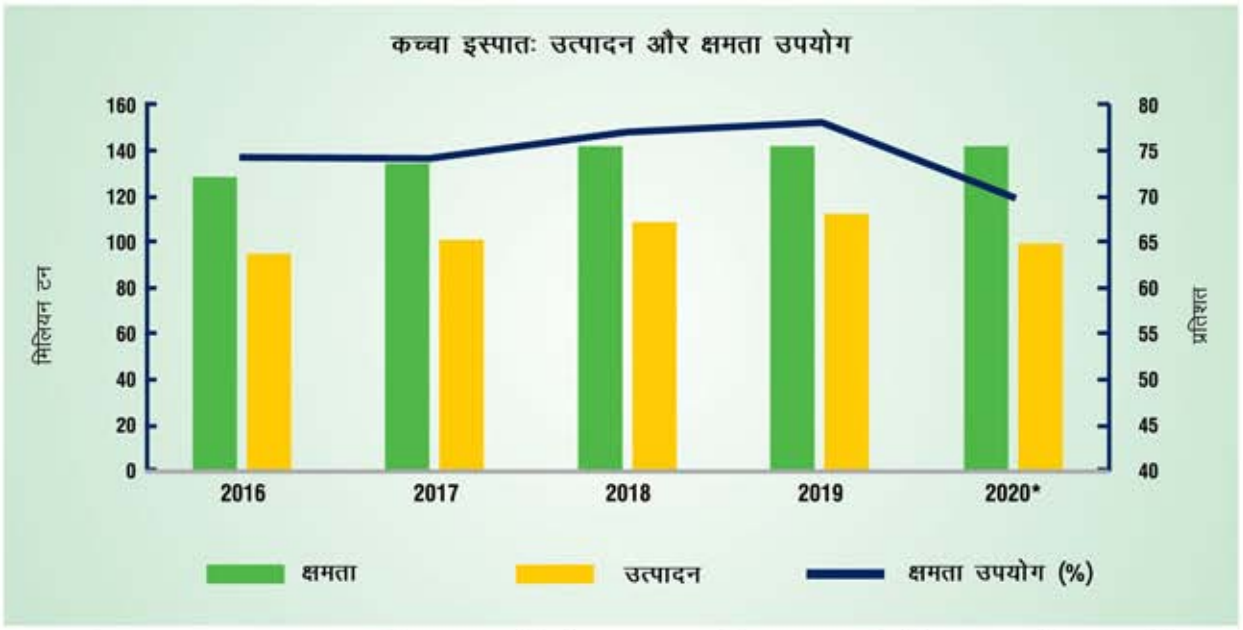

- कच्चे इस्पात का उत्पादन 2016 में 95.477 एमटी से बढ़कर 2019 में 111.344 एमटी हो गया। हालांकि, यह कोविड–19 महामारी के बाद 2020 में 99.570 एमटी पर आ गया।
- उत्पादन में वृद्धि क्षमता विस्तार द्वारा संचालित की गई, जो इस पांच वर्ष की अवधि के दौरान 2016 में 128.277 एमटी से लेकर 2020 तक 142.724 एमटी हो गई थी।
- कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु + गैर–मिश्र धातु) की घरेलू खपत 2020 में 88.535 एमटी थी, जबकि 2016 में 83.642 एमटी थी।
- 2020 के दौरान कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु + गैर–मिश्र धातु) का निर्यात 2016 में 5.902 एमटी की तुलना में 10.15 एमटी रहा; 2016 में 8.43 एमटी की तुलना में उसी वर्ष के दौरान कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु + गैर–मिश्र धातु) का आयात 4.463 एमटी रहा।
- भारत 2020 में कुल तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक (मात्रा में) था।

3.2.3 पिछले पांच वर्षों के अंतिम वर्षों के दौरान देश में कच्चे इस्पात के कुल उत्पादन में विभिन्न प्रोसेस रूट के शेयर नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए हैं:

प्रोसेस रूट द्वारा कच्चे इस्पात का उत्पादन

	प्रतिशत हिस्सा (%)	
प्रक्रिया मार्ग	**2016**	**2020***
बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ)	43	45
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ)	29	28
इंडक्शन फर्नेस (आईएफ)	28	27
कुल	**100**	**100**

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम

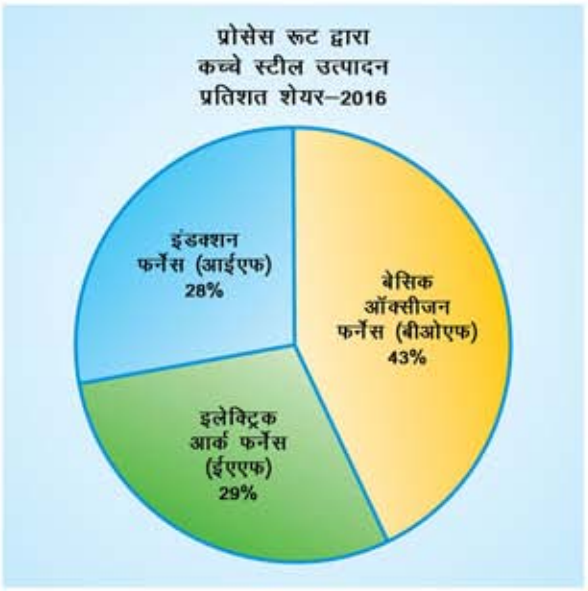

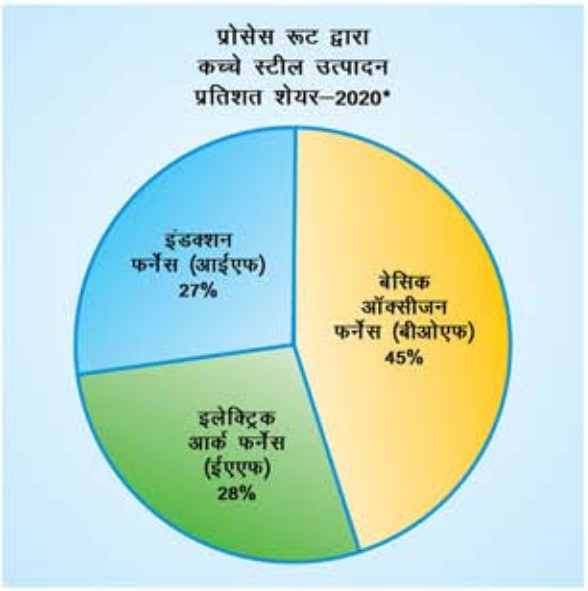

3.2.4 भारत देश के खनिज से समृद्ध राज्यों में स्थित कोयला आधारित इकाइयों के एक समूह के साथ स्पंज आयरन का एक प्रमुख उत्पादक भी है। इन वर्षों में कोयला आधारित मार्ग एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है और 2020 में देश में कुल स्पंज आयरन उत्पादन में इसका 82% हिस्सा है। स्पंज आयरन बनाने की क्षमता भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है और 2020 में 48.01 एमटी हो गई है। भारत 2003 के बाद से हर साल दुनिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक रहा है। नीचे दी गई तालिका में देश में स्पंज आयरन के कुल उत्पादन को दिखाया गया है, जो पिछले पांच वर्षों के लिए उत्पादन के कोयला और गैस–आधारित मार्ग के हिस्से के विभाजन का संकेत देता है:

स्पंज लौह का उत्पादन (मिलियन टन)

वर्ष	2016	2017	2018	2019	2020*
कोयला आधारित	22.625	23.282	27.161	30.120	27.054
गैस आधारित	4.358	6.223	7.052	6.699	6.074
कुल	**26.983**	**29.505**	**34.213**	**36.819**	**33.128**

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम

3.2.5 भारत पिग आयरन का एक महत्वपूर्ण उत्पादक भी है। उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान निजी क्षेत्र में कई इकाइयों की स्थापना के साथ, आयात में भारी कमी आई है और भारत पिग आयरन का शुद्ध निर्यातक बन गया है। निजी क्षेत्र ने 2020 में देश में पिग आयरन के कुल उत्पादन के 87% हिस्से का योगदान दिया। पांच वर्षों के लिए पिग आयरन की घरेलू उपलब्धता स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

पिग आयरन घरेलू उपलब्धता परिदृश्य ('000 टन)

वर्ष	2016	2017	2018	2019	2020*
उत्पादन	10.246	6.888	6.249	5.983	4.502
आयात	0.033	0.016	0.067	0.013	0.007
निर्यात	0.182	0.668	0.335	0.421	0.823
खपत	8.825	6.205	5.841	5.669	3.712

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम

3.3 भारतीय इस्पात की वैश्विक रैंकिंग

विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के आधार पर, विश्व के कच्चे इस्पात का उत्पादन जनवरी–दिसंबर 2020 के दौरान 1864.0 एमटी रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 0.9% कम था। इस अवधि के दौरान, चीनी कच्चे इस्पात का उत्पादन 1053 एमटी तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5.2% अधिक था। भारत दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक था और उसने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस अवधि के दौरान उत्पादन में 10.6% की गिरावट दर्ज की।

विश्व कच्चा इस्पात उत्पादन
जनवरी–दिसंबर 2020

रैंक	देश	मात्रा (मीट्रिक टन)	2019 में % परिवर्तन
1	चीन	1053.0	5.2
2	भारत	99.6	–10.6
3	जापान	83.2	–16.2
4	रूस (अनु.)	73.4	2.6
5	संयुक्त राज्य अमेरिका	72.7	–17.2
6	दक्षिण कोरिया	67.1	–6.0
7	तुर्की	35.8	6.0
8	जर्मनी	35.7	–10.0
9	ब्राजील	31.0	–4.9
10	ईरान (अनंतिम)	29.0	13.4
	शीर्ष 10	**1580.5**	**0.4**
	विश्व	**1864.0**	**–0.9**

स्रोतः वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन * अनंतिम आंकड़ा

अनु. = अनुमानित

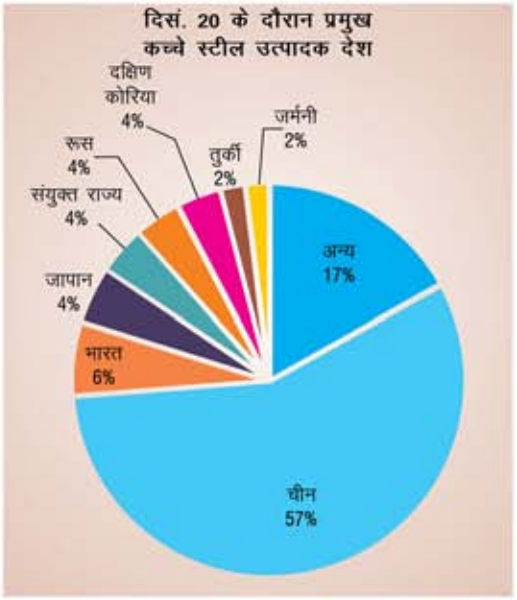

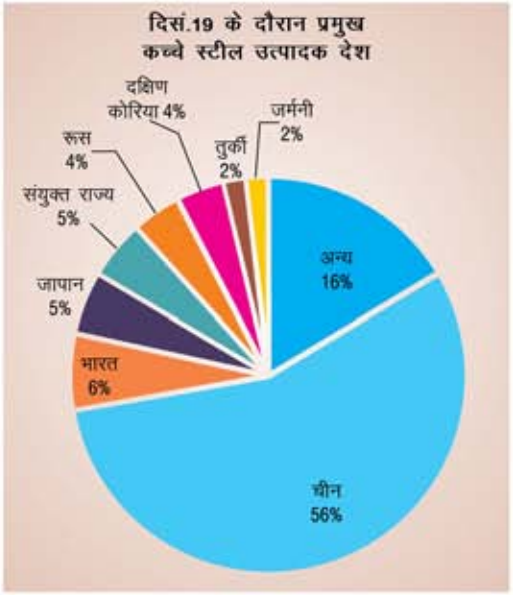

3.4 इस्पातः वर्ष 2020 के दौरान भारतीय इस्पात क्षेत्र के तथ्यः

भारतीय इस्पात दृश्यः 2020*

कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु + गैर–मिश्र धातु)	मात्रा (एमटी)	% परिवर्तन **
उत्पादन	91.435	–12.1
आयात	4.463	–40.0
निर्यात	10.15	23.7
खपत	88.535	–13.7
कच्चा इस्पात		
उत्पादन	99.570	–10.6
क्षमता उपयोग (%)	70	–

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम; ** पिछले वर्ष की इसी अवधि में

2020 में दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक क्रूड इस्पात उत्पादक होने के अलावा, भारत ने स्पंज आयरन/डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) के उत्पादन में भी विश्व स्तर पर पहचान बनाई है। देश के प्रमुख खनिज समृद्ध क्षेत्रों में कोयला आधारित स्पंज आयरन इकाइयों के विकास से घरेलू स्पंज आयरन उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे देश वैश्विक बाजार में नंबर एक की स्थिति को प्राप्त करने और बनाए रखने में सक्षम हो गया। कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में कई विस्तार परियोजनाओं के साथ, भारतीय इस्पात उद्योग का भविष्य आशावादी है। इस्पात क्षेत्र के उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात आदि से संबंधित आंकड़े अनुबंध III–XI में हैं।

3.5 उत्पादन में रुझान, निजी/सार्वजनिक क्षेत्र

निम्न तालिका में पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कच्चे इस्पात उत्पादन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर प्रकाश डाला गया है:

भारतीय कच्चा इस्पात उत्पादन

क्षेत्र	इकाई	2016	2017	2018	2019	2020*
सार्वजनिक क्षेत्र	एमटी	18.202	19.215	21.191	21.014	18.948
निजी क्षेत्र	एमटी	77.274	82.24	88.059	90.330	80.623
कुल उत्पादन	एमटी	95.476	101.455	109.250	111.344	99.570
सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी	%	19.1	18.9	19.4	18.9	19

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम;

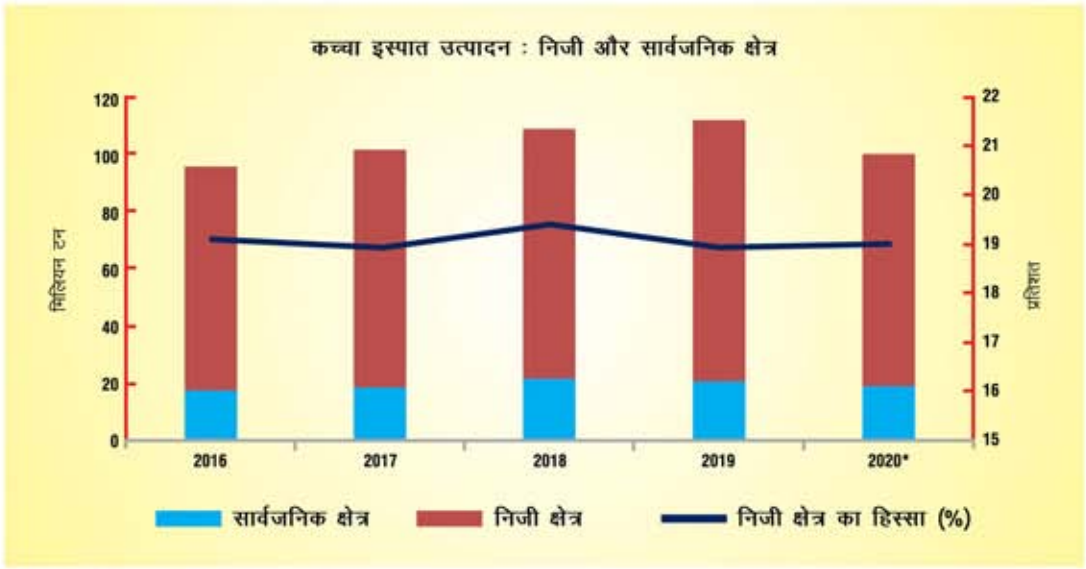

3.6 वार्षिक योजना 2020–21

मंत्रालय की वार्षिक योजना संशोधित अनुमान 2020–21 के आधार पर 8275.06 करोड़ रुपये के लिए है। इसमें 8270.06 करोड़ रुपये का आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) और 5 करोड़ रुपये का सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वार्षिक योजना 2020–21 के लिए योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	पीएसयू/संगठन का नाम	आईईबीआर	जीबीएस	कुल
क. पीएसयू की योजनाएं				
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	4800.00	0.00	4800.00
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	534.00	0.00	534.00
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	2249.00	0.00	2249.00
4.	केआईओसीएल लिमिटेड	340.00	0.00	340.00
5.	मॉयल लिमिटेड	219.80	0.00	219.80
6.	मेकॉन लिमिटेड	7.75	0.00	7.75
7.	एमएसटीसी लिमिटेड	34.00	0.00	34.00
8.	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	14.00	0.00	14.00
9.	सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	0.50	0.00	0.50
10.	ओएमडीसी लिमिटेड	71.01	0.00	71.01
	कुल–क	**8270.06**	**0.00**	**8270.06**
ख. इस्पात मंत्रालय की योजना				
11.	लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं	0.00	5.00	5.00
	कुल–ख	**0.00**	**5.00**	**5.00**
कुल योग : क + ख		**8270.06**	**5.00**	**8275.06**

3.7 भारत सरकार द्वारा सांविधिक निकायों/स्वायत्त संगठन/समाज/निजी/स्वैच्छिक संगठन/सार्वजनिक निगम/जेवी/संगठन आदि को प्रदान की निधियां/अनुदान

वित्त वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान इस्पात मंत्रालय ने सीएसआईआर–आईएमएमटी भुवनेश्वर को 30,11,360/– रुपये की राशि जारी की है जो डीएसआईआर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत सोसायटी (स्वायत्त संगठन) के रूप में सूचीबद्ध है। यह राशि मंत्रालय की अनुसंधान और विकास योजना अर्थात् 'लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संवर्धन की योजना' के तहत जारी की गई है। लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संवर्धन की योजना के तहत 2020–21 के दौरान जारी निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक–XVII** में दिया गया है।

अध्याय–4

इस्पात नीतियाँ, नई पहल और कोविड–19 महामारी का प्रभाव

4.1 राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017

एनएसपी 2017 का लक्ष्य एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना, कच्चे माल की सुरक्षा में सुधार करना, अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को बढ़ाना, आयात निर्भरता को कम करना और उत्पादन की लागत को कम करना है, और इस प्रकार "तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग का विकास करना है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके व उत्पादन में आत्म–निर्भरता हासिल करना, कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता के साथ निवेश और लागत कुशल उत्पादनों को सुविधा प्रदान करके वैश्विक रूप से किफायती इस्पात निर्माण क्षमताओं को विकसित करना है।

अनुसंधान और विकास पर ध्यान देने के साथ, अगले दशक में सबसे अधिक ध्यान प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होगा और एमएसएमई इस्पात संयंत्र, भारत के खपत आधारित विकास और समग्र उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण चालक होंगे।

एनएसपी 2017 के अपेक्षित प्रभाव/परिणाम

एनएसपी–2017 में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं : –

क्र.सं.	पैरामीटर	अनुमान (2030–31)
1	कुल कच्चे इस्पात की क्षमता (एमटीपीए में)	300
2	कुल कच्चे इस्पात की मांग/उत्पादन (एमटीपीए में)	255
3	कुल तैयार इस्पात की मांग/उत्पादन (एमटीपीए में)	230
4	स्पंज लौह की मांग/उत्पादन (एमटीपीए में)	80
5	पिग आयरन की मांग/उत्पादन (एमटीपीए में)	17
6	प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की खपत (किलोग्राम में)	158

अन्य अपेक्षित प्रभाव निम्नानुसार हैं: –

क) ऊर्जा दक्षता और स्थिरता में भारत विश्व में अग्रणी होना

इस्पात मंत्रालय देश के भीतर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ इस्पात संयंत्रों के तकनीकी–आर्थिक प्रदर्शन की निगरानी को बढ़ावा दे रहा है। प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से आटोमोटिव स्टील और अन्य विशेष स्टील का उत्पादन और वैश्विक नेताओं के साथ जेवी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ख) लागत प्रभावी और गुणवत्तापरक इस्पात लक्ष्य

एक सौ पैंतालीस (145) इस्पात उत्पादों को बीआईएस की अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन मार्क योजना के तहत अधिसूचित किया गया है। अतिरिक्त इस्पात उत्पादों को लाने का प्रयास किया जाएगा, जिनका उपयोग मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य योजना के तहत महत्वपूर्ण अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में किया जाता है।

ग) औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में वैश्विक मानकों को प्राप्त करना

मंत्रालय इस्पात कंपनियों के कर्मचारियों के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु इस्पात कंपनियो के साथ समन्वय कर रहा है।

घ) उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट पर्याप्त रूप से कम करना:

पर्यावरण संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए, इस्पात मंत्रालय पर्यावरण प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए इस्पात उत्पादकों को बढ़ावा दे रहा है।

ड.) घरेलू स्तर पर उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव इस्पात, इलेक्ट्रिकल इस्पात, विशेष इस्पात और मिश्र धातुओं की कुल मांग को पूरा करना

4.2 स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति

इस्पात मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में दिनांक 7 नवम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या 354 के तहत एक स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को प्रतिपादित किया। यह नीति विभिन्न स्रोतों और विभिन्न प्रकारों से उत्पन्न फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना और सुविधा को बढ़ावा देने की एक रूपरेखा प्रदान करती है। नीति की रूपरेखा एक संगठित, सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टि से उत्तम ढंग से संग्रहण, विखण्डन एवं श्रेडिंग गतिविधियों के लिए मानक दिशानिर्देश प्रदान करती है। यह नीति स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना, विखंडन व प्रसंस्करण केन्द्र के दायित्वों, सरकार और निर्माता तथा मालिक की समुचित जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है।

4.3 सरकारी खरीद में घरेलू रूप से विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई और एसपी) को प्राथमिकता प्रदान करने की नीति

सरकार ने 8 मई, 2017 को सरकारी निविदाओं में घरेलू और लौह सामग्री को प्राथमिकता देने के लिए डीएमआई और एसपी नीति की शुरुआत की थी। इसके अलावा, नीति को 29 मई, 2019 और 31 दिसंबर, 2020 को संशोधित किया गया। नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

- यह नीति सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई और एसपी) को प्राथमिकता प्रदान करती है।
- नीति में लौह और इस्पात के 49 निर्मित उत्पादों की सूची शामिल है। लौह और इस्पात के इन 49 उत्पादों पर 20–50 प्रतिशत का न्यूनतम घरेलू मूल्य वर्धन विनिर्दिष्ट है। नीति में लौह और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं को भी शामिल किया गया है, जिसके लिए न्यूनतम घरेलू मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि विनिर्दिष्ट है।
- प्रत्येक मंत्रालय या सरकार के विभाग और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी एजेंसियों/संस्थाओं को इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिसूचित डीएमआई और एसपी नीति के दायरे में रखा गया है। सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएस)/केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) जिसके लिए राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा खरीद की जाती है, इस नीति के दायरे में आते हैं, यदि वह परियोजना/योजना भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से वित्त पोषित है।
- यह नीति उन परियोजनाओं पर लागू होती है जहाँ लौह और इस्पात उत्पादों का खरीद मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक है। यह नीति अन्य खरीद (गैर–परियोजना) के लिए भी लागू होती है, जहाँ उस सरकारी संगठन के लिए लौह और इस्पात उत्पादों का वार्षिक खरीद मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक है। तथापि, खरीद करने वाली संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस नीति के प्रावधानों से बचने के उद्देश्य से खरीद को विभाजित नहीं किया जाता है।
- यह नीति निजी एजेंसियों द्वारा लौह और इस्पात उत्पादों की खरीद के लिए एक ईपीसी अनुबंध और/अथवा मंत्रालय या सरकार या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की किसी भी अन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए और निर्धारित गुणवत्ता स्तर के अनुपालन में लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के लिए भी लागू होती है।
- लौह और इस्पात उत्पादों की खरीद से संबंधित निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा जांच (जीटीई) आमंत्रित नहीं की जाएगी। व्यय विभाग द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अलावा 200 करोड़ रुपये तक के अनुमानित मूल्य वाले लौह और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं की खरीद से संबंधित निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा जांच (जीटीई) आमंत्रित नहीं की जाएगी।
- इस नीति में ऐसी सभी खरीदों के लिए छूट का प्रावधान है, जहाँ देश में इस्पात के विशिष्ट ग्रेड का विनिर्माण नहीं किया जाता है, या परियोजना की मांग के अनुसार मात्रा घरेलू स्रोतों के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकती है।

सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में घरेलू इस्पात उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति की परिकल्पना की गई है।

4.3.1 घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई और एसपी) नीति का प्रभाव

बढ़े हुए घरेलू मूल्य संवर्धन से जीवंत इस्पात क्षेत्र और संबंधित उद्योगों में उनके उत्पादों के लिए रोजगार और घरेलू बाजार पैदा करके योगदान की अपेक्षा है।

इस नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बचत प्रदान करने और सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं में कम गुणवत्ता और सस्ते आयातित इस्पात के उपयोग को प्रतिबंधित करने के साथ आयात प्रतिस्थापन के लिए घरेलू क्षमता विकसित करने की अपेक्षा की है।

डीएमआई और एसपी नीति ने अब तक 20000 करोड़ रुपये का इस्पात आयात प्रतिस्थापन किया है।

4.4 नई पहल

4.4.1 इस्पात क्षेत्र के लिए कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना

कच्चा माल लौह और इस्पात उद्योग में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संबल है। मंत्रालय, खान मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के साथ मिलकर निम्नलिखित पर कार्य कर रहा है: –

लौह अयस्क : गैर–कैप्टिव खदानों/व्यापारिक खदानों के आवंटन के लिए नीलामी के नियम को अपनाने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2020 के बाद गैर–कैप्टिव खदानों/व्यापारिक खदानों के पट्टों की समाप्ति के बाद सेल को 25 प्रतिशत ताजा चूरे और 70 मिलियन टन डंप और टेलिंग को बेचने की अनुमति दी गई। इन आदेशों के आलोक में, सेल ने वित्त वर्ष 2020–21 में खुले बाजारों में 7.161 मीट्रिक टन लौह अयस्क चूरे को बेचने की योजना बनाई है। इस्पात मंत्रालय ने सीपीएसई के परामर्श से उत्पादन में तेजी लाने के लिए एक कार्यनीति बनाई। एनएमडीसी को उत्पादन में अपनी मौजूदा खानों से लगभग 32 मीट्रिक टन (वित्त वर्ष 2019–20 में) से 37 मीट्रिक टन (वित्त वर्ष 2020–21 में) विस्तार की उम्मीद है।

कोयला : भारतीय इस्पात उद्योग में घरेलू कोयले की उपलब्धता और इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए, एनएमडीसी ने अपनी खनन गतिविधियों में विविधता की है और 'कोयला की बिक्री' के लिए रोहन कोयला खदान आवंटित की गई है। आरआईएनएल को 'लौह और इस्पात के उत्पादन' के लिए राबोडीह ओसीपी कोयला खदान भी आवंटित की गई है। सरकार बीसीसीएल/सीसीएल और इस्पात बनाने वाली सीपीएसई द्वारा कोयला वॉशरियों की स्थापना करके कोकिंग कोल के आयात की आवश्यकता को कम करना चाहती है।

4.4.2 आयात डेटा प्रसार के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस्पात आयात के बारे में अंतिम उपयोग, आईएस ग्रेड आदि जैसे ग्रेनुलर डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध रहे, भारत में ऐसे आयातों के प्रवेश से पहले, एक इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को 1 नवंबर, 2019 से लागू किया गया है।

एसआईएमएस को आयातक को अध्याय 72, 73 और 86 के तहत सभी टैरिफ लाइनों के आयात के लिए अग्रिम सूचना ऑनलाइन जमा करने की आवश्यकता होती है। सिस्टम के माध्यम से 15–60 दिन पहले एक स्वचालित आयात पंजीकरण संख्या जनित होती है। इस उद्देश्य के लिए एक टोकन पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। बाजार की स्थितियों का अधिक गतिशील तरीके से उत्तर देने के लिए एसआईएमएस भारतीय घरेलू इस्पात उद्योग के लिए अत्यधिक उपयोगी रहा है और यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है।

4.4.3 निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ईईपीसी के एमएसएमई को सहायता

घरेलू इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर्स (आईएसपी) ने इनपुट स्टील की उनकी लागत को कम करने के लिए निर्यात समता मूल्य पर ईईपीसी के एमएसएमई सदस्यों को इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले चार मुख्य उत्पाद जैसे कि हॉट रोल्ड कॉइल (एचआरसी), कोल्ड रोल्ड कॉइल्स (सीआरसी), वायर रॉड्स और एलॉय बार्स उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके निर्यात उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हों।

इन आईएसपी के डीलरों/सेवा केंद्रों के माध्यम से इस व्यवस्था के तहत स्टील की आपूर्ति को सुकर बनाने के लिए, डीजीएफटी ने अधिसूचना संख्या 35/2015–20 दिनांक 01.10.2020 के तहत अपने सेवा केंद्रों/वितरकों/व्यापारियों/स्टॉक यार्ड के माध्यम से ईईपीसी एमएसएमई को स्टील विनिर्माताओं द्वारा स्टील की आपूर्ति पर ड्यूटी ड्रॉबैक की योजना प्रदान करते हुए अधिसूचना जारी की है।

4.4.4 इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का दायरा बढ़ाना

इस्पात मंत्रालय ने 2015 के बाद से स्टील क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (एसक्यूसीओ) पर प्रमुख जोर दिया, जिससे उप–मानक/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित बीआईएस मानकों के अनुरूप केवल गुणवत्ता वाला इस्पात अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो। पिछले पांच वर्षों के दौरान, कार्बन इस्पात, मिश्र धातु इस्पात और स्टेनलेस इस्पात को कवर करने वाले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 115 भारतीय मानकों को अधिसूचित किया गया है। इससे गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत कवर किए गए भारतीय मानकों की कुल संख्या 145 हो गई है।

मंत्रालय, एक नीति के रूप में, इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के साथ धोखे को रोकने के लिए अधिसूचना में अब कच्चे माल के साथ–साथ इस्पात से बने सामान और वस्तुएं जैसे स्टेनलेस–स्टील पाइप और ट्यूब, लेमिनेशन/ट्रांसफार्मर के कोर, टिन प्लेट और टिन मुक्त इस्पात के उत्पाद आदि शामिल करता है।

समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से इस्पात के एक विशेष ग्रेड पर एसक्यूसीओ की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण/छूट प्राप्त करने के लिए आवेदनों को संसाधित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया गया है।

4.4.5 निवेश आकर्षित करने के लिए पीडीसी की स्थापना:

भारत सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए और निवेशों को बढ़ाने और निवेश को और अधिक सुचारू करने के लिए मंत्रालयों/विभागों में एक सचिव (ईजीओएस) और परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के अधिकार प्राप्त समूह की स्थापना

की है। इस्पात मंत्रालय पीडीसी अन्य मंत्रालयों के साथ–साथ राज्य विभागों के साथ मिलकर निवेशकों की चिंताओं को हल करने के साथ–साथ देश के इस्पात क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए कार्य कर रहा है।

4.4.6 उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

सरकार ने इस्पात क्षेत्र में पूंजीगत निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजित करने और प्रौद्योगिकी उन्नयन का संवर्धन के द्वारा देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण का संवर्धन करने के लिए 6322 करोड़ रुपये के 5 साल के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत 'विशेष इस्पात' को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इससे देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाकर देश में 'विशेष इस्पात' की उपलब्धता में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

4.5 कोविड–19 महामारी का प्रभाव और सुधार

4.5.1 कोविड–19 महामारी और कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन के बाद, भारतीय तैयार इस्पात की खपत मार्च, 2020 में 22% तक कम हो गई और पिछले वर्ष (सीपीएलवाई) की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल में 91% तक कम हो गई।

4.5.2 भारतीय कच्चे इस्पात का उत्पादन सीपीएलवाई की तुलना में मार्च, 2020 में 20% और अप्रैल, 2020 में 69% तक कम हो गया। जेएसडब्ल्यू, टीएसएल, एएमएनएस और सेल के साथ सभी प्रमुख आईएसपी को अपने उत्पादन को लगभग 50% कम करना पड़ा। अकेले सेल में 3 लाख टन का इन्वेंट्री संचय था। द्वितीयक इस्पात उत्पादकों को श्रम और कार्यशील पूंजी से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। इस अवधि के दौरान आयात में 35% की कमी आई जबकि निर्यात में 17% की कमी आई। आपूर्ति श्रृंखला और सेवा प्रदाताओं और श्रमिकों की उपलब्धता भी प्रभावित हुई। तैयार इस्पात की खपत में भी सुधार आया और अक्टूबर, 2020 के बाद सामान्य स्थिति में आ गई है। घरेलू मांग में कमी के मद्देनजर तैयार स्टील का निर्यात जो लॉकडाउन की अवधि में बढ़ गया था, अर्थव्यवस्था के धीरे–धीरे खुलने के बाद बढ़ती घरेलू मांग के साथ सितंबर, 2020 से इसमें गिरावट शुरू हो गई है।

4.5.3 अर्थव्यवस्था के चरणबद्ध अनलॉकिंग के बाद, इस्पात क्षेत्र में तेजी से सुधार देखा गया है, जिसने दिसंबर 2020 में काफी सीमा तक सामान्य स्थिति प्राप्त कर ली है।

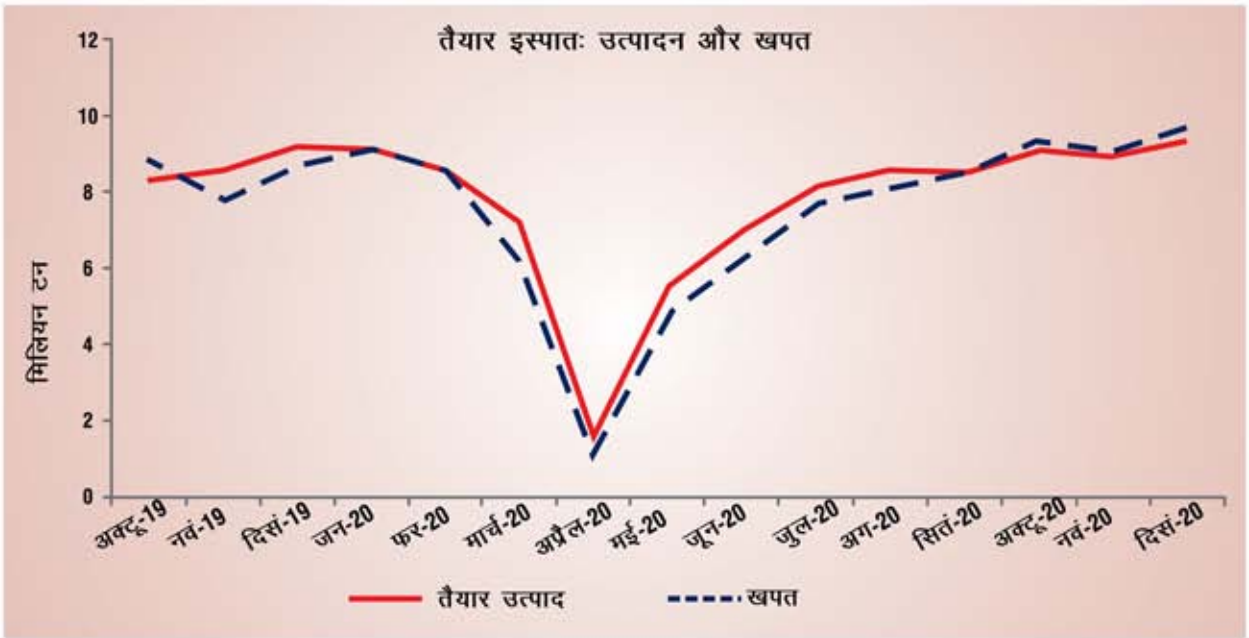

4.5.4 पिछले वर्ष (2019–20) की इसी अवधि की तुलना में 2020–21 के दौरान माह–वार कच्चे इस्पात के उत्पादन, तैयार इस्पात के उत्पादन, खपत और निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है:

कच्चे इस्पात का उत्पादन

(मिलियन टन)

कच्चे इस्पात का उत्पादन										
2019–20	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितं	अक्टू	नवंम्बर	दिसं	अप्रैल–दिसं
	9	9.5	9.4	9.5	8.9	8.8	9	8.9	9.4	82.4
2020–21	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितं	अक्टू	नवंम्बर	दिसं	अप्रैल–दिसं
	3.3	6.3	7.7	8.7	9.1	8.9	9.5	9.4	9.8	72.7
% ग्रोथ	–63.5	–33.9	–17.9	–8.4	2.7	1.4	6.2	5.7	4.4	–11.6

तैयार इस्पात का उत्पादन

(मिलियन टन)

तैयार इस्पात का उत्पादन										
2019–20	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितं	अक्टू	नवंम्बर	दिसं	अप्रैल–दिसं
	8.7	9	8.8	8.6	8.4	8.1	8.3	8.6	9.2	77.7
2020–21	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितं	अक्टू	नवंम्बर	दिसं	अप्रैल–दिसं
	1.6	5.5	6.9	8.1	8.6	8.5	9.1	8.9	9.3	66.5
% ग्रोथ	–81.9	–39	–21.3	–5.6	2.4	5.2	9.1	3.8	1.1	–14.4

तैयार इस्पात की खपत

(मिलियन टन)

तैयार इस्पात की खपत										
2019–20	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितं	अक्टू	नवंम्बर	दिसं	अप्रैल–दिसं
	7.33	8.85	8.59	8.57	9.19	8.45	8.83	7.77	8.65	76.23
2020–21	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितं	अक्टू	नवंम्बर	दिसं	अप्रैल–दिसं
	1.09	4.79	6.35	7.69	8.16	8.45	9.33	9.08	9.68	64.62
% ग्रोथ	–85.1	–45.9	–26	–10.3	–11.3	0	5.7	16.8	11.8	–15.3

माह	तैयार इस्पात निर्यात (मिलियन टन में)		
	2019–2020	2020–2021	% परिवर्तन
अप्रैल	0.51	0.42	–16.70%
मई	0.45	1.28	179.70%
जून	0.35	1.5	334.10%
जुलाई	0.60	1.3	128.70%
अगस्त	0.98	1.03	5.70%
सितंबर	1.01	0.88	–15.20%
अक्टूबर	0.55	0.55	0%
नवंबर	0.88	0.59	–31.10%
दिसंबर	0.76	0.61	–19.71%

4.6 सरकारी पहल

दिनांक 24 मार्च, 2020 को राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजा गया था कि इस्पात संयंत्रों के साथ–साथ इस्पात उत्पादन से जुड़ी अन्य इकाइयों सहित लौह अयस्क, कोकिंग कोल आदि की खदानों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, ताकि कच्चे माल और तैयार इस्पात उत्पाद ले जाने वाले ट्रकों का अप्रतिबंधित अंतरराज्यीय आवागमन बना रहे। माननीय इस्पात मंत्री ने सभी हितधारकों, आईएसपी (27/4/2020 को), द्वितीयक इस्पात उत्पादकों (23/4/2020 को), पेलेट निर्माताओं, स्पंज आयरन/डीआरआई इकाई (21/4/2020 को) के साथ बातचीत की ताकि उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां को समझा जा सके। हितधारकों को प्राप्त इनपुट के आधार पर, सबंधित मुद्दों को हल करने के लिए कोयला मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता कार्य विभाग, रेल मंत्रालय, खान मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया गया था।

4.6.1 भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं: –

- सर्वाधिक आरक्षित फर्मों जैसे एसएमई के लिए कर का बोझ कम करना।
- एनपीए मानदंडों में छूट।
- एसएमई के लिए: ब्याज दरों को कम करना, ऋण रोलओवर बढ़ाना।
- छोटे व्यवसायों के लिए निश्चित बिजली शुल्क जैसे निश्चित शुल्क की छूट।
- लॉकडाउन के पश्चात निरंतर संचालन सुनिश्चित करने और लॉकडाउन के पश्चात बॉटलनेक क्लीयरेंस के कारण संभावित चुनौतियों से बचने के लिए और 6 महीने के लिए जहां भी आवश्यक हो, लाइसेंस/अनुमोदन/एनओसी (उदाहरण के लिए, ईसी इत्यादि के लिए सहमति) की वैधता।
- लॉकडाउन के दौरान दिए गए वेतन के लिए जीएसटी क्रेडिट/छूट, इस्पात जैसे उच्च रोजगार गुणक उद्योगों के लिए ईएसआईसी/ईपीएफ भुगतान छूट।
- दण्डात्मक ब्याज के बिना रॉयल्टी सहित खनन बकाया का भुगतान।
- हाल ही में नीलामी की गई खानों के लिए पंजीकरण शुल्क, अग्रिम भुगतान आदि के भुगतान पर 6 महीने की मोहलत।
- नए खनन पट्टे की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए समय का विस्तार।
- कोयले पर मुआवजा उपकर की छूट।

4.6.2 इस्पात की मांग बढ़ाना:

इस्पात मंत्रालय ने उनके संचालन से संबंधित क्षेत्रों में इस्पात उपयोग का संवर्धन करने के लिए रेल, रक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौपरिवहन, नागरिक उड्डयन, कृषि, ग्रामीण विकास के मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य किया। मंत्रालय बीआईएस और सीपीडब्ल्यूडी के साथ भी निर्माण मानकों और कोड में संशोधन करने के लिए काम कर रहा है ताकि भवनों, मशीनरी, अवसंरचना परियोजनाओं आदि में इस्पात के उपयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके। राज्य मंत्री द्वारा इस हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(i) तेल और गैस क्षेत्र में घरेलू निर्मित इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए समिति का गठन किया गया।

(ii) आवास और निर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया है।

(iii) लंबी अवधि के इस्पात पुलों के डिजाइन के लिए एमओआरटीएच, आईएनएसडीएजी, इस्पात उद्योग और आईआईटी के साथ समिति गठित 30–35 मीटर इस्पात पुलों के लिए डिजाइन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(iv) क्षेत्रीय कार्यशाला/वेबिनार का आयोजन:

- रेलवे और रक्षा में इस्पात का उपयोग बढ़ाना (फरवरी–2020)।
- एमईटीआई, जापान के साथ, भवन और निर्माण में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने पर (फरवरी–2020)।
- अवसंरचना क्षेत्र में उपयोग बढ़ाने के लिए गोलमेज (जून–2020)।
- इस्पाती इरादा: देश में इस्पात उपयोग में वृद्धि (30 जून, 2020)।
- तेल एवं गैस क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग का संवर्धन (16 जून, 2020)।
- निर्माण और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देना (11 अगस्त, 2020)।
- आत्मनिर्भर भारत: आवास और निर्माण और विमानन क्षेत्र में इस्पात उपयोग को बढ़ावा देना (18 अगस्त, 2020)।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देना (20 अक्टूबर, 2020)।

अध्याय 5

सार्वजनिक क्षेत्र

5.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 07 (सात) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) हैं। सीपीएसई और उनकी प्रमुख सहायक कंपनियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

5.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, और एक 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। भिलाई (छत्तीसगढ़), राउरकेला (ओडिशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बोकारो (झारखंड) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) में इसके पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं। सेल के पास तीन विशेष और अलॉय इस्पात संयंत्र, अर्थात दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में मिश्र धातु स्टील प्लांट, सेलम स्टील प्लांट, सेलम (तमिलनाडु) और भद्रावती (कर्नाटक) में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट हैं। सेल के पास कई इकाईयां भी हैं, अर्थात लोहा एवं इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आरडीसीआईएस), अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी केंद्र (सीईटी), प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) और सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) जो सभी रांची में स्थित हैं, केंद्रीय कोयला आपूर्ति संगठन (सीसीएसओ) धनबाद में स्थित है, कच्चा माल विभाग (आरएमडी), पर्यावरण प्रबंधन विभाग (ईएमडी) और विकास विभाग (जीडी) सभी कोलकाता में स्थित हैं, और सेल रिफ्रेक्टरी युनिट का मुख्यालय बोकारो में स्थित है। चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र (सीएफपी) महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, देशभर में कम्पनी के विपणन और वितरण का समन्वय करता है। सेल परामर्श विभाग (सेलकोन) दिल्ली से कार्य करता है।

5.2.1 सेल बोर्ड की पुनर्संरचना: कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बोर्ड की पुनर्संरचना अनुमोदित कर दी है। सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के 04 पदों को बोकारो, राउरकेला, भिलाई तथा एक संयुक्त रूप से बर्नपुर और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के प्रभारी निदेशक के पदनाम दे कर कार्यकारी निदेशक के रूप में उन्नत किया है।

सेल बोर्ड की अनुमोदित पुनर्संरचना में निदेशक (कच्चा माल व संभार तंत्र) और निदेशक (परियोजना व व्यापार नियोजन) के कार्यों व कर्तव्यों को निदेशक (तकनीकी) के पद के साथ विलय और परिणामस्वरूप निदेशक (तकनीकी, परियोजना व कच्चा माल) के रूप में पुनर्नामित करना शामिल है।

सेल के पुनर्संरचित बोर्ड में अब अध्यक्ष, निदेशक (वित्त), निदेशक (वाणिज्य), निदेशक (तकनीकी, परियोजना और कच्चा माल), निदेशक (कार्मिक), आईएसपी के प्रभारी निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार गैर–सरकारी निदेशक तथा डीपीई नीति के अनुसार 02 सरकारी नामित निदेशक शामिल हैं।

बोर्ड की पुनर्संरचना से संयंत्रों के प्रभारी निदेशकों के सीधे एसीसी नियोक्ता होने के कारण, केंद्रीय निगमित सरकारी तंत्र में अपनी राय को अधिक महत्व मिलने से अधिक विकेंद्रीकरण और त्वरित निर्णय लेने में सुविधा होगी। इससे सेल के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रमों को गति भी मिलेगी।

5.2.2 पूंजी संरचना: सेल की अधिकृत पूंजी 5,000 करोड़ रु. है। 31.12.2020 को कंपनी की चुकता पूंजी 4130.53 करोड़ रु. है, जिसमें से 75% भारत सरकार के पास है और शेष 25% वित्तीय संस्थानों, जीडीआर धारकों, बैंकों, कर्मचारियों, अलग–अलग व्यक्तियों, आदि के पास है।

5.2.3 वित्तीय प्रदर्शन: अप्रैल–दिसम्बर 2020 के दौरान कम्पनी ने 45,286 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान 61,025 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज किया था। 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त होने वाले नौ माह के लिए कर पश्चात लाभ 406.22 करोड़ रुपये था और 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में यह लाभ 2,021.54 करोड़ रुपये था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 10 रुपए के प्रत्येक शेयर पर रु 1.00 प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है।

सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट की यात्रा के दौरान माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री

5.2.4 उत्पादन प्रदर्शन

वास्तविक उत्पादन का विवरण इस प्रकार है:

(मिलियन टन)

मापदंड	2018–19	2019–20	2020–21*
गर्म धातु	17.5	17.438	11.606
क्रूड इस्पात	16.3	16.155	10.659
बिक्री योग्य इस्पात	15.1	15.147	10.183

* दिसम्बर, 2020 तक

5.2.5 कच्चा माल

2020–21 (अप्रैल–दिसंबर, 2020) के दौरान, सेल ने अपनी कैप्टिव खदानों से 20.98 मिलियन टन (एमटी) लौह अयस्क का उत्पादन करके अपने स्टील प्लांट्स के लिए लौह अयस्क की पूरी आवश्यकता को पूरा किया। कैप्टिव खानों से फ्लक्स (चूना पत्थर और डोलोमाइट) का उत्पादन 1.30 मीट्रिक टन और सेल के कैप्टिव कोयले की खदानों से कच्चा कोकिंग कोल उत्पादन 0.08 मीट्रिक टन था। चसनाला में सेल के वाशरी ने कुल 0.86 एमटी कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन किया, जो सेल की कोयला खानों से तैयार किया गया और सीआईएल के स्रोतों से खरीदा गया, तथा 0.48 मीट्रिक टन स्वच्छ कोयले का उत्पादन किया।

2019–20 (जनवरी–मार्च, 2020) के दौरान, सेल ने अपने कैप्टिव खानों से 8.08 मिलियन टन (एमटी) लौह अयस्क का उत्पादन करके अपने स्टील प्लांट्स के लिए लौह अयस्क की आवश्यकता को पूरा किया। कैप्टिव खदानों से फ्लक्स (चूना पत्थर और डोलोमाइट) का उत्पादन 0.48 एमटी और सेल के कैप्टिव कोलियरी से कच्चा कोकिंग कोल उत्पादन 0.07 एमटी था। चसनाला में सेल के वाशरी ने सेल की कोयला खदानों से उत्पादित और सीआईएल स्रोतों से खरीदा गया, कुल 0.20 एमटी कच्चे कोकिंग कोयले का प्रसंस्करण किया और 0.12 एमटी स्वच्छ कोयले का उत्पादन किया।

31.03.2020 तक लौह अयस्क व्यापारी खनन पट्टों की समाप्ति के कारण स्टील उद्योग को लगभग 50–60 एमटीपीए की आपूर्ति के लिए लौह अयस्क की आपूर्ति में संभावित व्यवधान से बचने के लिए, खनन मंत्रालय ने 16 सितंबर, 2019 को अपने आदेश के माध्यम से पिछले वर्ष में अपने कुल खनिज उत्पादन का 25 प्रतिशत बेचने के लिए और सेल के विभिन्न कैप्टिव खानों में

सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट में माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री का दौरा

डंप किए गए कम–ग्रेड लोहे के फाइन्स के लगभग 70 मिलियन टन के पुराने स्टॉक को बेचने की भी अनुमति दी। तदनुसार, 2019–20 (जनवरी–मार्च, 2020) के दौरान, सेल ने 0.16 मिलियन टन (एमटी) ताजा फाइन्स की निलामी की।

सेल ने अप्रैल–दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान ताजा फाइन्स, डंप फाइन्स और टेलिंग सहित 2.52 एमटी लौह अयस्क की नीलामी की है।

5.2.6 मानव शक्ति

01.01.2021 को सेल में कर्मचारियों की संख्या 66396 (कार्यपालक 10890 / गैर–कार्यपालक 55506) थी, जिसमें 1 अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक 2983 कर्मचारियों की कमी हुई।

5.2.7 क्षमता विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजनाएं

- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम किया और सेलम में 12.8 मिलियन टन प्रति वर्ष क्रूड स्टील की क्षमता को 21.4 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए सेलम में विशेष इस्पात संयंत्र का निर्माण किया।
- राउरकेला, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो और सेलम इस्पात संयंत्रों में आधुनिकीकरण और विस्तार पूरा हो चुका है और विभिन्न सुविधाएं परिचालन, स्थिरीकरण और रैंप अप के तहत हैं।
- भिलाई इस्पात संयंत्र में, आधुनिकीकरण और विस्तार के तहत प्रमुख सुविधाएं पूरी हो चुकी हैं और एकीकृत प्रक्रिया मार्ग परिचालन, स्थिरीकरण और रैंप अप में है।

5.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), जो एक नवरत्न सीपीएसई है, विशाखापत्तनम, इस्पात संयंत्र की कॉर्पोरेट इकाई है–देश का पहला तट–आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र, जिसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 7.3 एमटीपीए तरल इस्पात है, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में है।

कंपनी की एक सहायक कंपनी है, 51% शेयरधारिता के साथ ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल), जिसके पास दो सहायक कंपनियां हैं– मैसर्स उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) और मैसर्स बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी)।

आरआईएनएल के उत्पादों में रिबार्स, वायर रॉड, राउंड, संरचना, ब्लूम और बिलेट्स तथा पिग आयरन शामिल हैं और कंपनी कोयला रसायन (अमोनियम सल्फेट, बेंजोल उत्पाद आदि) और लावा जैसे परिणामी उत्पादों का विपणन भी करती है। आरआईएनएल 5 क्षेत्रीय कार्यालयों, 24 शाखाओं के बिक्री कार्यालयों/स्टॉक यार्डों के विस्तृत विपणन नेटवर्क के माध्यम से अपने उत्पादों का विपणन कर रहा है जो देश भर में वितरण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

5.3.1 पूंजी संरचना

आरआईएनएल–वीएसपी इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 8000 करोड़ रुपये है और 31.12.2020 तक 4889.85 करोड़ रुपये जारी/सब्सक्राइब्ड/पूर्ण रूप से सशुल्क/शेयर पूंजी है।

5.3.2 वित्तीय प्रदर्शन

आरआईएनएल ने अप्रैल 20 से दिसम्बर 20 की अवधि के दौरान 11,447 करोड़ रुपये (अनंतिम) का कारोबार दर्ज किया और मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 15,819 करोड़ रुपये का कारोबार किया। 6.3 एमटीपीए की उत्पादन क्षमता के रैंप–अप के साथ, मार्च 2020 में समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी 3910 करोड़ रुपए की कर पश्चात हानि में से 1839 करोड़ रुपये (31.12.2020 के रूप में अनंतिम) की कर पश्चात हानि को कम करने में सफल रही।

5.3.3 उत्पादन प्रदर्शन

इकाई: 000 टन

मापदंड	2018–19	2019–20	2020–21*
गर्म धातु	5769	5161	3003
क्रूड इस्पात	5233	4759	2728
बिक्री योग्य इस्पात	5000	4452	2701

*दिसंबर, 2020 तक अनंतिम

5.3.4 कच्चा माल

आरआईएनएल के पास प्रमुख कच्चे माल लौह अयस्क और कोकिंग कोल के लिए कैप्टिव खदान नहीं हैं। कंपनी मुख्य रूप से एनएमडीसी और आंशिक रूप से नीलामियों/निविदाओं से लौह अयस्क की खरीद कर रही है। कोकिंग कोल मुख्य रूप से वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त होता है।

5.3.5 मानवशक्ति

1 जनवरी 2021 को आरआईएनएल में कर्मचारियों की संख्या 16923 (कार्यकारी 5606 और गैर–कार्यकारी 11317) थी, जिसमें 1 अप्रैल 2020 से 1 जनवरी 2021 तक 643 कर्मचारियों की कमी दर्ज की गई।

5.3.6 क्षमता विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजनाएं

- कोक ओवन बैटरी–5, जो उत्पादन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, को 22/12/2020 को चालू किया गया था।
- ट्विन लैडल हीटिंग फर्नेस (ट्विन एलएचएफ) को एसएमएस–2 की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 08.12.2020 को चालू किया गया था।
- 11.11.2020 को ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (ओएचई) के पूरा होने और 24.11.2020 को रेलवे से वाणिज्यिक अधिसूचना के बाद केंद्रीय डिस्पैच यार्ड को वाणिज्यिक परिचालन के लिए तैयार किया गया है।

5.3.7 रणनीतिक पहल

आरआईएनएल आयात प्रतिस्थापन के लिए भारतीय रेलवे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष एक लाख पहियों की उत्पादन क्षमता के साथ 1683 करोड़ रुपये के निवेश के साथ यूपी के लालगंज में एक फोर्जेड व्हील संयंत्र (एफडब्ल्यूपी) स्थापित कर रहा है। परियोजना परीक्षण/चलन पूर्व प्रयोग स्तर पर है। फोर्जिंग लाइन का हॉट ट्रायल 08.02.2020 को शुरू हुआ और फोर्जिंग लाइन में प्रति दिन लगभग 60 पहियों का उत्पादन 27.02.2020 को शुरू हुआ।

लालगंज, रायबरेली, यूपी में फोर्जेड व्हील प्लांट में फोर्जिंग लाइन का हॉट ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया

5.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत एक 'नवरत्न' सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो मुख्य रूप से उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए खनिजों की खोज और खदानों के विकास में लगी हुई है। यह इस्पात बनाने और अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों की दिशा में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है।

15 नवंबर, 1958 को निगमित, एनएमडीसी छह दशकों से राष्ट्र के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है और राष्ट्र निर्माण की अपनी यात्रा में मजबूती प्रदान कर रहा है। एकल–उत्पाद–एकल–ग्राहक कंपनी से एनएमडीसी घरेलू इस्पात उद्योगों के लिए एक प्रमुख लौह अयस्क आपूर्तिकर्ता बन गया है।

एनएमडीसी देश में बेलाडिला (छत्तीसगढ़) और दोनिमलाई (कर्नाटक) में बड़ी मशीनीकृत लौह अयस्क खदानों का संचालन करता है। एनएमडीसी का डायमंड माइन पन्ना (मध्य प्रदेश) में स्थित है। एनएमडीसी की स्पंज आयरन इकाई पलोंचा, तेलंगाना में और 1.2 मीट्रिक टन क्षमता का पेलेट प्लांट कर्नाटक में स्थित है। एनएमडीसी 3 एमटीपीए क्षमता के एकीकृत इस्पात संयंत्र का निर्माण छत्तीसगढ़ में कर रहा है।

5.4.1 पूंजी संरचना

कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी 400 करोड़ रुपये है। 31.12.2020 को चुकता शेयर पूंजी 306.19 करोड़ रुपये थी जिसमें से 69.65 प्रतिशत भारत सरकार के पास है और शेष 30.35 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों/बैंकों/व्यक्तियों/कर्मचारी आदि के पास है।

5.4.2 वित्तीय प्रदर्शन

दिसम्बर 2020 तक कम्पनी ने वित्त वर्ष 2020–21 में 8522 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज किया। इस वर्ष के लिए पीएटी 3415 करोड़ रुपये था (दिसम्बर 2020 तक)।

माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा एनएमडीसी की बेलाडिला खदानों की यात्रा

5.4.3 उत्पादन प्रदर्शन

वास्तविक उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

मापदंड	2018–19	2019–20	2020–21*
लौह अयस्क (एमटी में)	32.36	31.49	21.84
डायमंड (कैरट में)	38149	28537	13681

* दिसंबर 2020 तक अनंतिम

5.4.4 मानवशक्ति

31.12.2020 को एनएमडीसी की मानवशक्ति 5596 थी।

5.4.5 क्षमता विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजनाएं

- एनएमडीसी छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के नगरनार में 3.0 एमटीपीए का ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहा है। परियोजना के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है और लगभग 97 प्रतिशत सिविल कार्य, 96 प्रतिशत संरचनात्मक निर्माण, 91 प्रतिशत उपकरण निर्माण पूरा हो चुका है।
- एनएमडीसी ने स्लरी पाइप लाइन परियोजना का निर्माण का कार्य लिया है जिसमें नगरनार में 2.0 एमटीपीए का पेलेट संयंत्र, बचेली में 2.0 एमटीपीए का अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र और छत्तीसगढ़ राज्य में बचेली से नगरनार और इसकी सहायक प्रणालियों तक 130 किलोमीटर स्लरी पाइपलाइन शामिल है। दिए गए कार्यों का फील्ड कार्य शुरू किया जा चुका है और एनएमडीसी बैलेंस पैकेज के लिए एजेंसियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
- एनएमडीसी ने किरंदुल कॉम्प्लेक्स, बेलाडिला, छत्तीसगढ़ में 12.0 एमटीपीए स्क्रीनिंग प्लांट–III की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया है। दिए गए कार्यों के लिए फील्ड का काम शुरू हो गया है और एनएमडीसी बैलेंस पैकेज के लिए एजेंसियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

एनएमडीसी निम्नलिखित अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाओं को स्थापित करके अपने उत्पादन और निकासी क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया में है:

- मौजूदा स्क्रीनिंग प्लांट–II में 5वीं स्क्रीनिंग लाइन का निर्माण और किरंदुल कॉम्प्लेक्स, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में डाउनस्ट्रीम कन्वेयर के उन्नयन का काम पूरा हो चुका है और लोड परीक्षण जारी है।
- मौजूदा स्क्रीनिंग प्लांट में 5वीं स्क्रीनिंग लाइन का निर्माण और डिपॉजिट–5, बचेली कॉम्प्लेक्स, बैलाडिला, छत्तीसगढ़ में डाउनहिल कन्वेयर सिस्टम का उन्नयन। एनएमडीसी ने परियोजना के निष्पादन और प्रगति के क्षेत्र में कार्य के लिए एजेंसी को अंतिम रूप दिया है।
- कर्नाटक के डोनमलाई कॉम्प्लेक्स में 7.0 एमटीपीए स्क्रीनिंग और बेनिफिसिएशन प्लांट–II की स्थापना। एनएमडीसी परियोजना के लिए वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।
- किरंदुल–जगदलपुर (लगभग 150 किलोमीटर) के बीच पूर्व तटीय रेलवे के माध्यम से डिपोजिट कार्य के आधार पर किरंदुल–कोट्टावलासा लाइन का दोहरीकरण। 74.25 किलोमीटर का दोहरीकरण पूरा हुआ और परिचालन अवस्था में है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021 के दौरान और मई 2021 तक क्रमशः 11 किलोमीटर और 21.12 किलोमीटर के दोहरीकरण का कार्य पूरा होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2023 में 44 किलोमीटर के दोहरीकरण (किरंदुल और दंतेवाड़ा के बीच) का कार्य पूरा होने की संभावना है।

5.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल एक अनुसूची–ए मिनीरत्न श्रेणी–1 का सीपीएसई है। मॉयल घरेलू उत्पादन में लगभग 48 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। मॉयल ने लगभग 1000 एमटीपीए क्षमता (हाल ही में बढ़ाकर 1500 एमटीपीए) का इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) का निर्माण करने के लिए स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक संयंत्र की स्थापना की है। यह उत्पाद मुख्य रूप से सूखे बैटरी सेल के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। मॉयल द्वारा उत्पादित ईएमडी अच्छी गुणवत्ता का है और बाजार द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। मॉयल द्वारा मूल्यवर्धन के लिए 10,000 एमटीपीए की क्षमता का एक फेरो मैगनीज संयंत्र भी 1998 से संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2016 में मॉयल को परसोदा गांव के पास जो नागपुर से 46 किलोमीटर दूर है, परसोदा मैगनीज खदान का खनन पट्टा दिया गया है। यह पट्टा 53.75 हेक्टेयर भूमि पर 50 साल के लिए है। परसोदा में कंपनी की नई मैंगनीज अयस्क खदान से खदान विकास गतिविधियां और उत्पादन (फ्लोट अयस्क) मार्च, 2019 में शुरू किया गया है। यह मॉयल की ग्यारहवीं खदान है।

5.5.1 पूंजी संरचना

31 दिसम्बर 2020 को कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः 300.00 करोड़ रुपये और 237.33 करोड़ रुपये है। मॉयल को 15 दिसम्बर 2010 को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज और बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की चालू शेयरधारिता क्रमशः 53.84 प्रतिशत, 5.40 प्रतिशत और 5.11 प्रतिशत है, तथा शेष 35.65 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में है।

5.5.2 वित्तीय प्रदर्शन

(रुपए करोड़ में)

मापदंड	2018–19	2019–20	2020–21*
कुल आय	1631.48	1219.18	796.05
कर पूर्व लाभ	719.75	340.49	82.24
कर पश्चात लाभ	473.89	248.22	63.68

*दिसंबर, 2020 तक अनंतिम

5.5.3 उत्पादन प्रदर्शन

मापदंड	2018–19	2019–20	2020–21*
मैगनीज अयस्क (लाख मिट्रिक टन)	13.01	12.77	7.41
ई.एम.डी (मिट्रिक टन)	992	925	753
फेरो मैगनीज (मिट्रिक टन)	11003	10421	5871

*दिसंबर, 2020 तक अनंतिम

5.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय के तहत एक मिनिरत्न सीपीएसई, धातु और खनन, ऊर्जा (विद्युत, तेल और गैस), इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण अभियांत्रिकी और अन्य संबंधित/विविध क्षेत्रों में एक अग्रणी बहु–अनुशासनात्मक डिजाइन, अभियांत्रिकी, परामर्श और अनुबंधात्मक संगठन है जिसके पास व्यापक विदेशी अनुभव है। मेकॉन सेवाओं की पूर्ण श्रृंखला प्रदान करता है जिनकी आवश्यकता अवधारणा से अधिग्रहण तक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए है, जिनमें टर्नकी कार्यान्वयन शामिल हैं। मेकॉन एक आईएसओः 9001 मान्यता प्राप्त कंपनी है और यह विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ पंजीकृत है। मेकॉन ने बदलते व्यापार परिदृश्य से उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतिक भागीदारों के साथ व्यवसाय के नए क्षेत्रों में भी कदम रखा है।

5.6.1 वित्तीय प्रदर्शन

(रुपए करोड़ में)

मापदंड	2018.19	2019.20	2020.21*
टर्नओवर	470.17	561.17	325.29
परिचालन लाभ	(19.88)	38.68	(170.60)
पीबीटी	9.97	87.03	(141.85)
पीएटी	13.74	69.00	(141.85)

* दिसंबर, 2020 तक अनंतिम

5.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड 1982–83 में पीएसयू बना। यह फरवरी 1992 तक कार्बन स्टील के पिघलने वाले स्क्रैप, स्पंज आयरन, हॉट ब्रिकेटेड आयरन और री–रोलेबल स्क्रैप के आयात के लिए कैनालाइजिंग एजेंसी थी। यह पुराने जहाजों को तोड़ने लिए के भी डिकैनालाइजिंग एजेंसी थी और इस प्रकार के आइटमों के आयात अगस्त 1991 से शुरू हुआ था। वर्तमान में, कंपनी ने मुख्य रूप से ई–नीलामी/ई–खरीद सेवाएं प्रदान करने में विविधता ला दी है। इस खंड के तहत, कंपनी निजी कंपनियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों से लौह और अलौह स्क्रैप, अधिशेष भंडार, प्रयोग में न रहे संयंत्रों, खनिजों, कृषि और वन उपज आदि का निपटान करती है। कारोबार विभाग आयात के साथ–साथ वास्तविक उपयोगकर्ताओं सहित व्यापारियों के लिए थोक में औद्योगिक कच्चे माल की घरेलू आपूर्ति भी करता है। यह विभाग निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों की ओर से स्टील, तेल और गैस, पावर सेक्टरों में कम राख धातुकर्म कोक, एचआर कॉइल, नेफ्था, कच्चा तेल, कोकिंग कोल, स्टीम कोयला, लाइन पाइप आदि जैसे औद्योगिक कच्चे माल की सोर्सिंग, खरीद और बिक्री की देखरेख करता है। प्रमुख गतिविधियों में निम्नानुसार शामिल हैं:

ई–कॉमर्सः व्यापार के इस खंड के तहत, एमएसटीसी विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों और अन्य निजी संस्थाओं के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष बिक्री और खरीद को सुनिश्चित करने के लिए एक स्टैंडअलोन और तटस्थ ई–कॉमर्स सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। एमएसटीसी पूरी तरह से घरेलू संचालन के साथ व्यापार के इस खंड के तहत एकमात्र पीएसयू के रूप में विकसित हुआ है और ई–कॉमर्स क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी बन गया है।

पुनर्चक्रणः एमएसटीसी ने एंड–ऑफ–लाइफ व्हीकल (ईएलवी) से स्क्रैप के प्रसंस्करण के लिए भारत में पहला मैकेनाइज्ड ऑटो श्रेडिंग प्लांट स्थापित किया है। एक संयुक्त उद्यम कंपनी महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया है। ग्रेटर नोएडा में एंड–ऑफ–लाइफ वाहनों (ईएलवी) के लिए कंपनी के पहला संग्रहण और विघटन संयंत्र ने दो साल के संचालन को पूरा कर लिया है और महत्वपूर्ण ट्रैक्शन प्राप्त किया है। चेन्नई स्थित कंपनी के दूसरे संयंत्र ने फरवरी 2020 से परिचालन शुरू कर दिया है।

5.7.1 पूंजी संरचना

31.12.2020 को कम्पनी की अधिकृत पूंजी 150.00 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 70.40 करोड़ रुपये है। भारत सरकार के पास इसका 64.75 प्रतिशत हिस्सा है और शेष 35.25 प्रतिशत हिस्सा अन्य के पास है।

5.7.2 भौतिक प्रदर्शन

(रूपए करोड़ में)

मापदंड	2018–19	2019–20	2020–21*
ई–कॉमर्स	103588.11	126238.91	49747.16
ट्रेडिंग	7685.63	1152.32	98.99
कुल व्यापार	111273.74	127391.23	49846.15

* दिसंबर, 2020 तक अनंतिम

5.7.3 वित्तीय प्रदर्शन

(रूपए करोड़ में)

मापदंड	2018–19	2019–20	2020–21*
टर्नओवर	2927.00	830.71	237.70
संचालन लाभ	(267.96)	131.53	63.07
कर पूर्व लाभ	(269.21)	129.49	60.82
कर पश्चात लाभ	(324.47)	75.20	39.56

* दिसंबर, 2020 तक अनंतिम

कम्पनी ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 23.23. करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा 15.04 करोड़ रुपये) के अंतिम लाभांश का भुगतान भी किया था।

5.8 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल लिमिटेड लौह अयस्क पेलेट और फाउंड्री ग्रेड पिग आयरन के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है, जिसे 1999 में शेड्यूल–ए के तहत "मिनी–रत्न–श्रेणी–I" के साथ सम्मानित किया गया था और आईएसओ–9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ–45001:2018 के अनुरूप माना गया है।

भारत सरकार के पास कम्पनी की इक्विटी का 99.06 प्रतिशत हिस्सा है। 3.5 एमटीपीए की रेटिड क्षमता और 0.216 एमटीपीए की ब्लास्ट फर्नेस यूनिट के साथ अत्याधुनिक पेलेट प्लांट कर्नाटक के तटीय शहर मंगलुरु में स्थित है। कंपनी के पास मंगलोर में अपने कैप्टिव बर्थ और जहाज–लोडिंग की सुविधा है। केआईओसीएल मुख्य रूप से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करके स्टील मिलों को पेलेट्स की आपूर्ति करती है। केआईओसीएल ने अपने बाजार आधार का विस्तार यूके, मध्य पूर्व, जापान, दक्षिण कोरिया आदि तक किया है। केआईओसीएल पेलेट के लिए घरेलू बाजार सीमित है क्योंकि अधिकांश प्रमुख इस्पात उत्पादक कैप्टिव पेलेट प्लांट से सुसज्जित हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, केआईओसीएल ने मेक इन इंडिया पहल के तहत आयातित उच्च–ग्रेड आयरन अयस्क कंसंट्रेट का उपयोग करते हुए डीआर ग्रेड पेलेट का निर्माण किया है, जिसने जापान, दक्षिण कोरिया और मध्य पूर्व में नए बाजार खोले हैं।

5.8.1 भौतिक प्रदर्शन

(मिलियन टन)

मापदंड	2018–19	2019–20	2020–21*
लौह अयस्क पेलेट का उत्पादन	2.238	2.375	2.166
लौह अयस्क पेलेट की बिक्री	2.206	2.356	2.240

* दिसंबर, 2020 तक अनंतिम

5.8.2 वित्तीय प्रदर्शन

जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक के अनुमानों के साथ जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक केआईओसीएल के प्रदर्शन का अवलोकन और पिछले दो वित्तीय वर्षों के वास्तविक विवरण इस प्रकार हैं:

(रुपये करोड़ में)

मापदंड	2018–19	2019–20	2020–21*
संचालन से लाभ	1,887.71	1,937.65	1942.60
कर पूर्व लाभ	184.12	63.68	121.01
कर पश्चात लाभ	111.86	43.48	90.56

* दिसंबर 2020 तक अनंतिम

5.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल, एमएसटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसकी चुकता पूंजी रु. 3200 लाख है। एफएसएनएल पूरे भारत में संयंत्रों के लिए स्क्रैप और स्लैग प्रबंधन की अपनी विशेष सेवाएं प्रदान कर रहा है। एफएसएनएल का मुख्य उद्देश्य लोहा और इस्पात बनाने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न स्लैग और स्क्रैप को कचरे के रूप में पुनर्चक्रित करके "अपशिष्ट से धन" उत्पन्न करना है। एफएसएनएल न केवल देश के मूल्यवान खनिज संसाधनों को बचा रहा है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा में भी योगदान दे रहा है। इसके अलावा, कंपनी स्लैब के स्कार्फिंग और हॉट स्लैग पिट प्रबंधन जैसी स्टील मिल सेवाएं भी प्रदान कर रही है।

एफएसएनएल मल्टी लोकेशनल कंपनी है जिसका भिलाई–छत्तीसगढ़ में पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय है और वर्तमान में सेल–राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, सेलम, आरआईएनएल–विशाखापट्टनम, हाजीरा और मिधनी–हैदराबाद में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड को सेवाएं प्रदान कर रहा है।

5.9.1 भौतिक प्रदर्शन

मद	2018–19	2019–20	2020–21*
स्क्रैप की रिकवरी (लाख मिट्रिक टन)	35.66	48.59	24.13
उत्पादन का बाजार मूल्य (करोड़ रुपए में)	2895.20	4275.94	2123.68

* दिसंबर 2020 तक अनंतिम

5.9.2 वित्तीय प्रदर्शन

(रुपए लाख में)

मद	2018–19	2019–20	2020–21*
कुल टर्नओवर अर्थात सर्विस चार्ज, जिसमें विविध आय आदि भी शामिल हैं	37841.34	40989.64	23940
ब्याज और मूल्यह्रास से पहले सकल मार्जिन	5539.73	6186.21	2566
ब्याज और मूल्यह्रास	1430.78	1584.53	1248
कर से पूर्व लाभ	4108.95	4601.68	1318

* दिसंबर 2020 तक अनंतिम

5.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

क. ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की एक सहायक कंपनी है। ईआईएल एक निवेश कंपनी है और दो खनन कंपनियों यानी ओएमडीसी और बीएसएलसी की होल्डिंग कंपनी है।

वित्तीय प्रदर्शनः

(रुपए करोड़ में)

मापदंड	2020–21*
कुल आय	0.90
व्यय	0.56
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	0.34
कर पश्चात लाभ (पैट)	0.24

* दिसंबर 2020 तक अनंतिम

ख. ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी)

ओडिसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) एक खनन कंपनी है, जो ओडिशा के जिला कोन्झार में अपनी खानों से लौह और मैंगनीज अयस्क के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है। ओएमडीसी 19.03.2010 से आरआईएनएल की सहायक कंपनी बन गई और इस्पात मंत्रालय के तहत एक अनुसूचित 'बी' पीएसयू है।

वित्तीय प्रदर्शनः

(रुपए करोड़ में)

मापदंड	2020–21*
आय	10.58
व्यय	56.05
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	(45.47)
कर पश्चात लाभ (पैट)	(46.99)

* दिसंबर 2020 तक अनंतिम

ग. बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी)

बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) एक खनन कंपनी है, जो ओडिशा के जिला सुंदरगढ़ में अपनी खानों से डोलोमाइट और चूना पत्थर के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है। बीएसएलसी 19.03.2010 से आरआईएनएल की सहायक कंपनी बन गई और इस्पात मंत्रालय के तहत एक अनुसूची 'सी' पीएसयू है।

भौतिक प्रदर्शनः

(टन में)

विवरण	2020–21*
उत्पादन	
चूना पत्थर	–
डोलोमाइट	7,03,521
डिस्पैच	
चूना पत्थर	8,141
डोलोमाइट	7,24,498

* दिसंबर 2020 तक अनंतिम

वित्तीय प्रदर्शन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2020–21*
आय	53.03
व्यय	52.33
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	0.70
कर पश्चात लाभ (पैट)	0.70

* दिसंबर 2020 तक अनंतिम

अध्याय 6

निजी क्षेत्र

6.1 परिचय

निजी क्षेत्र का इस्पात उद्योग देश में इस्पात क्षेत्र के उत्पादन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निजी क्षेत्र की इकाइयाँ एक तरफ बड़े पैमाने पर इस्पात उत्पादकों और अपेक्षाकृत छोटी और मध्यम स्तर की इकाइयाँ जैसे स्पंज आयरन प्लांट, मिनी–ब्लास्ट फर्नेस इकाइयाँ, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, री–रोलिंग मिल्स, कोल्ड–रोलिंग मिल्स और कूलिंग यूनिट्स से युक्त होती हैं जबकि दूसरी ओर वे न केवल इस्पात के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बल्कि गुणवत्ता, नवाचार और लागत प्रभावशीलता के मामले में भी पर्याप्त मूल्य संवर्धन में योगदान करती हैं।

6.2 निजी क्षेत्र में अग्रणी इस्पात उत्पादकों को उनकी क्षमता के साथ नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

क्र. सं.	इस्पात कम्पनी का नाम	2020–21 के लिए वर्तमान क्रूड इस्पात के लिए क्षमता (एमटीपीए में)
1.	टाटा स्टील लिमिटेड	19.40
2.	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	18.00
3.	आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड	10.00
4.	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	8.60
5.	ईएसएल स्टील लिमिटेड	1.88
6.	जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड	0.80
7.	जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड	0.78

स्रोत : जेपीसी

नोट: ऊपर दिए गए आंकड़े प्रकृति में अनंतिम हैं और जेपीसी द्वारा डेटा के अंतिम रूप में संशोधन के अधीन हैं। ये आंकड़े संबंधित कंपनी द्वारा बताए गए आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

6.3 टाटा स्टील लिमिटेड

टाटा स्टील समूह 34 मिलियन टन प्रति वर्ष की कच्चे इस्पात की क्षमता वाली प्रमुख वैश्विक इस्पात कंपनियों में से एक है। यह दुनिया भर में परिचालन और वाणिज्यिक उपस्थिति के साथ दुनिया के भौगोलिक रूप से सबसे विविध इस्पात उत्पादकों में से एक है। इस समूह ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 1,39,817 करोड़ रुपये का समेकित कारोबार दर्ज किया। 2019 में, टाटा स्टील के कलिंगनगर संयंत्र को विश्व आर्थिक मंच द्वारा उद्योग 4.0 लाइटहाउस के रूप में मान्यता दी गई थी। टाटा स्टील लिमिटेड की मौजूदा क्षमता 14 मिलियन टन है। टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड और टाटा स्टील लोंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ मिल कर टाटा स्टील की भारत में कुल उत्पादन क्षमता 20.6 मिलियन टन है।

6.4 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड भारत की सबसे अग्रणी एकीकृत इस्पात कंपनी है, जिसकी स्थापित क्षमता 18 एमटीपीए है। विजयनगर, कर्नाटक में जेएसडब्ल्यू स्टील की विनिर्माण सुविधा 12 एमटीपीए की क्षमता के साथ भारत में सबसे बड़ी एकल इस्पात उत्पादन की सुविधा है। कंपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार में सबसे आगे रही है, जबकि लंबी अवधि के विकास की नींव रखते हुए निर्माण, ओटोमोबाइल, उपकरणों और अन्य क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए उच्च मूल्य के विशेष इस्पात उत्पादों की पेशकश करने के लिए अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ रणनीतिक सहयोग किया है।

6.5 आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील, भारत (एएम/एनएस इंडिया)

एएम/एनएस इंडिया, आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील के बीच दिसंबर 2019 में 10 मिलियन टन की वर्तमान वार्षिक क्षमता के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया था।

एएम/एनएस भारत एक एकीकृत फ्लैट कार्बन स्टील–लौह अयस्क से बिक्री के लिए तैयार उत्पादों का निर्माता है। कंपनी की विनिर्माण सुविधाओं में लोहा उत्पादन, इस्पात उत्पादन और डाउनस्ट्रीम सुविधाएं शामिल हैं जो पूरे भारत में फैली हुई हैं। एएम/एनएस इंडिया 300 से अधिक ग्रेड इस्पात की पेशकश करता है, जो अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और भारत और अन्य ग्राहकों को इस्पात का विश्वसनीय और भरोसेमंद प्रदाता है। उत्पादों को भारतीय और वैश्विक उद्योग निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त है। कंपनी 20 मिलियन टन की वर्तमान वार्षिक क्षमता के साथ महत्वपूर्ण लौह अयस्क पेलेटाइजेशन सुविधाएं भी संचालित करती है।

6.6 जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड भारतीय इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति के साथ अग्रणी है। यह दुनिया में सबसे बड़ा कोयला आधारित स्पंज आयरन प्लांट संचालित करता है और घरेलू बिजली, खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में पर्याप्त उपस्थिति दर्ज कराता है। कंपनी भौगोलिक रूप से पूरे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व में मौजूद है। कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में व्यापक फ्लैट उत्पादों से लेकर लंबे उत्पादों और रेलों की पूरी श्रृंखला तक स्टील वैल्यू चेन शामिल है। जेएसपीएल के पास 4554 घनमीटर, 2.75 एमटीपीए की नई विद्युत आक्सीजन फर्नेस (एनईओएफ) है, जो एक आधुनिकतम प्लेट मिल है जो 5 मीटर चौड़ी प्लेटों का निर्माण करने में सक्षम है, 9 एमटीपीए पेलेट निर्माण के लिए परिसर, सिनगैस आधारित डीआरआई प्लांट और इस्पात उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण संयंत्र है जो स्वदेशी कोयले पर आधारित है और 1.5 एमटीपीए क्षमता की रिबार मिल है।

6.7 ईएसएल स्टील लिमिटेड

ईएसएल स्टील लिमिटेड (पहले इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) एक एकीकृत इस्पात निर्माता है, जिसे 2006 में बोकारो, झारखंड, भारत में संचालन के साथ एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। जून 2018 में, वेदांत लिमिटेड ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया के माध्यम से ईएसएल के प्रबंधन नियंत्रण का अधिग्रहण किया। कंपनी की वर्तमान वार्षिक क्षमता 1.88 मिलियन टन प्रति वर्ष है।

इस सुविधा में मुख्य रूप से सिंटर प्लांट, कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस, ऑक्सीजन प्लांट, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, बिलेट कॉस्टर, वायर रॉड मिल, बार मिल, डक्टाइल आयरन पाइप्स प्लांट और एक पावर प्लांट शामिल हैं। कंपनी की उत्पाद श्रृंखला में टीएमटी बार्स, वायर रॉड्स, डक्टाइल आयरन पाइन, पिग आयरन और बिलेट शामिल हैं। ईएसएल अपने वायर रॉड्स को ब्रांड करने वाला पहला प्रमुख स्टील निर्माता है।

6.8 जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल)

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) 1.1 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील निर्माता है। यह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है। विनिर्माण परिसर में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और उपकरणों के साथ फेरो मिश्र सुविधाओं के 2,50,000 टन प्रति वर्ष शामिल हैं। कैप्टिव पावर जनरेशन सुविधा (264 मेगावॉट) से लैस यह कॉम्प्लेक्स अंततः स्टेनलेस स्टील उत्पादन के 3.2 मिलियन टन प्रति वर्ष तक स्केलेबल है। रेल से जुड़ा इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) भी जाजपुर इकाई में संचालित है, जिसमें माल और कच्चे माल को स्थानांतरित करने के लिए 4,500 बड़े कंटेनरों को संभालने की क्षमता है।

6.9 जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड (जेएसएचएल)

जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड (जेएसएचएल) 0.8 एमटीपीए की क्षमता वाला पूरी तरह से एकीकृत स्टेनलेस–स्टील प्लांट है। यह रेजर ब्लेड के लिए स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय टकसालों की जरूरतों को पूरा करने वाला भारत का सबसे बड़ा कॉइन ब्लैंक का उत्पादक है। जेएसएचएल का अत्याधुनिक स्पेशियलिटी प्रोडक्ट डिवीजन (एसपीडी) प्रतिष्ठित भारतीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की उच्च स्तरीय विशिष्टताओं और विशिष्ट स्टेनलेस स्टील आवश्यकताओं को पूरा करता है। उत्पाद श्रेणी में स्टेनलेस स्टील के स्लैब और ब्लूम, हॉट रोल्ड कॉइल्स, स्ट्रिप्स, प्लेट्स, कॉइन खाली सिक्के, सटीक स्ट्रिप्स और कोल्ड रोल्ड कॉयल शामिल हैं।

अध्याय 7

क्षमता निर्माण, तकनीकी निर्देश और कौशल विकास

7.1 मिशन कर्मयोगी की शुरूआत

सरकार ने 2 सितंबर 2019 को 'मिशन कर्मयोगी' सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) को मंजूरी दे दी है। यह कार्यक्रम सिविल सेवकों के व्यवहारात्मक, डोमेन और कार्यात्मक दक्षताओं के निर्माण, सांझे संसाधनों की रूपरेखा के सृजन और सिविल सेवा के **नियम–आधारित से भूमिका आधारित प्रतिमान** में बदलाव के द्वारा उनकी क्षमता में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखता है ताकि अधिगम को लोकतांत्रिक बनाया जा सके और भविष्य के लिए सिविल सेवा को तैयार किया जा सके। यह कार्यक्रम डीओपीटी के ऑनलाइन मंच आईजीओटी के माध्यम से डिलीवर किया जाएगा।

कार्यक्रम में ईएचआरएमएस, निगरानी और मूल्यांकन और योग्यता ढांचे के साथ एकीकरण द्वारा एचएचआर प्रबंधन के साथ प्रशिक्षण के कई पहलुओं को शामिल किया जाएगा। योग्यता एफआरएसी–भूमिकाओं की रूपरेखा, गतिविधियों और विभिन्न स्तरों पर दक्षताओं की रूपरेखा पर आधारित होंगी। दक्षताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है–व्यवहारिक, कार्यात्मक और डोमेन। कार्यान्वयन में तीन तरह की प्रक्रियाएं शामिल होंगी: एफआरएसी के माध्यम से भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पहचान, विषयवस्तु निर्माण और मूल्यांकन।

इस्पात मंत्रालय पहले चरण में परियोजना को लागू करने के लिए चिन्हित 12 मंत्रालयों/विभागों में से एक है। मंत्रालय के अंदर मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए, डीओपीटी द्वारा विभिन्न ब्रीफिंग बैठकें आयोजित की गई हैं। इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू) का गठन किया गया है ताकि कार्यक्रम को लागू किया जा सके। सीबीयू, मंत्रालय में सभी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण प्रगति की निगरानी करने और तदनुसार आईजीओटी पर सामग्री को अपनाने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

7.2 तकनीकी संस्थान

7.2.1 इस्पात क्षेत्र में कार्यबल के तकनीकी कौशल को लगातार उन्नत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निम्नलिखित संस्थान इस उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए हैं:

7.2.2 राष्ट्रीय द्वितीयक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसएसटी)

राष्ट्रीय इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान को 18 अगस्त, 1987 को पंजीकृत तकनीकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, ताकि माध्यमिक इस्पात क्षेत्र को प्रशिक्षित तकनीकी श्रमशक्ति, औद्योगिक सेवाएं, परीक्षण सुविधाएं, ऊर्जा दक्षता के लिए परामर्शी सेवाएं, आरएंडडी और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। वर्तमान में, इस्पात मंत्रालय के अपर सचिव संस्थान के अध्यक्ष हैं।

यह संस्थान निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है:

- औद्योगिक परामर्श, प्रशिक्षण और कौशल विकास।
- अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट और एम एंड वी ऑडिट (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, बिजली मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त)।
- सेफ्टी ऑडिट, सत्यापन और निरीक्षण (पंजाब सरकार, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली यूटी से सुरक्षा निरीक्षण के लिए सक्षम एजेंसी)।
- लैब परीक्षण (मैकेनिकल और केमिकल लैब्स के 16 उत्पादों के लिए एनएबीएल प्रत्यायन और बीआईएस मान्यता)।
- अनुसंधान और विकास।

7.2.3 बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएसआई)

इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थापित एक टास्क फोर्स द्वारा विकसित अवधारणा योजना के आधार पर, पुरी में एक प्रशिक्षण एवं सेवा एवं अनुसंधान और विकास केंद्र के रूप में राष्ट्रीय इस्पात संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएसआई) को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था और 1 जनवरी, 2002 से कार्य करना शुरू कर दिया था। बीपीएनएसआई को घरेलू माध्यमिक इस्पात उद्योग में तेजी से परिवर्तन के साथ कदमताल बनाए रखने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था, जिससे वैश्विक और भारतीय औद्योगिक उद्योग गुजर रहा है। मंत्रिमंडल ने 20 फरवरी 2004 को जेपीसी से पूंजीगत वित्त पोषण के साथ पुरी में बीपीएनएसआई की स्थापना एक पूर्ण संस्थान के रूप में करने को मंजूरी दी थी।

7.2.4 इस्पात विकास और वृद्धि संस्थान (इन्सडैग)

इस्पात विकास और वृद्धि संस्थान (इन्सडैग) 1996 में स्थापित किया गया था और इसने 1999 से कार्य करना शुरू किया था। इसका संवर्धन इस्पात मंत्रालय के साथ–साथ देश के प्रमुख इस्पात उत्पादकों जैसे सेल, आरआईएनएल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, एस्सार स्टील और जेएसपीएल ने किया था। संस्थान का उद्देश्य तकनीकी प्रकाशनों और अध्ययन रिपोर्टों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, संकायों, शिक्षाविदों, पेशेवरों, वास्तुकारों और संरचनात्मक इंजीनियरों को इस्पात आधारित डिजाइन, स्टील कोड और मानकों पर ज्ञान के प्रसार के माध्यम से देश में इस्पात की खपत को बढ़ावा देना है। यह विशिष्ट इस्पात श्रेणी और इमारतों और अन्य संरचनाओं में स्टील–कंक्रीट मिश्रित प्रौद्योगिकी के डिजाइन के उपयोग के लिए दिशानिर्देश और मैनुअल बनाने में भी शामिल है।

बुनियादी ढांचे के निर्माण, आवास आदि में घरेलू बाजार में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा व्यापक योजना के एक हिस्से के रूप में, इन्सडैग ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संरचनाओं में इस्पात–आधारित डिजाइनों के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी प्रकाशन किए और आर्किटेक्ट्स, संरचनात्मक इंजीनियरों और बिल्डरों के बीच इस तरह के प्रकाशनों को वितरित किया। इन्सडैग, इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित लोंग स्पैन स्टील आधारित पुलों के डिजाइनिंग के लिए समिति का संयोजक है, और इस विषय पर समिति को तकनीकी जानकारी प्रदान कर रहा है। इन्सडैग आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए जीवनचक्र लागत विश्लेषण (एलसीसीए) की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है।

इन्सडैग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में विभिन्न पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करता है। हाल ही में, इन्सडैग ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनस्ट्रक्ट, बंगलुरु के सहयोग से संरचनात्मक इस्पात भवनों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक श्रृंखला को पूर्ण किया।

7.3 कौशल विकास

7.3.1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) लघु अवधि प्रशिक्षण (एसटीटी)

वर्ष 2020–21 में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 2.0) के तहत भारतीय लौह और इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद (आईआईएसएसएससी) की गतिविधियां कोविड–19 महामारी के कारण प्रभावित हुई हैं। परिषद ने 2675 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया। प्रशिक्षण मुख्य रूप से देश के 15 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में किया गया था। 20 प्रशिक्षण हिस्सेदारों के माध्यम से आईआईएसएसएससी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 50 प्रशिक्षण केंद्रों ने भाग लिया। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य जोर स्कूल छोड़ने वाले (8वीं/10वीं पास) और प्रवेश स्तर के उम्मीदवारों के लिए गरीब आबादी को लक्षित करना था। प्रशिक्षण दूरस्थ जिलों में आयोजित किए गए जो पिछड़े और अविकसित हैं।

वित्त वर्ष 2015–16 से 2020–21 के लिए पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसटीटीपी)

क्र.सं.	वर्ष	पन्जीकृत	प्रशिक्षित	मूल्यांकन	उत्तीर्ण	प्रमाणित	नौकरी प्राप्त की
1	2015–16	28301	28301	27873	23971	22732	2730
2	2016–17	कार्यक्रम को रोक दिया गया					
3	2017–18	12912	9678	9099	7764	7536	1937
4	2018–19	4888	5209	4559	5168	5365	4056
5	2019–20	7077	8015	7451	6512	6453	3198
6	2020–21 (अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020)	0	800	2846	2675	2675	1290
	कुल	**53178**	**52003**	**51828**	**46090**	**44761**	**13211**

नोट 1. लक्ष्य निरंतर हैं और एनएसडीसी द्वारा पीएमकेवीवाई 2.0 (2016–20) की कुल अवधि के लिए दिए गए हैं।

7.3.2 वित्त वर्ष 2018–19 से 2020–21 के लिए पूर्व ज्ञान की पहचान (आरपीएल) और एसएसटी कार्यक्रम

क्र. सं.	योजना	प्रशिक्षण
1	वित्त वर्ष 2018–19: आरपीएल सेल के अंतर्गत प्रशिक्षण–181 (दुर्गापुर इस्पात संयंत्र–47; भिलाई इस्पात संयंत्र–46; बोकारो इस्पात संयंत्र–17; और बर्नपुर स्टील प्लांट–71, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स–49	423
2	वित्त वर्ष 2018–19: एसएमई सेक्टर प्रशिक्षण	69
3	वित्त वर्ष 2018–19: अन्य योजनाएं (एनयूएलएम, डीडीयूजीकेवाई, एआईसीटीई, जेएसडीएमएस, एनएसकेएफडीसी)	2690
4	वित्त वर्ष 2019–20: सेल में आरपीएल के अंतर्गत पीएसयू प्रशिक्षण–188 (दुर्गापुर इस्पात संयंत्र–63; बर्नपुर स्टील प्लांट–43, बोकारो स्टील प्लांट–54, आरएमडी किरीबुरु–28), आरआईएनएल–192	380
5	वित्त वर्ष 2019–20: एसएमई सेक्टर और प्रशिक्षण (सीटीटीसी–78)	78
6	वित्त वर्ष 2019–20: अन्य योजनाएं (डब्ल्यूबी–909, पीबीएसएसडी–41, एआईसीटीई–टीआई–571, जेएसडीएमएस–188, एनएसकेएफडीसी–1277, एनएसएफडीसी–180, नॉन पीएमकेवीवाई–60, सीएसएसएम–1154, विशेष परियोजना–73, एसडीआईएस–एनयूएलएम–एसयूडीए–126, डीडीयूकेके–30) एसटीटी कार्यक्रम	4609
7	वित्त वर्ष 2020–21 (अप्रैल 2020 से 15 जनवरी 2021): आरपीएल के अंतर्गत पीएसयू प्रशिक्षण (सेल–बोकारो स्टील प्लांट–20, एएम/एनएस–32, आरआईएनएल–114, हिन्दुस्तान यूनिलिवर कोलकाता–17)	183
8	वित्त वर्ष 2020–21 (अप्रैल 2020 से 15 जनवरी 21): अन्य योजनाएं (एनएसकेएफडीसी–573, एनएसडीसी–230)	803
	कुल	**9235**

वित्त वर्ष 2017–18 से 2020–21 के लिए पीएमकेवीवाई के अंतर्गत आरपीएल प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	योजना	प्रशिक्षित	नौकरी प्राप्त की
1	पीएमकेवीवाई–आरपीएल (पूर्व अधिगम के लिए मान्यता) 2017–18	3000	वर्तमान कर्मचारी जिन्हें पुनः कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है
2	पीएमकेवीवाई–आरपीएल (पूर्व अधिगम के लिए मान्यता) 2018–19	1424	वर्तमान कर्मचारी जिन्हें पुनः कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है
3	पीएमकेवीवाई–आरपीएल (पूर्व अधिगम के लिए मान्यता) 2019–20	6016	वर्तमान कर्मचारी जिन्हें पुनः कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है
4	पीएमकेवीवाई–सीएससीएम आरपीएल (उत्तर प्रदेश कौशल विकास सोसायटी) 2020–21 (अप्रैल 2020 से 15 जनवरी, 2021)	855	वर्तमान कर्मचारी जिन्हें पुनः कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है
	कुल	**11295**	

7.3.3 प्रशिक्षुता

सेल, आरआईएनएल जैसे सभी पीएसयू नए पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षुओं को ले रहे हैं। संयंत्र मुख्य रूप से डीजीटी कोर्सों के लिए अप्रेंटिस ले रहे हैं। आईआईएसएसएससी ने 300 उम्मीदवारों की एक सूची साझा की है और स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है ताकि सफल उम्मीदवारों को प्रशिक्षुता से जोड़ा जा सके। आईआईएसएसएससी वैकल्पिक व्यापार पर एनएपीएस (राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना) में भाग लेने के लिए लोगों और एसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित कर रहा है। आईआईएसएसएससी ने पहले ही वैकल्पिक व्यापार पर 4 मॉड्यूल विकसित कर लिए हैं। आईआईएसएसएससी योजना को बढ़ावा देने के लिए तीसरे पक्ष एग्रीगेटर (टीपीए) की सहायता ले रहा है।

अध्याय 8

अनुसंधान और विकास

8.1 पृष्ठभूमि

भारत में सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एस्सार स्टील जैसी अग्रणी इस्पात कंपनियों द्वारा अपनी निधियों से अनुसंधान एवं विकास किया जाता है। इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को एनएमएल जमशेदपुर और आईएमएमटी भुवनेश्वर जैसी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं तथा आईआईटी एवं एनआईटी जैसे शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है।

8.2 इस्पात मंत्रालय से वित्तीय सहायता के साथ अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

- इस्पात मंत्रालय इस क्षेत्र के समक्ष आ रही प्रौद्योगिकीय समस्याओं के समाधान के लिए और साथ ही प्रक्रियाओं/प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास के लिए आर एंड डी को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु "लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन" नामक एक आर एंड डी योजना चला रहा है।
- देश में लौह एवं इस्पात के लाभ के लिए आर एंड डी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों/अनुसंधान प्रयोगशालाओं और भारतीय इस्पात कंपनियों से आर एंड डी परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

8.2.1 सहायता प्रदान किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र

- लौह अयस्क फाइंस और नॉन कोकिंग कोल का उपयोग करने के लिए नवाचारी/और नई प्रौद्योगिकयों का विकास।
- लौह अयस्क, कोयले आदि जैसे कच्चे माल का बेनिफिसिएशन और एग्लोमरेशन करना।
- इस्पात उत्पादन के विभिन्न मार्गों के माध्यम से उत्पादित इस्पात के गुणवत्ता में सुधार जिसमें इंडक्शन फर्नेस रूट भी शामिल है।
- इस्पात संयंत्र और खाद्यान अपशिष्टों के उपयोग के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक प्रोद्योगिकी का विकास जिसमें एलडी/ईएएफ/आईएफ स्लैग शामिल है।
- अल्ट्रा हाई स्ट्रेंग्थ स्टील, हाई स्ट्रेंग्थ हाई फोर्मेबल स्टील, सीजीआरओ स्टील शीट, उभरते हुए परत चढ़े उत्पादों आदि जैसी उन्नत प्रक्रियाओं और उत्पादों के लिए देशी प्रोद्योगिकियों का विकास।
- उत्पादकता, गुणवत्ता, कच्चे माल की खपत, ऊर्जा खपत, जल की खपत, रिफ्रैक्टरी खपत आदि में अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए अनुसंधान एवं विकास।
- जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए कम कार्बन तकनीकों का विकास।
- डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाओं सहित विभिन्न लोहा एवं इस्पात निर्माण की प्रक्रियाओं में व्यर्थ पदार्थों की प्रभावी रिकवरी के लिए नई प्रोद्योगिकी का विकास।
- इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए आर एंड डी को आगे बढ़ाना।
- लोहा और इस्पात उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए नए समाधानों का विकास।
- लोहा और इस्पात से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के अन्य विषयों पर अनुसंधान और विकास।

8.2.2 सहायता का क्षेत्रः

- लैब स्केल/बेंच स्केल में अनुसंधान और विकास कार्य तथा पायलट स्केल/उदाहरण संयंत्रों तक स्केल अप में सहायता की जाती है।
- अन्य प्रयोगशालाओं/संस्थानों/उद्योगों के साथ संयुक्त प्रस्ताव इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए वांछित हैं।
- औद्योगिक/वाणिज्यिक संगठनों के मामले में स्वीकार्य लागत की 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता वांछित है।

- पायलट/उदाहरण स्केल आर एण्ड डी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता कुल लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित है और शेष को औद्योगिकी हिस्सेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

8.2.3 सहायता की मात्राः

पिछले पांच वर्ष के दौरान इस्पात मंत्रालय से आर एण्ड डी परियोजनाओं की वित्तीय सहायता की मात्रा को नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	वर्ष	सरकार से वित्तीय सहायता (रुपए करोड़ में)
1	2015–16	10.26
2	2016–17	15.00
3	2017–18	14.00
4	2018–19	15.00
5	2019–20	15.00
6	2020–21 (दिसंबर 2020 तक)	0.30
	कुल	**69.56**

- "लौह और इस्पात सेक्टर में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना" योजना के तहत 2020–21 के दौरान जारी धन का विवरण **अनुलग्नक–XVII** में दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए योजना के लिए आवंटित बजट प्रत्येक के लिए 5 करोड़ रुपये है।

8.2.4 दिशानिर्देशों का मूल्यांकन/संशोधनः

- योजना की निरंतरता के लिए, व्यय विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार योजना का तृतीय–पक्ष मूल्यांकन एएससीआई हैदराबाद द्वारा किया गया है।
- एएससीआई की टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर, हितधारक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श के बाद आर एंड डी परियोजना प्रस्तावों पर विचार करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

8.2.5 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की स्वीकृति और निगरानी तंत्रः

- एक मूल्यांकन समूह जिसमें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, डीआरडीओ, डीएसटी, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के सदस्य शामिल हैं, योजना के तहत वित्त पोषण के लिए प्राप्त अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हैं।
- अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, निदेशक आईआईटी खड़गपुर, निदेशक आईएमएमटी, निदेशक एनएमएल की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुमोदन और निगरानी समिति (पीएएमसी) मूल्यांकन समूह द्वारा अनुशंसित आरएंडडी प्रस्तावों के लिए द्वितीय चरण अनुमोदन निकाय हैं।
- अंतिम स्वीकृति परियोजना विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना की लागत के आधार पर नामित प्राधिकारी द्वारा दी गई है।
- एक परियोजना समीक्षा समिति नियमित आधार पर चालू परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करती है।

8.2.6 योजना के तहत आर एंड डी परियोजनाएंः

- इस योजना के तहत सेल की सीएसआईआर लैब्स अर्थात आरएंडडी परियोजनाएं। सीएसआईआर–एनएमएल, सीएसआईआर–आईएमएमटी, सीएसआईआर–सीबीआरआई, सीएसआईआर–सीआरआरआई आदि के अलावा कुछ शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बीएचयू, एमएनआईटी जयपुर आदि को इस योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत आने वाली प्रमुख परियोजनाओं में भारतीय निम्न/कमजोर दर्जे के लौह अयस्क और भारतीय कोकिंग/नॉन–कोकिंग कोयले को अपग्रेड करने के लिए पहल और इन्डक्शन फर्नेस में कम फास्फोरस के साथ गुणवत्तापूर्ण इस्पात का निर्माण, लोहा निर्माण के विकल्प का विकास, स्टील स्लैग जैसे अपशिष्टों का उपयोग, मौसम परिवर्तन के मुद्दे आदि शामिल हैं।

8.3 स्टील कंपनियों द्वारा आरएंडडी

8.3.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल का अनुसंधान और विकास केंद्र लौह धातु विज्ञान के क्षेत्र में भारत का प्रमुख अनुसंधान संगठन है। यह मानते हुए कि विकास और नई प्रोद्योगिकयों और प्रक्रियाओं का समावेश सतत विकास का मूल है, सेल ने रांची स्थित अपने अच्छी तरह से सुसज्जित आर एण्ड डी केंद्र के माध्यम से अपने आर एण्ड डी प्रयासों पर बल दिया है। इसके पास पंद्रह प्रमुख प्रयोगशालाओं के अंतर्गत तीन सौ से अधिक निदानात्मक उपकरण और पर्याप्त पायलट सुविधाएं हैं। यह केंद्र अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करता है जिसमें लोहा और इस्पात का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है जो कच्चे माल से उत्पादों तक है। आर एण्ड डी केंद्र बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट उत्पादों के क्षेत्र में काम करता है (जैसे रक्षा, भारतीय रेल आदि)। केंद्र विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए जाने माने अनुसंधान संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करता है। वर्तमान में केंद्र सी–डैक, तिरुवनंतपुरम और आईओसीएल, फरीदाबाद के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान कर रहा है।

8.3.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल की आरएंडडी पहल संयंत्र की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देशित की जाती है। प्रक्रिया सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन, नए उत्पाद विकास, लागत में कमी, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्रों में कार्यक्रम आंतरिक रूप से और साथ ही सहयोगी अनुसंधान के तहत बाहरी अनुसंधान संगठनों के साथ आयोजित किए जाते हैं।

8.3.3 एनएमडीसी लिमिटेडः

अनुसंधान एवं विकास केंद्रः एनएमडीसी आरएंडडी केंद्र एनएमडीसी और अन्य घरेलू संगठनों के खनिज प्रसंस्करण प्रसंस्करण, खनिज विज्ञान, भारी ठोस पदार्थ हैंडलिंग, कृषि और हाइड्रो और पायरो धातु विज्ञान के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का विस्तार करता है। आर एण्ड डी केंद्र अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। अनुसंधान पहल संगठन के लक्ष्य की ओर निर्देशित हैं। एनएमडीसी आर एण्ड डी ने एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को लागू किया है जिसमें आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), ओएचएसएएस 18001:2007 (व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन प्रणाली) और एसए 8000:2014 (सामाजिक जिम्मेदारी) शामिल है।

8.3.4 मॉयल लिमिटेडः

एमओआईएल लिमिटेड मैगनीज अयस्क और मूल्यः योजित उत्पादों के विभिन्न ग्रेडों की खोज, दोहन और विपणन में लगा हुआ है जैसे इलैक्ट्रोलिटिक मैगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) और उच्च कार्बन फेरो मैगनीज अलोए। कम्पनी ने सीएसआईआर–आर एण्ड डी प्रयोगशाला, देश और विदेश में ख्यातिप्राप्त शैक्षिक संस्थाओं और आर एण्ड डी संस्थानों के साथ आधुनिक प्रोद्योगिकियों की शुरूआत के द्वारा खदानों में सुरक्षा मानदण्डों और उत्पादकता में सुधार के लिए आर एण्ड डी गतिविधियां की हैं।

8.3.5 मेकॉन लिमिटेड

पिछले 5 वर्षों में प्रक्रिया और उत्पाद विकास के लिए किए गए विशिष्ट अनुसंधान और विकास

- एनडीआईआर विधि का उपयोग करते हुए मल्टी गैस विश्लेषक।
- इन्फ्रारेड कैमरा आधारित लैडल कंडीशन मॉनिटर।
- 49.8 घनमीटर मात्रा के होटओवन के साथ 1 एमटीपीए कोक ओवन बैटरी।
- 4250 घनमीटर ब्लास्ट फर्नेस का डिजाइन और विकास।
- 7 मीटर लंबी कोक ओवन बैटरी का डिजाइन और विकास।
- ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए स्टील ब्लैंक का स्थानीय इंडक्शन आधारित हीट ट्रीटमेंट।
- इन्फ्रारेड कैमरा आधारित टारपीडो लेडल कार की स्थिति की निगरानी प्रणाली।

8.3.6 केआईओसीएल लिमिटेड

आर एंड डी परियोजनाएँ

- निर्माण उद्योग में अग्रदूत के रूप में फ्लाई ऐश का उपयोग कर कुद्रेमुख आयरन ओर माइन टेलिंग्स का सिंथेसिस।
- ग्राइंडिंग मीडिया का अनुकूलन–उच्च क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया से निम्न क्रोम ग्रांइडिंग मीडिया का उपयोग करके व्यवहार्यता अध्ययन/उत्पादन परीक्षण।

अध्याय–9

इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहन

9.1 पृष्ठभूमि

- इस्पात राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी पुनर्चक्रण प्रकृति और तेजी से जुड़े समापन समय के कारण, तत्पर पर्यावरणीय सतत आर्थिक विकास के लिए यह प्रेरक के रूप में सिद्ध हुआ है। इस्पात की खपत सकल घरेलू उत्पाद, विशेष रूप से राष्ट्र निर्माण चरण के दौरान, मजबूत संबंध को दर्शाती है।

- भारत में भी इस्पात उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनाने में, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। निर्माण और अवसंरचना विकास परियोजनाओं में अधिक इस्पात का उपयोग परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन और संरचनाओं की बेहतर गुणवत्ता के कारण होता है जो वजन अनुपात और इस्पात के स्थायित्व के लिए उच्च मजबूती का कारण है। इसके अतिरिक्त, इस्पात का 100% पुनर्चक्रण, पूरे जीवन चक्र में बेहतर पर्यावरणीय प्रदर्शन की अनुमति देता है। हालांकि, विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में इस्पात की खपत कम है और विभिन्न क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग में सुधार की बहुत गुंजाइश है।

- सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का उद्देश्य सभी प्रकार के इस्पात में देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ–साथ भारतीय लौहा और इस्पात उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना था। इस्पात मंत्रालय घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और साथ ही घरेलू मांग और इस्पात के उपयोग में वृद्धि हेतु लगातार प्रयास कर रहा है।

9.2 भारत में इस्पात उपयोग का परिदृश्य

9.2.1 भारत में, इस्पात का उपयोग मुख्य रूप से आवास और निर्माण (43%), अवसंरचना विकास (25%), इंजीनियरिंग और पैकेजिंग (22%), ऑटोमोटिव्स (9%) और रक्षा (1%) जैसे विकास क्षेत्रों में किया जाता है। वित्तीय वर्ष 20 के दौरान, देश में कुल इस्पात की खपत 100.2 मिलियन टन थी। इस्पात की कुल मांग, पिछले 07 वर्षों में 5.3% सीएजीआर तक बढ़ी है। हालाँकि, भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 74.1 किलो [1] ग्राम है और यह वैश्विक औसत (224.5 किलोग्राम) [2] का एक तिहाई है। भारत की ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति खपत 19 किलो प्रति वर्ष है जो राष्ट्रीय स्तर से काफी नीचे है। विभिन्न क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग में सुधार की बहुत गुंजाइश है।

9.2.2 भारत के इस्पात उपयोग में भवन और निर्माण क्षेत्र का हिस्सा 43% है जिसके बाद आधारभूत अवसंरचना (25%), ऑटोमोबाइल (9%), इंजीनियरिंग और पैकेजिंग (22%) और रक्षा क्षेत्र (<1%) है।

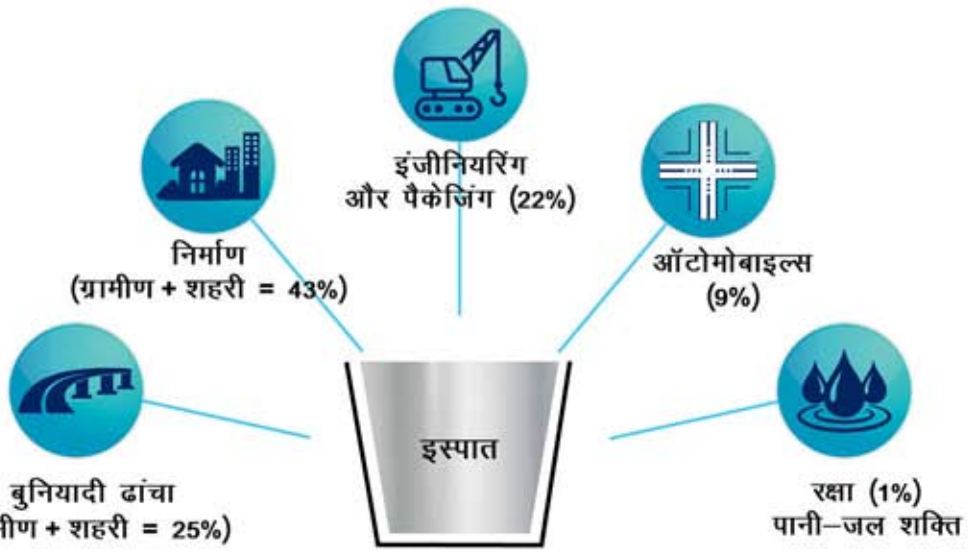

[1] वर्ष 2018–19 के वार्षिक सांख्यिकी, संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीएस) से उद्धृत
[2] विश्व इस्पात संघ के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार इस्पात

9.3 भारत में इस्पात मांग का परिदृश्य

9.3.1 भारत की कुल इस्पात मांग वित्त वर्ष 31 तक 7.2% सीएजीआर की दर से बढ़ने और ~ 230 एमटी तक पहुंचने की आशा है। यह विकास भवन और निर्माण (बढ़ती शहरीकरण दर, इस्पात की तीव्रता में वृद्धि) और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों (सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों में निवेश, इस्पात की तीव्रता में वृद्धि) द्वारा संचालित होगी।

9.4 इस्पात के उपयोग को बढ़ाने हेतु सरकार की पहल

9.4.1 अगले पाँच वर्षों में सरकार द्वारा आधारभूत असंरचना विकास के लिए हाल ही में घोषित 103 लाख करोड़ रुपये की निवेश योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी और ग्रामीण, मेक इन इंडिया, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, उड़ान (हवाई अड्डे), सिंचाई (पीएमकेएसवाई), राष्ट्रीय गैस ग्रिड, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी), भारतमाला और एएमआरयूटी और साफ गंगा मिशन, इस्पात की मांग बढ़ाने का काम करेंगे और 2024–25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय का "जल जीवन मिशन–नल से जल" कार्यक्रम भी अपने मजबूत जंगरोध और जंग प्रतिरोध के कारण प्राथमिक जल (ट्रंक लाइन) वितरण नेटवर्क के लिए स्टील पाइप (लेपित हल्के इस्पात या नमनीय लोहे के पाइप) के उपयोग की परिकल्पना करता है; जो भारतीय घरों में पाइप पेयजल के सुरक्षित और स्थायी वितरण को सक्षम करने के लिए लंबा जीवन प्रदान करता है।

9.4.2 सरकार की विभिन्न प्रमुख पहलों में अनुमानित इस्पात की खपत नीचे दी गई है: –

क्र. सं.	पहल	संभावित इस्पात मांग (मिलियन टन)
1	पीएमएवाई शहरी	28–32
2	पीएमएवाई ग्रामीण	38–42
3	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	1.5
4	राष्ट्रीय सोलर मिशन	4.5–5
5	एयरपोर्ट – उड़ान	8
6	सिंचाई – पीएमकेएसवाई	2
7	राष्ट्रीय गैस ग्रिड	12
8	सागरमाला	23.5
9	रेलवे – डीएफसी	6.2
10	भारतमाला	25.1
11	अमृत और साफ गंगा मिशन	1.7
12	जल जीवन मिशन	18.5

9.5 इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयास

9.5.1 इस्पात मंत्रालय (एमओएस) जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ाते हुए इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से निम्न काम कर रहा है:

जागरूकता

- निर्माण और अवसंरचना के विकास के क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, विकसित करने वालों, डिजाइनरों, वास्तुविदों के साथ संयुक्त कार्यशाला/वेबिनार।
- वार्षिक संगोष्ठियों का आयोजन करके निर्माण और अवसंरचना के विकास के क्षेत्रों में इस्पात के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सक्षम करने की प्रक्रियाओं को सीखने के लिए जापान जैसे राष्ट्रों के साथ सक्रिय सहयोग।
- स्टील आयात निर्भरता को कम करने के लिए रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदि के साथ संयुक्त कार्यशालाएं/वेबिनार।
- अंतराल और एटीएन योजना की पहचान करना।

क्षमता निर्माण

- इस्पात आधारित निर्माण के लिए बीआईएस के साथ कोड/रूपरेखा में परिवर्धन/संशोधन करना।
- इस्पात गहन निर्माण और पुलों के लिए डिजाइन गाइड का विकास।
- तकनीकी संस्थानों में यूजी/पीजी स्तर पर इस्पात आधारित संरचनात्मक डिजाइन पाठ्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण।
- स्वदेशी निर्माण सुविधाओं का संवर्धन; कुशल जनशक्ति का विकासः प्रमाणित डिजाइन, फैब्रिकेशन और वेल्डिंग पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- आयात को कम करने के लिए उच्च ग्रेड और विशेष ग्रेड इस्पात का घरेलू विनिर्माण
- इस्पात के संरचनात्मक डिजाइन के लिए अनुसंधान और विकास का समर्थन करना।

9.5.2 इस्पात मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए **"इस्पाती इरादा"** अभियान की शुरूआत की है। राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं में इस्पात के उपयोग के लाभों को बढ़ावा देने और देश में नागरिकों के जीवन को यह कैसे प्रभावित करता है, के लिए **"इस्पाती इरादा"** सहयोगी अभियान है।

9.5.3 इस्पात मंत्रालय आवास और निर्माण, आधारभूत संरचना, शहरी विकास, रेलवे, रक्षा, तेल और गैस, नागरिक उड्डयन, ग्रामीण विकास, कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभिन्न क्षेत्रों से हितधारकों को शामिल कर रहा है। क्षेत्रवार पहल नीचे दी गई हैं:

- **<u>भवन, निर्माण और आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र</u>**– इस्पात मंत्रालय ने जापान की अर्थव्यवस्था, व्यापार, और उद्योग मंत्रालय (एनईटीआई) के सहयोग से जापानी विशेषज्ञों की सहायता से फरवरी, 2020 में नई दिल्ली, मुंबई और भुवनेश्वर में, कार्यशालाओं का आयोजन किया है। 30.06.2020 को भारतीय डेवलपर्स/बिल्डर्स, डिजाइनर/कंसल्टेंट्स, फैब्रिकेटर्स, आईआईटी के शिक्षाविदों और स्टील उत्पादकों के साथ देश में विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित, वेबिनार के माध्यम से एक गोलमेज चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ एक वेबिनार 18.08.20 को आवास निर्माण और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में स्टील के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था।

"इस्पाती इरादा" निर्माण और आधारभूत असंरचना क्षेत्रों पर विशेष ध्यान के साथ देश में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने" के लिए दिनांक 30 जून, 2020 को आयोजित वेबिनार में माननीय केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात

- इस्पात आधारित लंबी दूरी (30, 35 और 40 मीटर) के सड़क पुलों के डिजाइन विकसित करने हेतु, **विशेषज्ञों की एक समिति** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ईआईएल, मेकॉन, सेल, इन्सडैग, इरकॉन और आईआईटी–रुड़की के सदस्यों के साथ बनाई गई है। प्रस्तावित डिजाइन में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे की आवश्यकताओं को कवर किया जाएगा और भारत में सड़क पुलों के निर्माण में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, बीआईएस, सीपीडब्ल्यूडी, तकनीकी संस्थानों (आईआईटी) और उद्योग के सदस्यों का **एक संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी)** भी बनाया गया है जो निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ आवास और निर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देगा:
  - अनुमानित लागत के साथ इस्पात संरचना वाले आवास विन्यास के मानकीकृत डिजाइन और लेआउट विकसित करने के लिए, जिन्हे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) घरों और राज्यों की योजनाओं में अपनाया गया था, को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाना। इस बारे में आईआईटी/एनआईटी के सहयोग से एक सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा सकता है।

- सीपीडब्ल्यूडी–दिल्ली के दर–सूची (सीपीडब्ल्यूडी–डीएसआर) में इस्पात गहन निर्माण मदों और काम की दरों का समावेश; इस्पात गहन निर्माण के मामले में तैयार संदर्भ के लिए सीपीडब्ल्यूडी–डीएसआर में इस्पात निर्मित वस्तुओं को शामिल करना।
- इस्पात गहन भवन निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी–पीएआर में प्लिंथ एरिया रेट (पीएआर) का समावेश।
- बीआईएस भारतीय मानक कोडों की नवीनतम आवश्यकताओं में संशोधन और अद्यतन करना जैसे कि आईएसः 800 (इस्पात में सामान्य निर्माण के लिए कोड); आईएसः 801 (सामान्य भवन निर्माण में कोल्ड फॉर्मड लाइट गेज स्टील, संरचनात्मक सदस्यों के लिए), आईएसः 4000 (इस्पात संरचना में उच्च शक्ति बोल्ट उपयोग के लिए कोड) और आईएस 13174 (जीवन चक्र लागत विश्लेषण के लिए शब्दावली और कार्यप्रणाली के लिए कोड)।
- विभिन्न योजनाओं जैसे कि पीएमएवाई, स्मार्ट शहरी विकास में निर्माण की गुणवत्ता और गति बढ़ाने के लिए लाइट गेज हाउस, कम्पोजिट और प्री–इंजीनियर स्टील बिल्डिंग को बढ़ावा देना।
- वर्ष 2024–25 और 2030–31 तक विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत घरों के निर्माण में आवश्यक समग्र इस्पात का आकलन करना।

9.5.4 पूंजीगत वस्तु क्षेत्र– पूंजीगत वस्तु विनिर्माण हेतु इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन क्षेत्र में इस्पात की मांग एक प्रमुख घटक है। वर्तमान में, भारत पूंजीगत वस्तुओं का शुद्ध आयातक है। इस्पात क्षेत्र को स्वयं 20–25 बिलियन डॉलर की पूंजीगत वस्तुओं के आयात की आवश्यकता होगी और वित्त वर्ष 31 तक पुर्जों और मरम्मत में वार्षिक 25 मिलियन डॉलर मूल्य की लागत आएगी। इसलिए, एक बड़ा घरेलू बाजार मौजूद है जिसे स्वदेशी इस्पात के माध्यम से स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। इस्पात मंत्रालय ने भारत में इस्पात क्षेत्र की पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के प्रयास किए हैं और 23 अक्टूबर, 2018 को "इस्पात क्षेत्र के लिए पूंजीगत वस्तुएं: भारत में विनिर्माण" पर एक कॉन्क्लेव आयोजित किया है। रु 40,000 करोड़ मूल्य के आयात को रोकने के उद्देश्य से, भारतीय इस्पात उत्पादकों, भारतीय पूंजीगत माल निर्माताओं और कई अंतरराष्ट्रीय पूंजीगत माल निर्माताओं एसएमएस, डेनिएल, एकर और पॉल वुर्थ सहित अन्य के साथ 38 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद इस्पात मंत्रालय ने जर्मनी के डसेलडोर्फ में आयोजित "एमईटीईसी ट्रेड फेयर" में भाग लिया, जिसमें पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए अवसरों पर जोर दिया गया।

9.5.5 ऑटोमोबाइल क्षेत्र– इस्पात मंत्रालय भारत में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी), कई ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं और भारतीय इस्पात उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर घरेलू विनिर्माण और भारत में ऑटो ग्रेड इस्पात की खरीद की संभावना को समझने के लिए चर्चा में लगे हुए हैं।

9.5.6 रेलवे और रक्षा क्षेत्र– इस्पात मंत्रालय ने रेलवे और रक्षा क्षेत्र में घरेलू स्तर पर निर्मित इस्पात को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2020 में नई दिल्ली में रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया। इससे उन मुद्दों और चुनौतियों की पहचान की गई जो इन क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर निर्मित इस्पात के उपयोग में बाधा बन रहे हैं। इन क्षेत्रों में आयात को कम करने और इस तरह आयात को प्रतिस्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

9.5.7 तेल और गैस क्षेत्र– इस्पात मंत्रालय ने जून, 2020 में, तेल और गैस क्षेत्र में घरेलू स्तर पर निर्मित इस्पात को बढ़ावा देने के लिए पीएनजी मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से एक वेबिनार का आयोजन किया। इसमे उन मुद्दों और चुनौतियों की पहचान की गई जो तेल और गैस क्षेत्र में घरेलू स्तर पर विनिर्मित इस्पात के उपयोग में बाधा बन रहे हैं। तेल और गैस क्षेत्र में घरेलू इस्पात को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए सितम्बर, 2020 में पीएनजी मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से **एक समिति** बनाई गई है।

9.5.8 ग्रामीण भारत– ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत को बढ़ाने के लिए इस्पात मंत्रालय सक्रिय रूप से काम कर रहा है। ग्रामीण भारत में कृषि कार्यान्वयन पैठ में वृद्धि (ट्रैक्टर, कम्बाइन हार्वेस्टर इत्यादि), प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत पक्के मकानों के निर्माण के साथ अनाज भंडारण के लिए इस्पात बुखारियों में वृद्धि और ग्रामीण वाहनों की अधिक से अधिक पैठ, ग्रामीण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग में वृद्धि को सक्षम करेगी। ग्रामीण भारत में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए 20.10.20 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, डेयरी और पशुपालन विभाग और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ एक वेबिनार आयोजित किया गया।

9.6 इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सीपीएसई द्वारा की गई पहल

9.6.1 सेल

अतिरिक्त मात्रा में उत्पाद बेचने के लिए सेल द्वारा नए बाजारों और नए क्षेत्रों की पहचान करने के संदर्भ में कई पहल की जा रही हैं। सेल द्वारा प्रस्तावित नई उत्पाद रेंज को ग्राहकों को पेश करने के लिए, सीएमओ और संयंत्रों के प्रतिनिधियों सहित समर्पित क्रॉस फंक्शनल दलों को नए सिरे से गठित किया गया है। उत्पाद संबंधी ज्ञान बढ़ाने और उत्पाद की मांग सृजित करने के लिए अंतिम उपभोक्ताओं, आर्किटेक्ट, संरचनात्मक डिजाइनरों और सलाहकारों आदि के साथ सेमिनार, वर्कशॉप और केंद्रित बैठकें आयोजित की गई हैं। एक ओर अंतिम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पारस्परिक समझ और दूसरी ओर उत्पादन क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए, उपभोक्ताओं और संयंत्र संगठनों के मध्य विशिष्ट बातचीत का आयोजन किया गया है।

- इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सेल सरकारी एजेंसियों, निर्माण सार्वजनिक उपक्रमों, निजी निर्माण कंपनियों, नगर प्राधिकरणों आदि से बातचीत कर रहा है। विभिन्न बिजली बोर्डों अर्थात् झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, अरुणाचल प्रदेश, जे एंड के आदि से आरसीसी खंभों को डब्ल्यूपीबी 160 के साथ बदलने के लिए संपर्क किया जा रहा है।
- सेल ने मिशन पूर्वोदय के तहत एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन योजना, ईईपीसी, एमएसएमई के सदस्यों के लिए ईईपीसी निर्यात समता मूल्यों को अपनाने जैसी पहल की है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने और स्वीकृति प्रदान करने में मदद करने के लिए, सेल ने ग्राम स्तर के सार्वजनिक निर्णय निर्माताओं, राय निर्माताओं, राज मिस्त्री(यों), बिल्डरों आदि के साथ काम करने के लिए "गाँव की ओर" (जीकेओ) अभियान के तहत एक कार्यक्रम चलाया है। 'गांव की ओर' अभियान जिसे 2017–18 में शुरू किया गया था, वित्त वर्ष 2019–20 में भी जारी रहा, जिसके तहत 2019–20 के दौरान 179 कार्यशालाएं आयोजित की गई। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में, कोविड–19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण दिसंबर, 2020 तक 35 जीकेओ कार्यशालाएं आयोजित की गई।
- सेल के टीएमटी और गैल्वेनाइज्ड इस्पात शीट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष में दिसंबर, 2020 तक 4,00,000 वर्गफुट दीवार पर पेंटिंग की गई है।
- सेल अपने वितरक/डीलर नेटवर्क के माध्यम से बिक्री करते समय विभिन्न प्रचार गतिविधियों में लगी हुई है। कुछ ऐसी गतिविधियों में गैर–शहरी क्षेत्रों, सहित विभिन्न स्थानों पर विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए भित्ति चित्र, रेलवे स्टेशनों पर विज्ञापन, राजमार्गों पर आउटडोर होर्डिंग, हवाई अड्डों, शहरों में महत्वपूर्ण स्थानों, ट्रैफिक कियोस्क और समाचार पत्रों आदि। बैठकें आयोजित करने के अतिरिक्त, इंजीनियरिंग संस्थानों में सेमीनार किए जा रहे हैं। सेल मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेती रही हैं जहां इस्पात के विभिन्न उत्पादों और उपयोगों को बताया जाता है।
- इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ग्राहकों के आवश्यक विशिष्ट अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए, सेल में नए उत्पादों को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल के दिनों में, प्री–इंजीनियर भवनों के लिए उच्च शक्ति वाले इस्पात, भूकंपीय क्षेत्रों में इमारतों के निर्माण के लिए भूकंपीय ग्रेड टीएमटी छड़े; रक्षा क्षेत्र में पनडुब्बियों के लिए विशेष इस्पात प्लेट, निर्माण के लिए उच्च तन्यता संरचना; रक्षा के लिए बेहतर लचीलेपन के साथ उच्च तन्यता प्लेट्स आदि विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु नए उत्पाद विकसित किए गए। सेल द्वारा तेल और गैस पाइपलाइन को पूरा करने के लिए एपीआई के विभिन्न ग्रेड; ईएमई खंड के लिए उच्च तन्यता ग्रेड; तार खींचने आदि के लिए आईएस 7904 हाई कार्बन वायर रॉड्स विकसित किए गए हैं और उद्योगों को आपूर्ति की जा रही है।
- सेल ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी (विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा), किशनगंगा और तुईरियल हाइड्रो प्रोजेक्ट, पूर्वी और पश्चिमी पेरिफिरल एक्सप्रेसवे, लखनऊ–आगरा एक्सप्रेसवे, अटल रोहतांग सुरंग के निर्माण आदि के लिए स्टील की आपूर्ति की है।

9.6.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

केंद्रित दृष्टिकोण रखने, विभिन्न प्रक्रियाओं से निपटने और ओईएम की आवश्यकता को समझने और आरआईएनएल में इसे लागू करने के लिए एक क्रॉस–फंक्शनल दल गठित किया जाता है। साथ ही, एमएसएमई की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अंतिम उपभोक्ताओं के लिए स्पष्ट अवधारणा और खुदरा बाजारों में खुदरा वितरण नेटवर्क को फिर से परिभाषित करने के लिए, मुख्य बाजारों में वृद्धि की मात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, आरआईएनएल ने रायगढ़ (दक्षिण ओडिशा) और तूतीकोरिन (दक्षिण तमिलनाडु) में 2 टियर सेल्स और वितरण मॉडल का पायलट रन आरंभ किया है जिसको देश के कुछ और स्थानों पर खोजने और बढ़ाने की योजना है।

9.6.3 एमएसटीसी

एमएसटीसी, स्क्रैप की ई–नीलामी की संगठित और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से, इस्पात और अन्य सामग्रियों की रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है। यह ऊर्जा की बचत करती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करती है और देश के सतत विकास को बढ़ावा देती है।

एमएसटीसी ने विशेष रूप से छोटे और मध्यम क्षेत्र के निर्माताओं के लिए, लौह और इस्पात और गैर–लौह उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए, ई–शॉपिंग मॉल, "एम3" ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया है। एमएसटीसी मेटल मंडी, बिजनेस–टू–बिजनेस (बी2बी) और बिजनेस–टू–कंज्यूमर (बी2सी) सेगमेंट के लिए एक वर्चुअल मार्केट प्लेस है। एमएसटीसी के कॉर्पोरेट कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है जिसे इस्पात गहन (इस्पात के व्यापक उपयोग) के नाम से पहचाना जाएगा।

एमएसटीसी, अपनी सहायक कंपनी एफएसएनएल के माध्यम से विभिन्न प्रमुख इस्पात संयंत्रों से प्राप्त स्लैग का पुनःचक्रण करता है। इसके अतिरिक्त, अपने संयुक्त उद्यम एमएमआरपीएल के माध्यम से, ईएलवी को इस्पात स्क्रैप पुनःचक्रण हेतु, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से तोड़ा जा रहा है।

अध्याय–10

ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन

10.1 प्रस्तावना

लोहा और इस्पात उद्योग के मूल्यांकन के लिए पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता एक महत्वपूर्ण मानदंड है। इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा की खपत और पर्यावरण प्रदूषण के उत्सर्जन में कमी के लिए, इस्पात मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंचों और तंत्रों के माध्यम से किए जा रहे कुछ उपाय/पहल निम्नानुसार हैं: –

10.2 सरकारी पहल

10.2.1 जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)

जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती से निपटने के लिए 2008 में शुरू किया गया था। एनएपीसीसी द्वारा 8 राष्ट्रीय मिशनों की रूपरेखा तैयार की गई है जिनमें से एक संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) है। एनएमईईई के तहत कार्य निष्पादन उपलब्धता और व्यापार (पीएटी) एक प्रमुख योजना है। पीएटी ऊर्जा बचत के प्रमाणपत्रों के माध्यम से बाजार आधारित तंत्र है जिनका व्यापार किया जा सकता है। पीएटी अप्रैल 2012 से प्रभावी हो गया है।

तेल के समतुल्य 20,000 टन (टीओई) की थ्रेसहोल्ड सीमा को लोहा और इस्पात क्षेत्र में किसी इकाई के लिए कट–ऑफ सीमा मानदण्ड के रूप में चिन्हित किया गया है जिसे नामोद्दिष्ट उपभोक्ता के रूप में पहचाना जाएगा।

पीएटी योजना के तहत, 163 लोहा और इस्पात संयंत्रों को अधिसूचित किया गया है जिन्हें अपने आधारभूत मूल्य से विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) को कम करने की आवश्यकता होगी। इनमें से 67 डीसी ने पीएटी–I को पूरा कर लिया है और 9 नए डीसी के साथ पीएटी–II चक्र में प्रवेश कर लिया है। वर्तमान में 71 डीसी ने पीएटी 2 चक्र में भागीदारी की है जो मार्च 2019 में समाप्त हो गया है। पीएटी–III, पीएटी–IV, पीएटी–V और पीएटी–VI चक्र को बीईई द्वारा 2017, 2018, 2019 और 2020 में क्रमशः पीएटी में 29 नए डीसी के साथ पीएटी चक्र–III, पीएटी चक्र–IV में 35 नए डीसी, पीएटी चक्र–V में 23 नए डीसी और पीएटी चक्र–VI में 5 नए डीसी को में अधिसूचित किया गया है।

पीएटी चक्र–I की उपलब्धियां: पीएटी चक्र–I में नामित उपभोक्ताओं द्वारा लोहा और इस्पात क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई कुल बचत 2.10 मिलियन टीओई थी। इसे प्राप्त करने के लिए, डीसी ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों में 5199 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

पीएटी चक्र–II उपलब्धियां: पीएटी चक्र–II में नामित उपभोक्ताओं द्वारा लोहा और इस्पात क्षेत्र द्वारा प्राप्त कुल बचत 2.913 मिलियन टन थी। इसे प्राप्त करने के लिए, डीसी ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों में 4396 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

लोहा एवं इस्पात क्षेत्र

क्र.सं.	पीएटी चक्र	इकाईयों की संख्या	कुल उत्पादन (मिलियन टन)	कुल ऊर्जा खपत (मिलियन टन)	ऊर्जा बचत लक्ष्य (मिलियन टन)	बचत (मिलियन टन)
1	पीएटी चक्र–1	67	42.55	25.32	1.486	2.10 (प्राप्त)
2	पीएटी चक्र–2	71	64.49	40.44	2.37	2.913 (प्राप्त)
3	पीएटी चक्र–3	29	10.67	7.64	0.456	–
4	पीएटी चक्र–4	35	4.86	3.22	0.192	–
5	पीएटी चक्र–5	23	4.70	2.82	0.168	–
6	पीएटी चक्र–6	5	1.64	0.515	0.031	–

स्रोत' बीईई

पीएटी चक्र–2 में इंगित इकाइयों की संख्या में पीएटी चक्र–1 की इकाइयां शामिल है।

10.2.2 ऊर्जा दक्षता सुधार हेतु एनईडीओ मॉडल परियोजनाएं

जापान सरकार के आर्थिक व्यापार और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से धनराशि अर्थात भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से, अपनी हरित सहायता योजना (जीएपी) के तहत, ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं की स्थापना के लिए, इस्पात क्षेत्र सहित विभिन्न मॉडल परियोजनाओं के लिए, विदेशी विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करता है। इन परियोजनाओं को एनईडीओ (न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन), जापान द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाता है। इस्पात मंत्रालय लौहा और इस्पात क्षेत्र में शुरू की गई परियोजनाओं का समन्वय कर रहा है। अब तक, आरंभ किए गए और चालू परियोजनाएँ निम्नानुसार हैं:

- बीएफ स्टोव अपशिष्ट हीट रिकवरी: टाटा स्टील में पूर्ण।
- कोक शुष्क शमन: टाटा स्टील में पूर्ण।
- सिंटर कूलर अपशिष्ट हीट रिकवरी: राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में पूर्ण।
- आईएसपी बर्नपुर, सेल में ऊर्जा निगरानी और प्रबंधन प्रणाली प्रगतियाधीन है।

10.2.3 लोहा और इस्पात स्लैग का उपयोग

एकीकृत इस्पात संयंत्रों में उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट में के बीएफ स्लैग, स्टील मेल्टिंग शॉप (एसएमएस) स्लैग शामिल है जो आईएसपी में उत्पादित प्रत्येक टन इस्पात के लगभग आधा टन से अधिक होता है। स्टील संयंत्रों द्वारा उत्पादित बीएफ स्लैग का उपयोग ज्यादातर सीमेंट बनाने में और कुछ हिस्से को समग्र माल में मिलाकर किया जा रहा है। बीआईएस या आईआरसी मानक विनिर्देशों में इन दोनों की अनुमति दी गई है।

एसएमएस (विशेष रूप से एलडी) स्लैग का उपयोग निम्न कारण से सीमित है:

- फॉस्फोरस की मात्रा।
- मुक्त चूने की उच्च मात्रा; तथा
- उच्च विशिष्ट भार।

इन मुद्दों को हल करने के लिए, स्टील स्लेग के उपयोग के लिए अनुसंधान और विकास की पहल चल रही है:

- सीएसआईआर–सीआरआरआई द्वारा सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिजाइन दिशानिर्देश और विनिर्देशों का विकास।
- आईआईटी खड़गपुर द्वारा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील मेकिंग स्लैग से ग्रीन बेलिट सीमेंट बनाने का नया दृष्टिकोण।
- सीएसआईआर–सीबीआरआई द्वारा रासायनिक रूप से सक्रिय एलडी स्लैग का उपयोग करके नई सीमेंटेड सामग्रियों का विकास।
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) द्वारा टिकाऊ कृषि के लिए स्टील स्लैग आधारित लागत प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल उर्वरक का विकास (विचाराधीन)।

10.2.4 भारतीय इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी)

- भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सत्र में, 30 नवंबर–20 दिसंबर 2015 को आयोजित पक्षों के सम्मेलन (सीओपी) में पेरिस में, अपनाया गया था।
- सीओपी–21 में प्रमुख चर्चा जलवायु परिवर्तन पर समझौते को अपनाने अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित भावी योगदान (आईएनडीसी) से संबंधित है।
- भारत सरकार 2005 के स्तर से 2030 तक जीएचजी उत्सर्जन को प्रति इकाई जीडीपी के 33–35% कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) संबंधित क्षेत्र में सीओ2 उत्सर्जन को कम करने के लिए, सभी आर्थिक मंत्रालयों के साथ परामर्श करके, एनडीसी को लागू कर रहा है। इस्पात मंत्रालय इस मामले में एमओईएफ और सीसी तथा हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
- इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एनडीसी के अनुसार, 2005 में औसत CO2 उत्सर्जन तीव्रता को 3.1 टी/टीसीएस से घटा कर 2020 तक 2.64 टी/टीसीएस और 2030 तक 2.4 टी/टीसीएस करने का अनुमान (अर्थात लगभग 1% प्रति वर्ष) है।
- इस्पात मंत्रालय ने एमओईएफ और सीसी को लोहा और इस्पात क्षेत्र के लिए अनुशंसित प्रौद्योगिकियों की सूची प्रस्तुत की है जो लौहा और इस्पात क्षेत्र को जीएचजी उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगी।
- भारतीय इस्पात उद्योग भी अपने संयंत्रों से गर्मी/ऊर्जा अपशिष्ट के दोहन और वैश्विक बेंचमार्क पर पहुँचने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध तकनीकों (बैट) को अपनाने के लिए प्रयासरत है।
- सरकार ने पीएटी योजना, यूएनडीपी–जीईएफ–एमओएस और यूएनडीपी–एयूएसएआईडी–एमओएस इस्पात परियोजनाओं के माध्यम से एसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता संवर्धन, एकीकृत इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए एनईडीओ मॉडल परियोजनाओं का कार्यान्वयन जैसे कार्बन को कम करने के लिए जलवायु अनुकूल उपायों को अपनाकर अर्थव्यवस्था में समग्र दक्षता में सुधार लाने की दिशा में, कई पहल की है।

अध्याय–11

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र का विकास

11.1 प्रस्तावना

इस उद्देश्य के लिए इस्पात मंत्रालय को अपने बजटीय आवंटन के 10% निर्धारण की आवश्यकता से छूट दी गई है।

11.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल का उत्तर पूर्वी (एनई) क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विपणन नेटवर्क है। इसका गुवाहाटी में एक शाखा बिक्री कार्यालय है जो पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस्पात उत्पादों के विपणन का काम देखता है। शाखा बिक्री कार्यालय के अतिरिक्त, गुवाहाटी, सिलचर और ईटानगर में स्थित तीन कंसाइनमेंट एजेंसी (सीए) वेयरहाउस हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 1.5 लाख टन से अधिक की बिक्री रही है। चालू वर्ष के दौरान, सेल ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अप्रैल से दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान 0.95 लाख टन से अधिक की बिक्री की है।

सेल, सरकारी और निजी क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं, रेलवे, रक्षा, कोल्ड रेङ्यूसर, एलपीजी सिलेंडर निर्माता, लघु उद्योग आदि की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

परियोजनाओं और उद्योग को बिक्री के अतिरिक्त, सेल खुदरा जरूरतों को पूरा करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। सेल ने एक 2–टियर वितरण रिटेल चैनल की स्थापना की है जिसमें वितरकों और डीलर्स से जुड़े एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया जाता है। योजना का प्रमुख उद्देश्य रिटेल में अंतिम ग्राहक तक कुशल वितरण चैनल के माध्यम से पहुंचना और उत्पादों, वितरण और उपकरणों में मूल्यवर्धन के माध्यम से ग्राहकों को उच्च मूल्य प्रदान करना है। दो–स्तरीय वितरण प्रणाली पहाड़ी क्षेत्रों में अंतिम मील की दुकानों तक सामग्री पहुंचाने में मदद करेगी जो आम तौर पर कम मात्रा और दूरदराज के स्थानों के कारण ढुलाई संबंधी मुद्दों का सामना करते हैं।

उत्तर पूर्वी और उत्तरी बंगाल के पहाड़ी इलाकों में स्टील की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी में वितरकों की नियुक्ति की गई है। सिलीगुड़ी में वितरक द्वारा बनाया गया डीलर नेटवर्क उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के पहाड़ी जिलों और सिक्कम के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिलों में दूरस्थ स्थानों की आवश्यकता को पूरा करता है। जबकि, गुवाहाटी में वितरक अपने डीलर नेटवर्क के माध्यम से असम के विस्तृत क्षेत्र के अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियुक्त वितरक, टीएमटी की खुदरा बिक्री के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। 31 दिसंबर, 2020 तक वितरक सूची में 183 डीलर हैं और उत्तर पूर्व के सभी सात राज्यों को कवर करते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान, दिसंबर, 2020 तक, 2–टियर चैनल प्रणाली के माध्यम से कुल बिक्री 11053 टन थी।

वितरकों ने ग्रामीण जागरूकता बैठक, राज मिस्त्री बैठक, दीवार पेंटिंग, दिसंबर, 2020 के दौरान आयोजित ऑल असम क्रिकेट टूर्नामेंट में ब्रांड प्रमोशन के रूप में प्रचार गतिविधियों को अंजाम दिया है।

11.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर स्टेशनों, कोयला और प्राकृतिक गैस सुविधाओं के संदर्भ में बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु संभावना वाले केंद्रित क्षेत्रों में से एक है क्योंकि इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। आरआईएनएल इस क्षेत्र की अधिकांश आवश्यकता की सामग्री को पूरा कर रहा है जो कोलकाता स्थित आरआईएनएल के स्टॉकयार्ड से भेजा जाता है। आरआईएनएल सिलिगुड़ी और गुवाहाटी स्थित ग्रामीण व्यापारियों के माध्यम से इस क्षेत्र में सामग्री की आपूर्ति कर रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए, आरआईएनएल ने गुवाहाटी में स्टॉकयार्ड ऑपरेशन के लिए आईडब्ल्यूएआई (भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) के साथ उनकी भूमि पर प्रचालन करने के लिए पहले ही समझौता कर लिया है। इस स्टॉकयार्ड में परिचालन के लिए हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही, ढुलाई संबंधी पहलू को रेलवे के साथ उठाया गया है।

11.4 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ग्राहकों की सेवा के लिए गुवाहाटी में एक शाखा कार्यालय स्थापित किया है। पिछले कुछ वर्षों से, किसानों की आजीविका में सुधार लाने हेतु कृषि और बागवानी क्षेत्रों में ई–कॉमर्स को लागू करने के लिए कई गतिविधियाँ शुरू की गईं। एमएसटीसी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप मेघालय के कोयला की बिक्री के लिए पोर्टल भी विकसित किया है।

अध्याय–12

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

12.1 ओईसीडी इस्पात समिति और भारत

भारत वर्ष 2000 से ओईसीडी इस्पात समिति में "भागीदार" है। प्रतिभागी के रूप में, भारत को इस्पात समिति की बैठकों में, सभी गैर–गोपनीय एजेंडा मदों में भाग लेने और चर्चाओं में योगदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ओईसीडी इस्पात समिति, प्रतिभागियों को वैश्विक इस्पात उद्योग के सामने आ रही चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान करने और इस्पात उद्योग के लिए खुले और पारदर्शी बाजार को बढ़ावा देने के समाधानों की पहचान करने हेतु सक्षम बनाती है। यह इस्पात क्षेत्र के साथ–साथ वैश्विक इस्पात बाजार परिदृश्य, क्षेत्रीय इस्पात बाजार विकास, इस्पात व्यापार और नीति, इस्पात–निर्माण क्षमता में विकास, अनुदान और सरकारी सहायता उपायों के अन्य रूपों और उनके प्रभावों, नीतिगत हस्तक्षेपों और इस्पात और तकनीकी विकास से संबंधित विषयों पर जानकारी एकत्र करने में, देशों को सक्षम बनाती है। यह उपर्युक्त विषयों और इस्पात क्षेत्र से संबंधित अन्य विषयों पर बेहतर शोधपूर्ण दस्तावेजों को प्रकाशित और प्रसारित करता है। इस मंच पर विश्व इस्पात संघ भी क्षेत्रवार प्रस्तुति को दो वर्ष में एक बार प्रस्तुत करता है।

भारत ओईसीडी इस्पात समिति की बैठक में नियमित रूप से भाग लेता रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय घरेलू इस्पात उद्योग का हित उचित रूप से वैश्विक समुदाय के सामने प्रस्तुत किया जा सके और भारतीय इस्पात उद्योग और इसके विकास की कहानी के बारे में कोई गलत अनुमान न लगाया जाए। इस्पात समिति का 88वां अधिवेशन 24–28 सितंबर, 2020 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया था।

12.2 इस्पात क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों को लाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय महत्वपूर्ण हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इस्पात मंत्रालय ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार, लौह और इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए आयोजित अंतरराष्ट्रीय बैठक/संगोष्ठी में भाग लिया: –

i) टोक्यो में भारत के दूतावास द्वारा इस्पात मंत्रालय के सहयोग से 29 जुलाई, 2020 को 'भारत में इस्पात के क्षेत्र में अवसर और चुनौतियाँ' पर एक वेबिनार का आयोजन, आयोजित किया गया जिसमें भारतीय और जापानी इस्पात उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आर्थिक मंत्रालय, जापान के व्यापार और उद्योग मंत्रालय और झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों ने भागीदारी की। जापानी इस्पात कंपनियों को भारतीय इस्पात क्षेत्र पर नीति फ्रेमवर्क और निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी दी गई।

ii) भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 24–28 सितंबर, 2020 को ओईसीडी इस्पात समिति की बैठक में ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया।

iii) इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार और आर्थिक मंत्रालय, व्यापार और उद्योग मंत्रालय, जापान सरकार के बीच इस्पात उद्योग के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर 22 दिसंबर, 2020 को हस्ताक्षर किए गए। एमओसी दोनों देशों के मध्य इस्पात क्षेत्र में सहयोग के विकास को, भारत जापान संवाद के ढांचे के तहत संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से बढ़ावा देगा। ये गतिविधियाँ व्यापार और निवेश, क्षमता निर्माण, अनुभवों के साझाकरण और इस्पात उपयोग की बेहतर प्रथाओं और कार्यस्थल सुरक्षा तथा ऊर्जा दक्षता सहयोग सहित पारस्परिक हित के कई क्षेत्रों को शामिल करेंगी।

अध्याय–13

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

13.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय और इसके सार्वजनिक उपक्रमों ने आईसीटी अवसंरचना, सेवाओं और अनुप्रयोग विकास से संबंधित मामलों में लगातार अद्यतित रहने का प्रयास करते है।

- मंत्रालय में कम्प्यूटर सेंटर उच्च अंत सर्वर, क्लाइंट सिस्टम, लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और वाई–फाई सेटअप से युक्त है, जो इस्पात मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को आईसीटी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रचालनशील है।
- मंत्रालय में गीगाबाइट बैकबोन के साथ लगभग 275 नोड्स का एक एलएएन प्रचालनशील है।
- मंत्रालय के सभी अधिकारियों/प्रभागों को एनआईसी/जीओवी डोमेन के तहत ई–मेल सुविधा के साथ एनआईसीनेट आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।
- मंत्रालय के सभी वेब अनुप्रयोगों और सेवाओं को एनआईसी क्लाउड में पीएएएस (प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस) का उपयोग करके होस्ट किया जाता है।

मंत्रालय में कागज रहित कार्यालय की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में ई–गवर्नेंस अनुप्रयोग लागू किया गया है।

- डीएआरपीजी के राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के एक भाग के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल प्रबंधन प्रणाली, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, अवकाश प्रबंधन प्रणाली और स्पैरो (ईएपीएआर) जैसे अंतर्निर्मित मॉड्यूल के साथ **"ई–ऑफिस"** सॉफ्टवेयर (भारत सरकार का एक मिशन मोड योजना) को मंत्रालय में पेपरलेस कार्यालय की पहल को प्राप्त करने के लिए लागू किया गया है।
- मंत्रालय में एक मंत्रालय–व्यापी इंट्रानेट पोर्टल भी प्रचालनशील है।
- मंत्रालय के इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से ई–रिक्वीजीशन/ई–अधिग्रहण, स्टॉक और इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रचालन में है और यह सहज–सुलभ है। ई–अधिग्रहण, स्टॉक और इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम को सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा स्वतः अधिग्रहण प्रक्रिया, प्रविष्टि करने और इसकी मंजूरी देने तथा बैकएंड पर स्टॉक और इन्वेंटरी के रख–रखाव के लिए विकसित किया गया है।
- मंत्रालय में एलएएन का उपयोग बड़े पैमाने पर ईमेल, फाइल साझाकरण, नेटवर्क, प्रिंटर पर मुद्रण, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई–ऑफिस फाइल प्रबंधन, प्राप्तियों की ट्रैकिंग, फाइलें, वीआईपी/पीएमओ संदर्भ और कैबिनेट नोट आदि के लिए किया जाता है। अवकाश प्रबंधन प्रणाली, ज्ञान प्रबंधन और सूचना प्रसार, वार्षिक रिपोर्ट, संसद प्रश्नों, लंबित मामलों, ट्रैकिंग और निगरानी अनुप्रयोग (कोर्ट केस, ऑडिट पैरा और संसद आश्वासन आदि) प्रभागों से जानकारी/सामग्री एकत्र करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
- हाई–डेफिनिशन वीसी सेटअप इस्पात कॉन्फ्रेंस रूम और सचिव (इस्पात) के कार्यालय में भी प्रचालनशील है।
- ई–गवर्नेंस योजना के एक भाग के रूप में, निम्नलिखित केंद्रीकृत नागरिक केंद्रिक वेब आधारित प्रणाली भी मंत्रालय में कार्यान्वित की गई हैं :
  - मंत्रालय और उसके सार्वजनिक उपक्रमों में जनता और पेंशनरों की शिकायतों की सुविधा के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)।
  - सूचना का अधिकार अधिनियम–प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरटीआई–एमआईएस)–आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त अनुरोधों और अपीलों की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली मंत्रालय और इसके सार्वजनिक उपक्रमों में लागू की गई है।
  - मंत्रालय में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), एक वित्तीय प्रबंधन मंच लागू किया गया है।

- प्रगति–प्रो–एक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक मंच।
- सेवानिवृत्ति देय राशि के समय पर भुगतान और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करने के लिए ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली–'भविष्य'।
- विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम–(एलआईएमबीएस)।
- अनुभव–सरकार के साथ काम करने का अनुभव साझा करने के लिए सेवा–निवृत होने वाले कार्मिकों के लिए एक मंच।
- भर्ती नियम निर्माण, संशोधन और निगरानी प्रणाली (आरआरएफएएमएस)।
- सीएसीएमएस, भारत सरकार में डाक और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व की निगरानी प्रणाली (आरआरसीपीएस)।
- एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली (एवीएमएस)।
- ई–विजिटर निगरानी प्रणाली (ई–वीएमएस)।
- ई–समीक्षा पोर्टल।

- एपीएआर और वार्षिक संपत्ति रिटर्न के ऑनलाइन दाखिल करने के लिए स्पैरो को भी लागू किया गया है।
- मंत्रालय के अन्य अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) रिकॉर्ड नोट्स और माननीय इस्पात मंत्री और सचिव (इस्पात) द्वारा सौंपे गए कार्यों की स्थिति की निगरानी के लिए एक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है।
- एनआईसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/वेब–आधारित वीसी प्रणालियों के माध्यम से इंट्रा या अंतर–मंत्रालयी स्तर पर व्यापक आभासी बैठकें आयोजित कीं और कोविड–19 महामारी के कारण देश भर में प्रचलित लॉकडाउन स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए गृह मंत्रालय के सभी अधिकारियों को घर से काम करने के लिए वीपीएन सेवाएं प्रदान कीं।

मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट

- इस्पात मंत्रालय के लिए द्विभाषिक वेब–साइट (https://steel.gov.in), सामग्री प्रबंधन फ्रेमवर्क (सीएमएफ) प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है, जो इस्पात मंत्रालय और उसके अन्य कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों का व्यापक विवरण और कार्यप्रणाली प्रदान कर रहा है और नियमित आधार पर अद्यतन किया गया।

मॉनिटरिंग डैशबोर्ड

- **मंत्रालय का डैशबोर्ड** : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात सेक्टर के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड (https://dashboard.steel.gov.in/ministrydashboard) मंत्रालय के अधिकारियों के लिए परिचालन में है। डैशबोर्ड इस्पात एक नजर में, उत्पादन, बिक्री और वित्तीय, तकनीकी–आर्थिक प्रदर्शन, सीएसआर बजट, सुरक्षा मुद्दे, सीएपीइएक्स, संयुक्त उद्यम (जेवी), लौह और इस्पात परिदृश्य, उपभोग और क्षमता उपयोग, आयात और आयात पर पीएसयू प्रदर्शन, निर्यात, इस्पात की वस्तुओं की कीमत और कच्चे माल की स्थिति की जानकारी प्रदान करता है।
- **एनालिटिक्स डैशबोर्ड:** देश के स्टील सेक्टर के प्रदर्शन को बेहतर रूप में प्रस्तुत करने के लिए, विशेष व्यापार बिजनेस इनटेलिजेन्स (बीआई) टूल्स का उपयोग करके एनआईसी के सेंटर एक्सिलेंस फॉर डेटा एनालिटिक्स (सीइडीए) की सहायता से इस्पात सेक्टर के प्रदर्शन पर एक डैशबोर्ड को फिर से डिजाइन किया जा रहा है।
- **डैशबोर्ड के पीएम डैशबोर्ड–KPIs एकीकरण:** डैशबोर्ड के पीएम डैशबोर्ड में केपीआई के लिए एकीकरण: इन केपीआई पर उत्पादन, उपभोग, व्यापार (आयात और निर्यात) और एसआइएमएस केपीआई से डेटा को एकीकृत करके सहज दृश्य विकसित किया गया है।
- **नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ योजनाओं का एकीकरण:** इस्पात मंत्रालय ने एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ एकीकरण के लिए 'लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने' की योजना की पहचान की है। योजना का एकीकरण प्रगति पर है।
- **टीसी–क्यूसीओ पोर्टल:** अधिसूचित/इस्पात ग्रेड **(https://tc-qco.steel.gov.in/tc-qco)** पर स्पष्टीकरण के लिए आयातकों द्वारा आवेदन के प्रसंस्करण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली एनआईसी द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है। पोर्टल का β संस्करण तकनीकी प्रभाग और हितधारकों के लिए जारी किया गया है।

13.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

निरंतर और केंद्रित आईटी प्रयासों के साथ सेल ने अपने सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों, विपणन संगठन और कॉर्पोरेट कार्यालय में ईआरपी को पहले ही लागू कर दिया है। आईटी सेट–अप का मजबूत उपयोग व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दक्षता और पारदर्शिता के साथ–साथ परिचालन लागत को कम करने के लिए किया जाता है।

- सेल के पूर्व कर्मचारियों को पेंशन के लिए आवेदन करने और संयंत्र/प्लांट कार्मिक अधिकारियों की सुविधा के लिए आवेदन और वित्त अधिकारियों को अंतिम पेंशन राशि की जांच करने के लिए सत्यापित करने के लिए सेल पेंशन पोर्टल शुरू किया गया था।
- एसआरएम में इसीसी से आरएफएक्स में ऑटो पीआर अटैचमेंट ट्रांसफर को सक्षम करने, वस्तु श्रेणी केटेगरी के माध्यम से वेंडर चयन, विक्रेताओं के लिए ऑटो ईमेल रिमाइंडर, स्टोरों पर सामग्री की स्वीकृति/अस्वीकृति और पंजीकरण में अवधि समाप्ति की अग्रिम सूचना के लिए एसआरएम सिस्टम को संवर्धित किया गया था।
- लागत में कमी मॉड्यूल को डिजाइन और कार्यान्वित किया गया।
- 65,000 से अधिक कर्मचारियों वाली सेल की सभी इकाइयों के लिए सेंट्रलाइज्ड पेरोल सिस्टम (सीपीआरएस) विकसित और कार्यान्वित किया गया। विभिन्न इकाइयों में कर्मचारियों और तृतीय–पक्ष लाभार्थियों को बैंक भुगतान अब केंद्र द्वारा संभाला जाता है।
- कागज रहित कार्यालय की दिशा में एक कदम के रूप में, ऑन–लाइन नोट–शीट अनुमोदन प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की गई, जो पूर्व की नोटिंग और अटैचमेंट में परिवर्तन नहीं करने देती तथा उनकी गोपनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसके परिणामस्वरूप कोविड–19 महामारी के दौरान बिना एक दूसरे के संपर्क में आए कार्य करते हुए तेजी से निर्णय लेने, प्रस्तावों की आसान ट्रैक–क्षमता की सुविधा हुई है।
- सेल ने ई–इनवॉयसिंग सिस्टम के तहत इनवॉयस रजिस्ट्रेशन नंबर और क्विक रेस्पॉन्स कोड जनरेट करने की वैधानिक आवश्यकता का सफलतापूर्वक अनुपालन किया। इसके अतिरिक्त, ईआरपी प्रणाली को सभी संयंत्रों/इकाइयों में सरकारी ई–वे बिल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया था।
- पारदर्शिता के रूप में, सेल विक्रेता भुगतान सूचना पोर्टल विकसित और तैनात किया गया है, जहां विक्रेता अपने लंबित भुगतानों को ट्रैक कर सकते हैं। यह प्रणाली सेल को स्टोर और पुर्जों की उच्च मूल्य सूची की निगरानी करने में सक्षम बनाती है।
- ऑर्डर विवरण, बिल विवरण और भुगतान की अद्यतन स्थिति प्राप्त करने के लिए एसएपी–इआरपी के साथ जैम का एकीकरण बीएसपी में पूरा हो चुका है और अन्य संयंत्रों/इकाइयों में इसका कार्य प्रगति पर है।
- कुछ संयंत्रों में बीएफ, एसएमएस आदि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मापदंडों की वास्तविक समय की निगरानी मोबाइल में उपलब्ध करवाई गई है।
- लक्ष्यों और उपलब्धियों के बेहतर पारदर्शिता और बेहतर संरेखण को प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुमोदित नीति के अनुसार ई–1 से ई–7 अधिकारियों के लिए नई कार्यकारी प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई थी। सिस्टम वेब सक्षम है और इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से कहीं से भी सहज सुलभ है।
- तेजी से निर्णय लेने के लिए, सीएमओ से संबंधित संयंत्रों तक उत्पाद मूल्य निर्धारण का प्रवाह स्वचालित किया गया है।
- कोविड–19 पहल के तहत आइसोलेशन वार्ड का गठन किया गया, कोविड–19 के मामलों की रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रखने, पीपीई और स्वच्छता उत्पादों की प्रतिपूर्ति, निरंतर अद्यतन, लॉक डाउन अवधि के दौरान ऑनसाइट उपस्थिति रिकॉर्डिंग के लिए विभिन्न प्रणालियों/एप्लिकेशन को जल्दी से लॉन्च किया गया था। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय और आईएसओ ऑडिट 'रिमोट' से किए गए थे।
- स्वचालित व्यापार की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए ग्राहकों को बकाया अधिसूचना, ब्याज बिल आदि और विक्रेताओं को भुगतान वाउचर बनने के स्वचालित मेलिंग के माध्यम से प्रावधान किए गए हैं।
- स्वचालन के स्तर–2 को प्राप्त करने के प्रयास के अंतर्गत प्लांट नियंत्रण सूचना प्रणाली को कुछ संयंत्रों में स्रोत से डेटा प्राप्त करने के लिए एमईएस प्रणाली को रि–इंजीनियर और एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, कुछ इकाइयों में ऑन–लाइन विश्लेषण के लिए एक्सआरएफ विश्लेषक से लेवल–2 ऑटोमेशन सिस्टम तक डेटा ट्रांसफर के लिए इंटरफेस विकसित किए गए हैं।
- सेल के सभी दूरस्थ स्थानों/खानों को अब इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया है जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने व्यवसाय और आभासी बातचीत में सुविधा प्रदान की है।
- सिस्टम संचालित विपणन उपकरण का कार्यान्वयन।
- मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के लिए डैशबोर्ड और त्रैमासिक जोखिम रजिस्टर रिपोर्ट तैयार करने जैसी विभिन्न प्रणालियों का विकास।

13.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड समग्र संगठनात्मक दक्षता में सुधार के लिए आईटी बुनियादी ढांचे और विभिन्न आईटी प्रणालियों/अनुप्रयोगों के विकास में निरंतर प्रयास कर रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान दिसंबर 2020 तक उपलब्धियों में शामिल हैं :

- एसआरएम प्लेटफॉर्मः बोली लगाने वालों, विक्रेता सूचना प्रणाली, फॉरवर्ड नीलामी द्वारा ईएमडी भुगतान को संभालने के लिए कार्यान्वित भुगतान गेटवे समाधान, बीएसएलसी और ओएमडीसी से खनन सामग्री बिक्री, पोत चार्टर के लिए नीलामी, और मुख्यालय बिक्री (स्क्रैप) द्वारा फॉरवर्ड ई–नीलामी बिक्री के लिए कॉन्फिगर किया गया था।
- उत्पादों की पारगम्यता में सुधार करने के लिए, एक अद्वितीयी आईडी और क्यूआर कोड जनरेट होता है और प्रत्येक बंडल/कॉइल को टैग किया जाता है। लोड करते समय सही सामग्री की पहचान करने के लिए क्यूआर कोड टैग को स्कैन किया जाता है।
- रोलिंग मिलों में इनपुट के रूप में गैर–मानक आकार के प्रसंस्करण के लिए सॉफ्टवेयर को एसएपी–पीपी मॉड्यूल में विकसित और कार्यान्वित किया गया था।
- अनुबंध की स्थिति, गतिविधि वार सांख्यिकीय रिपोर्ट, प्रत्येक गतिविधि की स्थिति का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व और एफएसी लंबित मामलों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स स्थिति के लिए अनुबंध सूचना स्थिति प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की गई थी।
- दिल्ली संपर्क कार्यालय और अन्य बाहरी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिकॉर्डिंग सिस्टम (बीएआरएस) लागू किया गया।
- (i) डॉक्टरों और विजिटिंग सलाहकारों के लिए डैशबोर्ड डिस्प्ले के साथ स्लॉट बुकिंग सिस्टम। (ii) उच्च जोखिम वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी तथा कर्मचारियों की प्रिवेंटिव/निवारक चिकित्सा देखभाल के लिए आरआईएनएल–केयर मॉड्यूल (iii) वेब आधारित कोविड प्रबंधन प्रणाली।
- सीवीइआरएस को एनएमजी गेट के अनुरूप बाहर जाने वाले और अंदर आने वाले वाहनों (कॉन्ट्रैक्टर, वीएसपी, रेलवे) दोनों के लिए न्यू पीपी गेट पर परिचालन के लिए अनुकूलित किया गया था।

13.4 एन एम डी सी लिमिटेड

एनएमडीसी ने डिजिटल परिवर्तन यात्रा शुरू की है। एसएपी–इआरपी को संगठन के लिए एक एकीकृत व्यवसाय समाधान के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें वित्त और नियंत्रण, सामग्री प्रबंधन, बिक्री और वितरण, उत्पादन योजना, संयंत्र रखरखाव, मानव पूंजी प्रबंधन के साथ–साथ खनन और इस्पात के लिए उद्योग समाधान जैसे सभी प्रमुख कार्य शामिल हैं। ईआरपी कार्यान्वयन प्रभावी निर्णय लेने, उत्पादकता में सुधार, ऑनलाइन दृश्यता और संगठन में बेहतर पारदर्शिता की ओर ले जाएगा। एनएमडीसी में इआरपी (एसएपी) का कार्यान्वयन अंतिम चरण में है।

2020 के कैलेंडर वर्ष के दौरान एनएमडीसी ने कार्यात्मक और तकनीकी आवश्यकताओं की मैपिंग, एसएपी में कॉन्फिगरेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट, उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण, पहचान प्रक्रिया के लिए एसएपी प्रशिक्षण, अंतिम उपयोगकर्ता और अन्य संबंधित गतिविधियों जैसी मुख्य गतिविधियाँ पूरी की हैं।

जनवरी, 2021 से ईआरपी गो–लाइव की योजना बनाई जा रही है और सभी व्यापारिक लेनदेन लिगेसी से एसएपी में माइग्रेट किए जाएंगे। जनवरी 2021 के महीने में एफआई, एमएम, एसडी और एचसीएम मॉड्यूल, फरवरी 2021 के महीने में पीपी, पीएम, सीओ, क्यूएम, ईएचएस और पीएस मॉड्यूल।

13.5 मॉयल लिमिटेड

कंपनी ने अपने सभी कार्यात्मक क्षेत्रों के प्रभावी कम्प्यूटरीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण–प्रणाली सिस्टम विभाग की स्थापना की है। पर्याप्त आईटी अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए, सिस्टम विभाग द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- अपने सभी कार्यालयों और खानों/संयंत्रों में कंप्यूटर और अन्य आईटी उपकरणों की स्थापना।
- विंडोज और लिनक्स प्लेटफॉर्म पर ईथरनेट आधारित लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) कंपनी के हेड ऑफिस, नागपुर और सभी माइंस में स्थापित हैं।
- नियमित आधार पर अनुप्रयोगों, डेटाबेस/सूचना और अन्य संसाधनों के प्रभावी बंटवारे के लिए, सभी माइन्स और प्रधान कार्यालय को एमपीएलएस वीपीएन और लीज्ड लाइन पर वीपीएन के माध्यम से जोड़ा जाता है।
- निरंतर ज्ञान अर्जन, ई–मेलिंग और इंटर यूनिट डेटा ट्रांसफर सुविधाओं के लिए, हेड ऑफिस के सभी संबंधित अधिकारियों को ओएफसी पर इंटरनेट लीज्ड लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है। सभी खानों को ओएफसी पर लीज्ड लाइन इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।

- खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एमएसटीसी के ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद।
- ईआरपी के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर का कॉर्पोरेट कार्यालय, नागपुर में डिजाइन और प्रारंभ किया गया है।
- प्रभावी फाइल ट्रैकिंग और पेपर वर्क में कमी के लिए फाइल लाइफसाइकल प्रबंधन (एफएलएम) का उपयोग।
- ग्राहक पोर्टल का कार्यान्वयन जिसमें ग्राहक एक ही स्थान पर कीमतों, उपलब्धता के संबंध में विभिन्न सूचनाओं तक पहुंच सकेंगे।
- सभी रिकॉर्ड्स को स्कैन/डिजिटाइज करना और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स के साथ स्टोर करना। इससे कार्यालय में जगह खाली होगी और रिकॉर्ड पुनः प्राप्ति बहुत कुशल होगी।
- खान, मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के साथ संचार के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग।

उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) : मॉयल में ईआरपी कार्यान्वयन में सभी व्यापारिक प्रक्रियाओं के निर्बाध एकीकरण, सूचना के आधार पर प्रभावी निर्णय, जो दिखाई दे तथा सभी स्तरों पर पारदर्शिता हो, की परिकल्पना की गई है। एकल लेन–देन आधार जो साझा किया जाए, अद्यतन किया जाए और पूरे संगठन द्वारा लिया जाए, के साथ व्यापारिक कार्यकलापों में सभी मास्टर डेटा का मानकीकरण हासिल करने की उम्मीद है। ईआरपी के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर का कॉरपोरेट कार्यालय, नागपुर में डिजाइन किया गया है और उसे चालू किया गया है। प्रमुख मॉड्यूलों अर्थात् एफआईसीओ, एमएम, एसडी, पीपी, पीएम, एचआरएम, एसएपी के अलावा कंपनी ने फाइल लाइफसाइकल मैनेजमेंट, दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली और कर्मचारी स्व–सेवा पोर्टल भी लागू किया है। सभी नियमित व्यवसाय लेनदेन मौजूदा पुरानी प्रणालियों से एसएपी में बदल दिए गए हैं।

13.6 मेकॉन लिमिटेड

रांची, बैंगलोर और दिल्ली में मेकॉन कार्यालय अत्याधुनिक हार्डवेयर और नेटवर्क से लैस हैं। विभिन्न इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जैसे स्टेड–प्रो, ऑटोकेड, टेकला, केसर, पीवीलाइट, सॉलिड–एज आदि का उपयोग क्वालिटी डिजाइन, विभिन्न परियोजनाओं में विश्लेषण के लिए किया जाता है। बैठकें आयोजित करने के लिए विभाग स्तर तक सॉफ्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे प्राइमावेरा, एमएस प्रोजेक्ट्स और इन–हाउस डेवलप्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल प्रोजेक्ट प्लानिंग और ऑन–गोइंग प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए किया जाता है।

इन–हाउस विकसित वेब–आधारित आईटी सिस्टम निम्नलिखित मॉड्यूल एचआर, निगमित वित्त, परियोजना वित्त, उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली, ई–आर्काइव, पेरोल, ईपीएफ, एमआईएस, मेकजीएसटी और बिल वॉच सिस्टम का उपयोग दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए किया जाता है।

हाल ही में, निम्न मॉड्यूल को घर में विकसित किया गया है और कार्यान्वित किया गया है:

जीएसटी ई–चालानः भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जीएसटी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एक नया मॉड्यूल ई–चालान पेश किया गया है। यह प्रणाली डिजिटल चालान (जेएसओएन) तैयार करती है और इसे सरकार के इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) में अपलोड किया जा रहा है और आईआरएन, अभिस्वीकृति संख्या, क्यूआर कोड मेकजीएसटी सिस्टम में अपडेट किया गया है। क्यूआर कोड के साथ चालान को निकालकर ग्राहकों को भेजा जा सकता है। सरकार के आईआरपी में पंजीकरण से पहले यह सिस्टम सभी डेटा सत्यापन का भी ध्यान रखता है।

फाइल ट्रैकिंग सिस्टमः फाइल निर्माण और परिभाषित वर्कफ्लो के अनुसार अनुमोदन/सहमति के लिए फाइल को ऑनलाइन अग्रेषित करें। यह फाइलों की समयावधि/अनुमोदन प्रक्रिया और फाइल की ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है।

ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टमः डायनामिक क्यूआर कोड सहित विभिन्न प्रकार के माध्यमों से भुगतान ऑनलाइन प्राप्त होता है। प्राप्त भुगतान स्वचालित रूप से संबंधित एप्लिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है जहां देय तैयार होता है। यह भुगतानकर्ताओं और मेकॉन के बीच प्राप्त भुगतान और पारदर्शिता के समय पर सामंजस्य सुनिश्चित करता है।

मेकॉन कर्मचारी समूह पेंशन योजना प्रणाली (मेकजीपीएस): प्रणाली सदस्यता के लिए कर्मचारियों की पात्रता की जांच करेगी और कॉर्पस राशि की गणना करेगी। सिस्टम सेवा प्रदाता को अनुमोदन और कॉर्पस भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित वर्कफ्लो का सख्त पालन सुनिश्चित करता है। यह ट्रस्ट के वित्तीय लेखांकन का भी ध्यान रखता है। सदस्यों और पेंशन ट्रस्ट के बीच पारदर्शिता भी बनाए रखी जाती है।

ऑनलाइन भर्ती प्रणालीः एचआर विभाग द्वारा– पोस्टिंग की रिक्ति और आवेदन करने के लिए पात्र मानदंड नियत तारीख के साथ। उम्मीदवार सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करते हैं। सिस्टम केवल योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने की अनुमति देता है। भुगतानित आवेदन शुल्क स्वचालित रूप से भुगतान गेटवे के माध्यम से जुड़ा हुआ है। साक्षात्कार के लिए मेरिट सूची की स्वचालित रिपोर्ट तैयार होती है।

13.7 एमएसटीसी लिमिटेड

- आईएसओ 27001: 2013 प्रमाणन लागू है और एसटीक्यूसी, कोलकाता द्वारा वार्षिक निगरानी लेखा परीक्षा के अधीन है और यह प्रमाणपत्र 27–08–2023 तक मान्य है।
- आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणन लागू है और यह प्रमाणपत्र 09–12–2023 तक वैध है।
- एमएसटीसी प्रणाली प्रभाग 2013 से सीएमएमआई लेवल 3 से मूल्यांकित किया गया है। इसे नवीनीकृत किया गया है और यह 18–09–2022 तक वैध है।
- एमएसटीसी कॉर्पोरेट वेबसाइट https://www.mstcindia.co.in के लिए जीआईजीडब्ल्यू (भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश) पर एसटीक्यूसी प्रमाणन 4 फरवरी, 2022 तक मान्य है।
- एमएसटीसी ने कई परियोजनाओं का घर में ही अनुकूलित विकास किया है और लागू किया है।
- एमएसटीसी ने डैशबोर्ड, इन–प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम, एयर टिकट मैनेजमेंट सिस्टम, ई–ऑफिस आदि के साथ–साथ अन्य अनुप्रयोगों जैसे आईएसटीएमएस, पीएनए, बिल टेकिंग, ऑनलाइन वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट आदि में भी कई सुधार किए हैं।
- एमएमडीआर अधिनियम 2015 के तहत खनिज ब्लॉक के आवंटन के लिए ई–नीलामी सेवाओं पर एसटीक्यूसी प्रमाणन का नवीकरण 21.12.2020 को किया गया और यह 20–12–2023 तक वैध है।

13.8 केआईओसीएल लिमिटेड

मालसूची एवं सामग्री प्रबंधन : इसे कैनेडियन माइनिंग कंपनियों द्वारा डिजाइन किया गया था जिसमें अद्वितीय प्रक्रियाएं और रूप हैं तथा चेक अंकों के साथ संहिताकरण को अपनाया गया था। बाद में, सिस्टम को उन्नत किया गया और एक वेब–आधारित प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया।

वित्त और लेखा : वित्त और लेखा प्रणाली की सभी प्रमुख गतिविधियाँ आवश्यक रिपोर्टिंग सुविधाओं के साथ वेब–आधारित प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से स्वचालित हैं। सभी भुगतान आरटीजीएस/ऑनलाइन/बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। सभी लेनदेन कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ–साथ प्लांट में 100% कैशलेस हैं।

आईटी–इन्फ्रास्ट्रक्चर : नई पीढ़ी के फायरवॉल और बिट डिफेंडर के रूप में अंत बिंदु सुरक्षा को सुरक्षा उपकरण के रूप में स्थापित किया जाता है। कंपनी ने मंगलूरू और बेंगलूरू में फाइबर ऑप्टिक बैकबोन के साथ सभी आईपी संरचित यूटीपी आधारित डेटा नेटवर्क को तैनात किया है। मंगलूरू और बेंगलूरू में 30 एमबीपीएस लीज्ड लाइन और वीपीएन के जरिए कुद्रेमुख में इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई है। इस प्रकार वीपीएन कनेक्टिविटी के माध्यम से कंपनी के विभिन्न स्थानों से सभी अनुप्रयोगों के लिए एकल नेटवर्क का उपयोग प्रदान करती है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग : इंटरनेट लीज्ड लाइन्स और आइएसडीएन कनेक्शन का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मंगलूरू और बेंगलूरू में किया जाता है। यह सुविधा समय–समय पर ऑनलाइन होने वाली बैठकों को सक्षम बनाती है।

वर्चुअल मीटिंग रूम : डिजिटल इंडिया मिशन को लागू करने में, कंपनी ने मंगलूरू और बेंगलूरू दोनों में कार्यालय में कई स्थानों पर वर्चुअल मीटिंग रूम विकसित किए हैं। अच्छी बैंडविड्थ गति वाले वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम और इंटरनेट जैसे सॉफ्टवेयर के लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं, जिससे प्रबंधन संसाधनों का ईष्टतम उपयोग और लागत को कम किया जा सकता है।

ई–कॉमर्स : ई–टेंडरिंग, ई–प्रोक्योरमेंट और आरटीजीएस के परिचय से पेपरवर्क कम हुआ, पारदर्शिता बढ़ी और समय कम हुआ। छर्रों की बिक्री ई–टेंडर के जरिए एसटीक्यूसी सर्टिफिकेशन वाली श्रेणी–I/II आरएसए/एसए एजेंसी द्वारा की जाती है। इससे मूल्य खोज समय में काफी कमी आई है। सीमा मूल्य से ऊपर की सभी खरीद ई–टेंडर के माध्यम से की जाती है। आगे की खरीद जैम पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

संयंत्र प्रक्रिया स्व–चालन/प्लांट प्रोसेस ऑटोमेशन: केआईओसीएल के सभी प्लांट सेंट्रल कंप्यूटर रूम से पूरी तरह से स्वचालित और नियंत्रित होते हैं। कम्प्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग आवधिक निवारक रखरखाव, कंपोनेंट्स के जीवन का आकलन करने में किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है।

वेबसाइट : कंपनी की वेबसाइट व्यापक रूप से कंपनी द्वारा की गई सभी वर्तमान गतिविधियों को शामिल करती है और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में नियमित रूप से अपडेट की जाती है। केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के साथ लिंक लागू किए गए हैं। रूचिकर सामग्री की स्क्रीनिंग को सक्षम करने के लिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सोशल मीडिया/नेटवर्किंग को एकीकृत करने के लिए वेबसाइट में लिंक भी दिए गए हैं।

वेब आधारित अनुप्रयोग : भर्ती, पीएफ के दावों, पेंशन, एफपीओ आदि जैसे वेब आधारित ऑनलाइन अनुप्रयोगों को दूरस्थ पहुंच वाले लोगों की मदद करने के लिए विकसित किया गया है।

ई–मेल के माध्यम से पत्राचार : इलेक्ट्रॉनिक अंतर–कार्यालय और बाहरी संचार प्रदान करने के लिए मंगलूरू और बेंगलूरू में ई–मेल सर्वर स्थापित किए गए हैं।

फाइल ट्रैकिंग सिस्टम : एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइलों की आवाजाही के लिए, केआईओसीएल के पास रखी गई डिलीवरी बुक के माध्यम से फाइलों की डिलीवरी पर ट्रैकिंग पावती की व्यवस्था थी। तत्काल और बेहतर पहुंच के लिए, ई–फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को पेश किया गया है ताकि भेजने से पहले फाइलों को पंजीकृत किया जा सके और रिसेप्शन पर भी स्वीकार किया जा सके।

ऑनलाइन एचआरएमआईएस: मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचआरएमआईएस) को इन–हाउस विकसित किया गया है जो डेटा विश्लेषण और प्रसंस्करण के लिए कर्मचारी जानकारी का एक केंद्रीकृत भंडार जैसे मास्टर विवरण, कैरियर विवरण, पदोन्नति विवरण, निर्भर विवरण आदि प्रदान करता है। यह कर्मचारी जानकारी का एक एकीकृत डेटाबेस है।

वेब आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली: वेब आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को ई6–ई7 तक के कार्यकारी अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की प्रक्रिया को स्वचालित करने हेतु विकसित किया गया है। इसका उपयोग उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

ऑनलाइन त्रैमासिक सतर्कता क्लीयरेंस प्रणाली: त्रैमासिक सतर्कता क्लीयरेंस सिस्टम को घर में विकसित किया गया है ताकि एजीएम (ई 5) के स्तर से ईडी (ई 9) स्तर तक वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के लिए त्रैमासिक सतर्कता क्लीयरेंस अपडेट प्रक्रिया को स्वचालित किया जा सके।

13.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

"वेंडर बिल ट्रैकिंग सिस्टम" को एफएसएनएल द्वारा घर में विकसित किया गया है और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है, जिससे वेंडरों को उनके द्वारा ऑनलाइन जमा किए गए बिलों की स्थिति पता चल सकेगी।

एफएसएनएल द्वारा कार्यालय में विभागों के अंदर आंतरिक–फाइल आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए "फाइल–ट्रैकिंग सिस्टम" भी इन–हाउस विकसित किया जा रहा है, जो फाइलों का ट्रैक रखने और मामलों के त्वरित निपटान में मदद करेगा।

13.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

बीजीसी ने सभी निविदाओं/ईओआई को कंपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) में प्रकाशित करने की पहल की है। कॉर्पोरेट ऑफिस में सीसीटीवी स्थापित है। वेतन का प्रसंस्करण अनुकूलित पेरोल प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। आरटीजीएस और ई–भुगतान मोड के माध्यम से वेंडर बिलों और विभिन्न कर्मचारी हकदारी के भुगतान के लिए टैली आधारित अकाउंटिंग पैकेज का उपयोग किया जा रहा है। प्रधान कार्यालय और माइन्स कार्यालय में बायोमीट्रिक आधारित उपस्थिति स्थापित की गई है। सामग्री की खरीद के लिए ओएमडीसी और बीएसएलसी जैम पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं।

अध्याय–14

सुरक्षा

14.1 पृष्ठभूमि

लोहा और इस्पात उद्योग में जटिल प्रक्रियाओं और बड़े पैमाने पर प्रचालन का संयोजन शामिल है, जो खतरनाक प्रकृति की है। उद्योग के कार्य–वातावरण में संभावित खतरे हैं जिनसे उसके कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है। लोहा और इस्पात उद्योग में चोटों और दुर्घटनाओं को रोकने और अपने कार्यबल को एक स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है।

14.2 इस्पात मंत्रालय की पहल

14.2.1 जून 2019 में, इस्पात मंत्रालय ने लोहा और इस्पात उद्योग में व्याप्त खतरों की पहचान करने के लिए हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत की ताकि दुर्घटनाओं को खत्म करने के लिए जो उपाय अपनाए जाने हैं और दुर्घटनाओं को खत्म करने के लिए इस्पात उद्योग द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य न्यूनतम सुरक्षा दिशानिर्देशों का विकास किया जा सके।

14.2.2 उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोहा और इस्पात उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न सुरक्षा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने और व्यापक/सामान्य न्यूनतम सुरक्षा दिशानिर्देशों को विकसित करने के उद्देश्य से इस्पात मंत्रालय द्वारा उद्योग और शिक्षाविदों के विशेषज्ञों से युक्त एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया था ताकि इस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन किया जा सके। लघु इस्पात क्षेत्र की विशिष्ट सुरक्षा जरूरतों का समाधान करने के लिए एनआईएसएसटी और उद्योग संघों से युक्त कार्य समूह के एक उप समूह भी गठित किया गया था। आईआईटी खड़गपुर के सुरक्षा विभाग के विशेषज्ञों ने भी इन दिशानिर्देशों को विकसित करने में सहायता की।

14.2.3 हितधारकों के उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, लोहा और इस्पात क्षेत्र के लिए पच्चीस सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं जो इस्पात क्षेत्र के बड़े और छोटे दोनों उत्पादकों के लिए इस्पात उद्योग से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों/खतरों का समाधान करते हैं।

14.2.4 उक्त दिशा–निर्देश "लोहा एवं इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश" नामक एक पुस्तक के रूप में उल्लिखित हैं, जिनका अनावरण 17 फरवरी, 2020 को माननीय इस्पात मंत्री द्वारा किया गया था और इसे इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। लोहा और इस्पात क्षेत्र में हितधारकों से इन दिशानिर्देशों को अपनाने का आग्रह किया गया है।

14.2.5 पूर्वोक्त 25 दिशानिर्देशों को अपनाना स्वैच्छिक है, क्योंकि इस्पात मंत्रालय के पास इन्हें अनिवार्य करने के लिए आवश्यक विनियम नहीं हैं। भारत में विनिर्माण क्षेत्र में सुरक्षा के लिए मुख्य कानून, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित कारखाना अधिनियम के तहत है जो श्रमिक की सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है। इसलिए श्रम और रोजगार मंत्रालय से लोहा और इस्पात उद्योग के लिए सुरक्षा मानक के रूप में इस्पात मंत्रालय द्वारा तैयार सुरक्षा दिशानिर्देश बनाने में सुविधा देने का अनुरोध किया गया है।

14.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाओं के प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

14.3.1 प्रबंधन प्रतिबद्धता

इस्पात संयंत्रों में दुर्घटना–रहित कार्य सुनिश्चित करना और 'जीरो दुर्घटना' के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास सेल प्रबंधन की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है।

प्रबंधन के उच्चतम स्तर पर सुरक्षा की निगरानी की जाती है। स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) संबंधी बोर्ड उप समिति त्रैमासिक आधार पर सुरक्षा प्रदर्शन की समीक्षा करती है और सेल के बोर्ड को अवगत कराती है। संयंत्र स्तर पर, सुरक्षा प्रणाली में निरंतर सुधार लाने के लिए नियमित अंतराल पर प्रभारी निदेशक/प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और कार्य प्रमुखों द्वारा सुरक्षा की समीक्षा की जाती है। सभी उपयुक्त मंचों पर प्रथम मद के रूप में सुरक्षा पर चर्चा की जाती है और सुरक्षा मानकों में निरंतर सुधार लाने के लिए सभी आवश्यक उपायों को अपनाने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं।

सेल एक उन्नत सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ओएचएसएएस–18001 को लागू कर रहा है और उनके पास 'व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति' भी है।

14.3.2 सेल में सुरक्षा व्यवस्था

सेल के सभी संयंत्रों और इकाइयों के संबंधित कार्य प्रमुखों के अधीन एक संपूर्ण सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग सुरक्षा प्रबंधन पहलुओं को देखता है। कॉर्पोरेट स्तर पर सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) रांची, सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में की जाने वाली प्रचालनात्मक/अग्नि सुरक्षा गतिविधियों का समन्वय और निगरानी करता है और संगठन स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन को उचित कॉर्पोरेट प्रेरणा प्रदान करता है।

14.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

प्रबंधन प्रतिबद्धता :

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने एक एकीकृत नीति अपनाई है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अनुरूप सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति शामिल है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करता है जो कर्मचारियों और श्रमिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए कर्मचारी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। कंपनी में शून्य दुर्घटना (जीरो एक्सीडेंट) को प्राप्त करने और सुरक्षा संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अन्य निदेशकों के साथ सुरक्षा प्रदर्शन की समीक्षा के लिए मासिक बैठकें आयोजित करते हैं। सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन, जोखिम नियंत्रण उपायों की निगरानी और अन्य सक्रिय उपायों पर निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप संभावित खतरों को कम/समाप्त किया गया है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में सुरक्षा व्यवस्था :

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने कारखाने के "प्रबंधक" के रूप में "ऑक्यूपायर" और कार्यकारी निदेशक स्तर के अधिकारी के रूप में कार्यों के प्रमुख की पहचान की है जो संयंत्र में सभी सुरक्षा संबंधी गतिविधियों का समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करते हैं। महाप्रबंधक (सुरक्षा) की अध्यक्षता वाले सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग के संगठन में प्रत्येक क्षेत्र/विभाग में तैनात क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी और विभागीय सुरक्षा अधिकारी होते हैं जो अलग–अलग विभागों में सुरक्षा संबंधी सभी गतिविधियों की सहायता, निगरानी और सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, विभाग स्तर पर विभागीय सुरक्षा समन्वयक भी तैनात हैं।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक केंद्रीय सुरक्षा समिति और 31 विभागीय सुरक्षा समितियां, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों और प्रबंधन प्रतिनिधियों की समान भागीदारी के साथ मौजूद हैं। केंद्रीय सुरक्षा समिति और विभागीय सुरक्षा समितियां विभिन्न सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करती हैं और उनकी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए ऑनलाइन सुरक्षा सूचना प्रणाली है जिसमें कर्मचारी असुरक्षित गतिविधि/हालात और लगभग जीवन समाप्त होने वाले मामलों की रिपोर्ट कर सकते हैं। असुरक्षित बिंदुओं की रिपोर्टिंग के बाद परिसमापन के लिए विभागाध्यक्ष (सुरक्षा) द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाता है। उसके अनुपालन की निगरानी क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की जाती है।

आरआईएनएल में ओएचएसएएस 18001 प्रणाली निवारक सुरक्षा प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करती है जिसमें जोखिम की पहचान और जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए) शामिल हैं। 5500 से अधिक एचआईआरए जोखिम नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित हैं।

14.5 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी की सभी परियोजनाओं में इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं। वे खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के तहत आवश्यकतानुसार बुनियादी सुविधाओं से लैस हैं। ये केंद्र बुनियादी प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण और कुशल श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्य के दौरान घायल लोगों की जरूरतों को पूरा भी करते हैं।

एनएमडीसी की प्रत्येक खनन परियोजना में, पर्याप्त संख्या में कार्मिक निरीक्षकों को सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार खनन कार्यों, यांत्रिक और विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए नियुक्त किया जाता है।

प्रत्येक प्रचालन खदान में सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है और सुरक्षा मामलों और कार्य वातावरण से संबंधित सुधारात्मक कार्यों पर चर्चा करने के लिए हर महीने सुरक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

सभी परियोजनाओं में खान स्तर पर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। यह बैठक वर्ष में एक बार परियोजना स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय प्रतिनिधियों और डीजीएमएस अधिकारियों के साथ आयोजित की जाती है जिसमें सुरक्षा प्रदर्शन और इसके मूल्यांकन किए जाते हैं और सिफारिशें लागू की जाती हैं।

कॉर्पोरेट स्तर की त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें मुख्य कार्यालय में वर्ष में एक बार नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

वर्ष 2020–21 के लिए दिसंबर, 2020 तक मानव कार्यदिवसों में प्रति 1 लाख दिनों में खोए हुए मानव कार्य दिवसों की संख्या 2.4 हैं।

सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली : सभी खानों में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है और सभी खानों में जोखिम मूल्यांकन अध्ययन नियमित रूप से किया जा रहा है।

परियोजनाओं की आंतरिक सुरक्षा जांच, परियोजनाओं की आंतरिक जांच दल द्वारा की जा रही है तथा अनुपालन के लिए परियोजनाओं को प्रस्तुत किया गया है और आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है।

14.6 मॉयल लिमिटेड

खदानों में काम करने वाले सभी माइनमेट फोरमैन और योग्य खनन अभियंता जैसे सक्षम पर्यवेक्षक नियमित रूप से सभी कामों की निगरानी कर रहे हैं। वर्किंग शिफ्ट के दौरान भी श्रमिक सुरक्षा निरीक्षण करते हैं।

इंस्पेक्टर, सुरक्षा अधिकारी, खदान प्रबंधक और एजेंट, प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक (सुरक्षा) की नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा संगठन, महानिदेशक खनन सुरक्षा (डीजीएमएस) के साथ समन्वय कर रहा है और समय–समय पर खानों का निरीक्षण करता है।

नियमित सुरक्षा समिति की बैठकें खानों में होती हैं, जहाँ श्रमिकों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ दिन–प्रतिदिन सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की जाती है। किसी भी पुनरावृत्ति से बचने के लिए असुरक्षित कृत्यों और खदान दुर्घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है।

14.7 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने सुरक्षा नीति विवरण तैयार किया है जो उन्मुखीकरण प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को नियमित रूप से समझाया जाता है। सुरक्षा नीति विवरण की कुछ विशेषताएं कंपनी के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों में शामिल की गई हैं ताकि सुरक्षा नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। मेकॉन में दुर्घटना की रिपोर्ट करने योग्य कोई घटना नहीं हुई है। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मेकॉन में एक अच्छी तरह से प्रलेखित आपदा प्रबंधन योजना भी है।

14.8 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी एक ई–कॉमर्स संगठन है और इसके पास कोई संयंत्र/विनिर्माण इकाई नहीं है। हालांकि, आग, प्राकृतिक आपदा, महामारी, नियंत्रण कक्ष आदि के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का अनुपालन करते हुए देखे जाते हैं।

14.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल ने अपने संयंत्रों में पूर्ण रूप से अभिकल्पित और व्यापक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली तैयार की है। केआईओसीएल पेलेट संयंत्र और ब्लास्ट फर्नेस इकाइयां कारखाना अधिनियम के तहत आते हैं और सभी सुरक्षा मापदंडों, मानकों का अनुपालन कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके बाद के संशोधनों में दिए गए नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है।

केआईओसीएल मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है और संयंत्र में प्रत्येक विभाग की अपनी मानक संचालन प्रक्रियाएं हैं जिनका अनुपालन किया जा रहा है। पेलेट संयंत्र में उत्पादन प्रक्रिया में शामिल विभागों के आधार पर, संबंधित विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक इन सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए सुरक्षा विभाग से पेलेट संयंत्र में पिछले वर्ष "सुरक्षा प्रक्रियाओं के कोड" पर एक पुस्तिका तैयार की गई है। पेलेट संयंत्र में उपयोग में आने वाले उपकरणों से संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर अधिक जोर दिया गया है।

14.10 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

मानव परिसंपत्तियों की सुरक्षा को एफएसएनएल द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कर्मचारियों को सुरक्षा सावधानियों और सुरक्षित कामकाजी प्रक्रियाओं के पालन की दिशा में लगातार प्रेरणा दी जाती है। पूरे वर्ष के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुरक्षा और संबंधित पहलुओं पर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आदि जैसी प्रसिद्ध एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा और संबद्ध विषयों पर कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, मेसर्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल आदि के माध्यम से एफएसएनएल की सभी इकाइयों में सुरक्षा जांच भी किया गया है।

14.11 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

खनन कंपनियों अर्थात् ओएमडीसी और बीएसएलसी ने खनन और संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए कर्मचारियों की सुरक्षा की दिशा में महानिदेशक, खनन सुरक्षा (डीजीएमएस) से समय–समय पर प्राप्त नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा सावधानियों के अनुपालन के लिए अग्रसक्रिय कदम उठाए हैं। संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण और टूल्स प्रदान किए गए हैं। खनन कार्यों में विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सुरक्षित प्रक्रियाओं को स्थानीय के साथ–साथ क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षा प्रदर्शनियों में श्रमिकों की भागीदारी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह की खादानों में जाकर नई प्रक्रियाओं को भी नियमित रूप से अपनाया जाता है। खदानों में विभिन्न विषयों और प्रचालन गतिविधियों से जुडे हुए श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में बुनियादी और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

अध्याय–15

समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

15.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। मंत्रालय में 30.12.2020 की स्थिति के अनुसार 246 स्वीकृत पदों की तुलना में 195 कुल कर्मचारियों की संख्या में से 41 अनुसूचित जाति (22.65%), 7 अनुसूचित जनजाति (3.86%) और 40 अन्य पिछड़ा वर्ग (22.09%) के थे। केंद्रीय सचिवालय सेवा अर्थात् केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा और केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा से संबंधित पद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भरे जाते हैं।

15.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल, भर्तियों और पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करता है। 01.01.2021 तक कुल 66396 श्रमशक्ति में से, 16.68%, 15.41% और 14.73% क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं।

सेल के प्लांट और इकाइयाँ जिनमें खानें भी शामिल हैं, देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं जहां प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी रहती है। इसलिए, सेल ने इन क्षेत्रों में नागरिक, चिकित्सा, शैक्षिक और अन्य सुविधाओं के समग्र विकास में योगदान दिया है। योगदानों में से कुछ हैं :

- गैर–कार्यकारी कर्मचारियों की भर्ती, जिसमें कुल कर्मचारियों का करीब 84% शामिल है, मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है और इसलिए बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सेल में रोजगार का लाभ मिलता है।
- वर्षों से, इस्पात संयंत्रों के आसपास के क्षेत्र में सहायक उद्योगों का एक बड़ा समूह भी विकसित हुआ है। इसने स्थानीय बेरोजगार लोगों के लिए नौकरियों और उद्यमिता के विकास के अवसर पैदा किए हैं।
- अस्थायी और आन्तरायिक प्रकृति की नौकरियों के लिए आम तौर पर ठेकेदार स्थानीय क्षेत्रों से श्रमिकों को तैनात करते हैं, जो फिर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं।
- आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सेल स्टील प्लांटों की स्थापना ने आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान की है जिससे विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली सहायक आबादी को लाभ मिला है।
- सेल द्वारा विकसित स्टील टाउनशिप में चिकित्सा, शिक्षा और नागरिक सुविधाएं सबसे अच्छी हैं और स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य आबादी के लिए एक नखलिस्तान की तरह हैं जो सेल कर्मचारियों के साथ समृद्धि का फल साझा करते हैं।

सेल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कई पहलें की हैं जो इस प्रकार हैं :

- पाँच एकीकृत स्टील संयंत्र स्थानों पर विशेष रूप से गरीब, कमजोर बच्चों के लिए विशेष स्कूल शुरू किए गए हैं। प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, जूतों सहित वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी आइटम, स्कूल बैग, पानी की बोतलें और कुछ मामलों में परिवहन शामिल हैं।
- कंपनी द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है, चाहे वे सेल कर्मचारियों के बच्चे हों या गैर–कर्मचारी के बच्चे हों।
- भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर (गुटगुटपारा) में गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों की आबादी के लोगों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श, दवाइयां आदि प्रदान की जाती हैं।

- सेल संयंत्रों ने आदिवासी बच्चों को गोद लिया है। आवासीय छात्रावासों में उनके समग्र विकास के लिए उन्हें मुफ्त शिक्षा, वर्दी, पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी, भोजन, बोर्डिंग, लॉजिंग और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे सारंडा सुवन छात्रावास किरीबुरू, ज्ञानोदय हॉस्टल, भिलाई और लगभग विलुप्त बिरहोर जनजाति के लिए एक विशेष ज्ञान ज्योति योजना।
- कौशल विकास और बेहतर रोजगार के लिए, परिधीय गांवों के युवाओं और महिलाओं को विभिन्न आईटीआई, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी, एलएमवी ड्राइविंग, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डिंग के क्षेत्रों में विभिन्न आईटीआई, नर्सिंग, फिटर एंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग, बेहतर कृषि, मशरूम की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन, अचार/पापड़ /अगरबती/मोमबत्ती बनाना, स्क्रीन प्रिंटिंग, हस्तशिल्प, सेरीकल्चर, यार्न बुन, सिलाई, कढ़ाई और सिलाई, दस्ताने, मसाले, तौलिया, गनी–बैग, कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन, स्वीट बॉक्स, साबुन, धुआं रहित चूल्हा बनाना आदि में विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक और विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का कार्यान्वयन

- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों के अनुपालन के लिए राष्ट्रपति जी के निर्देशों के अनुसार संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- सेल के सभी मुख्य संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल कार्य कर रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित एक सदस्य सभी डीपीसी/चयन समितियों में जुड़ा हुआ है। भर्ती बोर्ड/चयन समितियों/डीपीसी के स्तर के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए नामित किया जाता है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारियों तथा सेल संयंत्रों/इकाइयों में काम देख रहे अधिकारियों के लिए नियमित अंतराल पर आंतरिक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। ये कार्यशालाएं एक बाहरी विशेषज्ञ के माध्यम से आयोजित की जाती हैं ताकि उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य संबंधित मामलों के लिए आरक्षण नीति पर अद्यतन रखा जा सके।
- सेल के संयंत्रों / इकाइयों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ हैं, जो आरक्षण नीति और अन्य मुद्दों के कार्यान्वयन पर संपर्क अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करते हैं। इसके अलावा, एक सर्वोच्च स्तर की शीर्ष संस्था अर्थात् सेल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी महासंघ भी एक समन्वित तरीके से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेल में मौजूद है। निदेशक (कार्मिक) के स्तर पर फेडरेशन के साथ एक बैठक नियमित आधार पर आयोजित की जाती है।

15.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

दिनांक 01.01.2021 तक, आरआईएनएल की कुल जनशक्ति 16923 है जिसमें 2747 अनुसूचित जाति (16.23%), 1258 अनुसूचित जनजाति (7.43%) और 3182 अन्य पिछड़ी जाति (18.80%) शामिल हैं।

डॉ. बी आर अम्बेडकर मेधावी मान्यता योजना के तहत अनुदान – अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग–आरआईएनएल अनुदान विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए है। इसके तहत एक पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए 1500/– प्रति माह उन बच्चों को दिया जाता है जो 12वीं कक्षा या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर / मेडिकल / पशु चिकित्सा / दंत चिकित्सा / कृषि विज्ञान / फार्मेसी / विधि में डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहते हैं। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के बच्चों को कुल 8 पुरस्कार और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के बच्चों को 4 ऐसे पुरस्कार दिए जाते हैं।

15.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में 31.12.2020 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 5596 थी जिनमें से 857 अनुसूचित जाति (15.31%), 1407 अनुसूचित जनजाति (25.14%) और 1095 अन्य पिछड़ा वर्ग (19.56%) के हैं।

एक नीति के रूप में, निरंतर आधार पर आगामी वर्ष में किसी भी बैकलॉग रिक्ति को भरने का प्रयास किया जाता है और कंपनी अब तक आरक्षित रिक्तियों को भरने में सक्षम रही है। कॉरपोरेट कार्यालय और सभी परियोजनाओं में राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक सदस्य सभी डीपीसी से संबद्ध है।

विभिन्न परियोजनाओं के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संपर्क अधिकारियों के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ के प्रतिनिधियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य संबंधित मामलों के लिए आरक्षण नीति पर अद्यतन रखा जाता है।

15.5 मॉयल लिमिटेड

31.12.2020 के अनुसार कुल जनशक्ति 5894 (पुरुष 5084, महिला 810) है, जिसमें से 1175 अनुसूचित जाति (19.94%), 1480 अनुसूचित जनजाति (25.11%) और 2079 अन्य पिछड़ा वर्ग (35.27%) से हैं।

15.5.1 कल्याणकारी गतिविधियाँ

कर्मचारियों के लाभ के लिए मॉयल द्वारा कुछ कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं और साथ ही ये उन लोगों के लिए भी हैं जो खदान के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं। ऐसी योजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

- अधिकांश कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण और आवंटन किया गया है।
- खदान कालोनियों में रहने वाले कर्मचारियों को पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है।
- रियायती दर पर बिजली के प्रावधान।
- अस्पतालों/स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का प्रावधान।
- कमजोर वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की सहायता। बच्चों को हाई स्कूल/कॉलेज के लिए पास के क्षेत्रों में ले जाने के लिए सभी खदानों में स्कूल बसें उपलब्ध कराई जाती हैं।
- खनन क्षेत्रों से सटे स्कूल को वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, किताबें आदि प्रदान करना।
- स्वरोजगार योजना के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित करना।
- आदिवासी महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए अन्य कल्याणकारी उपाय जैसे कि सिलाई कक्षाएं, वयस्क साक्षरता कक्षाएं, एड्स जागरूकता कार्यक्रम, पोस्टर, नोटिस और बैनर आदि के प्रदर्शन द्वारा कुष्ठ रोग जागरूकता कार्यक्रम, जैसे अन्य कार्यक्रमों का प्रचार करना।

15.6 मेकॉन लिमिटेड

दिनांक 01.12.2020 तक, कंपनी में कार्यरत 1167 कर्मचारियों में से, 237 कर्मचारी अनुसूचित जाति (20.31%), 116 अनुसूचित जनजाति (9.94%) और 141 अन्य पिछड़ा वर्ग (12.08%) के हैं। समाज के कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से मेकॉन पूरी तरह अवगत है। मेकॉन ने उनके हितों और कल्याण की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

15.7 एमएसटीसी लिमिटेड

दिनांक 31.12.2020 के अनुसार कुल जनशक्ति 335 है, जिनमें से 57 अनुसूचित जाति (17.01%), 19 अनुसूचित जनजाति (5.67%) और 81 अन्य पिछड़ा वर्ग (24.17%) के हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण, छूट, रियायत, आदि के संबंध में समय–समय पर जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देश सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित थे जिनका अनुपालन किया गया था। कमजोर वर्गों के बारे में भर्ती और पदोन्नति से संबंधित मामलों में निर्देशों का विधिवत अनुपालन किया गया है। वर्ष के दौरान गठित सभी विभागीय पदोन्नति समितियों और चयन समितियों (भर्ती के मामले में) में अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि थे।

वर्ष के दौरान, कंपनी के 8 अनुसूचित जनजाति, 16 अनुसूचित जाति, 30 अन्य पिछड़ा वर्ग और 4 दिव्यांग/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को इन–हाउस और संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया था। इसके अलावा, एमएसटीसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी परिषद को हर संभव सहयोग और सहायता प्रदान की गई, जो मुख्य रूप से कंपनी के कर्मचारियों के आरक्षित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कार्य करती है।

15.8 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में 31.12.2020 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 754 है, जिनमें से 119 व्यक्ति अनुसूचित जाति (15.78%) के हैं, 50 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति (6.63%) के हैं और 92 व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (12.20%) के हैं। इसके अलावा, 24 महिलाएं (3.18%) और 12 दिव्यांग व्यक्ति (1.59%) हैं।

कंपनी ने कुद्रेमुख और मंगलुरु में, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाएं आदि स्थापित करके आधुनिक टाउनशिप विकसित की है। "ए" और "बी"प्रकार के क्वार्टर्स में से 10% तथा "सी" और "डी" टाइप क्वार्टर्स में से 5% क्वार्टर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं। 31 दिसंबर, 2020 तक, सभी कर्मचारियों को एक साथ सभी समूहों 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' और डी (एस) में पदोन्नत किया गया, जिनमें से 27 कर्मचारी अनुसूचित जाति वर्ग के हैं और 10 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। कुद्रेमुख, मंगलुरु और बेंगलुरु में प्रबंधन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ के साथ नियमित रूप से बातचीत होती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा की जाती है और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उचित कार्रवाई की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, 803 कर्मचारियों में से (01.04.2020 तक), 299 कर्मचारी अर्थात 37% (61 प्रशिक्षित मानव–दिवस) विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किए गए हैं, जिनमें से 75 कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित और 39 कर्मचारी अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और 185 कर्मचारी सामान्य श्रेणी के हैं।

15.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

31.11.2020 को कुल जनशक्ति 680 है, जिसमें से 128 अनुसूचित जाति (18.82%), 74 अनुसूचित जनजाति (10.88%) और 124 अन्य पिछड़ा वर्ग (18.23%) के हैं।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/निर्देशों के अनुसार, जब भी सीधी भर्ती की जाती है तब उनमें आरक्षण प्रदान किया जाता है। कंपनी द्वारा अपनाई गई पदोन्नति नीति और विभिन्न कल्याणकारी उपायों के माध्यम से, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति समुदायों के कमजोर वर्गों से संबंधित कर्मचारियों के कल्याण का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है।

15.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति / दिव्यांग/ आदि के लिए नौकरियों/सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

अध्याय–16

सतर्कता

16.1 इस्पात मंत्रालय के सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ

मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग के अध्यक्ष, संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) होते हैं जिन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। उप सचिव, अवर सचिव और सहायक कर्मचारियों के साथ सीवीओ मंत्रालय के सतर्कता संगठन में केंद्र बिंदु के रूप में काम करते हैं। इस्पात मंत्रालय और इसके प्रबंधकीय नियंत्रण में आने वाले सीपीएसई के संबंध सतर्कता प्रभाग निम्न गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है :

- 'संवेदनशील' पदों की पहचान सुनिश्चित करना और सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार संवेदनशील पदों को संभालने वाले अधिकारियों/अधिकारियों का चक्रानुक्रम।
- सतर्कता शिकायतों की जांच और उचित जांच के कदम उठाना।
- बोर्ड स्तर के अधिकारियों की पूछताछ/जांच रिपोर्ट पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को मंत्रालय की टिप्पणियां/तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जहां कहीं भी आवश्यक हो।
- पहले और दूसरे स्तर पर सीवीसी से परामर्श प्राप्त करना, जहां भी आवश्यक हो।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और सीवीसी के परामर्श से सीपीएसई में सीवीओ की नियुक्ति करना।
- इस्पात सीपीएसई के सीवीओ के साथ निवारक/प्रणालीगत सुधार उपायों सहित सतर्कता से संबंधित मुद्दों के संबंध में नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।
- बोर्ड स्तर के अधिकारियों की नियुक्तियों, पुष्टि, सेवा के विस्तार आदि के लिए उनके संबंध में सतर्कता मंजूरी प्राप्त करना।
- सीवीसी को आवधिक रिपोर्टें/विवरणियां भेजना।

सभी सीपीएसई में सतर्कता विभागों का नेतृत्व, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं। इस्पात मंत्रालय में सतर्कता विभाग इस्पात सीपीएसई में सीवीओ की निरंतरता की स्थिति की निगरानी करता है और नियमित रूप से डीओपीटी को अद्यतन विवरण प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सीवीओ के कोई पद रिक्त नहीं हैं।

मंत्रालय, व्यक्तिगत बैठकों और मासिक जांच बिन्दु, आवधिक विवरणों और सीवीओ द्वारा भेजी गई विवरणियों के माध्यम से इस्पात सीपीएसईएस में सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा करता है। इसके अलावा, मंत्रालय मामलों की समीक्षा भी करता है और जहां भी आवश्यक हो, मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित सीपीएसईएस के सीवीओ के साथ चर्चा भी करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग से सतर्कता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्राप्त निर्देशों और दिशानिर्देशों वाले परिपत्रों को अनुपालन के लिए, इन्हें सीपीएसई के सीवीओ को परिचालित भी किया जाता है।

चालू वर्ष के दौरान, (31 दिसंबर, 2020 तक) सतर्कता प्रभाग को विभिन्न स्रोतों से 82 शिकायतें मिलीं। प्राप्त 82 शिकायतों में से 55 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया और शेष 27 शिकायतों पर सीवीसी की सतर्कता नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। 01.1.2020 से 31.12.2020 तक, 5 मामलों में तथ्यात्मक रिपोर्ट/टिप्पणियां सलाह के लिए सीवीसी को प्रस्तुत की गईं। सभी मामलों में, सीवीसी की सलाह का अनुपालन किया गया था। बोर्ड स्तर के अधिकारी से जुड़े 2 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई चालू वर्ष (2020) के दौरान की गई। इसके अलावा, 19 बोर्ड स्तर के अधिकारियों के संबंध में सतर्कता मंजूरी प्रस्ताव सीवीसी को भेजे गए थे। वर्ष 2020 के दौरान सेल और आरआईएनएल में 2 नए सीवीओ नियुक्त किए गए।

मंत्रालय ने 27.10.2020 से 02.11.2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाया। इस अवसर पर, सभी कर्मचारियों को सचिव, इस्पात द्वारा सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। कार्यालय परिसर में प्रमुख स्थानों पर बैनर/पोस्टर प्रदर्शित करने के अलावा, "विजिलेंस फॉर ऑर्गनाइजेशनल एक्सीलेंस" पर भाषण और "रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कर्बिंग करप्शन" विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई ने भी 27.10.2020 से 02.11.2020 तक की अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

16.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल सतर्कता, आकस्मिक जांच, फाइलों की संवीक्षा, मौजूदा प्रणाली की निरंतर जांच/समीक्षा के जरिए से निवारक सतर्कता पर जोर देता है और प्रणाली में सुधार का सुझाव देती है जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ जाती है। संगठन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर दिया जाता है। सेल के सतर्कता विभाग द्वारा निम्न गतिविधियां की गई थीः–

जैसी कि सीवीसी और इस्पात मंत्रालय द्वारा कल्पना की गई है, सेल ने 24 और 25 सितंबर, 2020 को मध्य–स्तर के कार्यपालकों के लिए दो दिवसीय निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सेल के चालीस से अधिक प्रतिभागियों के साथ मिश्रित मोड में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छह स्थानों (कोलकाता–पश्चिम बंगाल, भिलाई–छत्तीसगढ़, बोकारो–झारखंड, बर्नपुर–पश्चिम बंगाल, राउरकेला–ओडिशा और दुर्गापुर–पश्चिम बंगाल) में आयोजित किया गया था। प्रत्येक स्थान पर 5–9 प्रतिभागियों की एक टीम थी, जिसमें विविध पृष्ठभूमि और अनुभव वाले मध्य स्तर के वित्त, परियोजनाएं, अनुबंध प्रकोष्ठ, कार्मिक, कंप्यूटर और आईटी, विपणन, सामग्री प्रबंधन, टाउनशिप के सेल अधिकारी शामिल थे, और विभिन्न उत्पादन दुकानें, जैसे ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग शॉप, सिंटर संयंत्र आदि शामिल थीं। उपरोक्त के अलावा, इस्पात मंत्रालय के तहत अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के बीस से अधिक प्रतिभागियों को वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी जोड़ा गया था। कार्यक्रम के समापन सत्र में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, श्री संजय कोठारी; श्री सुरेश एन. पटेल, सतर्कता आयुक्त; सचिव, इस्पात और सीवीसी और इस्पात मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी; और अध्यक्ष, सेल और सीवीओ, सेल भी उपस्थित थे।

अब तक इस तरह के दो दिवसीय आठ समर्पित निवारक सतर्कता कार्यक्रम पूरे किए गए हैं, जिसमें सेल के कुल 368 अधिकारियों में से 2019 बैच के 88 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया है।

- सेल में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह की शुरुआत सत्यनिष्ठा शपथ दिलाने और 27 अक्टूबर को सेल के कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ–साथ सेल के सभी संयंत्रों/इकाइयों के गणमान्य लोगों के संदेशों को पढ़ने के साथ हुई। सप्ताह के दौरान, सेल कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं/संवेदीकरण कार्यक्रम, ग्राहक बैठकें, प्रश्नोत्तरी, निबंध, स्लोगन और ड्राइंग/पोस्टर, वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। आउटरीच उपायों के रूप में, सेल टाउनशिप में स्कूल/कॉलेज के छात्रों के लिए भाषण/वक्तृत्व प्रतियोगिता, निबंध/स्लोगन प्रतियोगिता आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान आयोजित गतिविधियों को व्यापक प्रचार के लिए सेल के ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। सप्ताह के दौरान, कर्मचारियों, उनके परिवारों, छात्रों, ग्राहकों, विक्रेताओं, आदि को ई–प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- सेल सतर्कता के मुख्य विषय चुनौती वाले क्षेत्रः वर्ष 2020 के लिए सेल सतर्कता के चुनौतीपूर्ण क्षेत्र थे :
  - वर्ष 2017 और 2018 में कार्यान्वित एसआईपी की लेखा परीक्षा।
  - संयंत्र/इकाई परिसर के अंदर स्क्रैप/माध्यमिक सामग्री के लोडिंग/अनलोडिंग/परिवहन की जाँच करना।
  - खुली/वैश्विक निविदा मामलों में बोलीदाताओं (पात्र और गैर–योग्य दोनों) की पात्रता मानदंडों की पूर्ति की जांच।
  - कार्मिक विभाग से संबंधित मामले जैसे भर्ती, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति/स्थानान्तरण, स्थानांतरण के बाद सुविधाओं की अवधारण, आदि।
- सेल में सिस्टम और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेल के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में 2155 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए कुल 151 प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सेल सतर्कता द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं:
  - **निवारक जाँचः** सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों के संवेदनशील क्षेत्रों में फाइल संवीक्षा और संयुक्त जाँच सहित कुल 2333 आवधिक जाँच की गई जिसमें से विस्तृत जाँच के लिए 41 मामलों को चुना गया, जबकि निवारक/प्रणाली सुधार की सिफारिशे 412 मामलों में की गईं।
  - **एसीवीओ बैठकः** संयंत्र/इकाई स्तर पर सतर्कता विभागों के प्रमुख के रूप में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारियों (एसीवीओएस) के साथ नियमित बातचीत बनाए रखने के एक भाग के रूप में, सीवीओ ने नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कीं जिन्हें एसीवीओ बैठकों के नाम से जाना जाता है। बैठकों के दौरान, सेल सतर्कता के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों द्वारा प्रकरण अध्ययनों/अन्य सतर्कता संबंधी मामलों पर प्रस्तुतियाँ, प्रस्तुत की गई जो सभी संबंधितों के द्वारा अच्छी प्रथाओं/प्रक्रियाओं को अपनाना सुनिश्चित करेंगी।

- **प्रणाली में सुधार परियोजनाएं:** वर्ष 2020 के दौरान, संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने के बाद, सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में कुल 15 प्रणाली सुधार परियोजनाएं (एसआईपी) शुरू की गईं।
- **गहन परीक्षण:** वर्ष 2020 के दौरान, विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में गहन परीक्षण के लिए कुल 14 मामले लिए गए। गहन परीक्षण के दौरान, उच्च मूल्य की खरीद/अनुबंधों की व्यापक रूप से जांच की गई और सुधार के लिए सुझावों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक सिफारिशें भेजी गईं।

सेल प्राइम उत्पादों के मूल्य निर्धारण और चालान की प्रणाली में सुधार:

निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में, सेल प्राइम उत्पादों के मूल्य निर्धारण और चालान की प्रणाली का अध्ययन सभी संयंत्रों के परामर्श से केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) की सतर्कता इकाई द्वारा किया गया था। स्टॉकयार्ड प्रदायगी के लिए सीएमओ द्वारा उत्पन्न चालान के मामले में, मूल्य मास्टर डेटा सीएमओ के एसएपी/ईआरपी में अपडेट किया जा रहा था और सीएमओ की सभी शाखाओं के लिए लागू था। हालाँकि, डायरेक्ट डिस्पैच कन्साइनमेंट के लिए, यह पाया गया कि मूल्य निर्धारण परिपत्र, जब जारी किया गया था, सीएमओ द्वारा ईमेल के माध्यम से विभिन्न संयंत्रों के चालान अनुभागों को सूचित किया गया था। तब संबंधित मूल्य उत्पाद मास्टर्स में मैनुअल रूप से परिवर्तन शामिल किए गए थे।

सीएमओ से संयंत्रों में मूल्य डेटा के निर्बाध हस्तांतरण के उद्देश्य से, किसी मैनुअल हस्तक्षेप के बिना, संयंत्रों को संभावित समस्याओं के बारे में जागरूक किया गया। यह सीएमओ और संयंत्रों द्वारा मूल्य निर्धारण डेटा को संयंत्रों पर एक और प्रविष्टि के दोहराव के बिना केवल सीएमओ में एसएपी प्रणाली में डेटा फीडिंग के साथ एक स्थान पर (अर्थात सीएमओ में) बनाए रखने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत था। सेल के सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों अर्थात डीएसपी, बीएसपी, बीएसएल, आरएसपी और आईएसपी में आवश्यक प्रणाली के विकास के बाद, प्रणाली को सीवीओ/सेल, ईडी (सतर्कता) और सीएमओ और एकीकृत इस्पात संयंत्रों के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भाग लेने के लिए 'गो–लाइव' वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 19 नवंबर, 2020 को निदेशक (वाणिज्यिक) द्वारा शुभारंभ किया गया था।

16.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल के सतर्कता विभाग ने निवारक सतर्कता पर विशेष ध्यान देने के साथ–साथ आरआईएनएल में पारदर्शिता और अखंडता को बढ़ावा देने के कई उपाय किए है। जहाँ आवश्यक हो, मौजूदा प्रक्रिया और प्रणालियों में सुधार हेतु विस्तार क्षेत्र सहित खरीद, बिक्री और अनुबंधों देने में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर प्रणालीगत अध्ययन किया गया। अनुबंधों/खरीद आदेशों की गहन जांच की गई और लेखा परीक्षा पैरा/आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर ध्यान दिया गया। संवेदनशील पदों के रोटेशन, निगरानी जाँच करने, बिलों की यादृच्छिक जाँच भी की गई। इसके अलावा, निवारक सतर्कता पर कर्मचारियों और अन्य पणधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया गया, जो कि निष्पक्षता और समानता प्रबंधन के लिए एक कार्यात्मक उपकरण के रूप में है। ई–नीलामी, ई–रिवर्स नीलामी और 100 प्रतिशत ई–भुगतान आदि जैसी ई–पहल के माध्यम से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था।

अप्रैल से दिसम्बर, 2020 की अवधि के दौरान आरआईएनएल में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए निम्न गतिविधियां शुरू की गईं :

- 20 गुणवत्ता जांच और चिकित्सा सेवाओं पर 1 आवधिक आकस्मिक जांच सहित 108 प्रणाली निगरानी जांच की गई।
- निवारक सतर्कता/नैतिकता पर 31 भौतिक सतर्कता जागरूकता सत्रों और 06 वेबिनार का आयोजन किया गया।
- प्रक्रियाओं, नियमों, नीतियों, दिशानिर्देशों आदि में सुधार के लिए 05 प्रणाली अध्ययन किए गए और संबंधित विभागों को सतर्कता टिप्पणियां/सिफारिशों के बारे में सूचित किया गया।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अवलोकन–2020 के साथ "सतर्क भारत–समृद्ध भारत" विषय का आयोजन किया गया है, जिसमें कई कार्यक्रम शामिल हैं; कर्मचारियों की भागीदारी, उनके आश्रितों और अन्य पणधारकों को शामिल करते हुए प्रतिज्ञा, पोस्टर, निबंध लेखन, क्विज और वक्तृत्व कला प्रतियोगिताओं आदि का प्रदर्शन किया गया। पास के कॉलेज के छात्रों के लिए भी वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।
- "निवारक सतर्कता", "प्रभावी एस्टेट प्रबंधन और हाउस आबंटन नियमों का निष्पक्ष कार्यान्वयन", परियोजनाओं में अनुबंधों के निष्पादन और प्रबंधन", "अनुबंध प्रक्रियाओं का अनुपालन", "संपत्ति विवरणी, "सीडीए नियमों का क्या करें और क्या न करें" और वैधानिक भुगतान पर जागरूकता पर निवारक सतर्कता के लिए जागरूकता के लिए आयोजित वेबिनार।
- वित्त विभाग द्वारा "शिकायत निवारण" के लिए वेबिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें विक्रेताओं/संविदाकारों की शिकायतों को संबोधित किया गया।

16.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी सतर्कता विभाग निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी निर्णय लेने के बारे में दिशानिर्देश देता है और इनकी की सुविधा प्रदान करता है और सक्रिय उपायों के साथ निवारक सतर्कता को प्राथमिकता देता है। विभाग ने वर्ष के दौरान कई पहल की हैं। अच्छी तरह से परिभाषित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त जांच और संतुलन पर जोर दिया गया। निगम के कर्मचारियों के लिए सतर्कता मामलों पर जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। परियोजनाओं के सतर्कता अधिकारियों ने सतर्कता मामलों पर कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कक्षाएं संचालित की। प्राप्त शिकायतों की जाँच की गई और यथावश्यक सुधारात्मक उपायों/अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है।

इस अवधि (जनवरी–दिसंबर 20) के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा 50 आकस्मिक निरीक्षण और 62 नियमित निरीक्षण किए गए। प्राप्त शिकायतों की जांच की गई और आवश्यकतानुसार प्रणाली में सुधार/अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सुझाव दिए गए।

एनएमडीसी में सतर्कता विभाग का उन्नयन मानक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के आईएसओ 9001:2015 मानकों के अनुरूप किया गया और प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया जो फरवरी, 2022 तक मान्य है।

निवारक सतर्कता प्रशिक्षण मॉड्यूलः एनएमडीसी ने हाइब्रिड लर्निंग पैटर्न में पहले से रिकॉर्ड किए गए व्याख्यानों की मदद से प्रशिक्षण शुरू किया। भौतिक प्रशिक्षण के लिए भौतिक उपस्थिति और वातावरण की भावना को बढ़ाने के लिए, एनएमडीसी टीम द्वारा उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ विस्तारित कक्षा अवधारणा (ईसीसी) विकसित की गई है। इससे कई बैचों में सभी अधिकारियों को कवर करने के लिए बड़ी संख्या में सत्र आयोजित करने के लिए संसाधन व्यक्तियों की अधिकता पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है।

सतर्कता विभाग ने कार्य और खरीद संविदाओं को संभालने वाले अधिकारियों के बीच ज्ञान और जागरूकता में सुधार के लिए एक सक्रिय/निवारक सतर्कता पहल के रूप में 6 और 7 फरवरी, 2020 को "अनुबंध और मध्यस्थता" पर 2–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। हैदराबाद में एनएमडीसी और अन्य सीपीएसई ने इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री शरद कुमार द्वारा किया गया था और संविदाओं और मध्यस्थता पर एक हस्त पुस्तक का विमोचन किया गया था।

सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए निवारक सतर्कता मॉड्यूल के एक भाग के रूप में 7 और 8 दिसंबर, 2020 को प्रेरण स्तर के अधिकारियों के लिए एक आभासी प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

"पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग" के कार्यान्वयन के भाग के रूप में सभी लेनदेन 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य के अनुबंधों, नामांकन के आधार पर सौंपे गए सभी कार्य, 1 लाख रुपए से ऊपर की एकल निविदा, संविदाकारों को बिल भुगतान के बारे में जानकारी आदि को कंपनी की वेबसाइट पर दिया जाता है। ई–खरीद, ई–निविदा और ई–नीलामी को प्रोत्साहित करने के प्रयास लगातार जारी हैं।

एनएमडीसी ने नवंबर 2007 से सत्यनिष्ठा समझौता के कार्यान्वयन को अपनाया है। सर्तकता विभाग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार दिनांक 07.09.2018 से खरीद और अनुबंध, दोनों मामलों में 1.0 करोड़ रुपए तक की सीमा कम कर दी गई है जबकि पहले यह सीमा सिविल कार्यो और अनुबंध हेतु 20 करोड़ रुपए तथा एनएमडीसी के बोर्ड के अनुमोदन से खरीद के लिए सीमा 10 करोड़ रुपए थी, सत्यनिष्ठा समझौता को 25292.70 करोड़ रुपए मूल्य के 294 अनुबंधों में दर्ज किया गया है। सभी अनुबंधों में, जहां सत्यनिष्ठा समझौता वफादार संधि पर हस्ताक्षर किए जाने थे, सीमा रेखा का अनुपालन किया गया और अनुबंध के कुल मूल्यों का 92 प्रतिशत से अधिक सत्यनिष्ठा समझौता के तहत कवर किया गया।

एनएमडीसी में सतर्कता अधिकारियों की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित की जा रही है और अंतिम बैठक 2 नवंबर, 2020 को आयोजित की गई थी।

सीवीसी से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, एनएमडीसी की सभी परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों में **"सतर्क भारत, समृद्ध भारत"** विषय पर 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया गया। भारत के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय, परियोजनाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को लाइव–स्ट्रीमिंग के माध्यम से सीएमडी द्वारा ई–प्रतिज्ञा का आयोजन किया गया था। जागरूकता लाने के लिए कर्मचारियों द्वारा कोविड–19 सुरक्षा सावधानियों का पालन करने के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं/गतिविधियों जैसे वक्तृत्व कला, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी (वर्चुअल मोड) और सर्वश्रेष्ठ हाउस कीपिंग गतिविधियों के लिए अंतर–विभागीय प्रतियोगिता, निवारक सतर्कता मॉड्यूल पर प्रशिक्षण की ऑनलाइन/लाइव स्ट्रीमिंग और अन्य गतिविधियों को भी आयोजित किया गया था।

सतर्कता विभाग द्वारा किए गए प्रणाली सुधार/पहल : –

- पूर्व–संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया में प्रणाली में सुधार किसी भी मुकदमेबाजी/मध्यस्थता से बचने के लिए कार्य आदेश जारी करने से पहले राजस्व, वन और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों से सभी अपेक्षित मंजूरी की जांच सुनिश्चित करके अनुबंध के निष्पादन में कमी से बचने के लिए किया गया है।

- संविदा श्रम की मजदूरी में प्रणाली सुधार किया गया है, संविदाकारों को पारदर्शिता में सुधार के लिए आईआर अनुभाग को अंतिम बिल प्रस्तुत करने से पहले विभाग/कार्मिक विभाग को निष्पादित करने के लिए संविदा श्रम मासिक मजदूरी के साक्ष्य के रूप में बैंक स्टेटमेंट/पासबुक/ऑनलाइन पीडीएफ स्टेटमेंट की एक प्रति प्रस्तुत करनी है।

16.5 मॉयल लिमिटेड

सतर्कता विभाग के कामकाज में निवारक सतर्कता भी शामिल है जिसका संगठन में प्रणाली सुधार पर मुख्य बल है, जिसका उद्देश्य यह है कि प्रबंधन अपने प्रयासों से अधिकतम प्राप्त कर सके। सतर्कता विभाग की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

- **आईएसओ 9001–2015 प्रमाणन:** गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त प्रत्यायन प्रणाली से मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा मॉयल लिमिटेड के प्रबंधन को सतर्कता सेवाएं देने के लिए, सतर्कता विभाग को आईएसओ–9001:2015 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। यह प्रमाणपत्र 21.05.2023 तक वैध है। आईसीएस द्वारा जारी प्रमाण पत्र को दुनिया भर में आईएएफ (इंटरनेशनल एक्रेडिटेड फोरम) द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- **निरीक्षण:** निष्पादन के दौरान मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने और प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए, नियमित/आवधिक और आकस्मिक निरीक्षण नियमित रूप से किए जा रहे हैं। जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान, 1 आवधिक और 2 आकस्मिक निरीक्षण किए गए हैं। निरीक्षण के आधार पर प्रबंधन को 2 परामर्श जारी किए गए हैं।
- **शिकायत निपटान:** सतर्कता विभाग ने जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान, 28 शिकायतों पर कार्रवाई की है और जांच के परिणाम के आधार पर, सुधारात्मक कार्रवाई और प्रणाली में सुधार के लिए प्रबंधन को 8 परामर्शिकाएं जारी की गई हैं।
- **प्रक्रियाओं और प्रणालियों की जांच:** सतर्कता विभाग ने जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान, खरीद, संविदा भर्ती आदि से संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन किया है और परीक्षा के आधार पर, सुधारात्मक कार्रवाई और प्रणाली में सुधार के लिए प्रबंधन को 2 परामर्शिकाएं दी गई थीं।
- **मोबाइल ऐप 'सतर्कता मॉयल':** मॉयल ने सतर्कता मॉयल नाम से एक मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया है जिसे किसी भी समय किसी भी स्थान से शिकायत करने के लिए, गूगल एप स्टोर से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है।
- **टोल फ्री नंबर:** सतर्कता संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए टोल–फ्री नंबर 18002333606 आरंभ किया गया है।
- **ई–खरीद:** ई–खरीद 2 लाख रुपए से अधिक की खरीद और कार्य संविदाओं के लिए किया जा रहा है। अब मॉयल ने 2 लाख रु. से नीचे की संविदा मूल्य के लिए ई खरीद के लिए भी अनुपालन किया है, ताकि संपूर्ण खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाए और बोलीदाताओं के साथ न्यूनतम प्रत्यक्ष बातचीत हो।
- **प्रबंधन के साथ संरचित बैठक:** सीवीसी और इस्पात मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, हर तिमाही में सीएमडी, मॉयल की उपस्थिति में मॉयल प्रबंधन के साथ सतर्कता विभाग की संरचित बैठकें की जाती हैं जिसमें ई–शासन, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, निविदा प्रबंधन, कार्य देने, भर्ती की नीतियों, संविदा प्रबंधन, कार्यपालक अधिकार प्रत्यायोजन, विक्रेताओं को समय पर भुगतान से संबंधित मुद्दों और अन्य कार्य सूची मदों पर चर्चा की गई है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** सीवीसी के परिपत्र के संदर्भ में, विनियामक, प्रवर्तन गतिविधियों और शिकायतों के निपटने के लिए वेबसाइट के प्रभावी उपयोग और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर दिया गया। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और अनुबंध के मामले में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। साथ ही, संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिल भुगतान की स्थिति को वेबसाइट पर नियमित रूप से पोस्ट किया जाना है। सभी निविदा दस्तावेज, पदोन्नति सूची, स्थानांतरण सूची, सीएसआर कार्य, भर्ती के लिए वरिष्ठता सूची–आवेदन, नोटिस और अन्य प्रोफॉर्म वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैं।
- **नियमावली का अद्यतन:** विभिन्न नियमावली जैसे कि खरीद नियमावली, कार्य और अनुबंध नियमावली, कार्मिक नियमावली आदि तैयार की गई हैं और प्रयोग की जा रही हैं। खरीद नियमावली, कार्य और अनुबंध नियमावली, कार्मिक नियमावली कंपनी की वेबसाइट/इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं। विपणन नियमावली और लेखांकन नियमावली तैयार की जा रही है। क्रियोन्मुख सतर्कता के हिस्से के रूप में नियमावली का अद्यतनीकरण प्रक्रियाधीन हैं और इसका पर्यवेक्षण प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** सतर्कता विभाग ने जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान, सतर्कता जागरूकता पर 52 कर्मचारियों (312 घंटे) को कवर करते हुए 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें से एक प्रमुख कार्यालय और दूसरा खान पर आयोजित किया गया था।

- **जॉब रोटेशन** : संवेदनशील पदों पर 3 साल से अधिक समय से काम कर रहे अधिकारियों के रोटेशन के लिए संवेदनशील पदों की पहचान की गई और प्रबंधन के साथ अनुपालन किया जा रहा है।
- **प्रणाली में सुधार** : शिकायतों, अध्ययन, निरीक्षण आदि से संबंधित जांच के परिणामस्वरूप, निम्न क्षेत्रों में व्यवस्था में सुधार के लिए प्रबंधन को सलाह और सुझाव दिए गए।
  - चोरी की संभावना वाले क्षेत्रों जैसे कि ओ/सी खान, बाउंड्री वॉल और चुनिंदा स्थान पर सीसीटीवी और सुरक्षा व्यक्ति के नियमित रोटेशन।
  - खानों में उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम।
  - भर्ती में चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एसओपी।
  - मौजूदा मैनुअल का अद्यतन और खातों और विपणन मैनुअल की तैयारी।
  - जीईएम के माध्यम से द्वितीयक माध्यमिक वस्तुओं की खरीद।
  - ई–खरीद।
  - कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाइल और सर्विस बुक का नियमित अपडेशन।
  - सूचना प्रणाली का संरक्षण अर्थात ईआरपी/एसएपी और डेटा अवलंब प्रबंधन ईआरपी का थर्ड पार्टी ऑडिट।
  - भुगतान किए गए बिल की स्थिति के बारे में सभी जानकारी मॉयल की वेबसाइट पर अपलोड करना।
  - संविदाकार/विक्रेता को समय पर भुगतान।
  - ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती।
  - नीति के अनुसार पुराने रिकॉर्ड की छँटाई।
  - सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत टीओसी और टीईसी मंजूरी, इसके विषय क्षेत्र और कार्यक्रम के बारे में, समय से सूचना।
- **वार्षिक संपत्ति विवरणी**: सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, संगठन के सभी अधिकारियों को निर्दिष्ट समय के अंदर एपीआर जमा करना होगा। मॉयल का कार्मिक विभाग एपीआर का संरक्षक है और रिपोर्ट करता है कि सभी अधिकारियों ने अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी जमा कर दी है, हर साल उपरोक्त के 20 प्रतिशत की सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जाती है। तदनुसार, जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान 70 अधिकारियों के एपीआर की जांच की गई है।
- **सतर्कता जागरूकता सप्ताह**: मॉयल लिमिटेड की सभी खानों/कार्यालयों में 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसमें सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार "सतर्क भारत–समृद्ध भारत" विषय पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। कोविड–19 दिशानिर्देशों के संबंध में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के उद्घाटन का आयोजन करते हुए, विशेष ध्यान रखा गया था।
  - **"शुचिता" की एक सतर्कता पत्रिका के 9वें अंक का विमोचन**: सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, मॉयल "शुचिता" के इन–हाउस सतर्कता पत्रिका का 9वां अंक जारी किया गया है।
  - **"गवर्नमेंट–ई–मार्केट प्लेस" पर एक दिवसीय कार्यशाला** : 31 अक्टूबर, 2020 को, "गवर्नमेंट–ई–मार्केट प्लेस" पर एक–दिवसीय वेबिनार आयोजित किया गया था। सभी खानों, प्रमुख कार्यालय और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, एमईसीएल (मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड), भारत सरकार के उपक्रम के अधिकारियों ने भी इस वेबिनार में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में, प्रश्न और उत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने संकाय से प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं को दूर किया।
  - **सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम** : बालाघाट खान, मध्य प्रदेश और चिकला खान, महाराष्ट्र के सतर्कता अधिकारी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह/कोविड–19 दिशानिर्देशों के संबंध में की गई विशेष देखभाल के दौरान भारवेली और उकवा में रवींद्र नाथ टैगोर स्कूल में और डीएवी स्कूल सीतासावंगी में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, सभी कार्यक्रमों को सामाजिक दूरी बनाए रखकर आयोजित किया गया था। निबंध, कविता और स्लोगन लेखन और पोस्टर, कार्टून ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सर्वश्रेष्ठ रूप से चुने गए प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

16.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन का सतर्कता विभाग वर्तमान में मुख्य कार्यालय, रांची में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के अधीन कार्य कर रहा है। मेकॉन के सतर्कता विभाग ने कई प्रयास किए हैं, जिनका संक्षेप में नीचे उल्लेख किया गया है :–

- मेकॉन लिमिटेड ने बहुत ही उत्साह के साथ और केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश के साथ "सतर्क भारत–समृद्ध भारत" विषय के अनुरूप 27 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2020 तक बड़े उत्साह के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 को मनाया। मेकॉन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) का समारोह 27 अक्तूबर, 2020 को सुबह 11 बजे प्रतिज्ञा समारोह के साथ शुरू हुआ। कोरोना महामारी के कारण, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक द्वारा मेकॉन के कर्मचारियों को रांची और अन्य स्थल कार्यालयों में ऑनलाइन सत्य निष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई गई थी। कर्मचारियों को गणमान्य व्यक्तियों के साथ–साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदेश भी पढ़कर सुनाए गए। विभिन्न प्रमुख स्थानों में सतर्कता जागरूकता, भ्रष्टाचार विरोध आदि पर प्रचार तथा प्रसार के लिए संदेश के बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए और प्रस्तुति, वार्ता और पैनल चर्चा जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। ऑनलाइन विधि के माध्यम से मेकॉन के कर्मचारियों और उनके परिवारजनों (जीवन साथी और बच्चों) को शामिल करते हुए निबंध, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। आंतरिक रूप से विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से मेकॉन के कर्मचारियों हेतु एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2020 के आयोजन के एक भाग के रूप में, इस सप्ताह के दौरान एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था, ताकि इस वर्ष के विषय "सतर्क भारत–समृद्ध भारत" का समर्थन किया जा सके। भ्रष्टाचार विरोधी संदेशों के प्रसार और सतर्क गतिविधियों के लिए सतर्क भारत की आवश्यकता पर जोर देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान बीएसएनएल की बल्क पुश एसएमएस सेवा का उपयोग किया गया। एसएमएस का टेक्स्ट "मेकॉन लिमिटेड" था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2020 का आयोजन किया गया। कृपया सीवीसी लिंक https://pledge.cvc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन ई–सत्य निष्ठा की प्रतिज्ञा लें।"
- निवारक उपाय किए जा रहे हैं जैसे कि आकस्मिक और नियमित जांच, फाइलों की संवीक्षा, वार्षिक संपत्ति विवरणी की जांच, आदि।
- प्रबंधन के साथ सतर्कता की नियमित रूप से संरचित बैठक आयोजित की जा रही है तथा निविदा दस्तावेजों के मानकीकरण, संगठन के कार्यविधियों और नियमावली के अद्यतन, परिसंपत्ति प्रबंधन/भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, जांच अधिकारी (आईओ) के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति, कम्प्यूटरीकृत फाइल ट्रैकिंग प्रणाली (एसएपी/ईआरपी कार्यान्वयन सहित) आदि पर चर्चा की गई है।
- मेकॉन ने 214 आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों के साथ सत्य निष्ठा संधि (आईटी) पर हस्ताक्षर किए हैं (व्यापक कवरेज के लिए थ्रेशहोल्ड मूल्य कम किया गया: ईपीसी परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक तथा टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और आंतरिक खरीद के लिए 25 लाख रुपए और इससे ऊपर)।

16.7 एमएसटीसी लि.

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में एमएसटीसी का सतर्कता सेटअप भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों को संस्थागत बनाने में सहायक रहा है। एमएसटीसी के सतर्कता विभाग द्वारा मुख्य रूप से प्रणाली में सुधार, निवारक, सक्रिय और दंडात्मक सतर्कता के माध्यम से दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से मूल्य–आधारित व्यापार प्रथाओं से उत्पन्न सद्भावना और विश्वास को मजबूत करने तथा कंपनी को एक व्यावसायिक रूप से प्रबंधित, प्रतिस्पर्धी के रूप में सशक्त बनाना जारी रखा जाता है।

एमएसटीसी में सतर्कता पारदर्शी प्रणाली और प्रक्रियाओं हेतु प्रणालीगत परिवर्तनों और लाभकारी प्रौद्योगिकी पर जोर दिया जाता है, जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ जाती है। जहाँ आवश्यक हो, मौजूदा प्रक्रिया और प्रणालियों में सुधार के लिए खरीद, भर्ती, सेवा वितरण आदि में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर प्रणाली अध्ययन किया गया। संविदा/खरीद आदेशों की जांच की गई और लेखा परीक्षा पैरा/आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया गया। संवेदनशील पदों की पहचान, निगरानी जांच, बिलों की यादृच्छिक जांच भी की गई। सतर्कता विभाग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार हैं : –

- **प्रक्रियाओं और प्रणालियों की संवीक्षा**

  इस अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग ने निम्नलिखित प्रक्रिया/नीतियों/नियमों का अध्ययन किया है और परीक्षा के आधार पर, निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रणालीगत सुधार के लिए प्रबंधन का सुझाव दिया गया है :

  - भर्ती नियम में संशोधन।
  - सीडीए नियम में प्रावधानों सहित जांच अधिकारियों के रूप में बाहरी/सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति पर एक दिशानिर्देश तैयार करना।

- प्रत्यायोजित शक्तियों की अनुसूची–बड़े/छोटे जुर्माने में डीए।
- ध्यानकर्षक तंत्र/सतर्कता नीति।
- पदोन्नति नीति।
- सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्टिंग।
- कर्मचारियों द्वारा अचल/चल/मूल्यवान संपत्ति प्राप्त करने के लिए स्वीकार करने/सहमति देने के लिए प्राधिकार प्रदान करना।
- वेबसाइटों पर निविदाएं/संविदा प्रदान करने पर विवरण के प्रकाशन।
- कर्मचारियों से पीआर प्राप्त करने/भरने हेतु सीडीए नियमों में एक समय–सीमा प्रदान करना।

- **लाभकारी प्रौद्योगिकी**
  - बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए सतर्कता निकासी अद्यतन प्रक्रिया को स्वचालित करने हेतु सतर्कता निकासी प्रणाली की आंतरिक विधि को विकसित किया गया है।
  - वार्षिक संपत्ति विवरणी ऑनलाइन भरने की विधि को विकसित किया जा रहा है।
  - संविदाकारों आदि को बिल भुगतान के बारे में जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम**
  - इस अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग ने नैगम कार्यालय कोलकाता में 02 निवारक सतर्कता मॉड्यूल कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें नए कर्मचारियों के साथ–साथ 62 मध्य–कैरियर स्तर (18 बजे) कर्मचारियों को कवर किया गया। सतर्कता विभाग द्वारा नैगम कार्यालय में 01 विक्रेता बैठक आयोजित की गई। 90 कर्मचारियों को कवर करने के साथ सतर्कता जागरूकता पर 2 घंटे का 01 सत्र किया गया।
- **प्रणाली में सुधार**

  शिकायतों, अध्ययन, निरीक्षण आदि से संबंधित जांचों के परिणामस्वरूप, प्रणाली में सुधार हेतु प्रबंधन को दिए गए सलाह और सुझाव निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू किए जाते हैं: –
  - मानक निविदा–प्रक्रिया दस्तावेज–अस्पष्टता से बचने के लिए निविदा/निविदा दस्तावेज में मूल्य मूल्यांकन मानदंड स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना।
  - खरीद/कार्य आदेश अनुबंध–कानूनी कागज के माध्यम से निष्पादित करना।
  - कर्मचारियों से एपीआर प्राप्त करने/अभिरक्षा में लेने की प्रक्रिया का मानकीकरण।
  - आंतरिक नियंत्रण को मज़बूत करने के लिए (1) बकाया देनदारों का अनुसरण; (2) समय बद्ध तरीके से निधियों/खातों का विनियोजन तथा समायोजन; (3) अस्थायी अग्रिम निधियों का निपटान और (4) समीक्षा के एक अन्य स्तर का रखरखाव किया गया और प्रक्रिया की एक अलग–अलग स्वतंत्र विधि द्वारा अनुमोदन कार्यान्वित किया गया है।
  - इनवॉइसिंग (प्रारूप 3) में आईटी का लाभ उठाना, ऑनलाइन मेडिकल बिल जमा करना और प्रतिपूर्ति।
- **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** : सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2020 एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" विषय के साथ मनाया गया। साथ ही, नागरिकों के लिए आयोग की नई पहल हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करने के लिए केंद्र सरकार के संगठनों में व्यवस्थित सुधार का सुझाव देने हेतु संगठन की वेबसाइट में प्रदर्शित करने के साथ ही कर्मचारियों और अन्य पणधारकों जैसे कि पंजीकृत संविदाकारों/विक्रेताओं को उनके सुझाव के लिए बल्क ई–मेल भेजना था।

16.8 केआईओसीएल लि.

निवारक सतर्कता, सतर्कता विभाग का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है तथा वर्ष के दौरान इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भ्रष्टाचार और कुप्रथाओं के दुष्प्रभावों के बारे में सभी स्तरों पर अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए निवारक सतर्कता का माहौल तैयार किया जाता है।

प्रबंधन के साथ सतर्कता की नियमित रूप से संरचित बैठक आयोजित की जा रही है और ई–शासन, लाभकारी प्रौद्योगिकी, निविदा प्रबंधन, कार्यों की प्रदायगी, भर्ती की नीति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

सतर्कता विभाग को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने हेतु आईएसओ प्रमाण पत्र 9001–2015 मानकों के अनुपालन के लिए प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणपत्र 29 जनवरी, 2022 तक मान्य है।

केआईओसीएल लि. के सभी स्थानों/कार्यालयों में 27 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

ई–प्रापण प्रचलन में है और इसके लिए सीमा मूल्य 2 लाख रुपए और उससे अधिक निर्धारित किया गया है। वर्ष 2020 (जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020) के दौरान, मूल्य के अनुसार 96.71 प्रतिशत मामले इसके तहत आते हैं। सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान, सत्यनिष्ठा संधि की शर्त को शामिल करते हुए 140 कार्य/खरीद/बिक्री के आदेशों को जारी किया गया है, जो मूल्यानुसार द्वारा 98.48 प्रतिशत संविदाओं को कवर करता है। सत्यनिष्ठा संधि के तहत कोई शिकायत नहीं मिली है।

इस अवधि के दौरान 46 संवीक्षा/परीक्षाएं, 47 जांचें/निरीक्षण और यदि कोई सुझाव दिया जाता है तो उसके सुधारात्मक कार्य गए हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

सतर्कता विभाग ने 949 श्रम दिवसों को कवर करते हुए वर्चुअल/हाइब्रिड मोड के माध्यम से 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। निवारक सतर्कता, डिजिटल सतर्कता, मांगपत्र और निविदा प्रक्रिया, भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में तकनीक की भूमिका और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने आदि जैसे विषयों को कवर किया गया।

वर्ष के दौरान, सीवीसी पीवी प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार मध्य–केरियर और प्रेरण स्तर के कर्मचारियों के लिए 560 श्रम दिवसों को कवर करते हुए निवारक सतर्कता पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस/हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित किए गए थे।

16.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता वाले एफएसएनएल का सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों को संस्थागत बनाने में सहायक रहा है। एफएसएनएल का सतर्कता विभाग मूल्य आधारित व्यापार प्रथाओं तथा सद्भाव और विश्वास को मजबूती से बढ़ावा देने सहित मुख्य रूप से प्रणाली में सुधार, निवारक, सक्रिय, भागीदारी और दंडात्मक सतर्कता के माध्यम से दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यावसायिक रूप से प्रबंधित प्रतिस्पर्धी कंपनी के रूप में कार्य जारी रखता है।

एफएसएनएल सतर्कता पारदर्शी प्रणाली और प्रक्रियाओं के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों और लाभकारी प्रौद्योगिकी पर जोर देती है, जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ जाती है। अनुबंध/खरीद आदेशों की जांच की गई और लेखा परीक्षा पैरा/आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया गया। संवेदनशील पदों की पहचान, आकस्मिक जांचों का आयोजन, वार्षिक संपत्ति विवरणी की यादृच्छिक जांच भी की गई। सीबीआई की संबंधित स्थानीय शाखा के साथ सहमति सूची पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रबंध निदेशक के साथ सीवीओ की संरचित बैठक त्रैमासिक आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (मार्च 2020 के बाद) के माध्यम से आयोजित की जा रही है। सतर्कता विभाग सत्य निष्ठा संधि के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। सत्य निष्ठा संधि के तहत 31/12/2020 तक, 36 अनुबंधों को कवर किया गया है। वर्ष 2020 तक एफएसएनएल द्वारा दो स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता (आईईएम) नियुक्त किए गए हैं। सतर्कता विभाग द्वारा 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के दौरान, की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार हैं :

- **प्रक्रियाओं और प्रणालियों की संवीक्षा**

  इस अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग ने निम्नलिखित प्रक्रिया/नीतियों/नियमों का अध्ययन किया है और परीक्षा के आधार पर, निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रणाली में सुधार हेतु प्रबंधन का सुझाव दिया गया है :

  - संविदा/खरीद आदेश।
  - "पूंजीगत सामानों/वस्तुओं की खरीद" पर एक नवीन निवारक अध्ययन, पीवी–सीएचएएसई (भ्रष्टाचार जोखिम आकलन और प्रणाली संवर्धन के माध्यम से निवारक सतर्कता) का अध्ययन।
  - सीएसआर संविदा / कार्य आदेश।

- **लाभकारी प्रौद्योगिकी**

  - मार्च 2020 से ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग प्रणाली लागू किया गया है।

- वार्षिक संपत्ति विवरणी भरने हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।
- ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जा रही है।

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम**
  - संयुक्त रूप से प्रेरण स्तर और मध्य कैरियर स्तर के अधिकारियों के लिए निवारक सतर्कता प्रशिक्षण व्यवस्था सेल के माध्यम से की गई है।
- **प्रणाली में सुधार**

  अध्ययन, निरीक्षण आदि के परिणामस्वरूप, प्रणाली सुधार हेतु प्रबंधन को दी गई सलाहें और सुझाव निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू किए जाते हैं: –
  - कार्य आदेश 10.00 लाख रुपए और उससे अधिक मूल्य के लिए सफल विक्रेता के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करना।
  - निविदा समिति के सदस्यों द्वारा यह वचन देना कि उनकी भागीदारी एजेंसी में कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है।
  - निविदा रिकॉर्ड का रखरखाव।
  - कार्यालय वाहन लॉग बुक का रखरखाव।
- **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** : कंपनी में "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्तूबर 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक मनाया गया।

16.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

इन कंपनियों में सतर्कता विभाग आरआईएनएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में कार्य करता है, और प्रधान कार्यालय, भुवनेश्वर में एक सतर्कता अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, दोनों ओएमडीसी खानों, ठकुरानी और बीएसएलसी खानों, बीरमित्रपुर के लिए सतर्कता अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) नियुक्त किए जाते हैं। सतर्कता विभाग के कार्यों में कंपनी की सभी खानों और भुवनेश्वर में कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए निवारक और दंडात्मक दोनों कार्रवाई शामिल हैं। कंपनी का सतर्कता विभाग काम में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्थित सुधार हेतु अपने प्रयासों को जारी रख रहा है तथा कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतःक्रियात्मक सत्र आयोजित करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुसार, कंपनियां हर वर्ष "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" का पालन करती हैं।

अध्याय–17

शिकायत निवारण तंत्र

17.1 केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जन शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) लागू की गई है। सी पी जी आर ए एम एस, एनआईसीनेट पर एक ऑनलाइन वेब प्रणाली है, जिसे एनआईसी ने प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (डी ए आर पी जी) के साथ मिलकर तैयार किया है। इसका उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की शिकायतों का तेजी से निपटारा करना और उनकी प्रभावकारी मॉनीटरिंग करना है। शिकायत निवारण कार्य का पूरा चक्र है: (1) नागरिक द्वारा शिकायत को दर्ज करना; (2) संगठन द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने की पुष्टि; (3) आगे की कार्रवाई के संबंध में शिकायतों का आकलन; (4) आगे बढ़ाना और हस्तांतरण; (5) स्मरणपत्र और स्पष्टीकरण तथा (6) मामले का निपटारा।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति अनुलग्नक–XII में दी गई है

इस्पात मंत्रालय में संशोधित सेवोत्तम अनुरूप नागरिक/ग्राहक चार्टर को अंतिम रूप दिया गया है और क्रियान्वित किया गया है। मंत्रालय और इस्पात पीएसयू में "नागरिक केन्द्रित–सेवोत्तम सात चरण मॉडल हेतु", को अपनाने की ब्यौरेवार स्थिति अनुबंध–XVI में दी गई है।

सी पी जी आर ए एम एस के अंतर्गत 01.01.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान आने वाली शिकायतों का विवरण इस प्रकार है :

मंत्रालय/सीपीएसई	01.01.2020 को बकाया	01.01.2020 से 31.12.2020 के दौरान प्राप्त किया गया	01.01.2020 से 31.12.2020 के दौरान बंद	31.12.2020 को लंबित
इस्पात मंत्रालय	54	1376	1299	131
सेल	32	705	731	6
आरआईएनएल	शून्य	113	106	7
एनएमडीसी लिमिटेड	शून्य	20	20	शून्य
मेकॉन लिमिटेड	1	24	24	1
एमओआईएल लिमिटेड	शून्य	5	5	शून्य
केआईओसीएल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एमएसटीसी लिमिटेड	शून्य	9	9	शून्य
एफएसएनएल	शून्य	7	7	शून्य
ओएमडीसी	शून्य	3	3	शून्य

17.2 स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल के संयंत्रों और इकाइयों में कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों के लिए अलग–अलग प्रभावकारी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। सेल में शिकायत की प्रक्रिया कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और संगठनों के साथ लगातार बातचीत और उनकी सहमति के बाद शुरू की गई।

सेल के संयंत्रों और इकाइयों में शिकायतों से 3 स्तरों में निपटा जाता है और कर्मचारियों को हर चरण में एक मौका दिया जाता है ताकि वे वेतन अनियमितताओं, कार्य परिस्थितियों, तबादले, छुट्टी, उन्हें सौंपे गए कार्य और कल्याणकारी सुख–सुविधाओं आदि से जुड़ी शिकायतों को हर स्तर पर उठा सकें। शिकायत प्रबंधन की व्यवस्था के जरिए इनसे कारगर तरीके से निपटाया जाता है। हालांकि इस्पात संयंत्रों के सहयोगपूर्ण वातावरण को देखते हुए अधिकतर शिकायतों को अनौपचारिक तरीके से ही निपटा दिया जाता है। यह प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंधों को संवर्धित करने में प्रभावी सिद्ध हुई है।

17.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

आर आई एन एल में कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए अलग–अलग सुनियोजित एवं औपचारिक शिकायत निवारण प्रणालियां हैं। गैर–कार्यपालकों की औपचारिक शिकायत सुधार प्रणाली के अंतर्गत समिति में कामगारों का एक प्रतिनिधि उपस्थित होता है। जनता की शिकायतों से निपटने के लिए महाप्रबंधक के स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों के लिए एक अलग शिकायत निवारण तंत्र है।

17.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में शिकायत निवारण मशीनरी प्रधान कार्यालय में एक कार्यकारी निदेशक और चार उत्पादन परियोजनाओं में से प्रत्येक में परियोजनाओं के प्रमुख के नेतृत्व में है। शिकायत निवारण मशीनरी की निगरानी के लिए कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। मशीनरी संतोषजनक तरीके से कार्य कर रही है। एनएमडीसी की वेबसाइट के होम पेज में लोक शिकायत के लिए शिकायत दर्ज करने हेतु भारत सरकार के पोर्टल का एक लिंक उपलब्ध कराया गया है। जब भी कोई सार्वजनिक शिकायत (प्रेस सहित) प्राप्त होती है, उसका तत्काल संज्ञान लिया जाता है।

17.5 मॉयल लिमिटेड

कोई भी नागरिक अपनी शिकायत ऑनलाइन केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। सभी शिकायत अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया गया है कि जिस तरीके से लोक शिकायत प्राप्त हुई है, उसका निपटारा किया जाए। जनता की शिकायत से निपटने के लिए अपनाई गई प्रणाली का गठन पूर्व में विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त निर्देशों के आधार पर किया गया था।

एमओआईएल में शिकायत निवारण मशीनरी में प्रत्येक इकाई/खान/प्रमुख कार्यालय में नामित एक शिकायत अधिकारी होता है। नोडल अधिकारी को मुख्य कार्यालय में नामांकित किया जाता है, जो प्रभावी प्रदर्शन हेतु इकाई/खान/प्रमुख कार्यालयों में शिकायत अधिकारियों के साथ समन्वय करता है।

मासिक/त्रैमासिक शिकायतों की समीक्षा की जाती है और खानों और निगम कार्यालय में नामित लोक शिकायत अधिकारियों द्वारा निपटाया जाता है और एक माह अर्थात् 30 दिनों की निर्धारित अवधि के साथ निपटारा किया जाता है।

इकाइयों में शिकायतों से संबंधित डेटा, इकाई के शिकायत अधिकारियों द्वारा मासिक/त्रैमासिक विवरण में प्रमुख कार्यालय को प्रस्तुत किए जाते हैं।

17.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन द्वारा काफी हद तक आम जनता के साथ आदान प्रदान नहीं किया जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार के कथित अन्याय से संबंधित किसी भी विशिष्ट शिकायत को एक शिकायत के रूप में माना जाता है। ग्राहकों की शिकायतों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और इस पर कार्रवाई की जाती है। मेकॉन ने लोक शिकायत के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) के तहत नोडल अधिकारी को नामित किया है और नोडल अधिकारी का नाम कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय की वेबसाइट में प्रकाशित किया गया है। मेकॉन में, अपने कर्मचारियों की शिकायत के निवारण के लिए त्रिस्तरीय शिकायत प्रक्रिया है। एक शिकायत सलाहकार समिति जिसमें कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं, कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने और निवारण के लिए सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्रचालनरत है। इसके अलावा, अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ. पि. वर्ग कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग प्रकोष्ठ है।

17.7 एमएसटीसी लि.

एमएसटीसी में लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ हैं। संगठन के क्षेत्रों और शाखाओं में कुल आठ प्रकोष्ठ हैं और प्रमुख कार्यालयों में एक नोडल प्राधिकरण और एक लोक शिकायत अधिकारी हैं। कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है। एमएसटीसी ने ऑनलाइन शिकायत प्राप्त करने और लोगों की शिकायतों के निपटान हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) को भी लागू किया है, ताकि शिकायतों को तुरंत हल किया जा सके और मामलों को सुलझाने हेतु कार्रवाई की जा सके। कुछ शिकायतें डाक से भी प्राप्त होती हैं। संगठन के बाहर और बाहर से प्राप्त शिकायतों के समाधान और निवारण के लिए कार्रवाई की जाती है।

प्रकोष्ठों के अलावा, प्रमुख कार्यालयों में भी एक शिकायत समिति का गठन किया गया है। शिकायत समिति संबंधित विभाग/क्षेत्र/शाखा से प्राप्त शिकायतों और टिप्पणियों की जांच के बाद सिफारिशें करती है।

मामलों की समीक्षा हेतु शिकायत समिति समय–समय पर बैठक करती है। मुख्यालय द्वारा कंपनी की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) और सार्वजनिक शिकायत स्थल की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

17.8 केआईओसीएल लि.

केआईओसीएल के पास विवादित समाधान तंत्र सहित एक भली भांति संरचित और बहुस्तरीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। केआईओसीएल में लोक शिकायत व्यवस्था को बैंगलोर स्थित निगम कार्यालय से लेकर सभी उत्पादन इकाई, परियोजना कार्यालय और संपर्क कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। शिकायत या फरियाद करने वाले विक्रेता और पणधारक संगठन लोक शिकायत/विवाद निपटान के लिए निम्नलिखित के माध्यम से संगठन के साथ बातचीत कर सकते हैं : –

- सभी स्थानों पर लोक शिकायत अधिकारी नामित किए गए हैं। शिकायतकर्ता इन अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से या लिखित शिकायतों के माध्यम से संपर्क कर सकता है या ई–मेल या टेलीफोन पर संपर्क कर सकता है।
- नियमित अंतराल पर विक्रेताओं की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

कोई भी विक्रेता/पणधारक, जो कंपनी को अपनी शिकायतें बताना चाहते हैं, शिकायत निदेशकों से व्यक्तिगत रूप से, लैंडलाइन या डाक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दो निदेशकों और एक महाप्रबंधक को जनता/कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए निदेशकों के रूप में नामित किया गया है।

केआईओसीएल लिमिटेड ने मार्च, 1977 में अनुशासन संहिता के तहत विकसित एक सुपरिभाषित शिकायत प्रक्रिया को भी तैयार किया है, जिसमें सभी कर्मचारियों, दोनों कार्यकारी और गैर–कार्यकारी अधिकारियों को शामिल किया गया है। आरंभ होने के बाद से, योजना मान्यता प्राप्त संघ या अधिकारी संघ से किसी भी तरफ से किसी शिकायत के बिना संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। संगठन में कर्मचारियों की सीमित संख्या को देखते हुए, शिकायतों की पहचान आसानी से की जाती है और मूल स्तर पर ही उनका निवारण किया जाता है।

सेवोत्तम कंप्लेंट सिटीजन चार्टर के विकास के बाद इसे कॉर्पोरेट वेबसाइटः www.kioclltd.in पर उपलब्ध कराया गया है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक शिकायत और फरियाद के निवारण के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) के पोर्टल का एक लिंक प्रदान किया है।

17.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

कंपनी जनता के साथ कोई सीधा लेन–देन नहीं करती है। जबकि, कंपनी ने इस विषय पर मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के पालन में नागरिक चार्टर लागू किया है। किसी भी सार्वजनिक शिकायत के निवारण के संबंध में, कंपनी उसका निवारण सुनिश्चित करती है।

एफएसएनएल ने सभी इकाइयों/निगम कार्यालय में, बॉक्स, अर्थात "शिकायत बॉक्स" रखे हैं, जो सामान्य रूप से और कर्मचारियों के लिए इन बॉक्स की आसान पहुँच को ध्यान में रखते हुए इकाइयों/निगम कार्यालय के रिसेप्शन काउंटर पर रखे जाते हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन शिकायत आवेदन इस्पात मंत्रालय के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से भी प्राप्त होते हैं, जिनका एक उचित अवधि के अंदर/तुरंत जवाब दिया जाता है।

शिकायत बॉक्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को "शिकायत रजिस्टर" नामक एक रजिस्टर में प्राप्त किया जाता है।

चरण–1 के तहत, यदि किसी कर्मचारी/जनता को कोई शिकायत है, तो उसे इस उद्देश्य के लिए नामित लोक/कर्मचारी शिकायत अधिकारी से मिलने का अवसर मिलता है, जो धैर्यपूर्वक शिकायत सुनता है, और यदि आवश्यक हो, तो पूछताछ करता है और शिकायतकर्ता को शिकायत सुनने की तारीख से 3 कार्य दिवसों के अंदर मौखिक उत्तर देता है।

चरण–2 के तहत, कर्मचारी/जनता, लोक/कर्मचारी शिकायत अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है, या यदि उसे 3 कार्य दिवसों के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है, या यदि उसकी शिकायत का संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है, तो लोक / कर्मचारी शिकायत अधिकारी के स्तर पर, शिकायतकर्ता को इकाई कार्यालय में इकाई प्रमुखों तथा निगम कार्यालय में विभागीय प्रमुखों से मिलने का अवसर मिलता है, जो धैर्यपूर्वक शिकायत सुनते हैं, संबंधित व्यक्तियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं और अपना निर्णय देते हैं शिकायत, या शिकायतकर्ता को उत्तर भेजते हैं।

चरण–3 के तहत, यदि कर्मचारी/जनता चरण–2 के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, उसे निगम कार्यालय में कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक से मिलने का अवसर मिलता है, जो धैर्यपूर्वक शिकायत सुनता है, उसका विश्लेषण करता है तथा उसका निवारण करता है।

यदि कर्मचारी/जनता चरण–I, II और III के परिणामों से संतुष्ट न हो, तो वे कंपनी के प्रबंध निदेशक से अपील कर सकते हैं, जो उपरोक्त सभी 3 चरणों में की गई कार्रवाई की फिर से जांच करेंगे, शिकायत का विश्लेषण करेंगे और अपील की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंदर संबंधित कर्मचारी/जनता को अपना निर्णय संप्रेषित करेंगे।

जहां तक एफएसएनएल/सरकारी शिकायत पोर्टलों, सीपीजीआरएएमएस/पीएमओपीजी के शिकायत पोर्टल पर प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों का संबंध है, तो उन्हें निर्धारित अवधि के अंदर तुरंत हल किया जाता है।

17.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

यूनिट स्तर पर और निगम स्तर पर ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी में शिकायत निवारण तंत्र लागू है। लोक शिकायत के निवारण की प्रणाली को व्यवस्थित किया गया है ताकि शिकायतों की स्वीकृति को ऑनलाइन भी शामिल किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए नोडल अधिकारी को सूचित किया गया है। अधिकारी का नाम और पदनाम कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.birdgroup.co.in पर प्रकाशित किया गया है।

कंपनियों ने सेवोत्तम मॉडल के अनुसार शिकायतों और निपटान की ऑनलाइन रसीद हेतु प्रणाली शुरू की है। जन शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए www.birdgroup.co.in पर "सेवोत्तम" का सात चरणों का एक मॉडल वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। सार्वजनिक शिकायतों का अक्सर सी पी जी आर ए एम पोर्टल के माध्यम से निपटान किया जाता है।

अध्याय–18

दिव्यांग एवं इस्पात

18.1 इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम) के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा जारी नियमों का अनुसरण करता है। 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार पांच व्यक्ति [(एक दृष्टि बाधित (वीएच), एक श्रवण बाधित (एचएच) तथा तीन शारीरिक दिव्यांग (ओएच)] दिव्यांगजन इस्पात मंत्रालय में सेवारत हैं।

18.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- सेल के संयंत्रों/इकाईयों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए कार्य स्थल को अवरोध मुक्त वातावरण के निर्माण के प्रयास किए गए हैं। चिकित्सा सुविधाओं के अंतर्गत जयपुर फुट, व्हील चेयर आदि की व्यवस्था की गई है।
- सेल अपने कर्मचारियों के शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सहायता के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- दिव्यांग कर्मचारियों को क्वार्टरों के आवंटन में विशेष रियायत प्रदान की जाती है। ऐसे कर्मचारियों को भूतल पर आवंटन दिए जाने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिया जाता है।
- सेल अपने कर्मचारियों के ऐसे व्यस्क भाई अथवा बहन को भी मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है जो दिव्यांग हैं तथा जो कर्मचारी पर आश्रित हैं।
- सेल के संयंत्रों में दुकानों, एसटीडी बूथ, मिल्क बूथ, हॉकर लाइसेंस इत्यादि का आवंटन दिव्यांगजनों को ही किया जाता है।
- संयंत्र स्थलों पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से खेल एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के उद्देश्य से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं। कुछ संयंत्र स्थलों पर दिव्यांगजनों के लिए अलग खेल–मैदान बनाए गए हैं।
- सेल द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत "स्कूल फार ब्लाइंड, डेफ एंड मेंटली चौलेंज्ड चिल्ड्रन", "होम एंड होप" राउरकेला, "आशालता केन्द्र" बोकारो, "हैंडीकैप्ड ओरियंटिड एजुकेशन प्रोग्राम" तथा "दुर्गापुर हैंडीकैप्ड हैपी होम", दुर्गापुर एवं "चेशियर होम" बर्नपुर में स्थित सेल संयंत्रों को विभिन्न कार्यक्रमों एवं केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

18.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत समूह–क, ख तथा ग के पदों के संबंध में निर्दिष्ट प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं।

- अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड भर्ती प्रक्रिया के लिए आरक्षण का कार्यान्वयन किया जा रहा है। दिव्यांगजनों को चयन परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा (10 वर्ष), आवेदन शुल्क छूट, अनुसूचित जाति/जनजाति के अनुसार 10% अर्हता छूट, अनुसूचित जाति/जनजाति के अनुरूप में अंकों में 10% छूट के रूप में रियायतें एवं छूटें प्रदान की जाती हैं।
- अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न दिव्यांगता वाले 214 व्यक्तियों (मेरिट पर लिए गए 10 व्यक्तियों के अलावा) को नियोजित किया है।
- अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अनुसार कार्यों का निर्धारण किया जाता हैं, भर्ती के पश्चात तथा पदोन्नति से पूर्व प्रशिक्षण, उपयोगी/सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, कार्यस्थल के लिए सुगम पहुंच एवं बाधा मुक्त वातावरण निर्मित किया जाता है, कम्पनी के क्वार्टरों के आवंटन में वरीयता दी जाती है, दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों की शिकायतों के निवारण, विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा स्थानांतरण/तैनाती के लिए वरीयता देने के संबंध में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- रैम्प युक्त मार्ग, भवन की लिफ्टों में श्रवण संकेत के प्रावधान किए गए हैं, स्वागत केन्द्र पर व्हील–चेयर की व्यवस्था किए जाने जैसी कार्रवाईयों से मुख्य प्रशासनिक भवन/कॉर्पोरेट कार्यालय के भिन्न कार्यालयों में कार्यरत अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए सुविधाओं का व्यवस्थापन किया गया है।

18.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी एक खनन संगठन होने के नाते यह खान अधिनियम, इसके नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत शासित है। सुरक्षा कारक को विचार में लेकर खानों/संयंत्रों में कार्य करने के लिए दिव्यांगजनों को सेवा में लेना संभव नहीं है। हालांकि, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि दिव्यांगजनों को ऐसे पदों के लिए सेवा में लिया जाए जहां फील्ड कार्य नहीं करने होते हैं तथा वर्तमान में एनएमडीसी में विभिन्न पदों पर 101 दिव्यांगजन कर्मचारी सेवारत हैं।

एनएमडीसी ने कम्पनी के कार्यालयों में आने वाले अन्यथा सक्षम व्यक्तियों की सुविधाओं के लिए रैम्प मार्ग, लिफ्टों में श्रवण संकेत इत्यादि जैसे अनेक उपाय किए हैं। परियोजनाओं के लिए कार्यरत जो कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाते हैं तो उनकी तैनाती निर्धारित पदों पर की जाती है।

18.5 मॉयल लिमिटेड

कम्पनी द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन किया गया है।

18.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन किया गया है। 1.12.2020 की स्थिति के अनुसार मेकॉन की कुल श्रमशक्ति 1167 है जिसमें से विभिन्न 11 पदों पर अन्यथा सक्षम/शारीरिक दिव्यांगजन व्यक्ति कार्यरत हैं।

18.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी में 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार 10 दिव्यांगजन कार्यरत हैं।

18.8 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल लिमिटेड में 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार 12 दिव्यांगजन कार्यरत हैं।

18.9 फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड ग्राहक संयंत्रों को स्क्रैप प्रबंधन और सम्बद्ध कार्यों से संबंधित विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाला एक सेवा संगठन है। फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड अपने परिचालन–संबंधी क्रियाकलाप प्रत्येक मौसम में खुले क्षेत्र में करता है। फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड द्वारा परिचालन क्रियाकलापों के निर्वाह के लिए बॉलिंग क्रेन्स, मैग्नेटिक सेपरेटर्स, डोजर्स, डंपर आदि जैसे भारी अर्थमूविंग उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अतः फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड का कार्य वातावरण/स्थितियां दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल नहीं है और इस प्रकार के फील्ड कार्यों के लिए दिव्यांगजनों की सेवाओं का उपयोग सुरक्षित नहीं है। तथापि, सरकारी निर्देशों के अनुसरण में फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यकारी और गैर–कार्यकारी श्रेणियों में से प्रत्येक में तीन पदों का निर्धारण किया है जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ग में एक–एक दृष्टि बाधित दिव्यांगजन (वीएच), श्रवण बाधित दिव्यांगजन (एचएच) और शारीरिक रूप से दिव्यांगजन (ओएच) के लिए समूह–क तथा समूह–ग के पद निर्धारित हैं।

'दिव्यांग' 'व्यक्तियों के लिए सरकार की नीति के मद्देनजर, कंपनी की वेबसाइट को स्क्रीन रीडर प्रौद्योगिकी स्थापित करके इसे दृष्टि बाधित उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है।

दिव्यांग व्यक्तियों को कार्यालय परिसर में प्रवेश के लिए सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस्पात की रेलिंग के साथ रैंप की व्यवस्था की गई है।

अध्याय–19

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

19.1 प्रस्तावना

वर्ष 2020–21 के दौरान इस्पात मंत्रालय राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए एवं जारी वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्य संयुक्त सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में है। राजभाषा प्रभाग का प्रत्यक्ष प्रभार उप निदेशक (राजभाषा) के अधीन है तथा यह प्रभाग राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं हिन्दी अनुवाद से संबंधित कार्यों की देखरेख करता है तथा इस प्रभाग में वर्तमान में एक उप निदेशक (राजभाषा), एक सहायक निदेशक (राजभाषा), दो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, एक सहायक अनुभाग अधिकारी, दो आशुलिपिक 'घ' तथा अन्य सहायक कर्मचारी कार्यरत हैं।

19.1.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति: मंत्रालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। यह समिति मंत्रालय एवं इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती है। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। कोविड–19 महामारी के कारण इस अवधि के दौरान केवल एक बैठक का आयोजन किया जा सका। इन बैठकों में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा की जाती है तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया जाता है।

19.1.2 हिन्दी सलाहकार समिति: केन्द्रीय इस्पात मंत्री हिन्दी सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं तथा यह समिति मंत्रालय को अपने कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित परामर्श प्रदान करती है। हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया की जा रही है।

19.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन : भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। क्षेत्र 'क', 'ख' तथा 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ हिन्दी पत्राचार सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने अनेक जांच बिन्दु स्थापित किए हैं।

19.1.4 हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा : माननीय इस्पात मंत्री और माननीय इस्पात राज्य मंत्री द्वारा 14 सितम्बर, 2020 को हिन्दी दिवस के अवसर पर मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अपील जारी की गई थी। मंत्रालय में 14 सितम्बर, 28 सितम्बर, 2020 के दौरान हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान, सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए अनुकूल माहौल सृजित करने हेतु चार प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ये सभी कार्यक्रम वर्चुअल रूप से किए गए थे। इन प्रतियोगिताओं में कुल 28 अधिकारियों/कर्मचारियों ने पूर्ण उत्साह के साथ प्रतिभागिता की। कार्यालय परिसरों में विख्यात व्यक्तियों की हिन्दी के संबंध में सूक्तियाँ प्रदर्शित की गईं।

19.1.5 हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए नकद पुरस्कार योजना : इस्पात से संबंधित विषयों एवं इस्पात मंत्रालय से संबंधित मामलों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए नकद पुरस्कार योजना कार्यात्मक है जिसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 25,000/– रुपए, 20,000/– रुपए और 15,000/– रुपए की राशि के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य लेखकों को हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया जा चुका है और इसके परिणाम शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे।

19.1.6 मंत्रालय के अधिकारियों/संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण: 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के 4 कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का जायजा लेने के लिए उनका निरीक्षण किया और उन कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाए गए। इसके अलावा, इस्पात मंत्रालय के अधीन केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए राजभाषा निरीक्षण के दौरान आयोजित बैठकों में मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

19.1.7 केंद्रीय सचिवालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति: मंत्रालय ने केंद्रीय सचिवालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में प्रतिनिधित्व किया और हिंदी की प्रगति से संबंधित सभी मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई की गई। सभी संबंधितों का ध्यान पाई गई कमियों की ओर आकर्षित करने के लिए पत्र लिखे गए।

19.1.8 इस्पात मंत्रालय के तत्वावधान में हिंदी संगोष्ठियाँ: मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हिंदी संगोष्ठी के आयोजन के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सेल द्वारा 14.12.2020 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस अवसर पर श्री सुमीत जैरथ, सचिव, राजभाषा विभाग और सचिव, इस्पात उपस्थित हुए थे।

19.1.9 हिंदी कार्यशालाएँ: मंत्रालय में नियमित अंतराल पर हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। दिनांक 22.12.2020 को 'हिंदी की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट को भरने में कठिनाईयों और उनके समाधान' के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में अनेक अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

19.1.10 कंठस्थ के लिए पुरस्कार: इस मंत्रालय में कार्यरत वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी श्री सौरभ आर्य को ऑनलाइन अनुवाद टूल 'कंठस्थ' के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की अनुवाद प्रतियोगिता में 7वां स्थान प्राप्त करने के लिए सचिव, राजभाषा विभाग से प्रशंसा प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक (राजभाषा) को भी इस प्रतियोगिता की जाँचकर्ता श्रेणी में प्राप्त 8वें स्थान के लिए सचिव (राजभाषा) से प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। श्री टी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव को भी इस प्रतियोगिता में उनके असाधारण योगदान के लिए सचिव (राजभाषा) से प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ।

19.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किए जा रहे अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखा गया है। सेल कर्मचारियों को मासिक हिन्दी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। सेल के पोर्टल पर आज का शब्द और आज का विचार प्रदर्शित किया जाता है।

कम्प्यूटर यूनिकोड समर्थित हैं तथा कर्मचारियों को इनके उपयोग हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। हिंदी कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां आयोजित की गईं। सेल ने नई दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 14 दिसम्बर, 2020 को "राजभाषा हिन्दी की विकास यात्रा को तीव्र करना–10 'प्र' की रूपरेखा के संदर्भ में" शीर्षक के साथ राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस समारोह में सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति के साथ डॉ. सुमित जैरथ, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किए गए थे। अध्यक्ष, सेल तथा सेल के सभी कार्यात्मक निदेशक, निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा उप निदेशक (राजभाषा), इस्पात मंत्रालय एवं मंत्रालय तथा सेल संयंत्रों इकाइयों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से राजभाषा संगोष्ठी में भाग लिया था। 10 'प्र' के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए श्री सुमित जैरथ ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई "स्मरण युक्तियों" की भूमिका को अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रेरणा प्राप्त होती है और उन्होंने राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए **10 'प्र' की रूपरेखा अर्थात प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, प्राइज अर्थात पुरस्कार, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन एवं प्रयास** के साथ आगे बढ़ने की रणनीति की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की।

19.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में राजभाषा नीति, नियमों एवं अधिनियम का अनुसरण राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जाता है।

प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं:

- 89 कर्मचारियों को हिन्दी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- 41 कर्मचारियों को यूनिकोड के उपयोग के साथ कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया।
- 193 कर्मचारियों को मुख्यालय तथा क्षेत्रीय/शाखा बिक्री कार्यालयों/सम्पर्क कार्यालयों में आयोजित अभ्यास आधारित हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण दिया गया।

निरीक्षण:

- मुख्यालय के 32 विभागों तथा शाखा बिक्री कार्यालय, पटना विभागों का निरीक्षण उक्त अवधि के दौरान किया गया।
- इस्पात मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर), नई दिल्ली का निरीक्षण किया गया।
- गृह मंत्रालय द्वारा शाखा बिक्री कार्यालय, कोच्चि तथा चंडीगढ़ का निरीक्षण किया गया।

प्रकाशन: हिन्दी गृह पत्रिका 'सुगंध' के दो त्रैमासिक अंक प्रकाशित किए गए।

19.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता को जारी रखते हुए अवधि के दौरान नीचे उल्लिखित क्रियाकलाप किए हैं:–

- हीरा खनन परियोजना, पन्ना में नवम्बर, 2020 के दौरान राजभाषा **तकनीकी संगोष्ठी** का आयोजन किया गया था।
- नगर स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करने के लिए एनएमडीसी, मुख्यालय द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में हैदराबाद–सिंकदराबाद में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के लिए **"हिन्दी कार्यशाला"** का आयोजन किया गया था।
- मुख्यालय के हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र में 20 मार्च तक **"हिन्दी पारंगत"** प्रशिक्षण की नियमित कक्षाएं जारी रखी गई थीं तथा उसके पश्चात यह प्रशिक्षण टीम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दिया गया था।
- हिन्दी पत्रव्यवहार, रजिस्टरों में हिन्दी का प्रयोग, हिन्दी में टिप्पण एवं श्रुतलेखन के लिए मासिक प्रोत्साहन योजनाएं जारी रखी गई थी।
- प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया गया था।
- सितम्बर माह में हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया था। ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यम से अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश ऑनलाइन एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से जारी किया गया था। डिजिटल स्वरूप में पुरस्कार वितरण भी किया गया था।
- **हिन्दी कार्यशालाएं** आनलाइन आयोजित की गई थीं।
- हिन्दी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यालय द्वारा **"खनिज भारती"** हिन्दी गृह पत्रिका प्रकाशित की गई थी तथा परियोजनाओं से संबंधित "न्यूज लैटर्स" यथा बेयला समाचार, बचेली समाचार, दोनी समाचार, हीरा समाचार इत्यादि हिन्दी/द्विभाषिक/तीन भाषाओं में प्रकाशित किए गए थे।
- एनएमडीसी की हीरा खनन परियोजना, जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की समन्वयक है, ने **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पन्ना** में अर्ध–वार्षिक बैठकों का आयोजन किया था।

19.5 मॉयल लिमिटेड

- मॉयल लिमिटेड तथा इसकी सभी खानों में अधिकतम पत्रव्यवहार हिन्दी में किया जाता है तथा यह 97% है।
- सभी प्रोस्सेसरों के लिए यूनिकोड सिस्टम को लागू किया गया है।
- डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित स्वच्छता अभियान, कौमी एकता दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं।
- **हिन्दी कार्यशालाएं, काव्य गोष्ठी** तथा **राजभाषा संगोष्ठियाँ** आयोजित की गई हैं।
- हिन्दी भाषा में काम करने वाले कर्मचारियों को मुख्यालय एवं खान इकाइयों में प्रोत्साहन योजनाओं के लाभ प्रदान किए जाते हैं।
- मॉयल लिमिटेड की **मॉयल भारती** पत्रिका को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा **द्वितीय पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बालाघाट एवं नागपुर द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिका **वैनगंगा** एवं राजभाषा दर्पण के प्रकाशन के लिए मॉयल द्वारा अंशदायी निधि प्रदान की जाती है।

19.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन द्वारा अपने कार्यालयीन कामकाज में भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन प्रभावी रूप में किया जा रहा है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। मेकॉन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रांची का एक महत्वपूर्ण सदस्य है।

- मेकॉन के सामुदायिक भवन में 18 तथा 19 जनवरी, 2020 को दो दिवसीय 'नाटकोत्सव' का आयोजन किया गया था।
- मेकॉन द्वारा अपने मुख्यालय तथा साथ ही साथ सभी स्थानीय कार्यालयों के लिए लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से "हिन्दी पखवाड़ा" आयोजित किया गया था। सभी कर्मचारियों द्वारा अपने रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी को प्रोत्साहित करने की शपथ ग्रहण की गई थी। "हिन्दी पखवाड़ा' के आयोजन के दौरान अनेक आनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थीं।

- **'मेकॉन भारती ई–पत्रिका'** के नाम से एक हिन्दी गृह पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया है।
- भारत सरकार की **संसदीय राजभाषा समिति** की तीसरी उप–समिति द्वारा दिल्ली में स्थित मेकॉन कार्यालय का दिनांक 25 नवम्बर, 2020 को राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का निरीक्षण किया गया था।

19.7 एमएसटीसी लिमिटेड

- राजभाषा निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया है।
- राजभाषा समिति तथा इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में 2 सहायक प्रबंधक (राजभाषा) की नियुक्ति राजभाषा अधिकारियों के पदों पर की गई है।
- कार्यालय में आंतरिक रूप से विकसित ई–ऑफिस सॉफ्टवेयर द्विभाषी रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें पीडीएफ के माध्यम से द्विभाषी नोट शीट जारी करने की पर्याप्त सुविधा है।
- राजभाषा प्रोत्साहन योजना के लिए आंतरिक रूप से द्विभाषी ई–फॉर्म विकसित किए गए हैं, जिनके उपयोग से एमएसटीसी लिमिटेड के भारत में स्थित सभी कार्यालयों में राजभाषा प्रोत्साहन का कार्य सुगम हो गया है।
- त्रिवेंद्रम शाखा कार्यालय के 3 कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत ऑनलाइन हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था और 1 राजभाषा अधिकारी को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, कोलकाता में दीर्घकालिक अनुवाद प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था।
- दिनांक 26.08.2020 को नराकास द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक ई–बैठक में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने भाग लिया था और अधिकारियों ने भी नराकास द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।
- वर्ष 2020–21 के दौरान, कार्यालय के विभिन्न दस्तावेजों का नियमित रूप से अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इन दस्तावेजों में संसदीय समितियों, नीति, समझौता ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति आदि जैसे विभिन्न दस्तावेज शामिल थे। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी प्रारूप में प्रकाशित की गई थी।
- 14 सितंबर, 2020 को वैबेक्स के माध्यम से एमएसटीसी के सम्पूर्ण भारत में स्थित कार्यालयों के लिए "ई–राजभाषा त्रिमास – 2020" का उद्घाटन समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया था।
- विश्व हिंदी दिवस 2021 के अवसर पर एक नव प्रयास के तौर पर वेबसाइट के मुख पृष्ठ पर "विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई" के बैनर को प्राथमिकता देते हुए प्रदर्शित किया गया था।
- दिनांक 12 जनवरी, 2021 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा एमएसटीसी लिमिटेड, दिल्ली कार्यालय का निरीक्षण किया गया था। एमएसटीसी लिमिटेड, एनआरओ, दिल्ली ने राजभाषा के कार्यान्वयन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
- एमएसटीसी लिमिटेड ने अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक और राजभाषा कार्यशालाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित किया है, जिससे चुनौतियों को अवसरों में बदलना संभव हो पाया है। एमएसटीसी लिमिटेड के मुख्यालय द्वारा सम्पूर्ण भारत के राजभाषा समन्वयकों के लिए राजभाषा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था।

19.8 केआईओसीएल लिमिटेड

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केआईओसीएल लिमिटेड द्वारा प्रत्येक कार्रवाई किए जाने के साथ–साथ राजभाषा अधिनियम, 1963 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाता है। इसके अंतर्गत की जाने वाली प्रक्रियाएं मुख्यतः तीन मुख्य श्रेणियों अर्थात (i) प्रशिक्षण (ii) अनुवाद और (iii) कार्यान्वयन में विभाजित हैं। वर्ष के दौरान, केआईओसीएल ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित कीं हैं, कार्यशालाओं का आयोजन किया है और राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के वार्षिक कार्यक्रम, 2020–21 के लक्ष्य के अनुसार राजभाषा निरीक्षण किए हैं। इस वर्ष कोरोना महामारी के मद्देनजर, सभी क्रियाकलाप कोविड–19 के सभी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करके और सामाजिक दूरी के मानदंडों को अपनाकर किए गए हैं।

केआईओसीएल ने हिंदी पखवाड़ा, 2020 के दौरान आनलाइन स्वरूप में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। बंगलुरु के 68 कर्मचारियों और मंगलुरु के 32 कर्मचारियों ने ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की थी। संगठन में मौलिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की गई और इस वर्ष कुल 25 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

वर्ष के दौरान, 17 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रबोध प्रशिक्षण के लिए नवंबर, 2020 में आयोजित परीक्षा में भाग लिया। कंपनी के कर्मचारियों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम), बंगलुरू और मंगलुरू के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन कार्यशालाओं और अन्य वर्चुअल क्रियाकलापों में प्रतिभागिता की है।

कंपनी की वेबसाइट से संबंधित विभिन्न दस्तावेज, इस्पात मंत्रालय के साथ पत्राचार, स्थायी समितियों की रिपोर्टें, वार्षिक रिपोर्ट, गृह पत्रिकाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, आरटीआई और अन्य दस्तावेजों का राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) और राजभाषा नियमावली के नियम 5 के अनुसार अनुवाद किया गया है।

एक उल्लेखनीय पहल के रूप में, केआईओसीएल लिमिटेड ने लॉकडाउन अवधि के दौरान अपनी पहली ई–पत्रिका **'श्रीगंधा'** का निरूपण किया और हिंदी पखवाड़ा, 2020 के दौरान औपचारिक रूप से इसका विमोचन किया गया। पत्रिका को ई–मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से परिचारित किया गया था। ई–पुस्तकालय सेगमेंट के अंतर्गत कंपनी की वेबसाइट और राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के वेब–पोर्टल पर भी ई–पत्रिका का लिंक प्रदान किया गया था।

19.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में समय–समय पर जारी सरकारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सर्वदा सुनिश्चित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान राजभाषा के क्षेत्र में प्राप्त कुछ उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं: –

- 5 जून, 2020 को, निगमित कार्यालय, भिलाई में "राजभाषा के सांविधिक प्रावधानों", "योग के माध्यम से कोविड–19 के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए" आदि विषयों के साथ राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया।

  - 1 सितंबर, 2020 को "राजभाषा माह" का शुभारंभ कर्मचारियों को "राजभाषा शपथ" दिला करके किया गया था। राजभाषा माह के दौरान, निगमित कार्यालय और इकाइयों में कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। कर्मचारियों में हिंदी पढ़ने की प्रवृत्ति के संवर्धन के लिए 9 सितंबर, 2020 को प्रख्यात लेखकों की हिंदी पुस्तकों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। राजभाषा माह के दौरान निबंध लेखन प्रतियोगिता जैसे कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। 14 सितंबर, 2020 को "हिंदी दिवस" का आयोजन किया गया था तथा इस अवसर पर माननीय मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त संदेश पढ़े गए थे, जिन्हें सूचना पट्टों पर प्रदर्शित भी किया गया था। इस अवसर पर एक "ऑनलाइन" हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता के आयोजन के साथ–साथ राजभाषा तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया।

  - हिंदी माह के दौरान श्रुतलेखन प्रतियोगिता के आयोजन के साथ हिन्दी माह का समापन 30 सितंबर, 2020 को हिंदी वाद–विवाद प्रतियोगिता के आयोजन के साथ किया गया था।

  - फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के निगमित कार्यालय के एक कार्यपालक द्वारा एफएसएनएल की गृह पत्रिका **'दर्पण'** के लिए "समय प्रबंधन" पर लिखे गए एक लेख का चयन **"राजभाषा गौरव पुरस्कार"** के लिए किया गया था। यह चयन इस्पात मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग द्वारा इस्पात मंत्रालय के अधीन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त प्रविष्टियों में से किया गया था।

19.10 ईआईएल, ओएमडीसी तथा बीएसएलसी

राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल), उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) और बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) वर्ग (ग) में स्थित हैं। इन कंपनियों ने कर्मचारियों के मध्य हिंदी के प्रति जागरूकता का संवर्धन करने और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सकारात्मक उपाय किए हैं। कंपनियों ने प्रतियोगिताओं के आयोजन और पुरस्कार वितरण के माध्यम से "हिंदी पखवाड़ा" मनाया था। द्विभाषी बोर्ड प्रदर्शित हैं और विज्ञापन हिन्दी में भी जारी किए जा रहे हैं। मुख्यालय में स्थापित "राजभाषा शिक्षण बोर्ड" को कर्मचारियों को प्रतिदिन नए शब्दों से परिचित कराने का दायित्व सौंपा गया है। उपस्थिति रजिस्टर में कर्मचारी अपने हस्ताक्षर हिन्दी में करते हैं और प्रेषण रजिस्टर में हिन्दी में प्रविष्टियां की जाती हैं। "प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत" परीक्षा पूरी हो गई है और 80% से अधिक कर्मचारियों ने अपनी संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा तदनुसार केंद्र सरकार द्वारा ओएमडीसी और बीएसएलसी को राजभाषा नियम 10 के उप–नियम (4) के अंतर्गत दिनांक 01.03.2017 को अधिसूचित कर दिया गया है। ओएमडीसी और बीएसएलसी पहले से ही राजभाषा की वेबसाइट पर पंजीकृत हैं और तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से ऑनलाइन माध्यम से भेजी जा रही है। कंपनी की वेबसाइट हिंदी में पहले से ही अद्यतित है।

अध्याय–20

महिला सशक्तिकरण

20.1 इस्पात मंत्रालय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगस्त, 1947 में विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लिंग समानता को स्वीकार करते हुए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15(1) तथा 21 की गरिमा के विरूद्ध एवं उल्लंघन का कारक होने का निर्णय दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक नियोक्ता से लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम करने के उपाय करने की अपेक्षा की गई है। इस तंत्रव्यवस्था के अंतर्गत किसी बाह्य संगठन के प्रतिनिधियों सहित एक शिकायत समिति (कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न) का गठन किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए इस्पात मंत्रालय में महिला कर्मचारियों की शिकायतों की देखरेख एवं उनके निवारण के लिए पांच सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति को 1 अप्रैल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 की अवधि के दौरान कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

मत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा दिनांक 27.11.2020 को सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में सुश्री सोमा मंडल की नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया गया है।

20.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल में दिनांक 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार, तकनीकी एवं गैर–तकनीकी क्षेत्रों में 3849 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। ये महिलाएं प्रबंधकीय, तकनीकी (अभियंता) क्षमता, चिकित्सा, पराचिकित्सा सेवाएं एवं अकादमिक सेवाओं में कार्य कर हैं। कम्पनी चयन, भर्ती एवं प्रतिनियुक्ति अथवा पदोन्नति के स्तर पर महिलाओं एवं पुरूषों को समान अवसर प्रदान करती है।

अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास के लिए किसी भी लिंग के प्रति किसी विचार के बिना सभी कर्मचारियों को प्रगति के समान अवसर प्रदान करना सेल की नीतिगत विशिष्टता है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या से इस तथ्य का प्रमाण मिलता है।

कम्पनी की प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषणों के माध्यम से महिलाओं सहित सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है। महिला कर्मचारियों को उनकी आजीविका विकास एवं वर्क प्रोफाइल के अनुसार सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञता/तकनीकी/प्रबंधकीय प्रशिक्षणों के लिए विचार किया जाता है।

महिला कर्मचारियों के लिए सुविधाएं: प्रत्येक ऐसे तकनीकी एवं गैर–तकनीकी स्थलों पर जहां महिला कर्मचारियों को तैनात किया गया/सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं, वहां उनके लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। कम्पनी के सभी संयंत्रों एवं इकाइयों में प्रसाधन कक्षों, कैंटीनें इत्यादि की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कार्यस्थल पर सभी कर्मचारियों, विशेषतः महिला कर्मचारियों, के लिए स्वच्छता की स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल छुट्टी लाभ इत्यादि प्रदान करने के संबंध में कम्पनी की नीतियों में सांविधिक अनुपालन किए जाने की स्पष्ट व्यवस्था की गई है।

लैंगिक उत्पीड़न का निवारण : हमारे संयंत्रों/इकाइयों में कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिंक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया है तथा समितियों के गठन से संबंधित जानकारी संबंधित संयंत्र/इकाई के विद्यमान इंटरानेट/वेब पोर्टल पर अपलोड की गई है।

महिला कल्याण: सेल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में समाज में महिलाओं के हितलाभ के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन क्रियाकलापों में बालिकाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता कार्यक्रम, परिवार नियोजन, जन्म से पूर्व के अपेक्षित सेवाएं, स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन और एड्स नियंत्रण से संबंधित सूचनात्मक कार्यक्रम शामिल हैं। सेल के संयंत्रों और इकाइयों में भी महिला समितियां हैं जो सामाजिक मुद्दों जैसे बाल श्रम/दहेज, महिलाओं के शोषण, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए स्व–रोजगार, शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर होने के लिए सहायता, जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होने आदि के बारे में उन्हें जागरूक करती हैं।

20.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की कुल जनशक्ति में 3.25% महिला कर्मचारी हैं। इनमें से लगभग 6.46% अधिकारी और 1.67% गैर–अधिकारी महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारी विविध और परिचालन एवं परियोजना जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करने के साथ–साथ मानव संसाधन, वित्त, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि जैसे पारंपरिक कार्य कर रही हैं।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा महिलाओं के कार्य बल के लिए स्कोप के तत्वावधान में गठित सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के मंच (डब्ल्यूआईपीएस) के स्थानीय कक्ष के माध्यम से जुड़ाव स्थापित करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह कक्ष महिला कर्मचारियों के विकास के लिए अनेक क्रियाकलापों का आयोजन करता है जिनमें महिलाओं की रोजगार से संबंधित लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति कर्मचारियों को संवेदित करने सहित उनके प्रबंधकीय विकास, नेटवर्किंग एवं सामाजिक कौशल से संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं।

20.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड में 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार कुल 361 महिला कर्मचारी हैं जो कम्पनी की कुल जनशक्ति का 6.45% है। कम्पनी द्वारा लैंगिंक दृष्टिकोण से प्रत्येक को चयन, भर्ती, प्रतिनियुक्ति अथवा पदोन्नति के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है।

मुख्यालय तथा परियोजना स्थलों पर अलग प्रसाधन कक्ष, विश्राम कक्ष इत्यादि निर्मित्त किए गए हैं। एनएमडीसी अपनी महिला कर्मचारियों का नामांकन स्वास्थ्य देखभाल, परियोजन नियोजन इत्यादि के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए करता है। कम्पनी के सभी सांविधिक दायित्वों की स्पष्ट छवि महिला कर्मचारियों के संबंध में किए गए नीतिगत प्रावधानों में देखी जा सकती है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय से संबंधित संसदीय न्याय समिति की 62वी रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के अनुसार सभी परियोजना स्थलों पर डब्ल्यूआईपीएस कक्षों की स्थापना की गई है।

एनएमडीसी द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत स्थानीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक क्रियाकलाप किए गए हैं।

20.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल लिमिटेड में 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार कुल 810 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जो कम्पनी की कुल 5894 जनशक्ति का 13.74% है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिंक उत्पीड़न के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। तदनुसार, एक महिला डाक्टर सहित तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन वर्ष 1999 में किया गया था तथा इसका पुनर्गठन मई, 2014 में किया गया है।

कम्पनी की सभी खानों में महिला मंडल प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। दूरस्थ स्थलों पर स्थित खान क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं के हितलाभ के लिए विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप यथा वयस्क शिक्षा, रक्त दान शिविरों, नेत्र शिविरों, शैक्षणिक एवं परिवार नियोजन इत्यादि के आयोजन नियमित रुप से किए जाते हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिंक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए कम्पनी में लैंगिंक उत्पीड़न समिति का गठन किया गया है। समिति सदस्यों के नाम कम्पनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर अपलोड किए गए हैं।

20.6 मेकॉन लिमिटेड

एक महिला कार्यपालक की अध्यक्षता में उन्हें आसन्न अधिकारी का दायित्व सौंपकर मेकॉन में कार्यरत महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में मंत्रालय/भारत सरकार से समय समय पर प्राप्त निदेशों/दिशानिर्देशों का अनुसरण भी मेकॉन द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, महिला कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन विभाग समय–समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है।

20.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के मंच (डब्ल्यूआईपीएस) का आजीविन कॉर्पोरेट सदस्य है। वर्ष के दौरान डब्ल्यूआईपीएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए अनेक महिलाओं के नामांकन किए गए हैं। एमएसटीसी के प्रत्येक कार्यालयों में समितियों का गठन किया गया है तथा वे अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह कर रही हैं। कम्पनी द्वारा आवधिक बैठकें एवं शिकायत निवारण, जागरूकता कार्यक्रमों इत्यादि का भी विधिवत आयोजन किया जाता है।

सशक्तिकरण एवं सुरक्षित कार्य वातावरण निर्मित्त करने तथा महिला कर्मचारियों की प्रतिभागिता में सुधार लाने के लिए कम्पनी में आपराधिक कृत्यों के प्रति रोकथाम, निषेध एवं निवारण की व्यवस्था की गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक

उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार नीति का कार्यान्वयन किया गया है। लैंगिक उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है। इस नीति के दायरे में प्रत्येक कर्मचारी (स्थाई, संविदारत, अस्थाई, प्रशिक्षु) आते हैं।

20.8 केआईओसीएल लिमिटेड

महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक उपाय/वेतन भुगतान, कार्य घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण कार्यों, मातृत्व हितलाभ इत्यादि जैसे सांविधिक प्रावधानों का कम्पनी प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रही है। दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 24 है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत मुख्य बल गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, बच्चों के पोषण में सुधार के लिए उन्हें पोषक आहार प्रदान करने इत्यादि की ओर दिया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आंतरिक शिकायत समितियों का गठन बंगलुरू, मंगलुरू तथा कुद्रेमुख यूनिटों में लैंगिंक उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए किया गया है। शिकायत समिति में वरिष्ठ स्तर की महिला कार्यपालक आसन्न अधिकारी हैं, एक पुरूष कर्मचारी तथा एक महिला कर्मचारी सदस्य हैं तथा तृतीय पक्षकार सदस्य के तौर पर गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) से महिला प्रतिनिधि को सदस्यता दी गई है।

केआईओसीएल सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के मंच (डब्ल्यूआईपीएस) का आजीविन कॉर्पोरेट सदस्य है। यह व्यावसायिक निकाय सार्वजनिक उद्यमों की स्थाई समिति (स्कोप) के अध्याधीन कार्य कर रहा है। सभी महिला कर्मचारी इस मंच की आजीवन सदस्य हैं। केआईओसीएल द्वारा डब्ल्यूआईपीएस के शीर्ष निकाय तथा दक्षिण क्षेत्र के साथ सम्पर्क कार्य करने के लिए समन्वयकों का नामांकन रोटेशन आधार पर किया जाता है। डब्ल्यूआईपीएस के वार्षिक सम्मेलन तथा प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए महिलाओं कर्मचारियों का नामांकन किया जाता है। मंगलुरू में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन अत्यंत प्रभावशाली स्वरूप में 8 मार्च, 2020 को आयोजित किया गया था।

20.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में महिला कर्मचारियों को प्रत्येक क्रियाकलापों में समान अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा उनके कौशल, क्षमताओं एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्राप्त उनकी सफलताओं को संज्ञान में लिया जाता है। लैंगिक उत्पीड़न का निवारण जैसी समितियों सहित विभिन्न समितियों में उनके प्रतिनिधित्व का सदैव सुनिश्चित किया जाता है।

महिला कर्मचारियों को उनके कौशल एवं निवारक सर्तकता के प्रति उनके ज्ञान में संवर्धन के लिए और साथ ही संगठन की बेहतरी तथा उनकी सेवाओं के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से सेल–भिलाई इस्पात संयंत्र में आयोजित किए जाने वाले 'निवारक सतर्कता' के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है।

20.10 ईआईएल, ओएमडीसी तथा बीएसएलसी

ओएमडीसी तथा बीएसएलसी लैंगिंक समानता को सदैव पर्याप्त महत्व प्रदान करती हैं तथा इनके द्वारा रोजगार के लिए, लिंग आधारित भेदभाव के बिना, प्रत्येक को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए इन कम्पनियों में शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए महिला प्रतिनिधित्व के साथ "लिंग बजटिंग प्रकोष्ठ" गठित किए गए हैं।

अध्याय–21

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

21.1 परिचय

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए विस्तृत ढाँचा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी नियम 2013 (सीएसआर नीति), 2014 के अंतर्गत, प्रदान किया जाता है। अधिनियम की धारा 135 में सीएसआर, अधिनियम की अनुसूची VII में कंपनी द्वारा किये जाने वाले सक्षम सीएसआर गतिविधियों को सूचित किया गया है और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में उस तरीके को निर्धारित किया गया है जिसमें कंपनियाँ अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों का पालन करेगी।

लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 10.12.2018 को सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) को सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर प्रतिवर्ष एक विषयवस्तु आधारित संकेन्द्रित प्रक्रिया अपनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधान है कि प्रारंभिक सीमा, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट है, को पार करने वाले सीपीएसई को सीएसआर गतिविधियों के लिए ठीक पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (पीबीटी) का कम से कम 2% आवंटित करना है। ऐसे विषयपरक कार्यक्रमों के लिए सीएसआर का व्यय सीपीएसई के वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60% होना चाहिए और नीति आयोग द्वारा चिन्हित महत्त्वाकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत, सीपीएसई द्वारा सीएसआर पर किये गए खर्चों में शिक्षा और स्वास्थ्य का संवर्धन, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय सृजन में, दिव्यांगों को सहायता, जल एवं स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच, ग्राम विकास, पर्यावरण को बनाये रखना, खेल–कूद प्रशिक्षण, पारंपरिक कला और संस्कृति का प्रोत्साहन आदि सम्मिलित हैं।

सीएसआर के अंतर्गत, धनराशि का आवंटन और व्यय के विवरण अनुलग्नक XV में हैं।

21.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल सीएसआर परियोजनाओं का; विशेषकर इस्पात टाउनशिपों की परिधि और अनुसूची–VII के अनुरूप आने वाले मुख्य क्षेत्रों में, जैसे कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य का संवर्धन, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सृजन, दिव्यांगों (विशेष योग्यताओं वाले लोग) को सहायता, जल एवं स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच, ग्राम विकास, पर्यावरण को बनाये रखना, खेल–कूद प्रशिक्षण, पारंपरिक कला और संस्कृति का प्रोत्साहन आदि में निष्पादन करता है।

सेल सीएसआर की पहलें:

कोविड–19 से निपटने की कार्रवाई: सेल ने अपने संयंत्रों, इकाईयों, खदानों और उपनगरों में कोविड–19 के नियंत्रण के लिए एक मानक कार्रवाई को सक्रिय किया है। पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों के स्थलों पर सेल के अस्पतालों में इसके कुल बिस्तरों (3300 बिस्तर) में से 10% बिस्तरों (330 बिस्तर) को आइसोलेशन वार्डों के रूप में सुरक्षित किया गया है और कोविड–19 के लिए आईजीआई, राउरकेला में एक परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। उपनगरों और खदानों के अस्पतालों में अतिथि गृह/छात्रालयों में 600 से अधिक व्यक्तियों के लिए क्वारंटाइन की सुविधाओं का भी सृजन किया गया है। सेल संयंत्रों एवं इकाईयों के प्रमुख स्थानों पर स्पर्श–रहित हैण्ड–सैनिटाइजर, वाटर डिस्पेंसर, स्प्रेइंग डिसइन्फेक्टेंट, डिजिटल थर्मल रिकॉर्डर स्थापित किया गया है और आसपास के सभी गाँवों/क्षेत्रों में जल की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की गयी है।

समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों, दैनिक मजदूरी पाने वालों/श्रमिकों, निर्धन किसानों और उनके परिवारों, जिनके पास लॉकडाउन के दौरान बहुत कम संसाधन रह गए थे, की सहायता करने के लिए, सेल के संयंत्रों और इकाईयों में जिला अधिकारियों के माध्यम से राशन के सूखे पैकेट (जिसमें चावल, दाल, नमक, मसाले, गेहूँ का आटा, साबुन आदि सम्मिलित है), दूध के पैकेट, पाउडर दूध, खिचड़ी, रोजमर्रा की दवाईयाँ, महिलाओं के लिए सेनिटरी नैपकिन आदि का वितरण किया गया है। सेल के सम्पूर्ण संयंत्रों/खदानों में 6000 से अधिक सूखे राशन किटों का वितरण किया गया है। रोगियों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिदिन ताजा पका हुआ भोजन भी प्रदान किया गया है। सेल के संयंत्र/इकाई रोगियों और स्वास्थ्यकर्मियों का भी परिवहन कर रहे हैं। संयंत्रों के सीएसआर विभाग एसएचजी के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों और जिला अधिकारियों को फेस मास्क,

गमछे, एप्रन, दस्ताने आदि की सिलाई और उनके वितरण की सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं। एसएचजी ने अभी तक 15000 से अधिक मास्कों का निर्माण और वितरण किया है।

1 अप्रैल, 2020 से सभी नियमित कर्मचारियों (प्रशिक्षुओं सहित) को रु. 150/प्रतिदिन और रु. 100/प्रतिदिन की दर पर पीपीई/व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों पर व्यय की अदायगी को सरलीकृत करने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई है।

सेल ने छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए प्रधानमंत्री के आपातकालीन स्थितियों में नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स) कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष/कोविड–19 कोष में योगदान दिया है।

स्वास्थ्य सेवा: जरूरतमंदों के दरवाजे पर गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संयंत्रों/इकाईयों, खदानों के आसपास और दूर–दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए निर्धारित दिनों में विभिन्न गाँवों में नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

संयंत्र के आसपास संचालित हो रहे 5 सचल चिकित्सा इकाईयों (एमएमयू) ने लगभग 32,000 ग्रामवासियों को उनके घर पर वित्तीय वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान लाभ पहुँचाया है।

संयंत्रों में स्थित 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने वित्तीय वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान, लगभग 38,000 रोगियों को पूरी तरह से निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की।

शिक्षा: समाज को शिक्षा के माध्यम से विकसित करने के लिए सेल इस्पात टाउनशिपों में 40,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हुए लगभग 77 स्कूलों को सहायता प्रदान कर रहा है और भिलाई और राउरकेला में लगभग 59,000 विद्यार्थियों की क्षमता वाले 600 से अधिक सरकारी स्कूलों को अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से मध्यान्ह भोजन देकर सहायता प्रदान कर रहा है।

- जूते, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी की वस्तुएँ, स्कूल के बस्ते और जल की बोतलें आदि सहित, निःशुल्क शिक्षा, मध्यान्ह भोजन, पोशाक जैसी सुविधाओं वाले एकीकृत इस्पात संयंत्रों के स्थलों पर लगभग 4760 बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने वाले 20 विशेष स्कूल (कल्याण और मुकुल विद्यालय) सीएसआर के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं।
- जनजाति और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 600 से अधिक बच्चे सारंडा सुवन छात्रावास, किरीबुरू आरटीसी आवासीय पब्लिक स्कूल, मनोहरपुर, ज्ञानोदय छात्रावास, बीएसपी स्कूल राजहरा, भिलाई, कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, भुवनेश्वर, ज्ञानज्योति योजना, बोकारो में निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन एवं पोशाक, पाठ्य–पुस्तक आदि प्राप्त कर रहे हैं।
- संयंत्र के आसपास रहने वाले 2300 से अधिक स्कूलों के छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- ज्ञान ज्योति योजना: 15 बिरहोर बच्चों के अगले समूह को गोद लिया गया है, जो बोकारो के सुखमय वातावरण में बोर्डिंग, लॉजिंग, पोषणयुक्त और स्वास्थ्यप्रद भोजन, कपड़े, निःशुल्क चिकित्सा, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के साथ–साथ, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण और दीर्घस्थायी उपार्जन: 425 युवाओं और 1018 महिलाओं ने वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया। 256 युवा और 590 महिलाएँ इस्पात संयंत्र और खदानों एवं उनके आसपास स्थित विभिन्न कौशल केन्द्रों में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एलएमवी ड्राइविंग, कंप्यूटर, मोबाइल मरम्मत, वेल्डर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण, उन्नत कृषि, मशरुम की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सूअर पालन, आचार/पापड़/अगरबती/मोमबत्ती निर्माण, स्क्रीन प्रिंटिंग, हस्तशिल्प, सिल्क उद्योग, धागे की बुनाई, दर्जीगिरी, सिलाई एवं जरदोजी, दस्ताने, मसाले, तौलिए, बोरे, कम लागत वाले सेनिटरी नैपकिन्स, मिठाई के डब्बे, साबुन, धुंआ रहित चूल्हे का निर्माण आदि जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सेल ऐसे केन्द्रों में निर्मित उत्पादों के विपणन में भी सहायक है।

लगभग 600 युवाओं को आईटीआई बोलानी, बरगांव, बलियापुर, बोकारो प्राइवेट आईटीआई और राउरकेला आदि में आईटीआई प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है। बोलानी और बर्सुआ के आईटीआई को सेल/आरएमडी द्वारा उन्नयन और प्रचालन के लिए गोद लिया गया है।

आदर्श इस्पात गाँव (एमएसवी): सम्पूर्ण देश के आठ राज्यों में स्थित 79 गाँवों को "आदर्श इस्पात गांव" के रूप में चिन्हित किया गया। इन गाँवों में चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सड़क और कनेक्टिविटी, स्वच्छता, सामुदायिक केन्द्रों, जीविका उपार्जन, खेल की सुविधाओं आदि सहित, विकास संबंधी गतिविधियों को शुरू किया गया। इन एमएसवी में विकसित सुविधाओं को संचालित किया जा रहा है और इनका रखरखाव नियमित रूप से किया जा रहा है।

सेल के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा की भावना और सामुदायिक सहभागिता के लिए पहलें (सर्विस) कार्यक्रम का शुभारम्भ इस्पात एवं पेट्रोलियम के माननीय मंत्री, श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा 17 जनवरी, 2020 को समुदाय के मूलभूत मुद्दों में भागीदार बनने, कर्मचारियों के जुड़ाव के लिए अवसर प्रदान करने और सेल के मुख्य व्यवसाय के अंतर्गत, सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार को प्रोत्साहित करने हेतु वरिष्ठ अधिशासियों की याचना करने के लिए सेल के कर्मचारियों को एक मंच प्रदान किया गया।

अपने कर्मचारियों के माध्यम से समुदाय के साथ जुड़ाव में सेल का निवेश दीर्घकालिक निष्ठा का निर्माण करने, विस्तृत व्यापक जनसाधारण के साथ औचित्य को बढ़ाने, भरोसा एवं ब्रांड इक्विटी का निर्माण करने के लिए एक गति प्रदान करता है जो बदले में, सेल के अन्य रणनीतिक उद्देश्यों को सुदृढ़ करता है। 29,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने सर्विस पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है।

21.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

सीएसआर के केन्द्रीभूत क्षेत्रों में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित क्षेत्र सम्मिलित हैं, उदाहरणस्वरुप स्वास्थ्य–सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण की देखभाल, ग्रामीण विकास, खेल, सफाई एवं स्वच्छ भारत, प्राकृतिक विपदाओं में सहायता आदि। आरआईएनएल के प्रमुख सीएसआर पहलों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

कोविड–19 से निपटने की कार्रवाई

- कोविड–19 वैश्विक महामारी के विरूद्ध संघर्ष के लिए स्वास्थ्य सेवा और राहत की गतिविधियों में सहायता प्रदान करने के लिए "पीएम केयर्स फण्ड" में योगदान दिया।
- 3 अप्रैल 2020 से 1 जून 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान, निर्बल वर्गों, बुजुर्ग लोगों, दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और प्रवासी कामगारों को ताजे पकाए गए भोजन के दैनिक वितरण की व्यवस्था की।
- कोविड–19 के विरुद्ध संघर्ष करने में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक संरक्षी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए चुराचांदपुर जनपद (मणिपुर) के पुलिस विभाग को वित्तीय सहायता प्रदान किया।
- महत्त्वाकांक्षी जिलों में कोविड–19 पर जागरूकता का निर्माणः नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न सीएसआर/सीईआर के लाभार्थियों में मूलभूत सावधानियों, लक्षणों आदि के बारे में जागरूकता का निर्माण करने के लिए वायरस के बारे में जानकारी प्रदान की गयी।

सचल स्वास्थ्य शिविरों के दौरान कोविड–19 से बचने के लिए सावधानी बरतने के संबंध में जागरूकता

स्वास्थ्य और पोषण

- कैंसर निवारक स्वास्थ्य सेवा: दो विद्यालयों के विद्यार्थियों की माताओं और महिला कर्मचारियों को कैंसर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए जांच के माध्यम से कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसन्धान केंद्र (एचबीसीएचआरसी) की सहायता से निवारक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।
- अध्ययन–कक्ष में भूख से निपटने के लिए पोषण सम्बन्धी सहायता: बीपीएल परिवारों से सम्बंधित स्कूल जाने वाले लगभग 900 बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिया गया।
- मण्डलीय रेलवे अस्पताल में चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए योगदान दिया जिसका लाभ आयुष्मान भारत के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

शिक्षा

- **बीपीएल परिवारों को शिक्षा:** संयंत्र और खदानों के चारों ओर स्थित गाँवों के 1600 विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जा रही है।
- **अरुणोदय विशेष विद्यालय:** 115 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, फिजियोथेरेपी और व्यवसायिक प्रशिक्षण।
- **विद्यालय अवसंरचना:** लालगंज (उ.प्र.), जो आरआईएनएल के फोर्ज्ड व्हील संयंत्र के आसपास के गाँवों में से एक है, में "पूर्व माध्यमिक कन्या ऐहार" के विकास के लिए शैक्षिक अवसंरचना उपलब्ध कराई गई।
- **विशाखापत्तनम में केंद्रीकृत रसोई के लिए अवसंरचना सम्बन्धी सहायता:** विशाखापत्तनम में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई की अवसंरचना से सम्बंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- श्रीकाकुलम जिला के प्रशासन को जिले में तितली चक्रवात के पश्चात कल्याणकारी छात्रवासों में राहत और पुर्नस्थापना की गतिविधियों के लिए को वित्तीय सहायता दी गई।
- **अक्षय विद्या:** हैदराबाद, वाईएसआर कडप्पा और विशाखापत्तनम जिलों की मलिन बस्तियों में रहने वाले 1700 से अधिक बच्चों को पूरक शिक्षा प्रदान की गई।

कौशल विकास

- कुष्ठरोग/अपंगता से प्रभावित 25 लोगों को उपार्जन में सहायता करने और सशक्त करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों, जैसे कि कंप्यूटर संचालन, डीजल मैकेनिकल वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन में एक वर्षीय आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए एक परियोजना आरंभ की गई।
- 60 बेरोजगार युवाओं को व्यवसायिक ग्राहक सेवा कार्यपालक (रिलेशनशिप सेंटर) में एक अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- **शिल्पकलाओं में महिला शिल्पकारों के लिए कौशल विकास:** पटना, बिहार में मधुबनी चित्रकारी, ऐपलिक पैच वर्क और पारंपरिक जरदोजी में 40 महिला शिल्पकारों को अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल: 50 परित्यक्त और निराश्रित बुजुर्गों को एक वर्ष की अवधि के लिए गोद लिया गया: इन्हें गढ़मुक्तेश्वर, उ.प्र. में स्थित 'गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम' में निःशुल्क आश्रय, भोजन, चिकित्सा की सेवाएँ और घर जैसी देखभाल दी गई।

21.4 एनएमडीसी लिमिटेड

कंपनी द्वारा 2020–21 में किये गए प्रमुख सीएसआर कार्यक्रम और उठाये गए नए कदम निम्नलिखित हैं:

कोविड–19 से बचने के लिए कार्रवाई

- पीएम केयर्स फण्ड में योगदान देने के अतिरिक्त, एनएमडीसी ने राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा है और निम्नलिखित कदमों को उठाया है:
  - कोविड–19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न हुई आपदा को मात देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय योगदान दिया गया।

- ❖ विजयनगर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (वीआईएमएस), बेल्लारी में कोविड–19 के उपचार के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं को स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया गया।
- ❖ हैदराबाद और साइबराबाद के पुलिस आयुक्त कार्यालयों द्वारा तैनात पुलिस कर्मचारियों के लिए पीपीई किट, सैनेटाइजर, मास्क आदि की खरीद में योगदान देकर अग्रिम पंक्ति के कोविड योद्धाओं को सहायता प्रदान की।
- ❖ एनएमडीसी ने जिला अस्पताल, बेल्लारी में कोविड–19 की उपचार सुविधाओं की स्थापना के लिए पलंग, डिस्पोजेबल रेक्सीन शीट एवं बिस्तरों का अधिग्रहण करके जनपदीय प्रशासन, बेल्लारी जिला, कर्नाटक को वित्तीय सहायता प्रदान की।

शिक्षा

- एसटी/एससी के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति योजना, "एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजना": वर्ष 2020–21 के दौरान, 18000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं।
- वर्तमान शैक्षिक वर्ष, अर्थात् 2020–21 के दौरान, एनएमडीसी बालिका शिक्षा योजना के अंतर्गत, 40 लड़कियों को अपोलो कॉलेज/स्कूल ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रायोजित किया गया है। 378 छात्रों को एनएमडीसी द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रमों को संपन्न करने के लिए प्रायोजित किया गये हैं।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम जिसमें कर्नाटक के दोणिमलै परियोजना में और उसके आसपास रहने वाले 8000 ग्रामीण स्कूल के बच्चे सम्मिलित हैं, चलाया जा रहा है और एनएमडीसी ने इस पहल के लिए अपना सहयोग जारी रखा है।
- पिछले पाँच वर्षों के दौरान, छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्रों में 500 एकल शिक्षक विद्यालयों का संचालन करके शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए एक पहल की शुरुआत की गयी है।

स्वास्थ्य सेवा

- वर्ष 2020–21 के दौरान, निःशुल्क बहिरंग और अंतरंग रोगी उपचार की सुविधा क्रमशः 23967 और 8839 स्थानीय जनजातियों को उपलब्ध करायी गयी।
- वर्ष 2020–21 के दौरान, 3890 स्थानीय ग्रामवासियों को पहियों पर अस्पताल सेवा के संचालन के माध्यम से नगरनार इस्पात संयंत्र के निकटवर्ती 13 गाँवों के घरों पर उपचार प्रदान किया गया है।
- बैलाडिला परियोजना स्थलों के आसपास स्थित 21 गाँवों को सम्मिलित करते हुए अक्टूबर 2020 में एक नए सेवा प्रदाता को अंतिम रूप देने के पश्चात सचल अस्पताल सेवा का क्रियान्वन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस सेवा के माध्यम से 464 स्थानीय ग्रामवासियों का उपचार किया गया है।
- एक कॉर्पोरेट कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एनएमडीसी महिला स्वयं–सहायता समूहों और अन्य हितधारकों को 16 सेनिटरी पैड का विनिर्माण करने वाली मशीनें प्रदान कर रहा है और छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी की परियोजनाओं में और उसके आसपास स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में योगदान देने के लिए उनके संचालन को सुगम बना रहा है।

कौशल विकास और दीर्घस्थायी उपार्जन

- छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी परियोजनाओं के आसपास चयनित ग्राम पंचायतों की क्षमता का निर्माण अगले वर्ष इसके अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडी और पीआर) की साझेदारी में आरंभ किया जा रहा है।
- भांसी में 5 ट्रेड के साथ, आईटीआई का संचालन प्रतिवर्ष 76 विद्यार्थियों को भर्ती करके सफलतापूर्वक किया जा रहा है। दो विषयों, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के साथ दंतेवाडा में स्थापित पॉलिटेक्निक कॉलेज का संचालन प्रतिवर्ष 126 छात्रों की भर्ती के साथ सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भिलाई (सीएसवीटीयू) की साझेदारी से बस्तर संभाग के 1600 व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण (पूर्व शिक्षा की मान्यता) प्रदान करने का प्रस्ताव सीएसवीटीयू, भिलाई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ आरंभ किया गया है।

21.5 मॉयल लिमिटेड

कंपनी ने एक सीएसआर नीति का प्रारूप तैयार किया है जिसे निदेशक मंडल द्वारा यथोचित रूप से अनुमोदित किया गया है। कई योजनाएँ आरंभ की गयी हैं और सीएसआर के अंतर्गत, उनका क्रियान्वन किया जा रहा है।

- मॉयल, महाराष्ट्र के भंडारा जिले और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में प्रत्येक से दो–दो विद्यालयों को अपनी शिक्षा और कौशल विकास में पहल करने के लिए सहयोग प्रदान कर रहा है। दोनों जिले भारत के पिछड़े जिले हैं। ये विद्यालय उन बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जो आसपास के क्षेत्रों के गाँवों के निवासी हैं और अधिकतर निर्धन परिवारों से आते हैं।
- कंपनी ने नर्सिंग एवं सामान्य नर्सिंग और मिड वाइफ पाठ्यक्रम में स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिए 15 लड़कियों को प्रायोजित किया है। परियोजना का शुभारम्भ अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद के सहयोग से किया जा रहा है। सभी छात्राएं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों से हैं।
- कंपनी ने जरूरतमंद निर्धन ग्रामीणों के मोतियाबिंद का निःशुल्क शल्यक्रिया करने के लिए लता मंगेशकर अस्पताल के साथ समझौता किया है। वर्ष के दौरान, 500 शल्यक्रिया किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। दिनांक 31.12.2020 तक, 294 ऐसी शल्यक्रियाओं को संपन्न किया गया है।
- कंपनी ने वर्ष के दौरान, स्वास्थ्य एवं पोषण के अंतर्गत, कुछ पहल किए हैं जिनमें रामकृष्ण मठ, नागपुर को उनके धर्मार्थ अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने हेतु सहयोग देना सम्मिलित है। इसी प्रकार से, लता मंगेशकर अस्पताल, नागपुर, सरकारी जिला चिकित्सालय, बालाघाट (एम.पी.), विवेकानंद मेडिकल मिशन, नागपुर को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध किया जाना प्रस्तावित है।
- कंपनी ने महत्त्वाकांक्षी जिला, गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को विभिन्न साधन और उपकरणों के वितरण के लिए कृत्रिम अंग निर्माण कंपनी के साथ समझौता किया है।
- कंपनी ने बालाघाट जिला (एम.पी.), महाराष्ट्र के भंडारा और नागपुर जिलों में से प्रत्येक के 10 विद्यालयों में भष्मकों (इन्सिनेटर्स) के साथ, सेनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की स्थापना के लिए एमपीसीओएन के साथ समझौता किया है।
- कंपनी ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान, प्रमुख कदम उठाए हैं। इस अवधि के दौरान, जरूरतमंद निर्धन व्यक्तियों को भोजन और आवश्यक खाद्य पदार्थ प्रदान किये गए थे। कंपनी ने इस अवधि के दौरान, 3500 से अधिक परिवारों को सहायता प्रदान की थी।

कोविड–19 के दौरान भोजन का वितरण

21.6 मेकॉन लिमिटेड

1 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि के दौरान, मेकॉन द्वारा की गयी विकास सम्बन्धी मुख्य गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

- झारखण्ड के रांची और खूंटी जिलों में मेकॉन/उपनगरीय स्कूलों के दत्तक गाँवों में जनवरी, 2020 से मार्च, 2020 तक की अवधि के दौरान (मासिक आधार पर), "पोषण अभियान" चलाया गया।
- झारखंड के रांची और खूंटी जिलों और उनके आसपास स्थित दत्तक गाँवों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन और औषधियों का निःशुल्क वितरण किया गया। लगभग 760 रोगियों को 17 चिकित्सा शिविरों में सम्मिलित किया गया।
- कोविड–19 वैश्विक महामारी से सम्बंधित गाँवों में जागरूकता का निर्माण करने के लिए मेकॉन के दत्तक गाँवों में "गहन और केन्द्रित कोविड–19 अभियान" का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान, मास्क एवं साबुन का भी वितरण किया गया।
- झारखण्ड के लोहरदगा और हजारीबाग जिलों में पूर्व–निर्मित जैव–शौचालयों का वार्षिक रखरखाव किया गया। 22 एमएचआरडी स्कूलों में जैव–चिकित्सा किटों का वितरण किया गया।
- दत्तक गाँव–राइ, पंचायत–खूंटी, जिला–खूंटी में सौर संचालित पेयजल प्रणाली।
- उपेक्षित निर्धन बच्चों को 7 साक्षरता केन्द्रों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है जिनको झारखण्ड के रांची एवं उसके आसपास और खूंटी जिले के दत्तक गाँवों की मलिन बस्तियों/पिछड़े क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इन केन्द्रों में छात्रों की संख्या 160 के आसपास है।
- उपेक्षित महिलाओं को निःशुल्क सिलाई का प्रशिक्षण 7 सिलाई प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रदान किया जा रहा है जिनको झारखण्ड के रांची एवं उसके आसपास और खूंटी जिले के दत्तक गाँवों की मलिन बस्तियों/पिछड़े क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षित छात्रों की संख्या 70 के आसपास है।
- "कोशिश"–एक विशेष स्कूल के साथ, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र के दिव्यांगों को वाहन की सुविधा प्रदान करने के लिए झारखण्ड माता–पिता समिति, रांची (झारखण्ड) को मारुति इको वाहन प्रदान कर रहे हैं।
- गाँव–कुल्गु, प्रखण्ड–नगरी, जिला–रांची (झारखण्ड) में मैसर्स. विहार समाज कल्याण संस्थान के आदर्श होम (वृद्धाश्रम) में पेयजल की सुविधा का निर्माणः एक नए बोरवेल का निर्माण किया गया है और पम्पिंग प्रणाली स्थापित की गई है।
- कोविड–19 के विरुद्ध भारत की लड़ाई को सुदृढ़ करने के लिए, मेकॉन ने पीएम केयर्स फण्ड और झारखण्ड के मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान किया है।

21.7 एमएसटीसी लिमिटेड

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के नकारात्मक औसत शुद्ध लाभ को देखते हुए, एमएसटीसी के पास सीएसआर की गतिविधियों के लिए कोई धनराशि नहीं है। हालाँकि, कंपनी ने पीएम केयर्स फण्ड में अपना योगदान दिया है।

21.8 केआईओसीएल लिमिटेड

कंपनी ने दो स्तरीय संगठनात्मक संरचना अर्थात् कंपनी के सीएसआर कार्यसूची को गति देने और गतिविधियों के कार्यान्वन एवं धनराशियों के उपयोग को एक समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के नेतृत्व में बोर्ड स्तर की समिति और नोडल अधिकारी के नेतृत्व में बोर्ड स्तर से नीचे की टीम का गठन किया है।

21.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

कंपनी विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2.0% प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करती है। सीएसआर बजट का कम से कम 75% उन गतिविधियों के लिए निर्धारित किया जाता है जिन्हें परियोजना के माध्यम में लागू किया जाएगा और अधिकतम 20% तक अन्य गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाता है। सीएसआर की समिति (बोर्ड स्तर के समिति) बोर्ड को व्यय की राशि की संस्तुति करता है जिसे सीएसआर और स्थिरता की गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा। सभी सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों का अनुमोदन बोर्ड स्तर की समिति अर्थात् सीएसआर निगरानी समिति द्वारा किया जाता है और तत्पश्चात इसका अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

महत्त्वाकांक्षी जिलों में गतिविधियाँ:– एफएसएनएल महत्त्वाकांक्षी जिलों में भी सीएसआर की गतिविधियों का निष्पादन कर रहा है। पिछले वर्ष, सीएसआर गतिविधियों का निष्पादन विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) और बोकारो (झारखण्ड) के महत्त्वकांक्षी जिलों में किया गया।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 और बाद के वर्षों में उत्पन्न होने वाले कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के कर्तव्यों के तहत पीएम केयर्स फण्ड में योगदान दिया है।

21.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

चूँकि पिछले तीन वर्षों का औसत पीबीटी दोनों कंपनियों के लिए नकारात्मक है, इसलिए वर्ष 2020–21 के लिए, ओएमडीसी और बीएसएलसी द्वारा सीएसआर के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया। हालाँकि, निम्नलिखित कल्याणकारी उपाय किए गए हैं:

अस्पताल की सुविधाएँ प्रदान करना–ओएमडीसी ठकुरानी और रोइदा के खदान स्थल पर दो अस्पतालों के साथ–साथ, डिस्पेंसरी केंद्र का भी संचालन करता है और बीएसएलसी भी खनन गतिविधियों के आसपास स्थित गाँवों में रहने वाले अपने सभी कर्मचारियों और ग्रामवासियों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए बीरमित्रापुर के अपने खदान स्थल पर एक अस्पताल का संचालन करता है।

ओएमडीसी और बीएसएलसी द्वारा कुँए और ट्यूबवेल आदि खोदकर अपनी खनन गतिविधियों के आसपास रहने वाले कर्मचारियों और ग्रामवासियों के लिए पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

व्यवसायिक स्वास्थ्य की निगरानी – ओएमडीसी और बीएसएलसी द्वारा अपने खदानों के आसपास स्थित गाँवों में रहने वाले सभी कर्मचारियों और ग्रामवासियों के लिए समय–समय पर मलेरिया उन्मूलन, पल्स पोलियो आदि के लिए कार्यक्रमों का निष्पादन ओएमडीसी और बीएसएलसी के अस्पतालों के माध्यम से किया जाता है।

अध्याय–22

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

22.1 परिचय

प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया था। इस अधिनियम का लक्ष्य सरकारी अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक को सक्षम बनाने हेतु नागरिकों के सूचना के अधिकार को संरक्षित करना भी है।

22.2 आरटीआई अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

एक नोडल अधिकारी को आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, आवेदन एवं याचनाओं को प्रक्रियागत करने और मंत्रालय में उनकी प्रगति को केंद्रीय रूप से निगरानी करने के लिए नामांकित किया गया है। नोडल अधिकारी को एक अनुभाग अधिकारी द्वारा सहयोग दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस्पात मंत्रालय के अवर सचिव स्तर के अधिकारियों/उप–निदेशक (राजभाषा)/सह औद्योगिक सलाहकार या समकक्ष स्तर के अधिकारी को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है और इस्पात मंत्रालय के निदेशक स्तर के अधिकारियों/उप सचिव/संयुक्त औद्योगिक सलाहकार या समकक्ष स्तर के अधिकारी को क्रमशः अपील प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। 17 मदों की नियमावली, अपील प्राधिकारी/केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों सहायक लोक सूचना अधिकारियों का विवरण, मंत्रालय के वेबसाइट www.steel.gov.in पर दिया गया है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, सभी सरकारी अधिकारियों को अपने सम्बंधित वेबसाइटों पर 17 मदों की नियमावली को अद्यतन करने का कार्य भी दिया गया है और उन्होंने अपने सम्बंधित लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों और अपील प्राधिकारी को नामांकित किया है। आरटीआई आवेदन को ऑनलाइन भरने के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा किया गया और इस्पात मंत्रालय दिनांकः 25.06.2013 से आरटीआई ऑनलाइन वेब पोर्टल का एक भाग रहा है। वर्ष 2020 के दौरान (1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2020 तक), इस्पात मंत्रालय ने 68 आरटीआई आवेदन/अपीलों को ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रक्रियागत किया है और 204 आरटीआई आवेदन/अपील ऑनलाइन प्राप्त किया गया जिनको यथावत रूप से निस्तारित किया गया।

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत, 01.01.2020 से 31.12.2020 तक प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्नानुसार हैं:

सीपीएसई का नाम	01.01.2020 के अनुसार, लंबित आवेदन	01.01.2020 से 31.12.2020 के दौरान, प्राप्त आवेदन	01.01.2020 से 31.12.020 के दौरान निस्तारित आवेदन	31.12.2020 को लंबित आवेदन
इस्पात मंत्रालय	13	246	258	1
सेल	121	1367	1175	313
आरआईएनएल	209	633	746	96
एनएमडीसी लिमिटेड	09	194	190	13
मेकॉन लिमिटेड	10	102	97	15
मॉयल लिमिटेड	12	101	99	14
केआईओसीएल लिमिटेड	0	28	28	0
एमएसटीसी	07	87	83	11
एफएसएनएल	4	44	46	2
ओएमडीसी	–	21	21	–

22.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने अधिनियम की धारा 5(5) के अंतर्गत, प्राप्त प्रश्नों के त्वरित निवारण के लिए प्रत्येक संयंत्र और इकाई में अधिनियम की धारा 5 और 19(1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ)/सहायक लोक सूचना अधिकारियों, अपील प्राधिकारियों और पारदर्शिता अधिकारी को नियुक्त किया है। पीआईओ को सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी सभी अधिकारियों/लाइन मैनेजरों को डीम्ड पीआईओ कहा जाता है और वे आवेदक को समय से सूचना पहुँचाने के लिए पीआईओ समान रूप से उत्तरदायी हैं।

सेल के लिए कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के साथ एक विशिष्ट आरटीआई पोर्टल विकसित किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत, सभी संयंत्रों/इकाईयों द्वारा सूचीबद्ध किये गए 17 नियमावलियों ओर प्राधिकारियों के विवरणों को कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। अधिनियम के क्रियान्वन पर तिमाही विवरण और वार्षिक विवरण सीआईसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। ऑनलाइन अनुरोधों के क्रियान्वन को पहले ही 1 मई, 2015 से आरंभ किया जा चुका है। कॉर्पोरेट कार्यालय के विभिन्न कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण नीति का एक संकलन कंपनी के वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीआईसी, डीओपीटी परिपत्र और उच्च न्यायालय प्रकरणों के महत्त्वपूर्ण निर्णयों का संकलन सेल के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

22.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरटीआई के 17 नियमावलियों में उपलब्ध जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1) (ख) की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के वेबसाइट पर अद्यतन किया गया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के क्रियान्वन पर त्रैमासिक विवरण और वार्षिक विवरण सीआईसी के पोर्टल पर नियमित रूप से जमा किया जा रहा है।

22.5 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत, अपने वेबसाइट, www.nmdc.co.in पर जानकारी को प्रकाशित किया है। पीआईओ और एए के विवरण जनता की जानकारी के लिए नियमित रूप से अद्यतन किये जा रहे हैं। कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन जो इसके कार्य पर बहुत सारी जानकारी देता है, विस्तृत रूप से प्रसारित किया जा रहा है और ये एनएमडीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। आगे की जानकारी प्रेस कांफ्रेंस, प्रेस हैंडआउट्स आदि के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। एनएमडीसी अपने सभी अभिलेखों का रखरखाव एक पारदर्शी तरीके से करता है। जानकारियों को उसी स्वरुप में दी जाती है जिस स्वरूप में इसकी माँग की जाती है; और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय भाषा में भी।

22.6 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने कॉर्पोरेट कार्यालय में सीपीआईओ को नियुक्त किया है और पीआईओ/एपीआईओ को भी अपने सभी खदानों में नियुक्त किया गया है। कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) को अधिनियम के अंतर्गत, अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त/नामित किया गया है। सभी पीआईओ/एपीआईओ और अपील प्राधिकारी के नाम कंपनी के वेबसाइट www.moil.nic.in पर भी डाले गए हैं।

कंपनी, इसके कर्मचारी आदि से सम्बंधित जानकारियाँ आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में निर्धारित 17 शीर्षों के अंतर्गत तैयार किया गया है और उन्हें कंपनी के पोर्टल पर डाला गया है। मॉयल निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक जानकारी और विवरण उपलब्ध करा रहे हैं और उन्हें नियमित रूप से अद्यतन कर रहे हैं।

इस अधिनियम के उद्देश्य और सच्ची भावना के बारे में कंपनी के कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए बहुत जागरूकता प्रदान की गयी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को परिपत्र जारी करते हुए विशिष्ट रूप से दर्शाया गया है और उनसे दिन–प्रतिदिन के कार्य में पारदर्शिता रखने और सभी अभिलेखों को एक उचित/व्यवस्थित तरीके से बनाये रखने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने जनता के लिए नियमित अंतरालों पर अपनी ओर से अधिक से अधिक जानकारी कंपनी के वेबसाईट पर भी डाला है/अद्यतन किया है, ताकि जनता के पास आरटीआई के अंतर्गत, जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रावधानों को उपयोग करने का न्यूनतम सहारा ले सके।

समग्र रूप से कर्मचारियों की जागरूकता के लिए, वर्तमान परिदृश्य में आरटीआई अधिनियम के महत्त्व को समझाने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है।

22.7 मेकॉन लिमिटेड

आरटीई अधिनियम, 2005 से सम्बंधित सभी प्रासंगिक नियमावलियों को 19 सितम्बर, 2005 से मेकॉन के वेबसाइटः www.meconlimited.co.on पर डाला गया है। मेकॉन द्वारा अपने मुख्यालयों में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपील प्राधिकारी को नामित किया गया है और सहायक लोक सूचना अधिकारियों (एपीआईओ'ज) को विभिन्न क्षेत्रीय और साईट कार्यालयों में नामित किया गया है। जनता से मेकॉन के पास आने वाले प्रश्नों पर इन अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और जिनका उत्तर निर्धारित समयावधि के अन्दर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया जाता है। मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) को मेकॉन लिमिटेड के पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

22.8 एमएसटीसी लिमिटेड

आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई के आवेदनों और अपीलों की प्रक्रिया का अनुपालन किया गया। एमएसटीसी के मुख्यालय में एक पारदर्शिता अधिकारी, एक प्रथम अपील प्राधिकारी, एक सीपीआईओ और एक कार्यकारी सीपीआईओ, एक नोडल अधिकारी हैं और कंपनी के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त आरटीआई के आवेदनों को प्रभावशाली रूप से प्रक्रियागत करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय/शाखा में एक पीआईओ होता है। सभी त्रैमासिक प्रतिवेदनों को ऑनलाइन जमा किया गया है और सीआईसी के साईट पर अपलोड किया गया है।

22.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल ने कॉर्पोरेट कार्यालय में पीआईओ नियुक्त किया है और इसके सभी संयंत्रों/अन्य इकाईयों में पीआईओ/एपीआईओ को भी नियुक्त किया गया है। शीर्ष स्तर के कार्यकारी अधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत, अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त/नामित किया गया है। सभी पीआईओ/एपीआईओ और अपील प्राधिकारी के नामों को केआईओसीएल के वेबसाइटः www.kioclltd.in पर भी डाला गया है। खण्ड (ख) उप–धारा (1), धारा (4) में निर्धारित नियमावली की तैयारी के दायित्व का पालन किया गया है और इन्हें अधिनियम के अंतर्गत, दिया गए निर्धारित समय–सीमा के अन्दर केआईओसीएल के पोर्टल पर भी डाला गया है और नियमित अंतरालों पर उसकी समीक्षा और अद्यतन किया जा रहा है।

केंद्रीय सूचना आयुक्त और इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर केआईओसीएल निर्धारित समयांतराल पर आवश्यक जानकारियों को अद्यतन कर रहा है। मासिक विवरण सम्बंधित प्राधिकारियों को नियमित रूप से भेजा जा रहा है।

22.10 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

आरटीआई अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन में, एफएसएनएल ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपने 8 इकाईयों में एक एपीआईओ नियुक्त किया है। आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत ईडी (पीएंडसी) प्रथम अपील प्राधिकारी है। कंपनी अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत आवश्यक 17 विभिन्न टेम्पलेटों/नियमावलियों/स्वैच्छिक के लिए नियमावलियों/अपनी ओर से प्रकटीकरण के अंतर्गत, जानकारियों का अनुसरण किया है और उन्हें कंपनी के वेबसाइटः "fsnl.nic.in" पर डाला है और इस प्रकार से प्रकाशित जानकारियों को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन अग्रसक्रिय रूप से कर रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत, सभी जानकारियों को निर्धारित समयावधि के अन्दर प्रस्तुत किया जा रहा है।

त्रैमासिक प्रतिवेदन सीआईसी के पास नियमित रूप से जमा किया जाता है। जानकारी के लिए सभी अनुरोधों पर आरटीआई अधिनियम, 2005 के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार संज्ञान लिया जाता है।

22.11 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

बीजीसी, अर्थात् ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी के अंतर्गत, कंपनियाँ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियमों का अनुपालन कर रहा है। आरटीआई के प्रश्नों की पावती और उत्तर देने के लिए, पीआईओ और एपीआईओ को ओएमडीसी और बीएसएलसी में नामित किया गया है। प्राप्त प्रश्नों का उत्तर समय पर दिया जाता है। जहाँ पर विलम्ब होने की सम्भावना होती है, एक अंतरिम उत्तर भेजा जाता है। आरटीआई के प्रश्नों का निस्तारण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से किया जा रहा है।

अनुलग्नक–I

(इस्पात मंत्रालय)[1]

नियोजन, विकास और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) इकाईयों सहित, लौह एवं इस्पात उत्पादन की सुविधाओं की स्थापना का सरलीकरण, इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) इकाईयाँ, री–रोलर्स, फ्लैट उत्पाद (गर्म/ठंडी रोलिंग इकाईयाँ) जैसे प्रोसेसिंग सुविधाएँ, कोटिंग इकाईयाँ, वायर ड्राइंग इकाईयाँ और इस्पात के कतरनों की प्रोसेसिंग [2]।

सरकारी क्षेत्र में लौह अयस्क के खदानों और अन्य अयस्कों के खदानों का विकास (लौह और इस्पात उद्योग में प्रयुक्त मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना, सिलिमेनाइट, कायानाइट और अन्य लवण परन्तु खनन पट्टे या उससे सम्बंधित विषयों को छोड़कर)।

लौह एवं इस्पात और फेरो–मिश्रधातुओं का उत्पादन, वितरण, मूल्य, आयात और निर्यात।

निम्नलिखित उपक्रमों से सम्बंधित विषय; उनके सहायक कंपनियों सहित, अर्थात् [3]

i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल);

ii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);

iii) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल);

iv) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (एमओआईएल);

v) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी);

vi) मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (एमईसीओएन);

vii) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल);

viii) विलोपन कर दिया गया [4]

ix) भारत रीफ्रैक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल);

x) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन (एमएसटीसी);

xi) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड; और

xii) बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज।

---

[1] संशोधन श्रृंखला सं. 238, दिनांक: 23.05.1998 और 243, दिनांक: 15.10.1999 के माध्यम से संशोधित।

[2] संशोधन श्रृंखला सं. 306, दिनांक: 31.07.2014 के माध्यम से संशोधित (संशोधन श्रृंखला सं. 281, दिनांक: 01.09.2005 के माध्यम से पूर्व में संशोधित)।

[3] संशोधन श्रृंखला सं. 286, दिनांक: 01.06.2006 के माध्यम से संशोधित।

[4] संशोधन श्रृंखला सं. 337, दिनांक: 06.12.2017 के माध्यम से इसका विलोपन कर दिया गया।

अनुलग्नक–II

इस्पात मंत्रालय में प्रभारी मंत्री और अधिकारीगण

(उप–सचिव स्तर तक)

(31 दिसम्बर, 2020 के अनुसार)

इस्पात मंत्री	श्री धर्मेन्द्र प्रधान
इस्पात राज्य मंत्री	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
सचिव	श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी
अतिरिक्त सचिव और वित्तीय परामर्शदाता	श्री शशांक प्रिय
अतिरिक्त सचिव	श्रीमती रसिका चौबे
संयुक्त सचिवगण	श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल श्री पुनीत कंसल श्री टी श्रीनिवास
मुख्य लेखा नियंत्रक	श्री साकेश प्रसाद सिंह
आर्थिक परामर्शदाता	श्री अवधेश कुमार चौधरी
उप महानिदेशक (सांख्यिकी)	श्रीमती स्वप्ना भट्टाचार्य
ओएसडी और मुख्य अभियंता (रेलवेज)	श्री अवनी भूषण गुप्ता
निदेशकगण	श्री नीरज अग्रवाल श्री अमन शर्मा श्री गिरिराज प्रसाद मीना श्री पंकज विठ्ल श्री ए. के. कैलू
अतिरिक्त औद्योगिक परामर्शदाता	श्री परमजीत सिंह
संयुक्त औद्योगिक परामर्शदाता	श्री मनोज कुमार सारस्वत
उप–सचिव	श्री विनोद जे. बहाडे श्री आशीष शर्मा श्री एस. के. मोहंती कु. ज्योति सिंघल

अनुलग्नक–III

आईएसपी का उत्पादन और अन्य उत्पादक

('000 टन)

क्र. सं	मद / उत्पादक	2016	2017	2018	2019	2020(अनं)
	उत्पादन					
I.	**कच्चा इस्पातः**					
	सेल, टीएसएल ग्रुप, आरआईएनएल, एएम/एनएस, जेएसडब्लूएल, जेएसपीएल					
	ऑक्सीजन रूट	38425	41298	46059	46764	42878
	ई.ए.एफ. इकाईयाँ	14844	17048	20513	21889	21190
	अन्य उत्पादक					
	ऑक्सीजन रूट	2212	4811	2949	1909	1774
	ई.ए.एफ. इकाईयां (कोरेक्स और एमबीएफ/ईओएफ सहित)	13384	9840	7773	6741	6874
	इंडक्शन फर्नेसेज	26612	28457	31955	34041	26854
	कुल (कच्चा इस्पात)	**95477**	**101454**	**109249**	**111344**	**99570**
	अन्य उत्पादकों का % हिस्सेदारी	44.2%	42.5%	39.1%	38.3%	35.7%
II.	**पिग आयरनः**					
	सेल, टीएसएल ग्रुप, आरआईएनएल, एएम/एनएस, जेएसडब्लूएल, जेएसपीएल	1138	724	1358	1435	1249
	अन्य उत्पादक	9108	6164	4891	4548	3252
	कुल (कच्चा लोहा)	**10246**	**6888**	**6249**	**5983**	**4501**
	अन्य उत्पादकों का % हिस्सेदारी	88.9%	89.5%	78.3%	76.0%	72.2%
III.	**स्पंज आयरनः**					
	गैस आधारित	4358	6223	7052	6699	6074
	कोयला आधारित	22625	23282	27161	30120	27054
	कुल (स्पंज आयरन)	**26983**	**29505**	**34213**	**36819**	**33128**
	प्रक्रिया द्वारा % हिस्सेदारी (कोयला आधारित)	83.8%	78.9%	79.4%	81.8%	81.7%
IV.	**तैयार इस्पात (उत्पादन)* (मिश्र धातु/गैर–मिश्रधातु):**					
	सेल, टीएसएल ग्रुप, आरआईएनएल, एएम/एनएस, जेएसडब्लूएल, जेएसपीएल	59851	67783	63546	61450	54633
	अन्य उत्पादक	57100	56906	45100	42612	36802
	कुल (परिष्कृत इस्पात)	**116951**	**124689**	**108646**	**104062**	**91435**
	अन्य उत्पादकों का % हिस्सेदारी	48.8%	45.6%	41.5%	40.9%	40.2%

नोटः

1. *इसे अंकित किया जा सकता है कि जेपीसी ने मार्च 2018 के बाद परिष्कृत इस्पात रिपोर्टिंग प्रणाली को संशोधित किया है। मार्च 2018 से पहले, जेपीसी तैयार इस्पात के सकल उत्पादन की सूचना देता था। अप्रैल 2018 के पश्चात, जेपीसी तैयार इस्पात के उत्पादन के समकक्ष कच्चे इस्पात के बारे में प्रतिवेदन दे रहा है।
2. (अनं) का तात्पर्य अनंतिम आँकड़े से है (दिसम्बर, 2020 तक; स्रोतः जेपीसी)।

अनुलग्नक–IV

चालू वर्ष 2020 के लिए कच्चे इस्पात का उत्पादन (अनंतिम)

('000 टन)

उत्पादक	2016			2017			2018			2019			2020 (अनं)		
	कार्य क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य क्षमता	उत्पादन	% उपयोग
सार्वजनिक क्षेत्र इकाई															
सेल	17519	14382	82	17519	14804	85	19132	15933	83	19632	16181	82	19632	14969	76
आरआईएनएल	6300	3820	61	6300	4411	70	6300	5258	83	6300	4833	77	6300	3979	63
कुल सार्वजनिक क्षेत्र	**23819**	**18202**	**76**	**23819**	**19215**	**81**	**25432**	**21191**	**83**	**25932**	**21014**	**81**	**25932**	**18948**	**73**
निजी क्षेत्र इकाई															
टाटा स्टील लिमिटेड	12500	11038	88	13000	12616	97	-	3053	-						
टीएसएल समूह							19400	13617	70	19400	18478	95	19400	17287	89
एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	10000	5158	52	10000	6478	65	10000	6793	68	10000	7138	71	10000	6616	66
जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	4850	3449	71	8600	3667	43	8600	5005	58	8600	5936	69	8600	6493	75
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	16600	15422	93	18000	16370	91	18000	16914	94	18000	16086	89	18000	14725	82
अन्य बीओएफ	3760	2212	59	7682	4811	63	4077	2949	72	4077	1909	47	4077	1774	44
अन्य ईएएफ	17127	13384	78	14408	9840	68	12750	7773	61	11794	6741	57	11640	6874	59
अन्य आईएफ	39621	26612	67	42466	28457	67	43977	31955	73	44496	34041	77	45075	26854	60
कुल निजी क्षेत्र	**104458**	**77275**	**74**	**114156**	**82239**	**72**	**116804**	**88059**	**75**	**116367**	**90329**	**78**	**116792**	**80623**	**69**
कुल (सार्वजनिक क्षेत्र + निजी क्षेत्र)	**128277**	**95477**	**74**	**137975**	**101454**	**74**	**142236**	**109250**	**77**	**142299**	**111343**	**78**	**142724**	**99571**	**70**
सार्वजनिक क्षेत्र का %	**18.6**	**19.1**		**17.3**	**18.9**		**17.9**	**19.4**		**18.2**	**18.9**		**18.2**	**19.0**	

टिप्पणी:

1. जमशेदपुर और कलिंगनगर में टीएसएल समूह के टीएसएल संयंत्र के साथ भूषण स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और बीएमडब्ल्यू–गम्हरिया (झारखंड) शामिल हैं। टाटा स्टील लिमिटेड से टीएसएल ग्रुप में परिवर्तन अप्रैल 2018 से सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया गया था।
2. (अनं) का तात्पर्य अनंतिम आंकडों के लिये (दिसंबर, 2020 तक); स्रोतः जेपीसी

अनुलग्नक–V

कच्चे इस्पात का उत्पादन

मार्ग द्वारा

('000 टन)

प्रक्रिया मार्ग	2016	2017	2018	2019	2020 (अनं)
ऑक्सीजन मार्ग					
सेल	14189	14622	15719	15948	14839
आरआईएनएल	3820	4411	5258	4833	3979
टाटा स्टील लिमिटेड	11038	12616			
टीएसएल समूह			14928	16305	15235
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	9378	9649	10154	9678	8826
अन्य ऑक्सीजन मार्ग	2212	4811	2949	1909	1774
कुल ऑक्सीजन मार्ग: (क)	**40637**	**46109**	**49008**	**48673**	**44653**
इलैक्ट्रिक मार्ग					
इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस					
सेल	193	182	214	233	130
टीएसएल समूह			1742	2174	2051
एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	5158	6478	6793	7138	6616
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	6044	6721	6760	6408	5900
जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	3449	3667	5005	5936	6493
ल्याड्स स्टील लिमिटेड	575	560	518	332	471
जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड	1362	1476	1542	1593	1197
भूषण स्टील लिमिटेड	5813	2248	242		
भूषण पॉवर एंड स्टील लिमिटेड	2951	2240	2677	2798	3439
अन्य इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस	2683	3317	2794	2018	1767
कुल इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ख)	**28228**	**26889**	**28287**	**28630**	**28064**
इलैक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस (ग)	**26612**	**28457**	**31955**	**34041**	**26854**
कुल इलैक्ट्रिक मार्ग: घ = (ख+ग)	**54840**	**55346**	**60242**	**62671**	**54918**
कुल योग: (क+घ)	**95477**	**101455**	**109250**	**111344**	**99571**

टिप्पणी:

1. जमशेदपुर और कलिंगनगर में टीएसएल समूह के टीएसएल संयंत्र के साथ भूषण स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और बीएमडब्ल्यू–गम्हरिया (झारखंड) शामिल हैं।
2. (अनं) का तात्पर्य अनंतिम आंकडों के लिये (दिसंबर, 2020 तक); स्रोत: जेपीसी

अनुलग्नक–VI

तप्त धातु का उत्पादन

('000 टन)

संयंत्र	2016	2017	2018	2019	2020 (अनं)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	15630	15803	17080	17509	16203
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	4214	4464	5773	5278	4364
टाटा स्टील लिमिटेड	12255	14098	3274		
टीएसएल समूह			14232	18946	17726
एएम/एनएस(एस्सार स्टील लिमिटेड)	3263	3031	3102	3620	3334
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	14050	14827	15549	15363	14220
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	2060	2641	4408	5721	5509
(क) उप योग	**51472**	**54864**	**63418**	**66437**	**61356**
(ख) अन्य उत्पादक	**12241**	**11945**	**9192**	**7720**	**6381**
कुल (क+ख)	**63713**	**66809**	**72610**	**74157**	**67737**
अन्य उत्पादकों का प्रतिशत अंश	**19.2**	**17.9**	**12.7**	**10.4**	**9.4**

टिप्पणी:

1. टीएसएल समूह में भूषण स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और बीएमडब्ल्यू–गम्हरिया (झारखंड) के साथ–साथ जमशेदपुर और कलिंगनगर के टीएसएल संयंत्र शामिल हैं।
2. (अनं) का तात्पर्य अनंतिम आंकड़ो के लिए (दिसंबर, 2020 तक) स्रोतः जेपीसी

अनुलग्नक–VII

पिग आयरन का उत्पादन

('000 टन)

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई	2016	2017	2018	2019	2020 (अनं)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	486	270	410	591	535
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	138	119	120	58	38
कुल सार्वजनिक क्षेत्र (क)	**624**	**389**	**530**	**649**	**573**
निजी क्षेत्र इकाई					
टीएसएल समूह			518	332	176
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	282	180	111	129	234
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	233	155	199	325	266
अन्य निजी इकाई	9108	6164	4891	4548	3252
कुल निजी क्षेत्र (ख)	**9623**	**6499**	**5719**	**5334**	**3928**
कुल उत्पादन (क + ख)	**10247**	**6888**	**6249**	**5983**	**4501**

टिप्पणी:

1. टीएसएल समूह में भूषण स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और बीएमडब्ल्यू–गम्हरिया (झारखंड) के साथ–साथ जमशेदपुर और कलिंगनगर के टीएसएल संयंत्र शामिल हैं।
2. (अनं) का तात्पर्य अनंतिम आंकड़ो के लिए (दिसंबर, 2020 तक) स्रोतः जेपीसी

अनुलग्नक–VIII

तैयार इस्पात का उत्पादन

(गैर–मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात)

('000 टन)

संयंत्र	2016	2017	2018	2019	2020 (अनं)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	13134	14076	13004	12437	10998
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	3010	3739	4242	3740	2522
टाटा स्टील लिमिटेड	13051	14740	3594		
टीएसएल समूह			13544	18479	16723
एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	7939	9912	7760	7061	6524
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	20126	22498	17795	15245	13836
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	2592	2818	3606	4488	4030
उप योग (क):	**59852**	**67783**	**63545**	**61450**	**54633**
अन्य उत्पादक (ख)	57100	56906	45100	42612	36802
कुल उत्पादन (क+ख)	**116952**	**124689**	**108645**	**104062**	**91435**
अन्य का प्रतिशत हिस्सेदारी	**48.8**	**45.6**	**41.5**	**40.9**	**40.2**

टिप्पणी:

1. विदित हो कि जेपीसी ने मार्च 2018 के बाद तैयार इस्पात रिपोर्टिंग प्रणाली को संशोधित किया। मार्च 2018 से पहले जेपीसी तैयार इस्पात का सकल उत्पादन विवरण प्रयुक्त करता था। अप्रैल 2018 से, जेपीसी तैयार इस्पात के कच्चे इस्पात संबंधित उत्पाद को प्रतिवेदित कर रहा है।
2. (अनं) का तात्पर्य अनंतिम आंकड़ो के लिए (दिसंबर, 2020 तक) स्रोतः जेपीसी

अनुलग्नक–IX

तैयार इस्पात का श्रेणी–वार उत्पादन

('000 टन)

श्रेणी	2016			
	सेल, आरआईएनएल, टीएसएल, ईएसएल, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	अन्य उत्पाद	आईपीटी / ओडब्ल्यूएन की खपत	कुल
1. गैर फ्लैट उत्पाद				
बार एवं रॉड	11510	23379	144	34745
स्ट्रक्चरल्स	1681	6141	4	7818
रेलवे सामग्री	997	24	0	1021
कुल (गैर–फ्लैट उत्पाद) (क)	**14188**	**29544**	**148**	**43584**
2. फ्लैट उत्पाद				
प्लेटें	4126	492	96	4522
एचआर कॉइल / स्ट्रिप	28283	6545	8528	26300
एचआर शीट्स	1116	45	0	1161
सीआर कॉइल / शीट्स	6783	6003	4021	8765
जीपी एवं जीसी / सीसी / गैलवैल्यूम	4119	4231	587	7763
इलैक्ट्रिक कॉइल्स / शीट्स	146	409	0	555
टिन प्लेटें (डब्ल्यू–डब्ल्यू सहित)	26	307	0	333
पाइप (लार्ज डीआईए)	236	1960	74	2122
टीएमबीपी	0	0	0	0
टिन मुक्त इस्पात	0	0	0	0
कुल (फ्लैट उत्पाद) (ख)	**44835**	**19992**	**13306**	**51521**
कुल (तैयार गैर मिश्रधातु) (ग) = (क+ख)	**59023**	**49536**	**13454**	**95105**
कुल तैयार इस्पात (घ) (मिश्रधातु / स्टेनलेस)	**842**	**7553**	**34**	**8361**
कुल परिष्कृत इस्पात (ग+घ) (गैर–मिश्रधातु + मिश्रधातु)	**59865**	**57089**	**13488**	**103466**

टिप्पणी:

1. विदित हो कि जेपीसी ने मार्च 2018 के बाद तैयार इस्पात रिपोर्टिंग प्रणाली को संशोधित किया। मार्च 2018 से पहले जेपीसी तैयार इस्पात का सकल उत्पादन विवरण प्रयुक्त करता था। अप्रैल 2018 से, जेपीसी तैयार इस्पात के कच्चे इस्पात संबंधित उत्पाद को प्रतिवेदित कर रहा है।
2. स्रोत: जेपीसी

अनुलग्नक–IX क

तैयार इस्पात का श्रेणी–वार उत्पादन

('000 टन)

	2017			जनवरी–मार्च 2018		
श्रेणी	सेल, आरआईएनएल टीएसएल, ईएसएल जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	अन्य उत्पाद	कुल	सेल, आरआई टीएसएल, ईएसएल जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	अन्य उत्पाद	कुल
1. गैर–फ्लैट उत्पाद						
बार एवं रॉड	12434	22813	35247	3566	6188	9754
स्ट्रक्चरल्स	1841	5629	7470	570	1947	2517
रेलवे सामग्री	1230	27	1257	340	8	348
कुल (गैर–फ्लैट उत्पाद)	**15505**	**28469**	**43974**	**4476**	**8143**	**12619**
2. फ्लैट उत्पाद						
प्लेटें	4711	412	5122	1284	80	1364
एचआर कॉइल/स्ट्रिप	31538	6634	38173	7894	1920	9814
एचआर शीट्स	2024	21	2045	631	3	633
सीआर कॉइल/शीट्स	8340	6720	15060	2247	1711	3958
जीपी एवं जीसी/गैलवैल्यूम	3694	3109	6804	1035	729	1763
रंग लेपित	743	1046	1788	184	187	371
इलैक्ट्रिकल कॉइल्स / शीट्स	191	167	358	54	8	61
टिन प्लेट (डब्ल्यू डब्ल्यू सहित)	73	338	411	19	90	109
पाइप्स (लार्ज डीआईए)	194	1987	2181	79	508	586
टिन मुक्त इस्पात	0	0	0	0	0	0
कुल (फ्लैट उत्पाद)	**51508**	**20434**	**71942**	**13427**	**5236**	**18659**
कुल (तैयार गैर मिश्रधातु)	**67012**	**48903**	**115915**	**17903**	**13379**	**31278**
कुल तैयार इस्पात (मिश्रधातु/स्टेलनेस)	**771**	**8001**	**8772**	**236**	**2166**	**2402**
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्रधातु+ मिश्रधातु)	**67784**	**56904**	**124687**	**18139**	**15545**	**33680**

टिप्पणी:

1. विदित हो कि जेपीसी ने मार्च 2018 के बाद तैयार इस्पात रिपोर्टिंग प्रणाली को संशोधित किया। मार्च 2018 से पहले जेपीसी तैयार इस्पात का सकल उत्पादन विवरण प्रयुक्त करता था। अप्रैल 2018 से, जेपीसी तैयार इस्पात के कच्चे इस्पात संबंधित उत्पाद को प्रतिवेदित कर रहा है।
2. स्रोतः जेपीसी

अनुलग्नक–IX ख

तैयार इस्पात का श्रेणी–वार उत्पादन

('000 टन)

श्रेणी	अप्रैल–दिसंबर 2018			2019			2020 (अनं)		
	सेल आरआईएनएल टीएसएल समूह एएम/एनएस जेएसडब्लयूएल जेएसपीएल	अन्य	कुल	सेल आरआईएनएल टीएसएल समूह एएम/एनएस जेएसडब्ल्यूएल जेएसपीएल	अन्य	कुल	सेल आरआईएनएल टीएसएल समूह एएम/एनएस जेएसडब्ल्यूएल जेएसपीएल	अन्य	कुल
तैयार इस्पात (गैर–मिश्रधातु)									
बार एवं रॉड	10412	18268	28680	14175	27601	41776	11277	22542	**33819**
स्ट्रक्चरल्स	1796	3605	5401	2244	5358	7602	1650	4671	**6321**
रेलवे सामग्री	982	49	1031	1724	45	1769	1592	25	**1617**
कुल (गैर–फ्लैट)	**13190**	**21922**	**35112**	**18143**	**33004**	**51147**	**14519**	**27238**	**41757**
पीएम प्लेट्स	3482	74	3556	4607	157	4764	3992	116	**4108**
एचआर कॉइल/स्ट्रिप	27619	3766	31385	37632	5085	42717	35048	5668	**40716**
कुल (फ्लैट)	31101	3840	34941	42239	5242	47480	39040	5784	**44824**
कुल (गैर–मिश्रधातु)	**44291**	**25762**	**70053**	**60381**	**38245**	**98626**	**53560**	**33022**	**86582**
तैयार इस्पात (मिश्रधातु)									
गैर–फ्लैट	994	1583	2576	945	1716	2661	747	1781	2529
फ्लैट	70	102	172	52	195	247	165	129	294
कुल (मिश्रधातु)	**1064**	**1685**	**2748**	**997**	**1911**	**2908**	**912**	**1910**	**2823**
तैयार इस्पात (स्टेनलेस)									
गैर–फ्लैट	0	750	750	0	676	676	0	516	516
फ्लैट	54	1361	1415	72	1780	1852	160	1353	1513
कुल (स्टेनलेस)	**54**	**2111**	**2165**	**72**	**2456**	**2528**	**160**	**1869**	**2029**
तैयार इस्पात (गैर–मिश्रधातु + मिश्रधातु + स्टेनलेस)									
कुल (गैर–फ्लैट)	**14183**	**24255**	**38438**	**19088**	**35395**	**54482**	**15268**	**29536**	**44803**
कुल (फ्लैट)	**31225**	**5303**	**36528**	**42363**	**7217**	**49580**	**39366**	**7266**	**46632**
कुल तैयार इस्पात	**45408**	**29558**	**74966**	**61451**	**42612**	**104062**	**54634**	**36802**	**91435**

टिप्पणी:

1. विदित हो कि जेपीसी ने मार्च 2018 के बाद तैयार इस्पात रिपोर्टिंग प्रणाली को संशोधित किया। मार्च 2018 से पहले जेपीसी तैयार इस्पात का सकल उत्पादन विवरण प्रयुक्त करता था। अप्रैल 2018 से, जेपीसी तैयार इस्पात के कच्चे इस्पात संबंधित उत्पाद को प्रतिवेदित कर रहा है।
2. (अनं) का तात्पर्य अनंतिम आंकड़ो के लिए (दिसंबर, 2020 तक); स्रोत: जेपीसी

अनुलग्नक–X

लोहा और इस्पात का श्रेणीवार आयात

('000 टन)

क्रम सं.	श्रेणी	2016	2017	2018	2019	2020 (अनं)
I	**अर्ध–तैयार इस्पात (गैर–मिश्र धातु)**					
	सेमीज	458	410	390	164	134
	पुनः रोल करने योग्य स्क्रैप	337	411	429	287	147
	कुल	**795**	**821**	**819**	**451**	**281**
II	**तैयार इस्पात (गैर–मिश्र धातु)**					
	गैर–फ्लैट					
	वार और रॉड	438	312	286	317	134
	स्ट्रक्चरल्स	51	50	44	36	35
	रेलवे सामग्री	31	26	42	68	54
	कुल गैर–फ्लैट	**520**	**388**	**372**	**421**	**223**
	फ्लैट					
	प्लेटस	839	660	478	344	371
	एचआर शीट्स	39	16	12	6	1
	एचआर कॉइल्स/स्कैल्प/स्ट्रिप्स	2196	1875	1750	1913	804
	सीआर कॉइल्स/शीट्स	1375	705	478	465	201
	जीपी/जीसी शीट्स	570	1058	1232	949	726
	इलेक्ट. शीट्स	292	540	654	621	421
	टीएमबीपी	2	1	8	0	0
	टिन प्लेट्स	235	207	181	197	123
	टिन मुक्त इस्पात	35	58	74	79	50
	पाइप्स	99	377	315	354	194
	कुल फ्लैट	**5682**	**5497**	**5182**	**4928**	**2891**
	कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र धातु)	**6202**	**5885**	**5554**	**5349**	**3114**
	कुल इस्पात (गैर–मिश्र धातु)	**6997**	**6706**	**6373**	**5800**	**3395**
	मिश्र धातु/स्टेलनेस स्टील					
	गैर–फ्लैट	675	445	554	427	287
	फ्लैट	1552	1499	1190	1664	1062
	अर्ध तैयार	15	56	176	61	20
	कुल तैयार इस्पात (मिश्रधातु/स्टेनलेस)	**2227**	**1944**	**1744**	**2090**	**1350**
	कुल इस्पात (मिश्रधातु/स्टेनलेस)	**2242**	**2000**	**1920**	**2152**	**1369**
	कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु+गैर–मिश्र धातु)	**8429**	**7828**	**7298**	**7439**	**4464**
	कुल इस्पात (गैर–मिश्रधातु+मिश्रधातु)	**9239**	**8706**	**8293**	**7952**	**4764**
III	अन्य इस्पात मदें					
	फिटिंग	556	245	193	163	119
	विविध इस्पात मद	1490	1504	1377	369	214
	इस्पात स्क्रैप	5901	4894	5974	6763	5649
IV	**लोहा**					
	पिग आयरन	33	16	67	13	7
	स्पंज आयरन	1	58	58	44	44
V	फैरो मिश्रधातु	552	554	576	642	545
	कुल योग	**17772**	**15977**	**16538**	**15946**	**11342**

(अनं) का तात्पर्य अनंतिम आंकड़ा (दिसंबर, 2020 तक) से संबंधित है; स्रोतः जेपीसी

अनुलग्नक–XI

लोहा और इस्पात का श्रेणीवार निर्यात

('000 टन)

श्रेणी	2016	2017	2018	2019	2020(अनं)
सेमीज (गैर–मिश्रधातु)	**703**	**1,530**	**2,259**	**2,660**	**6,087**
तैयार इस्पात (गैर–मिश्रधातु)					
गैर–फ्लैट					
बार एवं रॉड	541	1972	615	529	767
स्ट्रक्चरल्स	113	194	196	167	120
रेलवे सामग्री	39	84	4	1	23
कुल गैर–फ्लैट	**693**	**2250**	**815**	**697**	**910**
फ्लैट					
प्लेट्स	202	459	462	291	521
एच आर कॉइल्स/शीट्स	1439	3766	2479	4603	6467
सीआर शीटस/कॉइल्स	1127	1390	748	636	470
जीपी/जीसी शीट्स	1652	1270	1025	930	814
इलैक्ट्र. शीट्स	30	72	79	35	46
टिन प्लेट्स	43	46	39	27	16
टिन मुक्त इस्पात	2	2	2	2	2
पाइप्स	155	646	426	253	136
कुल फ्लैट	**4650**	**7651**	**5260**	**6777**	**8472**
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्रधातु)	**5343**	**9900**	**6076**	**7474**	**9382**
कुल इस्पात (गैर–मिश्रधातु)	**6046**	**11430**	**8334**	**10134**	**15469**
गैर–फ्लैट मिश्रधातु/स्टेनलेस	152	530	289	268	254
फ्लैट मिश्रधातु/स्टेनलेस	407	441	327	462	514
कुल तैयार इस्पात (मिश्रधातु/स्टेनलेस)	**559**	**971**	**616**	**730**	**768**
अर्ध–तैयार (मिश्रधातु/स्टेनलेस)	7	29	35	9	46
कुल इस्पात (मिश्रधातु/स्टेनलेस)	**566**	**1,000**	**651**	**739**	**814**
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र धातु+मिश्र धातु)	**5902**	**10871**	**6692**	**8205**	**10150**
कुल इस्पात (गैर–मिश्रधातु+मिश्रधातु)	**6612**	**12430**	**8985**	**10873**	**16283**
पिग आयरन	182	668	335	421	823
स्पंज आयरन	157	269	558	819	584

(अनं) का तात्पर्य अनंतिम आंकड़ा (दिसंबर, 2020 तक); से विदित है; संबंधित स्रोतः जेपीसी

अनुलग्नक–XII

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों/ आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

बोकारो इस्पात संयंत्र

(क) ओ.ए. नंबर 51/00173/2017:

माननीय कैट, रांची ने दिनांक 07.11.2017 को दिये गए आदेश में सेल/बीएसएल को श्री अजय कुमार के अभ्यावेदन पर तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। दिनांक 31.01.2018 के सेल/बीएसएल के पत्र के तहत श्री अजय कुमार को सूचित किया गया कि उनके आवेदन और अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। श्री अजय कुमार ने माननीय कैट रांची के समक्ष दिनांक 07.11.2017 के आदेश का पालन नहीं करने के लिये अध्यक्ष, सेल के खिलाफ अवमानना का मुकदमा सं. सीपी/051/00017/2018 दाखिल किया था। हालांकि, सेल/बीएसएल के दिनांक 31.1.2018 के उत्तर को ध्यान में रखते हुए दिनांक 22.10.2018 को माननीय कैट रांची ने अवमानना के मुकदमे को खारिज कर दिया।

उपर्युक्त मामले में, दिनांक 18.10.2019 के अपने आदेश में माननीय अधिकरण ने सेल/बीएसएल को आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर तर्कयुक्त एवं स्पीकिंग ऑर्डर पारित करते हए लंबित अपीलों को निपटाने का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल के आदेश का विधिवत अनुपालन प्रत्यर्थी द्वारा किया गया है।

(ख) ओ.ए. नंबर 94/2015:

श्री नीरज कुमार और अन्य ने एसपीयू बेतिया में उनके नियमितीकरण के लिये माननीय कैट, पटना न्यायपीठ के समक्ष आवेदन सं. ओए/050/00094/2015 दाखिल किया। दिनांक 26.05.2016 को माननीय कैट ने आवेदन को योग्यता रहित मानकर खारिज कर दिया। हालांकि, कथित आदेश में माननीय कैट ने सेल को एक वर्ष की अवधि के भीतर सतर्कता जांच पूरी करने और निष्कर्ष पर पहुंचने की सलाह दी।

इसके बाद श्री नीरज कुमार और अन्य लोगों ने माननीय कैट, पटना न्यायपीठ के समक्ष सेल के खिलाफ अवमानना का मुकदमा नंबर सीपी/50/11/2018 दाखिल किया। कथित अवमानना मुकदमा को माननीय कैट, द्वारा दिनांक 22.02.2018 को खारिज कर दिया गया।

तत्पश्चात, श्री नीरज कुमार और अन्य ने दिनांक 22.02.2018 (अवमानना मामला) और 26.05.2016 को माननीय कैट, पटना न्यायपीठ के आदेश को रद्द करने के लिये पटना उच्च न्यायालय में याचिका नं 13380/2018 दर्ज की थी। मामला 10.01.2020 वापिस ले लिया गया था, अतः मुकदमा खारिज हो चुका है।

अनुलग्नक–XIII

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का तुलनात्मक पीबीटी (कर पूर्व लाभ)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / कंपनियां	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21*
1.	सेल	(-)4851	(-)758.94	3337.89	3170.66	2270.57
2.	आरआईएनएल	(-)1690.49	(-)1911.45	(-)306.89	(-)4287.51	(-)2016.91
3.	एनएमडीसी	4292.92	6179	7198	6122	4635
4.	मॉयल	461.90	647.92	719.75	340.49	82.24
5.	मेकॉन	(-)88.14	43.99	9.97	87.03	(-)141.85
6.	एमएसटीसी	96.61	111.6	(-)269.21	129.49	60.82
7.	केआईओसीएल	31.22	86.09	184.12	63.68	121.01
8.	एफएसएनएल	36.22	13.04	41.09	46.02	13.18
9.	ईआईएल$	1.16	0.67	0.20	0.72	0.34
10.	ओएमडीसी$	12.36	(-)258.17	(-)638.11	(-) 48.36	(-)45.47
11.	बीएसएलसी$	(-)17.74	(-)10.52	(-)28.02	(-)10.27	0.70

* दिसंबर, 2020 के लिये अनंतिम

$ ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल), उडीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी), बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी), पूर्ववर्ती बर्ड एंड कंपनी लिमिटेड के घटक हैं।

अनुलग्नक–XIII क

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का तुलनात्मक पीएटी (कर पश्चात लाभ)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / कंपनी	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21*
1.	सेल	(-)2833.00	(-)481.71	2178.82	2021.54	406.22
2.	आरआईएनएल	(-)1263.16	(-)1369	96.71	(-)3910.17	(-)1839
3.	एनएमडीसी	2589.14	3806	4642	3610	3415
4.	मॉयल	305.83	421.99	473.89	248.22	63.68
5.	मेकॉन	(-)83.84	58.00	13.74	69.00	(-)141.85
6.	एमएसटीसी	65.43	76.63	(-)324.47	75.20	39.56
7.	केआईओसीएल	47.93	81.48	111.86	43.48	90.56
8.	एफएसएनएल	23.75	8.07	26.69	30.58	9.86
9.	ईआईएल$	0.85	0.35	(-)0.25	(-)0.56	0.24
10.	ओएमडीसी$	5.86	(-)252.95	(-)451.63	(-)76.69	(-)46.99
11.	बीएसएलसी$	(-)17.74	(-)10.52	(-)28.02	(-)10.27	0.70

* अप्रैल–दिसंबर, 2020 के लिये अनंतिम

$ ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल), उडीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी), बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी), पूर्ववर्ती बर्ड एंड कंपनी लिमिटेड के घटक हैं।

अनुलग्नक–XIV

केन्द्रीय सरकार और सरकार की बीमा कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों द्वारा दिया गया योगदान

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कंपनी	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21*
1.	सेल	6951.00	6894	10916	8094	6074
2.	आरआईएनएल	1501.43	1810.32	2518.12	2119.53	1073.08
3.	एनएमडीसी	10646	4435	5376	5300	1938
4.	मॉयल	254.97	262.07	381.15	188.61	47.98
5.	मेंकॉन	77.94	87.15	112.98	98.81	शून्य
6.	एमएसटीसी	68	80.00	91.26	73.20	58.68
7.	केआईओसीएल	58.78	71.68	53.60	84.91	72.81
8.	एफएसएनएल	49.68	38.67	36.31	33.79	21.64
9.	ओएमडीसी	2.38	1.46	3.00	2.03	0.63
10.	बीएसएलसी	0.73	0.76	0.89	0.78	0.76

*दिसंबर 2020 के लिये अनंतिम

अनुलग्नक–XIV क

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार को दिया गया योगदान

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / कंपनी	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21*
1	सेल	3292.00	2402.00	2604	3250	2084
2	आरआईएनएल	531.59	584.66	767.37	587.91	250.66
3	एनएमडीसी	1332	2381	1726	2997	1518
4	मॉयल	90.70	148.50	123.43	111.07	55.13
7	मेकॉन	0.39	5.87	6.74	13.25	शून्य
5	एमएसटीसी	31.00	28.00	24.43	16.26	8.67
8	केआईओसीएल	0.51	0.07	1.11	2.56	2.35
6	एफएसएनएल	0.71	11.30	18.83	21.46	13.61
9	ओएमडीसी	0.42	40.34	550.21	2.81	1.58
10	बीएसएलसी	7.14	7.17	6.40	6.59	8.22

* दिसंबर 2020 के लिये अनंतिम

अनुलग्नक–XV

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का सीएसआर संबंधी बजट और व्यय

(रु. लाख में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ कंपनी	2016–17		2017–18		2018–19		2019–20		2020–21*	
		बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय
1.	सेल	2934	2905	2600	2570	3000	3118	3300	2756	5400	3479
2.	आरआईएनएल	748	853	778	960	850	1030	850	796	861	935
3.	एनएमडीसी	24832	17418	19516	16937	20000	16724	20000	19999	16450	5100
4.	मॉयल	1127	1143.10	922	961.63	925	929.48	1250	1274.22	1250	382.74
5.	मेकॉन	270.43	67.30	203.12	49.12	544.03	16.92	547.03	330.52	310.50$	29.16
6.	एमएसटीसी	77	80	214	215	200	200	शून्य	54^	शून्य	शून्य
7.	केआईओसीएल	43.50	38.19	15.98	15.98	39.64	32.51	208.08	331.42	871.77	800
8.	एफएसएनएल	51.16	77.29	63.36	63.48	65	66.81	62.78	63.07	67##	500##

* दिसंबर 2020 के लिये अनंतिम

$ वित्त वर्ष 2020–21 के लिए रु. 93.99 लाख + 2019–20 के लिए कैरी ओवर (जारी निधि): 216.51 लाख रुपए का आवंटन शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 और उसके बाद के वर्षों में पीएम केयर्स फंड में 5 करोड़ रुपये की योगदान राशि सीएसआर दायित्वों के विरुद्ध है। तदनुसार, सीएसआर नीति के अनुसार, 2020–2021 के लिये पूर्ववर्ती तीन वर्षों का निवल लाभ रू. 67 लाख तक है, और वर्ष 2020–21 में इस राशि के समायोजन के बाद 4.33 करोड़ रुपये की शेष राशि को बाद के वर्षों के लिए समायोजित कर दिया गया है।

^ वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के पास कोई सीएसआर निधि नहीं थी। कंपनी ने 54 लाख रुपए की अव्ययित राशि को पीएम केयर्स फंड में आंतरित किया है।

अनुलग्नक–XVI

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसानुसार 'नागरिक केंद्रित सात चरणीय मॉडल – सेवोत्तम' को अपनाना

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट "नागरिक केंद्रित प्रशासन–शासन का दिल" के पैरा 4.6.2 में नागरिक चार्टर को अधिक प्रभावी एवं आवश्यक बनाकर संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिकों के अनुकूल बनाने की अनुशंसा की है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (एआर एंड पीजी) ने जनसेवा आपूर्ति (सेवोत्तम) को बेहतर बनाने के लिये एक मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल नागरिकों को दी जा रही सेवाओं के विकास तथा उनके आंकलन के लिये संगठन को एक फ्रेमवर्क उपलब्ध करता है। सूचना प्रौद्यौगिकी की सहायता से व्यवसाय प्रक्रिया को अधिक जानकारी परक बनाने के लिये नवीन पद्धतियों के उपयोग के माध्यम से यह नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं, इसके उद्देश्यों, सेवा की गुणवत्ता व गुणवत्ता में सुधार आदि की पहचान करता है।

इस्पात मंत्रालय ने अपना नागरिक चार्टर प्रकाशित किया है और हितधारकों की आवश्यकता एवं बदलती उम्मीदों के आधार पर समय–समय पर इसमें अद्यतन किया जाता है। चार्टर को मंत्रालय की वेबसाइट www.steel.nic.in पर डाला गया है। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों ने भी चार्टर को, अपनी वेबसाइट पर डलवाया है।

अनुलग्नक–XVII

''लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का संवर्धन''

योजना के अधीन अनुसंधान और विकास के लिए जारी किए गए अनुदान

क्र. सं.	अनुसंधान एवं विकास परियोजना का नाम	अनुदान जारी (लाख रु. में)								
		2018–19			2019–20			2020–21 (दिसंबर 2020 तक)		
		कुल	पूंजी	राजस्व	कुल	पूंजी	राजस्व	कुल	पूंजी	राजस्व
1	आरडीसीआईएस द्वारा कोक ओवन बैटरियों के कोल हैंडिलिंग संयंत्र में इष्टतम कोल ब्लेडिंग के लिए ऑटोमेशन सिस्टम का विकास	**147.00**	138.50	8.50						
2	आईआईटी मद्रास और जेएसडब्ल्यू द्वारा किलंकर कम्पैटिबल उत्पाद बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के लिए ड्राई स्लैग ग्रैनुलेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी रिकवरी सिस्टम का विकास	**29.43**	7.43	22.00						
3	मेकॉन द्वारा इंफ्रारैड कैमरा आधारित टॉरपेडो लैडल कार कंडीशन मॉनीटरिंग सिस्टम का विकास	**19.50**	0.00	19.50						
4	आईआईटी, बीएचयू द्वारा जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए निकल फ्री नाइट्रोजन ऑस्टेनिटिक स्टेनलैस स्टील का विकास	**28.06**	0.00	28.06	**28.39**	0.00	28.39			
5	आईआईटी मद्रास और जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्रोपर्टीज के लिए और अधिक से अधिक लोहा प्राप्ति के लिए थर्मल ग्रेड कोयले का उपयोग करके स्लिम्स और लो ग्रेड आयरन ओर के लिए फ्लूडाइज्ड बैड रिडक्शन रोस्टिंग प्रक्रिया का विकास	**21.06**	8.00	13.06	**44.88**	25.00	19.88			
6	एनएमएल जमशेदपुर द्वारा सिलिको मैंगनीज का प्रयोग करके हाई मैंगनीज स्लैग के मैटलोथर्मिक ट्रीटमेंट द्वारा लो कार्बन और लो फास्फोरस फेरो मैंगनीज का उत्पादन	**34.00**	0.00	34.00						

क्र. सं.	अनुसंधान एवं विकास परियोजना का नाम	अनुदान जारी (लाख रु. में)								
		2018–19			2019–20			2020–21 (दिसंबर 2020 तक)		
		कुल	पूंजी	राजस्व	कुल	पूंजी	राजस्व	कुल	पूंजी	राजस्व
7	आईआईएमटी भुवनेश्वर द्वारा पैलेट फीड कंसेट्रेट के उत्पादन के लिए ऐसे अयस्कों की जिन्हें ट्रीट किया जाना मुश्किल होता है, रोस्टिंग और माइक्रोवेव हीटिंग में कमी लाना	**30.00**	10.00	20.00	**16.80**	0.00	16.80			
8	आईआईएमटी भुवनेश्वर और एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा भारतीय लौह अयस्क प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए हाई कंसेट्रेशन आयरन ओर फाइन्स/कंसेट्रेट स्लरी पाइप लाइनों का मॉडल बनाना और इष्टतम उपयोग करना	**64.50**	43.50	21.00	**34.30**	0.00	34.30			
9	एनआईएसएसटी, एनएमएल और एमईसीपीएल द्वारा एसएएफ में हाई फेरो क्रोम के उत्पादन और टनल क्विलन में क्रोमाइट ओर की प्री–रिडक्शन के लिए कार्बन किफायती ग्रीन टेक्नोलॉजी का विकास	**70.02**		70.02	**75.48**	0.00	75.48			
10	आईआईटी, खडगपुर द्वारा इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील मेकिंग स्लैग से ग्रीन बेलाइट सीमेंट बनाने का एक नया दृष्टिकोण	**12.96**		12.96	**9.38**		9.38			
11	एनएमएल जमशेदपुर द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा अनुप्रयोग के लिए अमॉर्फस इलेक्ट्रिकल स्टील (एईएस)	**135.49**	135.49		**198.12**		198.12			
12	सीआरआरआई द्वारा सड़क निर्माण के लिए इस्पात स्लैग के उपयोग हेतु डिजाइन दिशानिर्देशों और विनिर्देशों का विकास	**286.50**	286.50	0.00						
13	मिधानी द्वारा वाणिज्यिक बाजार के लिए सुपर अलॉय ग्रेड 625 और 825 का विकास	**200.00**	200.00	0.00	**600.00**	600.00	0.00			
14	आईएमएमटी द्वारा उन्नत न्यूफ्लोट फ्लोटेशन सेल का उपयोग करते हुए भारतीय कोकिंग कोल के लिए फ्लोटेशन प्रक्रिया का इष्टतम उपयोग।	**74.74**	40.00	34.74	**16.80**	0.00	16.80			

क्र. सं.	अनुसंधान एवं विकास परियोजना का नाम	अनुदान जारी (लाख रु. में)								
		2018–19			2019–20			2020–21 (दिसंबर 2020 तक)		
		कुल	पूंजी	राजस्व	कुल	पूंजी	राजस्व	कुल	पूंजी	राजस्व
15	आईआईटी कानपुर द्वारा बेहतर कास्टेबिलिटी और सफाई के लिए लैडल श्राउड के माध्यम से टीमिंग के दौरान इस्पात के री–ऑक्सिडेशन को कम करने के लिए फंडामेंटल प्रोसेस इंजीनियरिंग	**130.25**	87.88	42.37	**15.19**	4.00	11.19			
16	आईएमएमटी द्वारा उत्सर्जित सीओ2 को रासायनिक ईंधन में बदलना	**49.45**	30.00	19.45	**14.95**		14.95			
17	सीबीआरआई द्वारा रासायनिक रूप से एक्टिवेटेड एलडी स्लैग का उपयोग करते हुए नए सिमेंटिशियस सामग्री का विकास	**120.00**	85.00	35.00						
18	सीआईएमएफआर द्वारा स्लैग के उपयोग पर जोर देते हुए इस्पात संयंत्रों में द्रव्य रहित निस्सारण प्राप्त करने के लिए एकीकृत कम लागत प्रौद्योगिकी	**12.12**	5.00	7.12	**11.12**	6.00	5.12			
19	केआईओसीएल द्वारा निर्माण उद्योग में प्रिकर्सर के रूप में फ्लाई ऐश का उपयोग करते हुए कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान टेलिंग आधारित जियोपोलिमर एग्रिगेट का संश्लेषण	**11.20**	11.20							
20	भारतीय इस्पात और इस्पात संबंधी संयंत्रो से उत्पन्न स्लजों का अपशिष्ट प्रबंधनः बीआईटीएस पिलानी द्वारा स्थायी व्यापार मॉडल	**23.72**	11.50	12.22	**6.77**		6.77			
21	एनआईएसएसटी, सीजीसीआरआई और एनएमएल द्वारा उच्चस्तरीय इस्पात के उत्पादन के लिए उचित मेल्टिंग फर्नेस संस्थापित करने के लिए किफायती रीफ्रैक्टरी लाइनिंग सामग्रियों का विकासः चरण II (औद्योगिक परीक्षण)				**209.00**		209.00			
22	पीईसी चण्डीगढ द्वारा भारत में ऑटोमोबाइल एंव कृषि उद्योगों में उपयोग करने हेतु ओस्टेम्परड डक्टाइल आयरन टेक्नॉलॉजी का स्वदेशी विकास				**120.00**	95.00	25.00			

क्र. सं.	अनुसंधान एवं विकास परियोजना का नाम	अनुदान जारी (लाख रु. में)								
		2018–19			2019–20			2020–21 (दिसंबर 2020 तक)		
		कुल	पूंजी	राजस्व	कुल	पूंजी	राजस्व	कुल	पूंजी	राजस्व
23	आईआईएमटी द्वारा फ्लू गैस से सीओ2, एसओएक्स और एनओएक्स का एक साथ निष्कासन और उनका अंतर्मुखी उत्प्रेरक रूपांतरण और मूल्य वर्धित उत्पादक							**19.01**		19.01
24	चावल की भूसी के प्लाज्मा प्रसंस्करण द्वारा बेंच स्केल उत्पादन और सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर के लागत की गणना							**11.10**		11.10
	एमएचआरडी की इंप्रिट योजना के तहत परियोजनाएं									
1	आईआईटी खड़गपुर के द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए उच्च शक्ति क्षमता युक्त स्टेलनेस गुणधर्म के इस्पात का स्वदेशी विकास (परियोजना संख्या 6456)				**13.50**			**13.50**		
2	आईआईटी कानपुर द्वारा तेज गति की रेल और इलास्टिक क्लिप के लिए उच्च क्षमता वाली, घर्षण और जंग प्रतिरोधी इस्पात (परियोजना संख्या 6777)				**42.00**			**42.00**		
3	आईआईटी कानपुर द्वारा, ऊर्जा दक्षता, उत्पादकता और विद्युत आर्क फर्नेस की क्षमता बढ़ाने के लिए मॉडल आधारित अनुकूलन उपकरण (ईएएफ_ओपीटी) (परियोजना संख्या 8014)				**43.32**			**43.32**		
		1,500.00	1,100.00	400.00	**1,500.00**	730.00	770.00	**30.11**	0.00	30.11

अनुलग्नक–XVIII

सीएजी का प्रतिवेदन

वार्षिक प्रतिवेदन में प्रयुक्त करने के लिए वित्त मंत्रालय से लेखा–परीक्षण अवलोकन प्राप्त किए जाते हैं। इस वर्ष वित्त मंत्रालय से 25.01.2021 तक कोई लेखा–परीक्षण अवलोकन प्राप्त नहीं हुआ है।

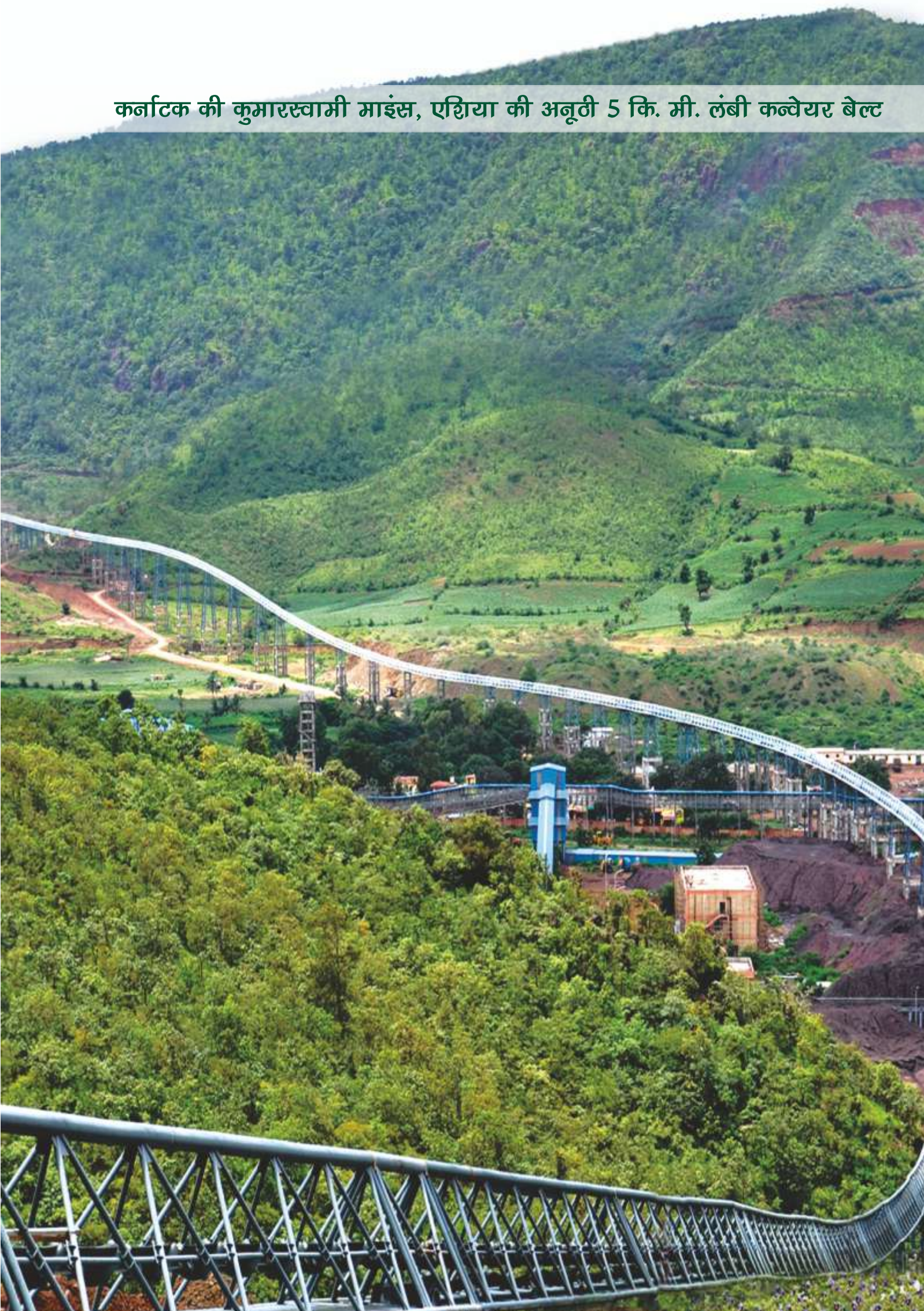

कर्नाटक की कुमारस्वामी माइंस, एशिया की अनूठी 5 कि. मी. लंबी कन्वेयर बेल्ट

ઇસ્પાતી ઇરાદા

सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार
www.steel.gov.in